लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No.
Date

(खण्ड 2 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 28 मार्च, 1985/7 चैत्र, 1907 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (iii), पंक्ति 14, "अवशिष्ट" के स्थान पर "अपशिष्ट" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (iii), पंक्ति 13 और 26, "विचार करने के लिये प्रस्ताव" को पंक्ति 13 और 14 के बीच तथा पंक्ति 26 और 27 के बीच पढ़िये।

पृष्ठ 14, पंक्ति 7, "श्री अमर राय प्रधान" के नाम पर "+" चिह्न पढ़िये.

पृष्ठ 20, पंक्ति 14, "(अनुवाद)" के स्थान पर "(हिन्दी)" पढ़िये।

पृष्ठ 21, पंक्ति 25 के नीचे बाईं ओर "(अनुवाद)" अंत:स्थापित करिये।

पृष्ठ 34, पंक्ति 3, "अजीत" के स्थान पर "अजित" पढ़िये।

पृष्ठ 44, नीचे से पंक्ति 8, "श्री एम०रघुमा रेड्डी" से पहले अ०प्र०संख्या "1309" पढ़िये।

पृष्ठ 46, पंक्ति 3, "अन्नानाम्मो" के स्थान पर "अण्णानाम्मो" पढ़िये।

पृष्ठ 46, पंक्ति 16, "वेखा" के स्थान पर "वेरवा" पढ़िये।

पृष्ठ 63, अंतिम पंक्ति, "बाई०पी०" के स्थान पर "वाई०पी०" पढ़िये।

पृष्ठ 81, नीचे से पंक्ति 4, "ली०बी०देसाई" के स्थान पर "ली०वी०देसाई" पढ़िये।

पृष्ठ 106, अ०प्र०संख्या 1391 के शीर्षक के ऊपर बाईं ओर "(अनुवाद)" पढ़िये

पृष्ठ 109, पंक्ति 6, "विरवे" के स्थान पर "विखे" पढ़िये।

पृष्ठ 120, पंक्ति 7, "अ०प्र०संख्या 1431" के स्थान पर "1413" पढ़िये।

पृष्ठ 139, पंक्ति 3, "नबदा" के स्थान पर "नर्मदा" पढ़िये तथा पंक्ति 4 में लिखा "{अनुवाद}" इसके ऊपर पढ़िये।

पृष्ठ 149, पंक्ति 24, "{नागरकोहल}" के स्थान पर "{नागरकोइल}" पढ़िये

पृष्ठ 172, पंक्ति 4, "{अनुवाद}" का लोप कीजिये।

पृष्ठ 237, पंक्ति 16, "{हिन्दी}" का लोप कीजिये।

पृष्ठ 238, पंक्ति 7, "जायेंगे" के पश्चात "{।}" जोड़िये।

पृष्ठ 242, पंक्ति 17, "स्वीकृति" के स्थान पर "स्वीकृत" पढ़िये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 3, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 14, गुरुवार, 28 मार्च, 1985/7 चैत्र, 1907 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		1—19
	*तारांकित प्रश्न संख्या : 221, 222, 224, 225, 227 और 228	
प्रश्नों के लिखित उत्तर		20—138
	तारांकित प्रश्न संख्या : 223, 226, 229, से 231, 233 से 242 और 136	
	अतारांकित प्रश्न संख्या : 1292 से 1309 और 1311 से 1432	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		139—140
राज्य सभा से संदेश		141—142
समितियों के लिये निर्वाचन		143—145
	(एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्	143
	(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्	143

* किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

पृष्ठ

(तीन) भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद्, बंगलौर 144
(चार) दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट 144
(पांच) भारतीय खान स्कूल, धनबाद, की महापरिषद् 145
(छः) नारियल जटा बोर्ड 145

नियम 377 के अधीन मामले ... ... 146—149

(एक) गढ़-चिरोली (महाराष्ट्र) में रोजगार गारंटी योजना के उचित कार्यान्वयन की आवश्यकता ... ...

श्री बिलास मुत्तेमवार 146

(दो) लखीमपुर खेरी (उत्तर प्रदेश) में सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग सुविधा की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा वर्मा 146

(तीन) पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कारवाड़ (कर्नाटक) स्थित सोडा कास्टिक फैक्टरी को यह हिदायतें देने की मांग कि वह उन अवशिष्ट पदार्थों को समुचित रूप से उपचारित करें जिनके समुद्र में बहाये जाने के कारण प्रदूषण होता है

श्री जी० देवराय नायक 147

(चार) केन्द्रीय सरकार द्वारा हरियाणा और राजस्थान राज्य सरकारों को यह निदेश देने की मांग कि वे मसानी बैरेज को वर्ष भर खुला रखें तथा इस बांध में पानी जमा न करें।

श्री रामसिंह यादव 147

(पांच) गोरखपुर में रेल डिब्बा निर्माण कारखाना स्थापित करने के संबंध में तत्काल निर्णय लिए जाने की आवश्यकता

श्री मदन पाण्डे 148

(छः) बंसधारा परियोजना को तत्काल स्वीकृति देने हेतु उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाने की आवश्यकता

श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव 148

(सात) तमिलनाडु के लोगों की इच्छा का सम्मान करते हुए दूरदर्शन के नेटवर्क कार्यक्रम के पहले वाले ही समय को पुनः लागू करने की आवश्यकता

श्री एन० सुन्दर राजन 149

(आठ) हथकरघा निर्मित कपड़े के भारी मात्रा में जमा हुए स्टाक की शीघ्र निकासी के लिए तथा हथकरघा बुनकरों की शिकायतों को दूर करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री एन० डेनिस 149

स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अध्यादेश, 1985 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प ... ... 150—176

और

स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री गिरधारी लाल व्यास 150

श्री जगन्नाथ राव 152

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 155

श्री राम प्यारे पनिका 155

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी 157

श्री अब्दुल रशीद काबुली 159

श्री अब्दुल गफूर 165

प्रो० सैफुद्दीन सोज 169

खंड 2 से 4 और 1 पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री अब्दुल गफूर 176

हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) विधेयक, 1985, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के लिए प्रस्ताव ... ... 177—242

श्री पी० ए० संगमा 177

श्री अजित कुमार साहा 178

श्री जैनुल बशर 180

पृष्ठ

श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर 183
श्री एन० टोम्बी सिंह 185
बेगम अब्दुल्ला 187
श्री मूलचन्द डागा 188
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी 192
श्री ई० अय्यापु रेड्डी 196
प्रो० एन० जी० रंगा 199
श्री विजय कुमार यादव 203
श्री एन० डेनिस 205
श्री बी० के० गढवीं 207
श्री के० आर० नटराजन 209
श्री पी० आर० कुमारमंगलम 210
श्रीमती जयन्ती पटनायक 213
श्री एन० वी० एन० सोमू 215
श्री गिरधारी लाल व्यास 217
श्री के० राममूर्ति 219
श्री थम्पन थामस 222
श्री सलाहुद्दीन 223
श्री राम प्यारे पनिका 225
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 226
श्री बी० सोमनाद्रीसवरा राव 228

खंड 2 से 19 और 1
पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी० ए० संगमा 243

संघ लोक सेवा आयोग के 32वें और 33वें प्रतिवेदन और इनमें उल्लिखित आयोग की सलाह को न मानने के मामलों के संबंध में सरकार के ज्ञापन पर चर्चा ... ... 243—250

श्री के० पी० सिंह देव 243
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी 247

लोक सभा

गुरुवार, 28 मार्च, 1985/7 चैत्र, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजकर 5 मिनट पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नौवहन उद्योग के लिए भारतीय संरक्षण और क्षतिपूर्ति क्लब

[अनुवाद]

*221. श्री सत्यगोपाल मिश्र†
श्री अमल दत्ता } : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवहन उद्योग के लिए इण्डियन प्रोटेक्शन एण्ड इन्डेम्निटी क्लब (भारतीय संरक्षण और क्षतिपूर्ति क्लब) बनाने के निर्णय को स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे देश को प्रतिवर्ष लगभग 24 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि होने के साथ-साथ देश के नौवहन उद्योग के लिए कुछ परेशानियां पैदा हो जायेंगी; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा करने का औचित्य क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) इस सम्बन्ध में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) अनुमान है कि वर्ष 1985-86 में पी० एण्ड आई० क्लबों को उनकी प्रीमियम नोटिसों के कारण विदेशी मुद्रा में जो अदायगी की गई, वह 18 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये तक होगी। इस प्रकार जितनी विदेशी मुद्रा बाहर जाती है उसके एवज में देयताओं को चुकाने और क्षति की लागत की अदायगी के रूप में पी० एण्ड आई० क्लब जहाज मालिकों की ओर से जो

धनराशि अदा करते हैं, वह विदेशी मुद्रा की आय के रूप में होती है। वर्ष 1970 से 1979 तक दस वर्षों के आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय जहाज मालिकों की ओर से पी० एंड आई० क्लबों ने जितने दावों का भुगतान किया है उसकी राशि इन जहाज मालिकों द्वारा अदा किए गए प्रीमियम की राशि से लगभग 1.37 करोड़ रुपये अधिक है। इस प्रकार भारतीय पी० एंड आई० क्लब के नहीं होने के कारण भारतीय जहाज मालिकों को कोई तात्कालिक हानि नहीं हुई है।

श्री सत्य गोपाल मिश्र : भारतीय पी०एंड आई० क्लब बनाने का प्रस्ताव 1979 में किया गया था। सामान्य बीमा निगम तथा भारतीय नौवहन निगम इस प्रस्ताव के बड़े पक्षधर थे। ऐसा क्लब बन जाने पर हमारी काफी विदेशी मुद्रा बचती। इस क्षेत्र में हमने विशेषज्ञता भी हासिल कर ली होती। परन्तु विदेशी क्लबों के साथ व्यापार करने की अवधि एक वर्ष तक बढ़ा दी गई। यह अवधि भी 20 फरवरी, 1985 को समाप्त हो गई है। उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि इस समस्या का समाधान करने के लिए वित्त मंत्री ने कोई बैठक बुलाई थी ? बैठक में कौन-कौन उपस्थित थे। तथा बैठक का क्या परिणाम निकला ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : यह सच है कि एक भारतीय क्लब बनाने का प्रस्ताव 1979 में किया गया था तथा उस पर विभिन्न स्तरों पर चर्चा की जाती रही। भारतीय जहाज मालिक संघ ने भी इस पर चर्चा की तथा कतिपय फायदों और बहुत से नुकसानों का आकलन करते हुए अपनी एक रिपोर्ट पेश की। अतः उनके द्वारा आकलित हानियों के परिप्रेक्ष्य में अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि क्या एक भारतीय पी० एण्ड आई० क्लब बनाना जहाजरानी उद्योग के हित में होगा अथवा नहीं। उपर्युक्त निर्णय पर विचार करके वित्त मंत्रालय ने जहाज मालिकों को पी० एण्ड आई० तथा अन्य सहायक बीमा बोर्डों के नवीनीकरण की छूट दे दी। उन्होंने भारतीय जहाज मालिकों को इन अन्तर्राष्ट्रीय क्लबों और क्लब-समूह का सदस्य बनने की छूट दे दी है।

श्री सत्य गोपाल मिश्र : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न था कि क्या इस सम्बन्ध में वित्त मन्त्री ने कोई बैठक बुलाई थी अथवा नहीं, यदि हां, तो बैठक में कौन-कौन उपस्थित थे तथा बैठक का क्या परिणाम निकला।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : धारा 25 के प्रावधान के तहत जहाज मालिकों को अनुमति दिए जाने से सम्बन्धित स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त मन्त्री ने 1.2.1985 को एक अंतः मंत्रालयों की बैठक बुलाई कि क्या जहाज मालिकों को अन्तर्राष्ट्रीय क्लबों का सदस्य बनने की छूट प्रदान की जाए अथवा नहीं—क्योंकि सामान्य बीमा व्यापार अधिसूचना अधिनियम, 1972 की धारा 25 के तहत उस पर रोक लगी हुई थी। इसलिए अन्तरमंत्रालय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारतीय जहाज मालिकों को अन्तर्राष्ट्रीय क्लबों का सदस्य बनने की छूट दे दी जाए।

श्री सत्य गोपाल मिश्र : मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर से यह कहने को बाध्य हूं कि भारतीय सामान्य बीमा निगम और भारतीय नौवहन निगम, जिनके पास देश के कुल जहाजों का 50%

है वे अपना पी० एण्ड आई० क्लब स्थापित करने के अधिक पक्ष में थे। लेकिन मुझे नहीं पता कि वित्त मंत्रालय ने क्यों ऐसा निर्णय लिया अथवा इस बैठक में ऐसा निर्णय क्यों लिया गया ? इसका क्या कारण है ? क्या किसी विदेशी दबाव के कारण ऐसा निर्णय लिया गया ? मैं माननीय मन्त्री से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं। क्या वह इस सदन में आश्वासन दे सकते हैं कि इस दो वर्ष की अवधि के पश्चात् हमारे देश का एक पी० एण्ड आई० क्लब स्थापित होगा या नहीं ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : मैं इस प्रश्न पर स्पष्ट आश्वासन नहीं दे सकता। ये क्लब स्वैच्छिक संघ है जो बहुत समय पहले बने थे और जहाज मालिक इन क्लबों का सदस्य बनना सुविधाजनक समझते हैं क्योंकि बहुत से खतरे, बहुत से नुकसान जो सामान्य बीमा के अन्तर्गत नहीं आते इन क्लबों में उनका प्रावधान है। इस पर विचार किया गया था कि कोई भारतीय क्लब बनाना चाहिए ताकि विदेशी मुद्रा बाहर न जाये ! दी इण्डियन नेशनल शिपओनर्स एसोसियेशन, जो जहाज मालिकों की एक शीर्ष संस्था है और जो इस सारे मामले पर विचार कर चुका है कि क्या एक भारतीय पी० एण्ड आई० क्लब लाभदायक होगा कि नहीं। उन्होंने इस पर विचार किया है और उन्होंने एक प्रतिवेदन दिया है जिसमें उन्होंने इसके बहुत से नुकसान बताये हैं। केवल एक या दो लाभ बताये गए हैं और सारे नुकसान उस सूची में दिये गए हैं। अब प्रश्न यह है : कि जहाज मालिकों तथा उनके संघ के विरोध को ध्यान में रखते हुए क्या हम उनको एक भारतीय क्लब जो कि एक स्वैच्छिक संगठन होगा के लिए बाध्य करें। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय ने उस अन्तर मंत्रालयीय बैठक में यह विचार बनाया कि फिलहाल छूट दी जाये और मामले में आगे और जांच की जाये; और अगर वे इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि भारतीय क्लब बनाना लाभदायक होगा, तो यह बना दिया जायेगा। मैं इस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकता।

श्री अमल दत्त : जो मंत्री जी ने कहा है उससे लगता है कि यह निर्णय जहाज मालिकों पर छोड़ दिया गया है कि क्या भारतीय क्लब बनाया जाए और इसे कब बनाया जाये और वे उसमें शामिल होंगे या नहीं। मैं नहीं समझता कि मन्त्री जी वास्तव में स्थिति की ठीक तस्वीर दे रहे हैं क्योंकि जब तक सरकार उनको विदेशी क्लब में सम्मिलित होने की छूट न दे वे विदेशी पी० एण्ड आई० क्लब में सम्मिलित नहीं हो सकते। अतः अगर सरकार अपनी छूट वापिस ले लेती है और एक भारतीय पी० एण्ड आई० क्लब बनाती है तो उनको भारतीय पी० एण्ड आई० क्लब में सम्मिलित होने के लिए बाध्य होना पड़ेगा; और इसमें बीमा का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भारतीय पी० एण्ड आई० क्लब भी उन्हीं पी० एण्ड आई० नियमों का पालन करेगा जिनका सारे विश्व में पालन किया जाता है। अतः इस स्थिति को देखते हुए, अगर मन्त्री महोदय स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, लेकिन वह इस तथ्य पर विचार कर सकते हैं कि यद्यपि विश्व में पी० एण्ड आई० क्लब पर ब्रिटिश का प्रभुत्व है फिर भी प्रत्येक देश जिसकी नौवहन द्वारा माल ढोने की क्षमता बहुत है का अपना एक पी० एण्ड आई० क्लब है। और इस बात पर विचार करते समय उन्हें भारत के राष्ट्र गौरव को ध्यान में रखना चाहिए। हमें दूसरे देशों में उनके पी० एण्ड आई० क्लब का सदस्य बनने के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि जो आंकड़े दिए गए हैं वे यह साबित करने के लिए दिए गए हैं कि एक भारतीय पी० एंड

आई० क्लब नहीं बनाना चाहिए अथवा आंकड़े 1970 से 1979 तक के दिए गए हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि 1 फरवरी, 1985 को जिन आंकड़ों पर निर्णय लिया गया है वे वास्तव में पांच वर्ष पुराने हैं। पांच वर्ष पुराने आंकड़ों पर निर्णय क्यों लेना पड़ा ? क्या वर्तमान आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं; अगर नहीं हैं, तो क्यों नहीं हैं; और अगर उपलब्ध हैं तो उन वर्तमान 1980-85 के आंकड़ों का क्या नतीजा है ?

दूसरे, क्या जी० आई० सी० इसके लिए दबाव डाल रही है ताकि उसके अनुसार घाटा पूरा किया जा सके, जो आपने बताया है ?

एक माननीय सदस्य : इसमें घाटा क्यों होता है ?

श्री अमल दत्त : क्या जी० आई० सी० इसके लिए दबाव डाल रही है ताकि घाटा किया जा सके या क्या उन्होंने कोई हिसाब लगाया है ताकि उन्हें लाभ हो सके ?

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत समय ले लिया है।

श्री ए० के० पंजा : प्रश्न पांच मिनट तक पूछा गया था।

श्री अमल दत्त : माननीय सदस्य आपको सिखा रहें हैं कि सदन का संचालन किस प्रकार करना चाहिए। उन्हें इस सदन के तौर-तरीके सीखने चाहिएं।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : यह प्रश्न नहीं था, कुछ सुझावों वाला एक लम्बा भाषण था। स्थिति इस प्रकार है। जो आंकड़े हमने दिए हैं वे दस वर्ष के आंकड़ों को दर्शाते हैं। जहां तक वर्तमान आंकड़ों का प्रश्न है, वे हमारे पास नहीं हैं।

सारा प्रश्न यह है कि धारा 25 के अन्तर्गत हम उन्हें उन क्लबों का सदस्य बनने पर रोक लगा सकते हैं परन्तु क्लब बनाने के लिए हम उन्हें बाध्य नहीं कर सकते।

प्रो० मधु दंडवते : अंसारी जी, यह तो इस प्रकार है जैसे 1985 का चुनाव 1977 के मत आंकड़ों के आधार पर घोषित करना। आपने यही किया है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : हम उन्हें अपना पी० एण्ड आई० क्लब बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी तक लाभ तय नहीं किए गए हैं; जो इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन ने जिन नुकसान का उल्लेख किया है वे बहुत अधिक हैं और इसीलिए अन्तर-मंत्रालीय की बैठक में निर्णय लिया गया—एक विवेकपूर्ण निर्णय— कि कुछ समय के लिए छूट दे देनी चाहिए। अगर उस दौरान लाभ निर्धारित हो जाते हैं..... (**व्यवधान**) :

एक माननीय सदस्य : यह बहुत समय ले रहे हैं।

श्री अमल दत्त : इसके अतिरिक्त, ये कुछ भी नहीं बता रहे हैं।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जहां तक नवीनतम आंकड़ों का सम्बन्ध है, दावों को निपटाने में कुछ वर्ष लगते हैं और जब तक वे दावे निपटाये नहीं जाते हम आपको नवीनतम आंकड़े नहीं दे सकते।

अनेक माननीय सदस्य खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : इस पर पहले ही 17 मिनट तक विचार हो चुका है।

प्रश्न 222– प्रो० हाल्दर।

कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों का संशोधन

*222. **प्रो० मनोरंजन हाल्दर** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वतमान वेतनमान किस वर्ष घोषित किये गए थे;

(ख) क्या सरकार का इन वेतनमानों का संशोधन करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो संशोधित वेतनमान कब तक लागू कर दिये जायेंगे; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय तथा कालेज प्राध्यापक संगठन संघ ने कोई मांग की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) विश्वविद्यालय और कालेजों के अध्यापकों के वेतनमानों को पिछली बार 1 जनवरी, 1973 को संशोधित किया गया था।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के वेतनमानों को और संशोधित करने पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक समिति नियुक्त की है। समिति का कार्य प्रगति पर है। आयोग के अनुसार समिति के कार्य को अन्तिम रूप देने में लगभग एक वर्ष लगेगा।

(घ) जी, हां। महासंघ ने समिति को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें वेतन ढांचे, सेवा शर्तों तथा अन्य लाभों जो अध्यापकों पर लागू होने चाहिए, के सम्बन्ध में उनके विचार दिए गए हैं।

प्रो० मनोरंजन हाल्दर : अध्यक्ष महोदय मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि इन वेतनमानों को लागू करते समय, अर्थात् 1-1-1973 को, यह कहा गया था कि प्रत्येक पांच वर्षों के बाद वेतनमानों में संशोधन किये जायेंगे। यदि हां, तो मैं माननीय मन्त्री से नये वेतनमानों के लागू करने में देरी का कारण जानना चाहता हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इससे पूर्व दूसरी तथा तीसरी योजनाओं में पांच वर्ष बाद संशोधन किये गए थे और यह एक योजना-कार्यक्रम था जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को सीधे धनराशि देता था। लेकिन 1965 में शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि यह एक गैर-योजना-कार्यक्रम होना चाहिए और 1966 से यह एक गैर-योजना कार्यक्रम रहा है। इसके बाद 1971 में इसको तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों से सम्बद्ध किया गया था। और चूंकि पहले वेतनमानों का संशोधन तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ जोड़ा गया था और तब से यह वेतन आयोग की सिफारिशों से जुड़ा है क्योंकि यह प्रथम श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा वेतनमानों से जुड़ा हुआ है। अतः अब यह चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों से जुड़ा है।

प्रो० मनोरंजन हाल्दर : क्या माननीय मन्त्री इस तथ्य से अवगत हैं कि कुछ राज्य सरकारों ने पहले से ही कालेज के अध्यापकों को तदर्थ अदायगी देनी शुरू कर दी है ? जब तक कि नए वेतनमानों को नहीं अपनाया जाता क्या माननीय मन्त्री सभी राज्य सरकारों से इस प्रकार की तदर्थ अदायगी कालेज अध्यापकों को देने का अनुरोध करेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे इस तथ्य की जानकारी है कि कुछ राज्य सरकारें पूर्व संशोधित वेतनमानों में बढ़ोतरी की जो सिफारिश की गई थी वह भी नहीं दे रही हैं। मुझे ऐसे किसी राज्य सरकार का पता नहीं है जो निर्धारित संशोधन से अधिक दे रही हों।

प्रो० मनोरंजन हाल्दर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या तदर्थ अदायगी की जायेगी। कुछ राज्य सरकारें दे रही हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे इस तथ्य की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यह एक खुशी का दिन होगा अगर कुछ राज्य सरकारें तदर्थ बढ़ोतरी देंगी। अगर दूसरी राज्य सरकारें भी देती हैं तो यह और भी खुशी की बात होगी।

श्री ए० के० पंजा : क्या मन्त्री महोदय सभा को बतायेंगे कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अनुदान राशि कालेज तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों को क्यों नहीं दी है जो पहले ही संशोधित की जा चुकी हैं और पिछले आठ वर्षों से उन्हें दी गई हैं ? (**व्यवधान**)

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए, जो अन्ततः 1973 में सरकार द्वारा मान ली गईं और कुछ राज्यों के सिवाय सभी राज्यों में लागू की गई है, केन्द्र सरकार ने 1973-79 तक की अधिक राशि का 80% जो राज्य सरकारों द्वारा इन अचानक वेतनमानों की वृद्धि से उत्पन्न कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए चाहिए थी दे दी है। आशा करनी चाहिए कि इसके बाद सभी राज्यों ने यह फायदा उन अध्यापकों तक पहुंचा दिया होगा। मैं आशा करता हूं कि सभी राज्यों ने ऐसा कर दिया है। अगर पश्चिम बंगाल यह नहीं कर रही है तो मैं अपने पश्चिम बंगाल के मित्रों से अपील करूंगा कि वे राज्य सरकार को इसके लिए राजी करवायें।

श्री सुरेश कुरूप : केरल सरकार ने कालेज के अध्यापकों के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधित वेतनमान लागू नहीं किए हैं। क्या यह तथ्य मन्त्री महोदय के नोटिस में आया है? यदि हां, तो क्या वह केरल सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों को लागू करने के लिए विशेष अनुदेश देंगे?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरे माननीय मित्र बिल्कुल सही कह रहे हैं कि केरल सरकार अपने अध्यापकों को संशोधित वेतनमानों के अनुसार अदायगी नहीं कर रही है। 1973 से केरल सरकार ऐसा नहीं कर रही है

श्री अमल दत्त : क्या उन्होंने धनराशि ली है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। लेकिन बात यह है कि इस मामले में हमें केरल सरकार की समस्या को समझना होगा। वास्तव में वह सरकार पहले ही अपने बजट का 43% शिक्षा पर खर्च कर रही है। और यह कोई पार्टी का मामला नहीं है। वहां पर श्री अच्युत मेनन के नेतृत्व में सी० पी० आई० सरकार हुआ करती थी, उसके बाद श्री नयनार के नेतृत्व में सी० पी० एम० सरकार आयी। और अब वहां कांग्रेस सरकार, मिलीजुली सरकार है। लेकिन कोई भी सरकार इसे लागू नहीं कर सकी है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न 223 डा० ए० के० पटेल।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, कृपया मुझे अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : बस समाप्त।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, हम देश के अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमें प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जा रही है····· (**व्यवधान**)

श्री सत्य गोपाल मिश्र : महोदय, इनमें से कोई भी कालेज का अध्यापक नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, ममता बनर्जी को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दें। सदन में कुछ जान आ जाएगी·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर की सिफारिश पर मैं ममता जी को अनुमति दूंगा·····(**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, मुझे भी अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यापक हैं; वह एक महिला हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं क्या माननीय मन्त्री को यह जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में प्रोफेसरों तथा अध्यापकों को समय पर उनका वेतन नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर, कुछ विभिन्न कालेजों के प्रधानाचार्य जो सी० पी० आई० विचारधारा के हैं, अपने

कालेजों का ठीक प्रकार से विकास करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुदान राशियों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। सरकार का इसके प्रति क्या रवैया है क्योंकि यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है·····(व्यवधान)

श्री सत्य गोपाल मिश्र : महोदय, यह सच नहीं है। यह महिला अध्यापक नहीं हैं, मैं पश्चिम बंगाल में एक कालेज अध्यापक हूं ·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर क्या यही है जो आप चाहते थे ?

एक माननीय सदस्य : महोदय, मंत्री जी को इस मामले की जांच करवाने दीजिए··· (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, क्या आप इससे सहमत हैं कि अब नीरसता नहीं रही है ?··· (व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : महोदय, सामान्य स्थिति में मैं संभवतः इस प्रश्न का उत्तर देना और इस मामले को यहां उठाना पसन्द न करता बल्कि पहले प्रश्न करने वाले अपने माननीय मित्र से चर्चा करना पसन्द करता। परन्तु विपक्षी मित्रों द्वारा व्यक्त की गई प्रतिक्रिया से मैं अपेक्षाकृत अधिक शंकालु हुआ हूं। शायद उतना मैं अन्यथा···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सन्देह तो सन्देह है, मैं उनकी जांच कराने नहीं जा रहा हूं···(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बाहर वाद विवाद कीजिए···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप बहुत कुछ कह चुके हैं। प्रत्येक छोटे विषय पर उत्तेजित मत होइए···(व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं इस सभा में 1962 से हूं और मैंने देखा है कि थोड़े-बहुत परिहास से कभी बहुत सहायता मिलती है (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने कहा है कि नाराज होने के बजाए उन्हें उन पर हंसना चाहिए।

प्रो० के० के० तिवारी : सम्पूर्ण विश्व उन पर हंस रहा है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हम दोनों अच्छे विनोदशील हैं।

आदिवासी क्षेत्रों में साक्षरता में वृद्धि

[हिन्दी]

*224. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में साक्षरता में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह वृद्धि निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) देश में साक्षरता की दर का मूल्यांकन भारत के महापंजीयक द्वारा दस वर्षों में एक बार की गई जनगणना के माध्यम से ही किया जाता है। पिछली जनगणना 1981 में हुई थी और अगली जनगणना 1991 में होनी है। अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता की दर 1971 में 11.30% से बढ़कर 1981 में 16.35 हो गई है। 1981 और 1991 के बीच साक्षरता दर में वृद्धि का पता 1991 में जनगणना आयोजित करने के बाद ही चलेगा।

जबकि कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, छठी पंच वर्षीय योजना के दस्तावेज में 1990 तक निरक्षरता के उन्मूलन की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में बच्चों को शिक्षित करने के लिए बहुत सारे रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन हमको जो अनुमानित रिजल्ट्स मिलने चाहिएं, वे रिजल्ट्स अभी भी नहीं मिल रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता था, उनका क्या कारण था ? आज आदिवासी क्षेत्र में स्कूल हैं, तो टीचर्स नहीं हैं, बिल्डिंग नहीं है। एक बच्चा पहली क्लास में भरती होता है, पांचवीं क्लास तक जाता है, फिर पांचवीं क्लास से पहली क्लास में आ जाता है वे बच्चे भी राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़े हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि छठे प्लान में कोई गलती रह गई है, तो उसे सातवें प्लान में दुरुस्त करें। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, क्या आदिवासी लोगों को शिक्षित करने की कोई योजना आपके पास है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि जहां भी ट्राइबल रहते हैं, वहां शिक्षा के प्रबन्ध पर अवश्य जोर देना चाहिए, विशेष जोर देना चाहिए। लेकिन कहीं ऐसे स्कूल हैं, जहां ठीक से शिक्षा नहीं हो रही है, यदि इसकी सूचना मुझे मिलेगी तो उसको ठीक करने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकूंगा, करने की कोशिश करूंगा। जहां तक ट्राइबल एरियाज में स्कूल्स का प्रश्न है, मेरी सूचना है कि जहां-जहां आश्रम स्कूल बने हैं, उन आश्रम स्कूलों में लड़के जाते हैं और अच्छी शिक्षा होने के साथ साथ अटैंडेंस भी अच्छी होती है तथा उनके रिजल्ट्स भी बुरे नहीं हैं। जहां तक नॉन-फॉर्मल-एजुकेशन का संबंध है, इसके लिए कई राज्यों को केन्द्र ग्रान्ट देता है। एडल्ट एजुकेशन के लिए भी केन्द्र अलग से धनराशि देता है। होम मिनिस्ट्री में ट्राइबल सब-प्लान्स हैं और

एजुकेशन मिनिस्ट्री में भी ट्राइबल सब-प्लान्स हैं। इन सब तरीकों से शिक्षा के लिए सहायता दी जाती है।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि शिक्षा के लिए सहायता दी जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां आश्रम स्कूल हैं, वहां लड़के एक साथ रह कर पढ़-लिख सकते हैं। मेरे पास यह एस० सी० और एस० टी० कमीशन की 1981-82 की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि आदिवासियों के झोंपडे दूर-दूर रहते हैं। ट्राइबल सब-प्लान के लिए सारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से खर्च किया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इस विषय को समवर्ती सूची में लेकर आश्रम पद्धति के जिस तरह से सेन्ट्रल स्कूल आप चला रहे हैं, वैसी ही व्यवस्था आदिवासी लोगों को पढ़ाने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में लागू करेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस सुझाव पर सरकार विचार करेगी।

[अनुवाद]

श्री वी० सोमनाद्रीसवरा राव : मंत्री महोदय ने हमें बताया है कि केवल 16 प्रतिशत आदिवासी साक्षर हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 1990 तक शत प्रतिशत साक्षरता प्राप्त कर ली जाएगी जो कि एक स्वप्न ही प्रतीत होता है। क्या सरकार पाठ्य पुस्तकें देने और आदिवासी बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करने पर विचार करेगी ताकि उनमें साक्षरता का प्रतिशत बढ़ सके ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : 1990 तक शत प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य छठी योजना में रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें गम्भीरता से प्रयास करना होगा। आदिवासी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 7.76 प्रतिशत है। परन्तु ऐसे वर्ग के लिए जिसे अभी तक लाभ नहीं पहुंचा, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, विशेष प्रयास करना होगा। लड़कियां साक्षरता में लड़कों से बहुत पीछे हैं। एक छोटा सा तथ्य मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस 16 प्रतिशत में 0.4 वर्ष से ऊपर के बच्चे सम्मिलित हैं। यह एक छोटी सी बात है परन्तु यदि 0.4 वर्ष की आयु के बच्चों को गणना में नहीं लिया जाए तो प्रतिशत में कुछ वृद्धि होगी।

अब जहां तक मध्याह्न भोजन देने की योजना का संबंध है, इसकी व्यवस्था की गई है और आदिवासी लोगों के लिए यह प्रोत्साहन 20 सूत्री कार्यक्रम में भी सम्मिलित किया गया है। विद्यालयों में बच्चों को और प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराए गए हैं। परन्तु इसके बावजूद कुछ बाधाएं हैं। उनमें से एक जनसंख्या का छितरा हुआ होना और इन आबादियों से आसानी से पैदल तय की जा सकने वाली दूरी पर विद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता है और एक अन्य तथ्य यह है कि बच्चों को विद्यालय जाने के लिए माता-पिता की ओर से उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता जितना अन्य क्षेत्रों में मिलता है। इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए अन्य प्रोत्साहनों की भी व्यवस्था करनी होगी। इस प्रकार मैं अति-

रिक्त प्रोत्साहन की आवश्यकता को समझता हूं। इन अतिरिक्त प्रोत्साहनों में मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, मुफ्त स्टेशनरी, मुफ्त वर्दी मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति और माता-पिता को प्रतिपूर्ति आदि सम्मिलित हैं क्योंकि जब ये बच्चे विद्यालय जाते हैं तब काम के लिए उपलब्ध —नहीं होते। इस बात का भी ध्यान रखना होगा।

श्रीमती फूलरेणु गुहा : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि आदिवासी महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत क्या है और क्या उन्हें शिक्षित करने के लिए कोई विशेष नीति अपनाई गई है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : आदिवासी महिलाओं में साक्षरता 8.04 प्रतिशत है। पुरुषों में 24.59 प्रतिशत है। वास्तव में शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों को महिलाओं की शिक्षा हेतु तथा अध्यापिकाओं की व्यवस्था हेतु विशेष सहायता दी जाती है ताकि लड़कियां विद्यालयों में जा सकें। कई परिवार लड़कियों को ऐसे विद्यालयों में नहीं भेजना चाहते जिनमें केवल अध्यापक होते हैं। स्त्री प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए राज्य शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े राज्यों को सौ प्रतिशत सहायता देता है।

[हिन्दी]

कैपिटल एक्सप्रेस गाड़ी में सुधार करना

* 225. **श्री डूमर लाल बैठा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दानापुर और कटिहार के बीच चलने वाली कैपिटल एक्सप्रैस उत्तरी बिहार को राजधानी पटना से जोड़ने वाली एक मात्र रेलगाड़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त रेलगाड़ी में यात्री डिब्बों की संख्या बहुत कम है और इसके डिब्बे पुराने तथा टूटी फूटी हालत में हैं;

(ग) क्या इसमें सामान्यतः प्रथम श्रेणी के डिब्बे नहीं लगाये जाते हैं और उन डिब्बों का रख-रखाव भी बहुत खराब है;

(घ) क्या यह रेलगाड़ी भाप के इंजन से चलायी जाती है, जो रास्ते में खराब हो जाती है और यह रेलगाड़ी शायद ही कभी समय पर चलती है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य की राजधानी से उत्तरी बिहार के लिए और अधिक रेलगाड़ियां चलाने, कैपिटल एक्सप्रैस में यात्री डिब्बों की संख्या बढ़ाने, उनका उचित रख-रखाव करने तथा इसे चलाने के लिए डीजल इंजन की व्यवस्था करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कैपिटल एक्सप्रेस में सामान्यतः 11 डिब्बे होते हैं जिसमें पहले दर्जे का एक डिब्बा शामिल है। कुछ समय के लिए यह गाड़ी कम डिब्बों और पहले दर्जे के डिब्बे के बिना चल रही थी। उठाईगीरी और शरारती गतिविधियों के कारण डिब्बों की हालत असंतोषजनक हो जाती है और समय-समय पर इनकी मरम्मत की जाती है।

(घ) जी हां। यह गाड़ी भाप के इंजन से चलायी जाती है। कभी-कभार इंजन भी खराब हो जाते हैं। जिसके लिए कार्रवाई की जाती है। लेकिन गाड़ियां देर से चलने का कारण नया परवर्तित बरौनी-कटिहार खंड है जहां अभी भी काम चल रहा है और जिसके कारण गाड़ियां रोकनी पड़ती हैं।

(ङ) और (च) सवारी डिब्बों तथा डीजल इंजनों जैसे संसाधनों की कमी के कारण (i) फिलहाल पटना तथा नार्थ बिहार के बीच कोई अतिरिक्त गाड़ी चलाने तथा (ii) 45/46 दानापुर-कटिहार कैपिटल एक्सप्रेस में डीजल इंजन लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री डूमर लाल बैठा : अध्यक्ष महोदय, बरौनी-कटिहार के बीच अमान-परिवर्तन से पहले उस लाइन पर 14 जोड़ी गाड़ियां चलती थीं। लेकिन अमान परिवर्तन के बाद सिर्फ दो जोड़ी गाड़ियां चलती हैं तथा राजधानी को जोड़ने वाला एकमात्र यह रेल मार्ग है जो चार-पांच जिलों को जोड़ता है। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं—आपने अभी जो उत्तर दिया कि अभी भी रेल मार्ग पर अमान परिवर्तन का काम चल रहा है, मेरी जानकारी के अनुसार अमान परिवर्तन के बाद इस मार्ग को खुले हुए 8 महीने से ज्यादा हो गये हैं। इसलिए आप कृपा कर बतलायें— कौन-कौन सा काम अभी बाकी है जो हो रहा है तथा वे कौन-कौन सी सीधी गाड़ियां हैं जो पटना और नार्थ-बिहार के बीच चलती हैं ?

श्री बंसी लाल : लाइनों में अभी सिगनल का, कम्युनिकेशन्स का और रोड़ी डालने का काम चालू है। इस वजह से वहां गाड़ी धीरे चलती है। जो कैपीटल एक्सप्रेस है, उसके अलाव उस रास्ते पर दो गाड़ियां और चलाते हैं। एक आसाम मेल चलती है और दूसरी मुजफ्फरपुर बम्बई वी० टी० वीकली एक्सप्रेस है।

श्री डूमर लाल बैठा : प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया है कि उठाईगिरी और शरारती गतिविधियों के कारण डिब्बों की हालत बहुत असंतोषजनक हो जाती है। तो इसके लिए सरकार ने क्या इन्तजाम किया है और आगे यह न हो और इंजन जो चलते-चलते बन्द हो जाते हैं, उनके लिए आपने क्या किया है। आप अनुमान कर सकते हैं कि कभी-कभी तो रात-रात भर यात्री, गाड़ी खराब होने

के कारण, ऐसे स्थानों पर रहते हैं, जहां न खाने को कुछ मिलता है और न पीने को मिलता है। राजधानी से उत्तर बिहार जाने वाली यही एक डाइरेक्ट गाड़ी है। इसलिए इसमें अगर डीजल इंजन लगा दिया जाए, तो हम समझते हैं कि लोगों को बहुत लाभ होगा। इस पर आप को विचार करना चाहिए और उठाई-गिरी के कारण जो डिब्बों की हालत खराब हो जाती है, उसका भी इन्तजाम होना चाहिए।

श्री बंसी लाल : स्पीकर महोदय, इसके लिए जो प्रबन्ध हो सकता है, पुलिस के जरिये से और दूसरी तरह से हम करते हैं। बाकी जो चीजें गाड़ी से उतार कर ले जाते हैं, उनको फिर से लगाने की कोशिश करते हैं और डिब्बों में से जो सामान उठा कर लोग ले जाते हैं, उनको बराबर लगाते हैं। जहां तक डीजल इंजन लगाने का सवाल है, अभी डीजल इंजन हमारे पास नहीं हैं।

श्री राम भगत पासवान : अध्यक्ष महोदय बिहार की राजधानी पटना से उत्तर बिहार की ओर जाने वाली सीधी गाड़ियां जो वर्षों से चल रही थी एक दो साल के अन्दर सारी गाड़ियों को कैंसिल कर दिया गया है। पहले उत्तर बिहार की तरफ समस्तीपुर, दरभंगा और जय नगर, जो नेपाल के बोर्डर पर है, डाइरेक्ट गाड़ी चलती थी। 77 अप और 78 डाऊन पटना, हाजीपुर, जयनगर तक गाडी जाती थी। इसके अलावा जयन्ती जनता एक्सप्रैस गाड़ी जाती थी। उत्तर बिहार की तरफ ये जो सारी गाड़ियां जाती थीं, उन सबको बन्द कर दिया है। जनता ने यह आवाज उठाई कि उत्तर बिहार की तरफ जाने वाली गाड़ियों की संख्या को बढ़ाया जाए, तो गाड़ियां बढ़ाने के बजाए और सभी को कैंसिल कर दिया और इसके लिए जवाब यह दिया गया कि क्योंकि महात्मा गांधी सेतु गंगा पर बन गया है, इसलिए रेल चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है और अब इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। अब जब गाड़ी बन्द कर दी, तो लोग बस पर चढ़ेंगे ही और बसें तीन, तीन और चार-चार घंटे में अपने गन्तव्य स्थान पर जाती हैं। इन्होंने यह कह दिया कि रेल की उपयोगिता नहीं है, इसके बारे में मैं कह देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल कीजिए।

श्री राम भगत पासवान : मैं यह कहना चाहता हूं कि जब रेलगाड़ी बन्द हो जायेगी तो कौन गाड़ी पर चलेगा और इससे सरकार को नुकसान होगा। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि एक्सप्रैस गाड़ी का किराया लोगों से लेते हैं लेकिन वह गाड़ी पैसेन्जर के रूप में चलती है। हर स्टेशन पर ड्राइवर खाते-पीते चलेंगे, तो कैसे उसकी उपयोगिता रह जाएगी। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से यह आग्रह है कि जो गाड़ी कैंसिल की गई हैं, जो वर्षों से चल रही थीं, उनको फिर से चलाया जाए। दरभंगा, समस्तीपुर और जयनगर होते हुए जो गाड़ी जाती थी, उसको बंद कर दिया गया है। आपके अफसरों ने गलत रिपोर्ट की है। मेरा कहना यह है कि उसको न मानकर गाड़ियों को फिर से चलाने की आप कृपा करें।

श्री बंसी लाल : सभी गाड़ियों को बंद नहीं किया गया है। वहां पर गाड़ियां चल रही हैं लेकिन जिन गाड़ियों की जरूरत नहीं समझी गई, उन्हें बंद कर दिया गया है और अभी उन्हें नहीं चलाया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : नेक्स्ट क्वेश्चन श्री हन्नान मोल्लाह। श्री अमर राय प्रधान

श्री राम भगत पासवान : उत्तर बिहार में जो गाड़ियों को कैंसिल किया गया है, तो जनता के साथ अन्याय किया है। उन गाड़ियों को फिर से चलाया जाये।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपना आसन ग्रहण कीजिये।

मेडिकल कालेजों में आरक्षण

[**अनुवाद**]

* 227. **श्री अमर राय प्रधान**
श्री बालासाहिब बिखे पाटिल } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मेडिकल कालेजों में आरक्षण संबंधी राने आयोग की रिपोर्ट की प्रति प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण के बारे में मोटे तौर पर सरकार की नीति क्या है; और

(घ) इसे समान रूप से क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नीति के अनुसार विश्वविद्यालयों और कालेजों में सभी पाठ्यक्रमों में 22.5 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों (15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिए और 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जन जातियों के लिए) के छात्रों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

जहां यह अपेक्षा की जाती है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय ऐसे आरक्षणों के बारे में केन्द्रीय सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे वहां राज्य विधान मण्डलों के अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय सामान्यतया संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी आरक्षण नीति और अनुदेशों का पालन करते हैं।

श्री अमर राय प्रधान : अध्यक्ष महोदय, आप कृपया फैसला करें कि क्या यह उत्तर टालमटोलवाला है या नर्सरी के बच्चे द्वारा दिये गये उत्तर जैसा है ?

अध्यक्ष महोदय : बच्चा भविष्य का निर्माता होता है।

श्री अमर राय प्रधान : यद्यपि राने आयोग के प्रतिवेदन से गुजरात राज्य में कई समस्याएं पैदा हो गई हैं और आरक्षण के पक्ष में तथा विरोध में नारे लगाये जा रहे हैं और दंगे हो रहे हैं और इन दंगों के कई लोग मारे भी गये हैं। राने आयोग का प्रतिवेदन पन्द्रह दिन पूर्व ही गुजरात विधान सभा में रखा गया है। अब आप अपने उत्तर में बता रहे हैं कि 'जी, नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।" मुझे समझ नहीं आता कि सरकार कैसे कार्य कर रही है। **इंडियन एक्सप्रेस** और **टाइम्स आफ इंडिया** सहित कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है।···(**व्यवधान**)

मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आप तीन वर्षों के प्रतिवेदनों को देखें तो आप पाएंगे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 22.5 प्रतिशत स्थानों में से केवल 10.6 प्रतिशत स्थान भरे गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि गुजरात में शेष कोटा क्यों नहीं भरा गया है।

इसके अतिरिक्त, क्या यह सच है कि राने आयोग के प्रतिवेदन को मद्दे नजर रखते हुए गुजरात सरकार ने जाति के आधार पर नहीं बल्कि आय के आधार पर आरक्षण की नीति अपनाई है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, राने आयोग का प्रतिवेदन इसी वर्ष गुजरात विधान सभा में सभा पटल पर रखा गया है। यह राज्य सरकार का प्रतिवेदन है और इस पर यदि राज्य सरकार और विधान सभा चाहेगी तो राज्य विधान सभा में ही चर्चा होगी। इसलिए इसका हमारे साथ या भारत सरकार के गृह मंत्रालय के साथ कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार हमें यह प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

जहां तक कुछ स्थानों का न भरे जाने का संबंध है, इसका कारण योग्य विद्यार्थियों का न मिलना है।

श्री अमर राय प्रधान : अध्यक्ष महोदय मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैंने यह प्रश्न पूछा है। इसे एक विभाग से स्थानांतरित करके दूसरे के पास भेज दिया गया। पहले इसे गृह मंत्रालय को भेजा गया था और बाद में स्वास्थ्य विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया। अब वे कह रहे हैं कि उत्तर देना संभव नहीं है। आप मेरी और एक सदस्य के अधिकार की रक्षा कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है, "उसे विधान सभा में सभा-पटल पर रखा गया है।" उन्होंने यह कहा है। यह विधान सभा के सभा पटल पर रखा गया है और वे ही इस पर चर्चा कर सकते हैं और इसे क्रियान्वित कर सकते हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमें प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। और इस पर यदि चर्चा होनी ही है तो वह राज्य विधान सभा में ही होनी है।

अध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं कि उन्हें प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इसे पिछले हफ्ते ही विधान सभा में प्रस्तुत किया गया है।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, आप जानते हैं कि गुजरात विधान सभा के चुनावों से पूर्व अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 22.5% आरक्षण की सामान्य नीति का पालन किया जा रहा था। बाद में गुजरात सरकार ने घोषणा की कि इसे बढ़ाकर 49% प्रतिशत कर दिया जाएगा। निस्सन्देह, विधान सभा चुनावों के बाद इसे कम कर दिया गया है। परन्तु मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार को जानकारी है कि गुजरात राज्य में, महात्मा गांधी के राज्य में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के अधिकार छीने जा रहे हैं ?

प्रो० एन० जी० रंगा : इसे समाप्त नहीं किया जा रहा है।

श्री अमर राय प्रधान : जी हां, इसे समाप्त किया जा रहा है। भारत के संविधान के सम्बद्ध अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन क्या इसे गुजरात राज्य में उचित ढंग से कार्यान्वित किया जायगा ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, आरक्षण समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि भारत के संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। (व्यवधान) इस संबंध में मैं माननीय सदस्य के विचार से सहमत नहीं हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा था कि केन्द्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालयों में 22.5 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं।" मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को मंडल आयोग की इस सिफारिश के बारे में पता है कि आरक्षण पिछड़ी जातियों के लिए भी किया जाना चाहिए ? क्या माननीय मंत्री जी इस सिफारिश पर विचार करेंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह प्रश्न राणे आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित है। मंडल आयोग के प्रतिवेदन से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : राणे आयोग के प्रतिवेदन में पिछड़ी जातियों के बारे में भी विचार किया गया है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : किन्तु प्रश्न राणे आयोग के प्रतिवेदन के बारे में है। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

ये सभी प्रतिवेदन गृह मंत्रालय के पास हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री डी० पी० यादव।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मुझे अपना प्रश्न पढ़ने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं उत्तर से संतुष्ट हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप किस प्रकार संतुष्ट हो सकते हैं ? मैंने अनुपूरक प्रश्न पूछा था। यह आश्चर्यजनक बात है। आप कृपया प्रश्न पढ़ें। प्रश्न का भाग (ग) इस प्रकार है :

"शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण के बारे में सरकार की मुख्य नीति क्या है ?"

श्री डी० पी० यादव : संविधान के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक सांविधिक उपबंध है। मुझे आशा है कि सरकार का दृष्टिकोण यह है कि इस सांविधिक उपबंध को कार्यान्वित किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस बात को सुनिश्चित करने के लिये गृह मंत्री तथा शिक्षा मंत्री के साथ मिलकर विचार करेंगे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण नीति न केवल चिकित्सा कालेजों में, अपितु केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थाओं तथा तकनीकी आदि में भी कार्यान्वित की जाये। मैंने देखा है कि इस बात को आस्थगित किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य, गृह, शिक्षा तथा अन्य संबंधित मंत्रियों के बीच अन्तर मंत्रालीय स्तर पर बैठकें आयोजित की जायेंगी कि इन संस्थाओं में प्रवेश पाने के मामलों में तथा शिक्षकों की नियुक्ति के मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए कम से कम सांविधिक उपबंध का पालन किया जायेगा।

श्री योगेन्द्र मकवाना : आरक्षण के मामले में संबंधित मंत्रालय गृह मंत्रालय है जो समय समय पर देश भर की स्थिति की समीक्षा करता है चाहे वह मामला चिकित्सा शिक्षा अथवा अन्य तकनीकी शिक्षा या सेवाओं से संबंधित हो। जहां तक मेरे मंत्रालय का संबंध है, हम लोग भी स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं तथा केन्द्र के अधीन आने वाले कालेजों को निदेश देते हैं। किन्तु राज्य से संबंधित कालेज राज्य आरक्षण नियमों द्वारा शासित होते हैं। इसका आधार राज्य विशेष में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आबादी पर आधारित होता है।

जिन स्थानों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से नहीं भरा जाता है, उनके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि ऐसा उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण होता है। तथापि, उन्हें स्तर के बराबर लाने के लिए उनके लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कोचिंग पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सातवीं योजना में, हम इस बात को विशेष महत्त्व दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की निश्चित जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए मेडिकल कालेजेज में रिजर्वेशन था, उसके साथ साथ पिछड़े वर्गों के लिए भी 15 प्रतिशत रिजर्वेशन था, जिसे वहां समाप्त कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे उत्तर प्रदेश सरकार को पुनः पिछड़े वर्गों को 15 प्रतिशत रिजर्वेशन देने के संबंध में पुनर्विचार करने के लिए लिखेंगे।

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र मकवाना : मूल रूप से इसका संबंध राज्य सरकारों से है और राज्य सरकारें

संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन दिए गए सामान्य उपबंध के माध्यम से समय समय पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के बारे में निर्णय लेती हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण के अलावा आरक्षण नीति का एक पहलू निवास के स्थान या कालेज के स्थित होने के स्थान पर भी आरक्षण करना हो सकता है। यह विशेषकर छोटे इलाकों में स्थित कालेजों के मामलों में अधिक महत्त्व का है, उदाहरण के तौर पर मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के छोटे इलाके के मामले में। इसलिए, क्या सरकार, स्थानीय लोगों के हित की रक्षा के लिये छोटे इलाकों में स्थित चिकित्सा कालेजों, यथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र जैसे छोटे इलाकों में स्थित चिकित्सा कालेजों के संबंध में निवास स्थान के आधार पर आरक्षण संबंधी अपनी नीति को स्पष्ट करेंगी ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : इसके बारे में चिकित्सा शिक्षा समीक्षा समिति (मैडिकल एजूकेशन रिव्यू कमेटी) ने भी स्थानीय निवासियों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की थी। किन्तु भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय में यह कहा था कि आरक्षण किसी भी हालत में 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। अब यह 70 प्रतिशत है। अधिकतम सीमा 70 प्रतिशत है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरा प्रश्न मंडल आयोग से संबंधित है। किन्तु क्या यह प्रश्न राणे आयोग से उत्पन्न होता है ? (**व्यवधान**)। माननीय मंत्री जी मेरी बात से सहमत नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष भी मुझसे सहमत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय आपके लिए उदार हैं, हमारे लिये नहीं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यदि ऐसा है तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हर समय मेरी शिकायत दूसरी प्रकार की है।

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : अगर मिनिस्टर किसी बात का जवाब देना चाहे, तो वह दे देता है। लेकिन अगर किसी सप्लीमेंटरी का सम्बन्ध क्वेश्चन से नहीं है, तो वह जवाब नहीं देता।

[**अनुवाद**]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई।

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब आपको बता देंगे।

श्री वी० तुलसीराम : अध्यक्ष जी, कल भी मैंने प्रश्न पूछा था क्योंकि उपाध्यक्ष जी ने मुझे पुकारा था लेकिन मेरी गाड़ी निकल गई थी। आज आपकी दया दृष्टि हुई है और मुझे समय से पुकारा है, इसके लिए आपका धन्यवाद। मेडिकल कालेजेज में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के

लड़कों के लिए जो रिजर्वेशन किया है, उसमें उच्च जाति के लड़के बोगस सर्टिफिकेट लेकर के प्रवेश ले लेते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी की नोटिस में ऐसा कोई केस आया है। अगर आया है तो ऐसे कितने केसेज हैं और आगे ऐसा नहीं हो, इसके लिए आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : अभी हमारे ध्यान में ऐसा कोई केस नहीं आया है, इसलिए दूसरा सवाल उठता ही नहीं।

रायचूर ताप विद्युत संयंत्र के लिए तीसरा और चौथा टरबाईन

[अनुवाद]

*228. **श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक का रायचूर स्थित प्रथम ताप विद्युत संयंत्र निश्चित समय से 6 महीने पहले ही पूरा हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक में गत 7-8 वर्षों से बिजली की भारी कमी को देखते हुए सरकार का विचार उक्त ताप बिजली संयंत्र के लिए तत्काल ही तीसरा और चौथा टरबाइन मंजूर करने का है।

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं, रायचूर ताप विद्युत केन्द्र का पहला यूनिट निर्धारित कार्यक्रम से पहले चालू नहीं किया गया है।

(ख) योजना आयोग ने रायचूर में तीसरी यूनिट को अनुमोदित कर दिया है। चौथे यूनिट का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन करने के लिए कर्नाटक विद्युत निगम से संशोधित लागत अनुमान प्राप्त नहीं हुए हैं तथा कोयले की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जानी है।

श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर : मुझे पता है कि योजना आयोग ने तीसरी यूनिट को अनुमोदित कर दिया है।

मैंने केवल यह कहा है कि पहला यूनिट पूरा हो चुका है।

क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि क्या उसे पता है कि पहला यूनिट कब चालू होगा। माननीय मंत्री जी भली-भांति जानते हैं कि कर्नाटक राज्य में बिजली की भारी कमी है जो लगभग 75 से 90 प्रतिशत तक है। योजना आयोग द्वारा तीसरी यूनिट को अनुमोदित करने के लिए सरकार का धन्यवाद करते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार चौथे यूनिट को भी अनुमोदित करेगी जिससे कि सभी यूनिटों का कार्य तत्काल आरम्भ किया जा सके ? (**व्यवधान**)

श्री बी० शंकरानंद : सभा को सूचित करते हुए मुझे हर्ष है कि पहला यूनिट कुछ दिनों के अन्दर चालू हो जायेगा, संभवत: इस महीने के अंत तक अथवा अगले महीने के पहले सप्ताह में।

दूसरा यूनिट भी अप्रैल, 1986 तक चालू हो जाने की संभावना है।

तीसरे यूनिट को योजना आयोग ने मंजूरी दे दी है।

चौथे यूनिट के बारे में, कोयले की उपलब्धता के बारे में कुछ समस्या है।

श्री बी० एस० कृष्णा अय्यर : जैसा कि मैं कह चुका हूं, माननीय मंत्री जी को भी बिजली की भारी कमी होने के बारे में पता है। मेरा सुझाव है कि चौथा यूनिट तत्काल आरम्भ कर दिया जाए। सभी यूनिटों के पूरे हो जाने पर भी, वह हमारे लिए प्रर्याप्त नहीं होगा। इसलिए, इसे शीघ्र पूरा कीजिये।

श्री बी० शंकरानंद : यदि कोयले की समस्या संबंधित राज्य सरकारें हैं, विशेषकर आंध्र प्रदेश की सरकार के सहयोग से हल हो जाती है तो मुझे माननीय सदस्य से कहीं ज्यादा प्रसन्नता होगी। मुझे आशा है, कि चौथा यूनिट भी यथा समय आरम्भ हो जायगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

1984 के दौरान रेल दुर्घटनाएं

[अनुवाद]

*223. डा० ए० के० पटेल
श्री अमरसिंह राठवा } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 के दौराव कितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) उनमें कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ग) उनके परिणामस्वरूप रेलवे की कुल कितनी हानि हुई;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान मुआवजे की कितनी राशि दी गई और कितने मामलों में मुआवाजे की राशि अदा नहीं की गई अथवा पूरी अदा नहीं की गई;

(ङ) क्या दुर्घटना की तारीख से एक निश्चित अवधि के भीतर मुआवजे की राशि की अदायगी सुनिश्चित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) वर्ष 1984 के दौरान 772 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई थीं।

(ख) इन दुर्घटनाओं में 345 व्यक्ति मारे गये तथा 732 घायल हुए।

(ग) इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप रेलों को 7.82 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

(घ) 1984 के दौरान हुई गाड़ी दुर्घटनाओं से संबंधित दावेदारों द्वारा भारतीय रेल अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अधीन 361 दावे दायर किये गये थे जिन में से अब तक 125 दावों का निबटान किया जा चुका है तथा मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों तथा घायलों को मुआवजे के रूप में जनवरी 1984 से दिसम्बर 1984 तक की अवधि के दौरान 71.11 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। इसमें पहले हुई दुर्घटनाओं से संबंधित मुआवजे की राशि भी शामिल है। शेष 236 दावे तदर्थ/पदेन दावा आयुक्तों के विभिन्न न्यायालयों मे न्यायाधीन हैं।

(ङ) से (छ) भारतीय रेल अधिनियम 1890 के अंतर्गत आने वाले दुर्घटना संबंधी दावों के निबटान में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए कुछ उपाय किये गये हैं, जो इस प्रकार हैं :

(i) रेलवे दुर्घटना (क्षतिपूर्ति) नियम, 1950 में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार दुर्घटना की तारीख से दो महीने के भीतर तदर्थ दावा आयुक्त की नियुक्ति करना सम्बद्ध रेल प्रशासन के लिए अनिवार्य बना दिया गया है।

(ii) क्षेत्रीय रेलों को इस आशय के अनुदेश भी जारी किये गये हैं कि उन दुर्घटनाओं के मामलों में, जिनमें हताहतों/दावों की संख्या 100 या इससे अधिक हो, एक से अधिक तदर्थ दावा आयुक्त नियुक्त करें।

(iii) तदर्थ दावा आयुक्त के रूप में नियुक्ति के इच्छुक न्यायाधीशों के राज्य-वार स्थायी पैनल बनाये जा रहे हैं।

(iv) सेवानिवृत न्यायिक अधिकारियों की तदर्थ आयुक्तों के रूप में नियुक्ति पर लगे प्रतिबन्धों में ढील दी गयी है।

(v) क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधकों को दुर्घटना संबंधी दावों के निपटान के संबंध में पदों का सृजन करने के अधिकार दिये गये हैं।

दावों का भुगतान करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है। यह दावा आयुक्तों पर निर्भर है।

हावड़ा-आमता बड़ी रेल लाइन का निर्माण

*226. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा-आमता बड़ी रेल लाइन के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) हावड़ा-आमता रेल लाइन का निर्माण कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) आमता और शेखाला के बीच बड़ी लाइन के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार हावड़ा और हुगली जिलों में हजारों लोगों की परेशानी दूर करने के लिए इन लाइनों के कार्य में तेजी लायेगी ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : हावड़ा-आमता बड़ी रेल लाइन के प्रथम चरण अर्थात संतरागाछी से बड़गछिया तक (24 कि० मी०) का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और इसे 1984 में यातायात के लिए खोल दिया गया है।

(ख) से (ङ) बड़ी लाइन का और आगे आमता तक विस्तार करना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। आमता और शियाखला के बीच लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्वास्थ्य शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए कदम

*229. **श्री एडुआर्डो फैलीरो**
श्री चित्त महाड़ा } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में स्वास्थ्य शिक्षा का स्तर बहुत निचले दर्जे का होने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) समाज में स्वास्थ्य शिक्षा का स्तर साक्षरता के स्तर से निकट से जुड़ा हुआ है। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी विषयों के बारे में शिक्षित करना एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार कई उपाय कर रही है। स्कूलों और कालेजों में स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है। स्वास्थ्य संवर्धन की जानकारी देने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा को विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भी शामिल कर दिया गया है।

केरल में इंजीनियरी कालेजों और पोलीटैक्नीकों के लिए सहायता

* 230. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि इंजीनियरी कालेजों और पोलीटैक्नीकों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अपने तत्वावधान में चलाए जा रहे इंजीनियरी कालेजों तथा पोलिटेकनिकों के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रावधान करें। वर्ष 1985-86 की अपनी प्रारूप वार्षिक योजना में केरल सरकार का तकनीकी शिक्षा के लिए 335 लाख रु० के व्यय का प्रस्ताव है। तथापि, वर्ष 1985-86 के लिए राज्य योजना परिव्ययों को योजना आयोग द्वारा अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

विभिन्न राज्यों में चुनिन्दा संस्थाओं को उन निर्धारित क्षेत्रों में विशिष्ट परियोजनाओं के लिए जो सम्बन्धित योजनाओं के लिए निर्धारित मानदण्डों तथा मार्गदर्शी रूपरेखाओं को पूरा करते हैं, कुछ केन्द्रीय कोटि सुधार योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। पिछले दो वर्षों के दौरान, केरल राज्य में इंजीनियरी कालेजों तथा पोलिटेकनिकों की 23 योजनाओं के लिए केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत 150-65 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता दी गई है। केरल सहित देश के विभिन्न राज्यों में स्थित संस्थाओं से वर्ष 1985-86 के प्रस्ताव जब भी प्राप्त हो जायेंगे, उन पर वर्ष के दौरान यथासमय विचार किया जाएगा।

शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रशिक्षित नौचालकों को नौकरी देना

* 231. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने नौचालकों के रूप में प्रशिक्षित किए गए कैडेटों को अपने बेड़े में नौकरी देने के लिए 60 महीने प्रतीक्षा करने को कहा है;

(ख) क्या उन उम्मीदवारों से इस संगठन की कम से कम पांच वर्ष सेवा करने के एक बांड पर हस्ताक्षर कराए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो प्रशिक्षण देने के बाद नौकरी देने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) आज की तारीख तक जितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं, उनको नौकरी में लगाने में लगभग 60 महीने लग जाने की संभावना है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) विदेशों में अच्छी नौकरियों के अवसर मिलने के कारण विगत वर्षों में भारतीय नौवहन निगम के प्रशिक्षित कैडेटों में से अधिकांश निगम के बाहर नौकरियां ढूंढ़ा करते थे।

लेकिन नौवहन उद्योग में विश्वव्यापी मन्दी के कारण नौकरियों के अवसर कम हो जाने पर सभी पुराने कैडेट भारतीय नौवहन निगम में नौकरियां मांग रहे हैं, जिनकी संख्या भारतीय नौवहन निगम की आवश्यकता से कहीं अधिक है।

कोल इंडिया लि० के यार्डों में कोयले की सप्लाई

*233. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्राधिकारियों ने कोल इंडिया के यार्डों में कोयले की सप्लाई बन्द कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मिर्जापुर जिले के लिए सिंचाई परियोजनायें

*234. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में सिंचाई प्रयोजनों के लिए विशेषकर पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं में कोई परियोजनाएं मंजूर की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का सातवीं योजनावधि के दौरान उस जिले के लिए कोई परियोजना मंजूर करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

मिर्जापुर जिले के लिए सिंचाई योजनाएं—5वीं एवं 6वीं योजनावधि के दौरान योजना आयोग द्वारा अनुमोदित

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपए)	सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर)
1. बलौन बखर व्यपवर्तन	197.00	5706
2. बाखर मरिहन फीडर	94.72	2068
3. घोबा पम्प नहर	75.00	4050
4. घेकवाहा बांध	89.00	1310

पश्चिम बंगाल में रूपनारायण नदी में पुनः पानी भरना

*235. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में रूपनारायण नदी तेजी से सूखती जा रही है और इसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले के घाटल और तमलुक उपमंडलों के किसान प्रमुख रूप से प्रभावित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार रूपनारायण नदी में पुनः पानी भरने हेतु सातवीं पंच-वर्षीय योजना में कोई योजना शामिल करने पर विचार कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) पश्चिम बंगाल में रूपनारायण नदी में कुछ पहुंचों पर गाद भर रही है जिससे जल-निकास में रुकावट आई है।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की 7वीं योजना में रूपनारायण नदी से गाद निकालने के लिए सोपान-एक का प्रस्ताव रखा है।

विंध्याचल एकक के लिए स्वीडन को ठेका दिया जाना

*236. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ताप बिजली निगम ने विंध्याचल एकक चालू करने के लिए स्वीडन को कोई ठेका दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) विंध्याचल में स्थापित किए जाने वाले उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्रों के बीच उच्च वोल्टता डायरेक्ट करन्ट बैक-टु-बैक लिंक सप्लाई करने और उत्थापित करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने मैसर्स एशिया, स्वीडन के साथ एक ठेके पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) यह उच्च वोल्टता डायरेक्ट करन्ट-बैक-टू बैक लिंक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को विद्युत के अन्तरण हेतु स्थापित किया जा रहा है जो अलग-अलग आवृत्तियों पर प्रचालित की जा रही होगी।

राज्य-सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

*237. **श्री सी० डी० गामित**
श्री पी० कोलनदाइवेलू } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1984-85 के दौरान किन्हीं राज्य-सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास वर्ष 1985-86 के दौरान कुछ राज्य-सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या गुजरात राज्य में किन्हीं ऐसी सड़कों का पता लगाया गया है जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां।

(ख)

क्र० सं०	राष्ट्रीय राजमार्ग	सड़क का नाम	लम्बाई कि० मी० में
(1)	4 ख	न्हावा सेवा पोर्ट कम्पलेक्स (बम्बई) के निकट पनवेल-उरान	27
(2)	56	उत्तर प्रदेश में लखनऊ-जगदीशपुर सुल्तानपुर-जौनपुर-वाराणसी सड़क	205

(ग) से (ङ) अभी सातवीं पंचवर्षीय योजना के परिव्यय को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। योजना के आकार के बारे में जानकारी मिलते ही राज्य सरकारों से राष्ट्रीय राजमार्ग सिस्टम में सड़कों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त प्रस्तावों पर, सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए मानदण्ड, प्रत्येक सड़क की अन्य प्राथमिकता और धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, यथोचित विचार किया जाएगा।

बम्बई तट के समीप प्लवमान शुष्क गोदी की स्थापना

*238. **श्री एस० एम० गुरुडो** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई तट के समीप मैसर्स एस्कोर्ट्स की प्लवमान शुष्क गोदी के स्थायी स्थान के संबंध में कोई विवाद है;

(ख) क्या यह सच है कि मैसर्स एस्कोर्ट्स को शुष्क गोदी को न्हावा सेवा में एक वर्ष के लिए स्थापित करने की अनुमति दिसम्बर, 1983 में दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या इस अनुमति की अवधि में और वृद्धि की गई थी;

(घ) क्या बम्बई में इस शुष्क-गोदी की स्थापना पर बम्बई सिटीजन्स कमेटी ने विरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो कमेटी और बम्बई पत्तन न्यास के अधिकारियों की आपत्तियों के बावजूद वहां शुष्क गोदी बनाये रखने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) बम्बई तट के निकट मैसर्स एस्कोर्ट्स के फ्लोटिंग ड्राई डाक के लिए उपयुक्त स्थायी जगह के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) सरकार को बम्बई में ड्राई डाक के स्थल के बारे में बम्बई नागरिक समिति द्वारा किए गए किसी विरोध की जानकारी नहीं है। तथापि बम्बई पर्यावरण कार्रवाई ग्रुप से इस बारे में फरवरी, 1984 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। इस विषय पर पर्यावरण विभाग के परामर्श से विचार किया गया और तब मैसर्स एस्कोर्ट्स के लिए मौजूदा अस्थायी स्थल आवंटित करने के लिए क्लीयरेंस प्राप्त की गई।

छठी योजना के दौरान शिक्षा के लिए आवंटन

*239. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान शिक्षा के लिए कुल कितना आवंटन किया गया; और

(ख) छठी योजना अवधि में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर पृथक्-पृथक् कितना वास्तविक व्यय किया गया ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) देश में शिक्षा के लिए छठी योजना में 2523.74 करोड़ रुपए का आवंटन है।

(ख) चूंकि छठी योजना अभी चल रही है, अतः वास्तविक व्यय के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है।

आयोडीन युक्त नमक की आवश्यकता/उपलब्धता और उसकी कमी के कारण होने वाले विकार

*240. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानव शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होने वालों प्रभावों और विकास को प्रभावित करने वाले विकारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार ने आयोडीन युक्त नमक की कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) देश में आयोडीन युक्त नमक की कुल आवश्यकता कितनी है और यह कितनी मात्रा में उपलब्ध है तथा इसकी उपलब्धता की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) देश में सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन से हैं, जहां लोग इसकी कमी से प्रभावित होते हैं; और

(ङ) वर्ष 1983-84 के दौरान और दिसम्बर, 1984 तक प्रत्येक राज्य द्वारा इस संबंध में कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) मानव शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होने वाले विकारों में गलगण्ड-थायरायड ग्लैंड का बढ़ जाना, मानसिक मन्दता और अवरुद्ध विकास, खड़े होने और चलने में दोष, भेंगापन, मांस पेशियों में तालमेल की कमी तथा वधिर-मूकता जैसी शारीरिक विकलांगताएं शामिल हैं। आयोडीन की कमी होने वाले अन्य विकार हैं विकलांग मूढ़ता, जिसमें मन्दबुद्धि होने के साथ-साथ— व्यक्ति में अन्य क्षीणताएं भी पैदा हो जाती हैं।

(ख) और (ग) अधिक स्थानिकमारी वाले क्षेत्र के लिए 10 लाख मीट्रिक टन आयोडीकृत नमक की जरूरत का आकलन किया गया है। इस समय सार्वजनिक क्षेत्र प्रति वर्ष 1.92 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन कर रहा है। आयोडीकृत नमक की मांग और पूर्ति के अन्तर को पाटने के लिए सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र को भी आयोडीकृत नमक तैयार करने की अनुमति दे दी है। आशा है कि देश की आयोडीकृत नमक संबंधी सारी जरूरत को सातवीं योजना के अन्त तक पूरा कर लिया जाएगा।

(घ) भारत में जहां गलगण्ड एक स्थानीय रोग के रूप में होता है वह है हिमालय की तलहटी वाला सारा क्षेत्र जिसमें पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के अतिरिक्त जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा राज्य आ जाते हैं। मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में भी गलगंड स्थानिकमारी रूप में पाया जाता है।

(ङ) राष्ट्रीय गलगंड नियंत्रण कार्यक्रम पूर्णतः एक केन्द्र प्रायोजित योजना है और नमक के आयोडीनीकरण का सारा खर्च भारत सरकार वहन करती है। नमक के आयोडीनीकरण पर 1983-84 में 20.66 लाख रुपये तथा दिसम्बर, 1984 तक 17.00 लाख रुपए खर्च किए गए।

पोलावरम परियोजना आन्ध्र प्रदेश

*241. **श्री एस० एम० मट्टम** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र को पोलावरम परियोजना के प्राक्कलन आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त हो गए है।

(ख) क्या केन्द्रीय जल/बिजली आयोग द्वारा इनका अनुमोदन कर दिया गया है;

(ग) क्या भूतपूर्व मुख्य मन्त्री द्वारा उक्त परियोजना का शिलान्यास किया गया था, यदि हां, तो कब; और

(घ) क्या सरकार ने अप्रैल, 1983 में केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन स्वीकार कर लिए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) :(क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां। 1982 में।

(घ) जी, नहीं।

मुरादाबाद-रामनगर और बरेली-काठगोदाम लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला जाना

[हिन्दी]

*242. **श्री हरीश रावत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरादाबाद-रामनगर और बरेली-काठगोदाम रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) क्या इन परियोजनाओं पर कार्य सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) मुरादाबाद-रामनगर के आमान-परिवर्तन का काम प्रगति पर है। बरेली-काठगोदाम खण्ड पर सर्वेक्षण के सिवाय अन्य कोई काम शुरू नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) मुरादाबाद-रामनगर के आमान परिवर्तन पर 31.3.85 तक 4.23

करोड़ रुपये की राशि खर्च होने की सम्भावना है। इसका पूरा होना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

नादिकुडे और बोबी नगर के बीच रेल लाइन

[अनुवाद]

*196. **श्री एन०वी० रत्नम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुंटूर जिले में नादिकुडे और हैदराबाद के निकट बोबीनगर के बीच रेल लाइन का काम कब आरम्भ हुआ था तथा इस समय किस चरण में है;

(ख) क्या गुंटूर से नादिकुडे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य आरम्भ हो गया है; यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस रेल लाइन के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) इस निर्माण-कार्य को 1974-75 के बजट में शामिल किया गया था। बोबीनगर से नलगोंडा तक (74 कि० मी०) की लाइन का पहला चरण 27.3.1981 को यातायात के लिए खोल दिया गया था। योजना के नलगोंडा से नाडिकुडे (75.4 कि० मी०) तक के दूसरे चरण का काम प्रगति पर है। नलगोंडा से मिरयालगुडा (37 कि० मी०) तक का खण्ड हाल ही में 15.9.1984 को माल यातायात के लिए खोला गया है। विष्णुपुर तक के अगले खण्ड को यथा संभव शीघ्र खोलने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हों। निर्माण-कार्य (चरण-II) की समग्र प्रगति 72.75 प्रतिशत है।

(ख) गुंटूर-नाडिकुडे-माचेर्ला खण्ड 130 कि० मी० को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने का कार्य एक अनुमोदित चालू परियोजना है। दो पुलों का निर्माण-कार्य शुरू कर दिया गया है इन दो पुलों की प्रगति 98 प्रतिशत है।

(ग) लाइन के पूरा होने का कार्य आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

भारतीय एतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा पुस्तकों का अनुवाद

[अनुवाद]

1292. **श्री जी० वी० रामा राव** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय एतिहासिक अनुसंधान परिषद ने विश्वविद्यालयों और कालेजों के छात्रों, शोधकर्त्ताओं और कर्मचारियों के प्रयोग के लिए इतिहास की अनेक पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया है;

(ख) कितनी पुस्तकों का अनुवाद किया गया है और अब तक कितनी अनुदित पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 86 पुस्तकों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया है। विभिन्न भाषाओं में 340 पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। इनमें से 59 पहले ही प्रकाशित हो चुकी हैं और 17 प्रकाशकों के पास पड़ी हैं। परिषद के लिए सभी पांडुलिपियों को अभी तक प्रकाशित करना सम्भव नहीं हो सका है क्योंकि प्रकाशकों को यह प्रस्ताव आकर्षक नहीं लगा। तथापि, परिषद बची हुई पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए निजी प्रकाशकों, सरकारी एजेन्सियों विभिन्न अनुसंधान अकादमियों और विश्वविद्यालयों के साथ अभी भी बात-चीत कर रही है।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के ठेकेदारों के कर्मचारी संघ द्वारा भेजा गया ज्ञापन

1293. **श्री बाजू बन रियान** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के ठेकेदारों के कर्मचारी संघ, कलकत्ता से अगरतला (त्रिपुरा) में कार्यरत राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के कुछ कर्मचारियों को नियमित सेवा में खपाने के सम्बन्ध में दिनांक 23 फरवरी, 1985 का ज्ञापन संख्या बी० एम० /ए० सी० सी०/85 प्राप्त हुआ है क्योंकि वे काम करते हुए घायल हो गए थे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन कर्मचारियों को खपाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण-निगम के उप ठेकेदारों के दो कर्मचारियों की ओर से राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के ठेकेदारों के कर्मचारी-यूनियन कलकत्ता ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। चूंकि वे रा० परि०नि० निगम द्वारा नियोजित नहीं किए गए थे बल्कि उप-ठेकेदारों के कर्मचारी थे, अतः उन्हें रा० परि० निर्माण निगम में नियमित रूप से रोजगार का प्रस्ताव देने का प्रश्न नहीं उठता।

स्कूलों के विकलांग बच्चों को सुविधाएं

1294. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालयों में आयुवार कितने विकलांग बच्चे पढ़ते है और उन्हें यदि कोई रियायत अथवा छात्रवृत्तियां दी जाती हैं तो वे क्या हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : दिल्ली/नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में 98 विकलांग छात्र हैं। उनका आयु-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :--

6 वर्ष	—	13
7 वर्ष	—	7
8 वर्ष	—	6
9 वर्ष	—	5
10 वर्ष	—	3
11 वर्ष	—	15
12 वर्ष	—	12
13 वर्ष	—	7
14 वर्ष	—	13
15 वर्ष	—	6
16 वर्ष	—	7
17 वर्ष	—	3
18 वर्ष	—	1

केन्द्रीय विद्यालयों में विकलांग बच्चों के लिए विशेष रियायतों/छात्रवृत्तियों/शिक्षा शुल्क में छूट की कोई व्यवस्था नहीं है।

जहाज मरम्मत की सुविधाएं

1295. श्री चिन्तामणि जेना : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री ग्रह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जहाजों की मरम्मत करने का कोई यार्ड नहीं है और प्रतिवर्ष हमारे जहाजों की विदेशों में मरम्मत पर भारी धनराशि खर्च की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान विदेशों में जहाजों की मरम्मत पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) भविष्य में देश में जहाजों की मरम्मत की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) देश में बहुत सारी जहाज मरम्मत यार्ड/कम्पनियां हैं। तथापि, इनकी क्षमता अपर्याप्त है जिसके कारण बहुत से जहाजों की मरम्मत विदेशों में करानी पड़ती है।

(ख) विदेशों में जहाज मरम्मत कार्यों पर निम्नलिखित धनराशि व्यय की गई है :—

1982-83	75.77 करोड़ रुपये
1983-84	45.86 " "

(इसमें स्थगित भुगतान के हिस्सा के रूप में भुगतान की जाने वाली धनराशि शामिल नहीं है)

(ग) देश में जहाज मरम्मत सुविधाओं में विस्तार करने के लिए कई स्कीमों को अनुमोदित किया गया है या उसके लिए कार्रवाई की गई है; जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(i) कलकत्ता पत्तन में शुष्क गोदी का आधुनीकीकरण या सुधार कार्य के लिये स्कीम।

(ii) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में जहाज मरम्मत सुविधाओं का आधुनिकीकरण और सुधार कार्य के लिए स्कीम।

(iii) बम्बई पत्तन में शुष्क गोदी का आधुनीकीकरण और सुधार कार्य के लिए स्कीम।

(iv) मद्रास पत्तन के अन्दर जहाज मरम्मत सुविधा की स्थापना सम्बन्धी स्कीम।

(v) कलकत्ता में केवल ड्रेजर मरम्मत सुविधा के गठन सम्बन्धी स्कीम।

(vi) कोचीन शिपयार्ड में जहाज मरम्मत कार्यों में उत्पादकता और क्षमता में सुधार लाने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को लगाना।

(vii) पंजीकृत जहाज मरम्मत कर्ताओं को अपनी जहाज मरम्मत सुविधाओं के बेहतर इस्तेमाल के लिए वित्तीय साधनों का विस्तार।

शिवराफुली-तारकेश्वर रेल लाइन को दोहरा बनाना

1296. **श्री अनिल बसु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शिवराफुली और तारकेश्वर के बीच, जो तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, रेल लाइन को दोहरा बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) तारकेश्वर शाखा सहित शिवराफुली और बंडेल खण्ड के बीच क्षमता बढ़ाने के लिए एक सर्वेक्षण आरम्भ किया गया है। इंजीनियरी भूमि सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने और उसकी जांच कर लेने के पश्चात ही इस प्रस्ताव के बारे में विनिश्चय लिया जायेगा बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

"वैगन रिपेयर वर्कशाप" रायनायाडु (दक्षिण मध्य रेलवे) के कर्मचारियों के अभ्यावेदन

1297. **श्री अजीत कुमार साहा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें "वैगन रिपेयर वर्कशाप" रायनायाडु, दक्षिण मध्य रेलवे के कर्मचारियों से दिनांक 28 जनवरी, 1985 का ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उन्होंने कर्मचारियों और वर्कशाप के लिए सुरक्षा उपायों की कमी की ओर ध्यान दिलाया है; और

(ग) क्या सरकार वर्कशाप में सुरक्षा प्रणाली में गम्भीर कमियों को ध्यान में रखते हुए स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठा रही है;

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां। रेल मन्त्री को प्रेषित श्री वासुदेव आचार्य, संसद सदस्य के 20-2-85 के अर्ध सरकारी पत्र सं० एस० एम०/259/एफ-2 (बी)/85 के साथ दक्षिण मध्य रेलवे के रायनापाडु माल डिब्बा मरम्मत कारखाने के कर्मचारियों की ओर से दिनांक 25-1-85 को एक सामूहिक ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) रेलों पर इस आशय के अनुदेश मौजूद हैं कि वे कानूनी/सार्वजनिक दायित्वों अथवा व्यावसायिक जोखमों के भीतर कारखानों में आवश्यकता पर आधारित सुरक्षा उपकरणों की सप्लाई निर्धारित करें।

रायनापाडु माल डिब्बा मरम्मत कारखाने के कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदन की विषयवस्तु के बारे में क्षेत्रीय रेल प्रशासन द्वारा श्रम संगठनों के साथ हुए अनौपचारिक बैठकों तथा स्थायी वार्ता तन्त्र के साथ हुई बैठकों में समय-समय पर जांच की गयी है। कारखाने की सुरक्षा सम्बन्धी सावधानियों की सतत समीक्षा की जा रही है और जहां कहीं आवश्यक होता है निवारक कार्रवाई की जाती है।

रेलवे के छठी योजना के लक्ष्यों में कमी

1298. **श्री एन० डेविस :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या रेलवे के :

(एक) "रोलिंग स्टाक" की खरीद,

(दो) माल वहन,

(तीन) खराब रेल लाइनों के नवीकरण,

(चार) लाइनों के विस्तार के सम्बन्ध में छठी योजना के अन्त पर योजनाबद्ध लक्ष्यों में भारी कमी रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह मुख्यत: उसके लिए धन के आबंटन में कमी के कारण हुआ है और यदि हां, तो इनके लिए धन के आबंटन में वृद्धि के लिए क्या सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल): (क) और (ख)

	छठी योजना के लिए	संभावित संप्राप्ति/उपलब्धि
1. चल स्टाक		
(क) माल डिब्बे	1,00,000 (मध्यावधि मूल्यांकन के समय कम करके 77,000 कर दिया गया)	लगभग 73,000
(ख) रेल इंजन	780 (संशोधित करके 980 कर दिया गया)	लगभग 900
(ग) सवारी डिब्बे	5,680	लगभग 5,000
(घ) बिजली गाड़ियां	606	लगभग 660
2. रेलपथ नवीकरण	14,000 कि० मी०	9,200 कि० मी०
3. माल यातायात	309 मि० ट०	264 मि० ट०
4. नयी लाइनें	कोई लक्ष्य नहीं	लगभग 700 कि० मी०

चल स्टाक की संप्राप्ति संशोधित लक्ष्यों से थोड़ी कम होगी। यह कमी मुख्यत: अपर्याप्त योजना आबंटनों के कारण है। सवारी डिब्बों के सम्बन्ध में, स्टाक की अधिक संप्राप्ति के लक्ष्य की तुलना मे विद्यमान उत्पादन क्षमता भी कम थी।

रेलपथ के नवीकरण में कमी का मुख्य कारण पटरियों और रेलपथ के पुर्जों के मूल्यों में असाधारण वृद्धि थी।

1984-85 के शुरू के महीनों में क्रोड क्षेत्रों से यातायात कम प्राप्त होने के कारण माल यातायात में अनिवार्यत: कमी होगी। रेलों ने 270 मि० ट० यातायात की ढुलाई का लक्ष्य निर्धारित किया था लेकिन यातायात की कम प्राप्ति के कारण 1984-85 के लिए 270 मि० ट० के लक्ष्य को कम करके 264 मि० ट० कर दिया गया था।

(ग) रेलों को आबंटित राशि उनकी आवश्यकताओं की अपेक्षा कम थी और राष्ट्रीय स्तर पर अधिकाधिक संसाधनों के जुटाये जाने पर ही इसमें तेजी लाना संभव हो पायेगा।

डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र पर पुल

1299. **श्री आनन्द पाठक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र के उपर एक पुल के निर्माण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग), डिब्रूगढ़ के निकट ब्रह्मपुत्र नदी पर ऊपरी पुल के निर्माण के लिए एक तकनीकी आर्थिक व्यावहारिक अध्ययन हाल ही में पूरा हो चुका है। अध्ययन से निम्नलिखित विकल्प सामने आये हैं :—

विकल्प	लागत पूंजी (करोड़ रुपयों में)	प्रतिफल की दर (प्रतिशत)
(1) केवल सड़क पुल	131.67	13.0
(2) रेल-एवं-सड़क पुल		
(क) इकहरा रेलपथ	242.49	9.4
(ख) दोहरा रेलपथ	303.20	8.1
(3) साथ-साथ, पृथक-पृथक रेल और सड़क पुल	279.11	8.6

वित्तीय रूप से केवल एक सड़क पुल ही अर्थक्षम है। बहरहाल, इस प्रस्ताव पर नार्थ इस्टर्न काउंसिल, जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय जैसी सम्बन्धित एजेन्सियों के विचार प्राप्त किए जा रहे हैं। योजना आयोग के परामर्श से विभिन्न विकल्पों पर विस्तृत रूप से विचार कर लिए जाने के बाद ही अन्तिम विनिश्चय किया जाएगा, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

पूर्व रेलवे के हावड़ा और सियालदाह डिवीजनों में ई० एम० यू० डिब्बों से पंखों की चोरी

1300. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के हावड़ा और सियालदाह डिवीजनों के ई० एम० यू० डिब्बों में लगाये गये पंखों में से लगभग 50 प्रतिशत पंखे हमेशा गायब रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान लगभग कितने पंखे चोरी चले गये;

(ग) क्या चोरियां रात्रि में यार्ड में खड़े खाली डिब्बों से की जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं। हावडा और सियालदाह मंडलों में बिजली गाड़ी डिब्बों में लगे पंखे क्रमशः लगभग 8 प्रतिशत और 17 प्रतिशत तक गुम पाये गये हैं।

(ख) 1982 से 1984 की अवधि के दौरान बिजली गाड़ी रेकों से चुराये गये पंखों की संख्या लगभग इस प्रकार है :—

वर्ष	हावड़ा मंडल	सियालदाह मंडल
1982	1, 294	2, 108
1983	735	2, 316
1984	705	1, 429

(ग) जी नहीं। सामान्यतः बिजली गाड़ी रेकों से पंखों की चोरी गाड़ियों के चालन के समय अधिकांशतः कम भीड़ भाड़ वाले समय अर्थात सुबह तड़के और काफी रात गये समय पर होती है जबकि सवारी डिब्बों में बहुत थोड़े यात्री रह जाते हैं।

(घ) सामान्यतः बिजली गाड़ियों का रे०सु० ब० के कर्मचारियों द्वारा मार्ग-रक्षण नहीं किया जाता है। तथापि, कुछ चुनिंदा बिजली गाड़ियों का जिनमें चोरी होने की अधिक संभावना होती है, रे० सु० ब० द्वारा मार्ग-रक्षण किया जाता है। रात्रि में यार्डों और छोटे स्टेशनों पर खड़े खाली बिजली गाड़ी रेकों की भी रे० सु० ब० के कर्मचारियों द्वारा देखभाल की जाती है। निवारक उपाय अपनाये गये हैं जिनमें बिजली गाड़ी डिब्बों में लगे पंखों के लिए चोरी-निरोधक गार्डों की व्यवस्था, रे० सु० ब० द्वारा अपराधियों और प्रापकों के ठिकानों पर बार-बार छापे मारना तथा अपराधियों और प्रापकों को पकड़ने के लिए राज्य सरकार के साथ सभी स्तरों पर निकट सम्पर्क बनाये रखना शामिल हैं।

"कम्पलसरी डावरी ए कमर्शियल प्रैक्टिस" शीर्षक से समाचार

1301. **श्री महेन्द्र सिंह**
श्री आनन्द सिंह } : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जनवरी, 1985 के "पैट्रियाट" में "कम्पलसरी डावरी ए कमर्शियल प्रैक्टिस" शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने "दहेज उन्मूलन कानून" और दहेज की बुराइयों को समाप्त करने के अन्य कदमों के प्रभाव के संबंध में कोई स्वतन्त्र अध्ययन कराया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे हैं ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां, समाचार पत्र की रिपोर्ट के माध्यम से ।

(ख) और (ग) जी नहीं।

समेकित बाल विकास सेवा योजना से कर्नाटक में कमजोर वर्गों को हुए लाभ

1302. श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित बाल विकास सेवा योजना का कमजोर वर्गों अर्थात् अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्गों और कर्नाटक में समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचा है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यकलाप-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां।

(ख) समेकित बाल विकास सेवा योजना, (आई० सी० डी० एस०) के अन्तर्गत 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती है ।

(1) पूरक पोषाहार,

(2) प्रतिरक्षण,

(3) स्वास्थ्य जांच,

(4) संदर्भ सेवाएं,

(5) पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा तथा

(6) अनौपचारिक स्कूलपूर्व शिक्षा ।

कर्नाटक में 78 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं—48 केन्द्रीय प्रायोजित और 30 राज्य क्षेत्रीय परियोजनाएं हैं । राज्य सरकार ने लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या 8.35 लाख बताई है । उनमें से 22.84 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं जबकि शेष 77.16 प्रतिशत लोग पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्ग और उन परिवारों के हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं।

महाराष्ट्र से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग

1303. **श्री हुसैन दलवाई :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं;

(ख) यह राष्ट्रीय राजमार्ग कौन-कौन से हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन राजमार्गों पर कितना यातायात रहता है; और

(घ) इन्हें भारी यातायात के लिए अधिक टिकाऊ बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) दस।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात योग्य हैं और इनमें यातायात और धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अनवरत सुधार किया जाता है।

विवरण

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राजमार्ग का नाम	महाराष्ट्र में जुड़े महत्वपूर्ण स्थान	कुल लम्बाई कि० मी० में	दैनिक औसत यातायात (मई 1983)		
				रा० रा० खण्ड	हल्के वाहन	वाणिज्यिक वाहन
1	2	3	4	5	6	7
3.	बम्बई-आगरा रोड	बम्बई, ठाणे, नासिक, धुले	395	(क) बम्बई-नासिक	800-1500	2500-3500
				(ख) नासिक-धुलिया म० प्र० सीमा	500-1000	1500-2500
4.	ठाणे-पुणे-बंगलूर-मद्रास	ठाणे, पुणे, कोल्हापुर	404	(क) बम्बई पुणे	1700-3000	4000-5000
				(ख) पुणे-कोल्हापुर-कर्नाटक सीमा	1000-1500	1500-2500
6.	धुलिया-नागपुर-रायपुर-कलकत्ता रोड	धुलिया, जलगांव, अकोला, अमरावती नागपुर, भंडारा	667		400-900	1000-2000
7.	बनारस-नागपुर-हैदराबाद-बंगलूर-कन्याकुमारी रोड	नागपुर, करांची, बोर्क	253		300-700	700-1500

1	2	3	4	5	6	7
8.	बम्बई-अहमदाबाद-दिल्ली रोड	बम्बई, दहिसार, घोड़ वन्दर, वसीन, मनोर, कजाली	121		1000-2000	3000-5500
9.	पुणे-शोलापुर-हैदराबाद-रोड	पुणे, शोलापुर	352		400-900	1000-2000
13.	शोलापुर-चित्रदुर्ग रोड	शोलापुर, कर्नाटक की सीमा के साथ	30		300-600	600-1100
17.	पनवेल-महाड-पणजी-मंगलूर-कालीकट-कोचीन रोड	पनवेल, महाड़, चिपलुन, संगमेश्वर, लांजा, राजापुर	495		400-800	600-1500
50.	पुणे-नासिक रोड	पुणे, संगमामनेर, नासिक	209		400-2000	600-2000
4थीं.	न्हावा शेवा पोर्ट लिंक की सम्पर्क सड़कें	न्हावा शेवा, पनवेल	26		अनुपलब्ध	

केरल के लिए माइक्रो पनबिजली परियोजनाएं

1304. **श्री के० कुंजम्बु**; क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने मिनी और माइक्रो पनबिजली परियोजनाएं लगाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

क्रम सं	मिनी/माइक्रो जल विद्युत स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (लाख रु० में)	वर्तमान स्थिति
1.	मवाथपझा	1 × 6	780.2	स्कीम की सिफारिश
2.	मालमपुझा	1 × 2.5	294.6	राज्य योजना में
3.	मदुपट्टी	1 × 2	292.3	शामिल करने के लिए
4.	चिमोनी	1 × 2.5	313.72	योजना आयोग को
5.	पेप्परा	1 × 3	392.90	की गई है।

राजस्थान में लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना

1305. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के बीकानेर जिले में पलना में लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत घर लगाने के वित्तीय पहलू पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त बिजली घर के लिए वित्तीय मंजूरी किस तारीख तक दी जाएगी और यह कब काम करना आरम्भ करेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकन हेतु पालना लिग्नाइट परियोजना के संशोधित लागत अनुमान फरवरी, 1985 में प्रस्तुत किए हैं। परियोजना राज्य क्षेत्र में है तथा वित्तीय स्वीकृति परियोजना के राज्य योजना में शामिल होने पर निर्भर करेगी।

हल्दिया पत्तन पर अवरुद्ध गोदी प्रणाली की सुविधाएं

1306. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया पत्तन पर अवरुद्ध गोदी प्रणाली की सुविधाएं उपलब्ध हैं जिसके अन्तर्गत ज्वार भाटे की सभी परिस्थितियों में और हर समय जहाज आ जा सकते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो एक ऐसी गोदी में, जिसे अवरुद्ध गोदी के रूप में तैयार करने की परिकल्पना की गई थी, इस प्रकार की सुविधाओं के न होने के क्या कारण हैं;

इन सुविधाओं के न होने से जहाजों के आवागमन अथवा यातायात की वृद्धि पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है; और

(घ) वहां पर इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं, अथवा उठाए जाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) हल्दिया में ज्वार की सभी स्थितियों में और सभी समय इम्पाउण्डेड डॉक सिस्टम से जहाजों के निकलने और वहां उनके प्रवेश की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। सामान्यतः हल्दिया में जहाज ऊंचे जल स्तर में प्रवेश करते हैं और वहां से निकलते हैं जिससे उनके इस आवागमन में वहां एकत्रित नदी की रेतें बाधा न उत्पन्न करें। हल्दिया में इम्पाउण्डेड डॉक सिस्टम से जहाजों के आवागमन के लिए सुविधाएं ज्वार भाटों पर निर्भर करती हैं, न कि ये इम्पाउण्डेड सिस्टम पर आधारित हैं।

हल्दिया डॉक कम्पलेक्स की परिकल्पना इम्पाउंडेड डॉक सिस्टम के रूप में की गयी थी। इम्पाउंडेड सिस्टम के द्वारा गोदी के अन्दर में एक निर्धारित स्तर तक जल स्तर बनाये रखा जाता है और जल स्तर से उसमें कोई अन्तर नहीं आता, जो ज्वार-भाटों पर आधारित है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है हल्दिया में इम्पाउंडिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। अभी तक नौवहन और यातायात पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है।

विद्युत वित्त निगम की स्थापना करना

1307. **श्री के० प्रधानी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत विभाग का विचार वित्त निगम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो मोटे तौर पर इसका ढांचा, अनुमानित साम्य पूंजी आधार और उद्देश्य क्या होंगे;

(ग) क्या निगम को अपने निवेश के लिए बाजार ऋण प्राप्त करने, बांड जारी करने और राज्य बिजली बोर्डों से अंशदान प्राप्त करने की अनुमति होगी; और

(घ) इसे कब तक बनाए जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) विद्युत वित्त तथा विकास निगम स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

दरभंगा—जय नगर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

[हिन्दी]

1308. श्री अब्दुल हन्नान अंसारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर दरभंगा मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है;

(ख) क्या दरभंगा से जयनगर तक की मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने संबंधी सर्वेक्षण 1983 में पूरा किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इन दोनों योजनाओं पर कार्य कब तक आरंभ होगा ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) समस्तीपुर-दरभंगा मीटर आमान खंड को बड़ी लाइन में बदलने का काम, जो एक अनुमोदित परियोजना है, संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

दरभंगा-जयनगर खंड का आमान-परिवर्तन शुरू करने के प्रश्न को संसाधनों की स्थिति में सुधार हो जाने तक प्रतीक्षा करनी होगी।

रायचूर-मचेरला रेलवे सम्पर्क

[अनुवाद]

1309. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायचूर को मचेरला से बरास्ता देवर कोंडा-जेडपेरला के जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब तक कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव में कितनी राशि मंजूर की गई है और व्यय की जा चुकी है; और

(ङ) क्या इस परियोजना के सामाजिक आर्थिक महत्व को देखते हुए इस पर तेजी से कार्य किया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) गडवाल के रास्ते मचरेला तथा रायचूर के बीच एक नयी बड़ी लाइन के लिए प्राथमिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। प्रस्तावित लाइन लगभग 260 कि० मी० लम्बी होगी। इंजीनियरी सर्वेक्षण की प्रगति 60 प्रतिशत से अधिक है। यातायात सर्वेक्षण अभी तक शुरू नहीं किया गया है।

(घ) सर्वेक्षण के लिए 1981 में 17.52 लाख रुपये की राशि मंजूर की गयी थी। जनवरी, 1985 के अंत तक संभावित परिव्यय 12.16 लाख रुपये है।

(ङ) सर्वेक्षण के पूरा होने पर, रिपोर्ट के सभी पहलुओं की जांच की जायेगी और योजना आयोग के परामर्श से, यदि आवश्यक हो, आगे कार्रवाई की जायेगी, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ द्वारा धरना

1311. **श्री के० आर० रेड्डी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राजधानी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ द्वारा किए गए दिन भर के धरने की ओर आकर्षित किया गया है और यदि हां, तो उस प्रकार की व्यर्थ की स्थितियों से बचने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रकार की संस्थानों के शासी निकायों को इस प्रकार की स्थिति से अविलम्ब निपटने हेतु उन्हें शक्तियां प्रदान करने और उससे ऐसी अपेक्षा करने तथा छात्रों तथा फैकल्टी के बीच सम्पर्क स्थापित करके स्थायी हल खोजने का है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) 1984-85 के दौरान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने कुछ छात्रों को इस शर्त पर अस्थायी दाखिला दिया था कि वे 30 अक्टूबर, 1984 तक अपनी अर्हक परीक्षा के परिणाम प्रस्तुत करें। 44 छात्रों को जो निर्धारित तारीख तक अपनी अर्हक परीक्षा की अंक-सूची प्रस्तुत करने में असफल रहे, विश्वविद्यालय की नामावली से निकाल दिया गया था। इन छात्रों ने नामावली से उन्हें निकाले जाने के विश्वविद्यालय के निर्णय को वापिस लेने की अपनी मांग पर जोर देने के लिये 14 फरवरी, 1985 को एक दिन के धरने सहित एक आंदोलन शुरू किया।

विश्वविद्यालय शैक्षिक परिषद ने इस मामले पर विचार किया तथा यह निर्णय लिया कि यदि प्रभावित छात्र 22 मार्च, 1985 तक अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सकें तो उन्हें नये प्रवेशकों के रूप में शीतकालीन-सत्र में पुनः दाखिला दिया जा सकता है। विश्वविद्यालय ने यह भी निर्णय लिया है कि भविष्य में दाखिले के समय सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये बिना किसी भी छात्र को दाखिला नहीं दिया जाना चाहिये तथा सभी नये दाखिले प्रवेश-वर्ष में 14 अगस्त को बंद कर दिये जाने चाहिये।

कोयम्बटूर को पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए पंडेयार-पुन्नापुझा-नेल्ली थुसाई योजना

1312. **श्री आर० अन्नानाम्बी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंडेयार-पुन्नापुझा-नेल्ली थुसाई योजना का प्रस्ताव इस समय किस चरण में हैं;

(ख) निकट भविष्य में इस योजना के तेजी से कार्यान्वियन के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या लोअर भवानी बेसिन से निकाले गए पानी से कोयम्बटूर के लिए पानी की वर्तमान सप्लाई बढ़ायी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) चूंकि इसमें नदी के जल के उपयोग से संबंधित अन्तर्राज्यीय मामले निहित हैं, अतः इन मामलों के हल हो जाने के बाद इन परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान में रेल लाइनों का निर्माण/रेल लाइन बदला जाना

1313. **श्री बनवारी लाल बेला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य में नई बिछायी गयी रेल लाइनों अथवा बड़ी लाइन में बदली गयी रेल लाइनों की लम्बाई कितनी है;

(ख) राजस्थान में वर्ष 1985-86 के वित्तीय वर्ष के दौरान बिछाये जाने वाली अथवा बड़ी लाइन में बदली जाने वाली रेल लाइनों का क्या ब्यौरा है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) कुछ नहीं।

(ख) वित्त वर्ष 1985-86 के दौरान राजस्थान में निम्नलिखित नयी लाइनों/सामान परिवर्तन के निर्माण कार्य चालू रहेंगे :

	नाम	लम्बाई	टिप्पणी
नयी लाइन	कोटा-चित्तौड़गढ़-नीमच (आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में)	221.76 कि० मी०	
आमान परिवर्तन	सूरतगढ़-सरूपसर-अनूपगढ़	78 कि० मी०	शीघ्र ही पूरा होने की आशा है।
	सूरतगढ़-बीकानेर	182 किलोमीटर	

केन्द्र द्वारा प्रायोजित विश्वविद्यालय की स्थापना

1314. **श्री अजय बिश्वास :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला कछार (आसाम) में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्व साहित्य पर विचार गोष्ठी

1315. **डा० कृपासिन्धु भोई :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में विश्व साहित्य पर एक विचार गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो किन समस्याओं पर विचार किया गया और कौन-कौन से संकल्प पारित किए गए;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) साहित्यों और साहित्यकारों को सहायता देने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संगोष्ठी में मुख्य रूप से विश्व में विभिन्न साहित्यों के विकास पर भारत के प्रभाव ऐसे साहित्यों में भारत की छवि, तथा विश्व-साहित्य की धारणा के आविर्भाव के लिये भारतीय लोकाचार तथा उद्देश्य के योगदान पर विचार किया गया। संगोष्ठी ने कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थाओं द्वारा इस प्रकार के शैक्षिक सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है ताकि अध्येता, अनुसंधान-कर्ता, अध्यापक तथा विभिन्न देशों और इस देश के भी छात्र निकट आए, अनुभव और विचारों का विनिमय करें तथा चर्चित विषयों के शैक्षिक विकास में योगदान करें। इस प्रकार के सम्मेलनों की कार्यवाहियों की सामान्यतः अध्येताओं द्वारा और आगे अध्ययनों और अनुसंधान के लिए प्रकाशित किया जाता है।

अन्य देशों की तुलना में भारत में सड़क दुर्घटनाएं

1316. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य देशों की तुलना में भारत में प्रतिवर्ष कितने व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं में मर गए अथवा गंभीर रूप से घायल हुए;

(ख) सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) अन्य देशों में किन आधुनिक तकनीकों, परिवहन प्रणाली नियमों का पालन किया जाता है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) इन उपायों में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन परीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने, परिवहन वाहनों के अनुज्ञेय अधिकतम सुरक्षित धुरा भार निर्धारित करने से संबंधित नियमों और विनियमों को सख्ती से लागू करना और उसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अनायास जांच करके कड़ाई से क्रियान्वित करना शामिल है। अन्य उपाय हैं :

राष्ट्रीय राजमार्गों के चुने हुए खण्डों पर राजमार्ग पेट्रोलिंग स्कीम, ड्राइवर की कुशलता और चालन आदतों को सुधारने के लिए सांगोपांग प्रशिक्षण देने के लिए दिल्ली में एक ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना करना। सम्बन्धित राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को भी राजमार्ग पेट्रोलिंग और ड्राइवर ट्रेनिंग की स्कीम तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने और सड़क सुरक्षा उपायों के प्रति जनसाधारण में जागरूकता पैदा करने का भी अनुरोध किया गया है।

(ग) विकसित देशों में यातायात प्रबन्ध की आधुनिक तकनीक में निम्नलिखित बातें शामिल हैं : (i) चालक परीक्षण और वाहन परीक्षण के लिए स्वचालित प्रक्रिया जैसी विनियामक तकनीक, (ii) स्वचालित संकेत और कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय यातायात नियंत्रण जैसे यातायात नियंत्रण उपकरण, (iii) विभिन्न प्रकार के यातायात और धीरे चलने वाले और तेज चलने वाले वाहनों और पैदल चलने वालों के लिए अलग-अलग चलने की तकनीक। (iv) बसों को प्राथमिकता देने की तकनीक जिसमें खासकर बस के लिए लेन बनाना और लाल बत्तियों पर बसों की प्राथमिकता देना, (v) भीड़भाड़ के समय वाहनों की संख्या कम करने के लिए यातायात प्रतिबंध तकनीक अर्थात् केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र में वाहन लाने के लिए जुर्माना लगाना, रजिस्ट्रेशन कर आदि में बढ़ोतरी और (vi) विभिन्न कार्यालयों के समय में फेरबदल करना।

विवरण

देश	प्रति 10,000 वाहन घातक दुर्घटनाएं			प्रति 10,000 वाहन चोट की दुर्घटना		
	1977	1978	1979	1977	1978	1979
फ्रांस	5.0	4.5	4.5	136	126	126
जर्मनी (संघीय गणतन्त्र)	6.1	5.5	4.7	207	194	177
यूनाइटेड किंगडम	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	3.6	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	188
इटली	3.7	3.5	अनुपलब्ध	95	92	अनुपलब्ध
स्वीडन	2.8	2.8	2.5	52	56	53
संयुक्त राज्य अमेरिका	3.2	3.2	अनुपलब्ध	198	201	अनुपलब्ध
उमान	2.2	2.0	1.8	147	139	130
पाकिस्तान	114.9	112.2	93.4	300	197	261
थाइलैंड	20.7	28.0	28.8	76	75	64
भारत	55.7	53.7	50.0	264	264	228

सौजन्य—"इन्टरनेशनल रोड फेडरेशन, वाशिंगटन डी० सी० द्वारा प्रकाशित" वर्ल्ड रोड स्टेटिस्टिक्स 1975-89"

कोचीन शिपयार्ड के आसपास अनुषंगी उद्योगों सहित आधारभूत सुविधाएं स्थापित करने की योजनाएं

1317. **श्री थम्पन थामस** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड के आसपास अनुषंगी उद्योगों की स्थापना सहित आधारभूत सुविधाएं स्थापित करने की कोई योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या छोटी सहकारी समितियों को प्रवर्तित करने और यह काम उन्हें सौंपने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो गैर-सरकारी उद्योगों को स्थानीय श्रमिकों का शोषण करने से रोकने की क्या योजनाएं हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) कोचीन शिपयार्ड ने अपनी आवश्यकता के बारे में केरल सरकार को सूचित किया है और उनसे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया है।

(ख) और (ग) नहीं। अब तक केवल गैर सरकारी उद्यमकर्ताओं ने सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए पहल की है। यदि सहकारी समितियां भी इसमें रुचि दिखाए तो उनके लिए भी उचित प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे।

एम० वी० चिदम्बरम् जहाज में आग लगना

1318. **श्री के० राममूर्ति** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० वी० चिदम्बरम जहाज में हाल ही में लगी आग में लापता व्यक्तियों के सरकारी आंकड़े पासपोर्ट के साथ जहाज से उतरने वालों और मद्रास बन्दरगाह पर अस्थायी रूप से उतरने की अनुमति लेने वालों की संख्या से मेल नहीं खाते हैं;

(ख) यदि हां, तो आंकड़ों के इस अन्तर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया ने कुछ वर्ष पहले इस जहाज को "स्क्रैप" करने का निर्णय किया था;

(घ) यदि हां, तो इस निर्णय को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) मद्रास से सिंगापुर और मलेशिया की इस महत्वपूर्ण सेवा को जारी रखने के लिए क्या वैकल्पिक कदम उठाए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय नौवहन निगम ने उन सभी व्यक्तियों के, जिनके रेकार्ड मद्रास में उपलब्ध नहीं हैं, पते पर चिट्ठी लिखी है। वस्तुतः कितने व्यक्ति लापता हैं, इसकी जानकारी पत्र के उत्तर मिलने के बाद ही ज्ञात होगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

(ङ) अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

बण्डेल-कटवा सेक्शन में दोहरी लाइनें बिछाना और इसका विद्युतीकरण

1319. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पूर्वी रेलवे में बण्डेल-कटवा सेक्शन में रेल मार्ग को दोहरा करने और इसके विद्युतीकरण के लिए पश्चिम बंगाल के लोग काफी लम्बे अर्से से मांग करते आ रहे हैं;

(ख) क्या सरकार इस सैक्शन में उक्त काम शुरू करेगी; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई समय-सीमा निर्धारित की है ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) बण्डेल-कटवा खंड पर लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण का अनुमोदन कर दिया गया है। सर्वेक्षण पूरा होने तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच हो जाने के बाद अगली कार्रवाई की जायेगी, बशर्ते कि धन राशि उपलब्ध हो।

जहां तक विद्युतीकरण का सम्बन्ध है, यह उल्लेखनीय है कि यातायात के भारी घनत्व वाले खंडों तथा सीमित धन राशि की उपलब्धता के अनुसार प्राथमिकता पर विद्युतीकरण की परियोजनाएं मंजूर की जाती हैं। बण्डेल-कटवा खण्ड के विद्युतीकरण को रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करना अभी व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

हजीरा में शिपयार्ड की स्थापना

1320. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में सूरत के निकट हजीरा को जहाज निर्माण और जहाजों की मरम्मत के लिए तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से उपर्युक्त पाया गया है;

(ख) क्या नेशनल शिपिंग बोर्ड ने भी हजीरा में विशेष रूप से जहाजों की मरम्मत के लिए एक शिपयार्ड की स्थापना हेतु सिफारिश की है;

(ग) यदि यह परियोजना क्रियान्वित की जाती है तो क्या विदेशों में जहाज मरम्मत पर प्रतिवर्ष खर्च की जाने वाली 75 करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत होगी;

(घ) यदि हां, तो क्या तकनीकी उपयुक्तता परिवहन, औद्योगिक आधार, आधारभूत ढांचे, कुशल श्रमिक, उपयुक्त समुद्री परिस्थितियों तथा पर्याप्त भूमि की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने और इसे सातवीं योजना में शामिल करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) वर्ष 1977 में किए गए अध्ययन में गुजरात के हजीरा में जहाज बनाने के लिए (न कि मरम्मत के लिए) एक नया शिपयार्ड स्थापित करने की स्कीम तकनीकी-आर्थिक रूप से युक्तिसंगत पाई गई थी।

(ख) मौजूदा राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड से ऐसी कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) योजना आयोग द्वारा जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योग के लिए गठित कार्यदल ने, जिसका काम सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्ताव तैयार करना है, उक्त योजना अवधि में एक नए शिपयार्ड की स्थापना की सिफारिश की है। इसके लिए किसी खास स्थल की सिफारिश नहीं की गई है। इन सिफारिशों पर निर्णय सातवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने और अर्थ व्यवस्था के विभिन्न स्रोतों से धन के उपलब्ध होने पर निणय लेने के बाद ही लिया जा सकता है।

खुले विश्वविद्यालय

1321. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में कितने खुले विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाएगा; और

(ग) क्या इन विश्वविद्यालयों में शिक्षण देने का कार्य दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से किया जाएगा ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास एक राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में पहले ही एक खुला विश्वविद्यालय स्थापित किया है। पता चला है कि महाराष्ट्र सरकार भी एक खुला विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले शैक्षणिक कार्य-

क्रमों के ब्यौरे, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में रेडियो और दूरदर्शन सहित शैक्षणिक प्रौद्योगिकी के उपयोग करने की विधियों और सीमा इत्यादि को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

शिलांग-बदरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का रख-रखाव और सुधार

1322. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिलांग-बदरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत बहुत खराब है और इस पर मोटर चलाना बहुत खतरनाक हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मेघालय सरकार ने अभ्यावेदन दिया है कि इसके रख-रखाव और इसकी मरम्मत का कार्य उसे सौंपा जाए; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) शिलांग से बदरपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-44 यातायात योग्य है। यातायात में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इसे और भी चौड़ा और पुष्ट किया जा रहा है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार शिलांग से जोवई तक के खंड का रखरखाव करती है। राज्य सरकार सड़क के शेष भाग की सीमा सड़क विकास मंडल से अन्तरित करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध कर रही है। किन्तु प्रचालन की दृष्टि से उनका अनुरोध स्वीकार सम्भव नहीं है।

टैगोर की गीतांजलि का उपलब्ध न होना

1323. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैगोर की गीतांजलि के अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण बाजार में उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका अनुदित संस्करण भारत मे और विदेशों में उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) यह तथ्य नहीं है कि टैगोर की गीतांजलि के अंग्रेजी और हिन्दी रूपान्तर बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। गीतांजलि का हिन्दी रूपान्तर मेसर्स मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसकी प्रतियां बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध हैं। इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद मेसर्स सुबोध प्रकाशन, 2/3 बी, अंसारी रोड, दरिया, गंज, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया है और हिन्दी रूपान्तर की प्रतियां भी आसानी से उपलब्ध हैं।

(ग) भारतीय पुस्तकें विदेश में सामान्य व्यापार माध्यमों के जरिए उपलब्ध की जाती हैं।

भारतीय पुस्तकों का प्रचार करने के लिए भारत, विदेश में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लेता है।

मध्य रेलवे में बसई स्टेशन पर माल गाड़ियों में टक्कर

1324. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 मार्च, 1985 "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "गुड्स ट्रेन कोलाइड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि 4 मार्च, 1985 को मध्य रेलवे के बीना-झांसी सेक्टर में बसई स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी से दूसरी मालगाड़ी के टकराने से इसके 13 डिब्बे पटरी से उतर गए;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के कारण क्या थे;

(ग) इसमें कितनी सम्पत्ति के नुकसान का अनुमान हुआ है; और

(घ) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां। बसई स्टेशन से चलने वाली जम्बो माल गाड़ी। एन० जे० मालगाड़ी की बगल से टकरा गयी थी।

(ख) और (घ) एक विभागीय समिति ने इस दुर्घटना की जांच की है जिसने अपनी रिपोर्ट को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया है। प्रथम दृष्टया यह दुर्घटना। एन० जे० मालगाड़ी के ड्राइवर द्वारा सिगनलों की अनदेखी के कारण हुई थी।

(ग) रेल सम्पत्ति को लगभग 5,35,000 रुपये की क्षति होने का अनुमान लगाया गया है।

दिल्ली मेन/नई दिल्ली स्टेशनों पर विक्रेताओं को कमीशन

1325. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मेन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विक्रेताओं को कमीशन दिया जा रहा है;

(ख) क्या विक्रेता की मृत्यु हो जाने के बाद उसका लाइसेंस उसके पुत्र को हस्तांतरित किए जाने पर उक्त कमीशन की राशि कम कर दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या विक्रेता कमीशन इस प्रकार कम किए जाने का विरोध करते रहे हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी हां। दिल्ली मेन स्टेशन उत्तर रेलवे के उन पहले स्टेशनों में से है जहां

1.10.1955 से विभागीय खान-पान सेवा चालू की गयी थी तथा विभिन्न मदों के लिए निर्धारित की गयी कमीशन की दरें बाद में शुरू की गयी विभागीय खान-पान यूनिटों की तुलना में काफी अधिक थी। विषमता को कम करने के लिए, दिल्ली मेन स्टेशन पर कमीशन की दरों में कटौती की गयी है ताकि उन्हें नयी दिल्ली स्टेशन पर नयी और अतिरिक्त स्थापनाओं तथा वेंडर ठेकों के अन्तरण के सम्बन्ध में प्रचलित दरों के समकक्ष लाया जा सके।

(घ) इसके लिए कोई आन्दोलन नहीं हुआ। तथापि इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

रेलगाड़ियों में आग लगने की घटनायें

[हिन्दी]

1326. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान रेलगाड़ियों में आग लगने की कितनी घटनाएं हुईं और प्रत्येक घटना में कितने लोग मारे गए;

(ख) आग लगने के क्या कारण थे; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न होने के लिए क्या एहतियाती उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) दिसम्बर, 1984 और जनवरी 1985 में आग लगने की कोई घटना नहीं हुई। फरवरी, 1985 में गाड़ियों में आग लगने की चार घटनाएं हुई थीं। इन दुर्घटनाओं में से एक में 35 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी और अन्य तीन मामलों में कोई हताहत नहीं हुआ था।

(ख) तीन मामलों में कारणों का पता लगाया जा रहा है जबकि चौथे मामले में कोई विशिष्ट कारण स्थापित नहीं किया जा सका।

(ग) यात्री गाड़ियों में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कुछ एहतियाती उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) गद्दियों की ज्वलन शीलता को कम करने के उद्देश्य से फोम की गद्दियों के स्थान पर रबड़युक्त फाइर का उपयोग करना।

(2) नेगेटिव सर्किटों में भी फ्यूजों की व्यवस्था। फ्यूजों को अन्य स्थान पर लगाना और शाखा तारों की असुरक्षित लंबाई में वृद्धि करना,

(3) दहन सीलिंग सामग्री का लिम्पिट आवरण से बदलाव,

(4) लकड़ी की पट्टियों, लकड़ी की ट्रफिंग आदि पर अग्नि रोधक रोगन करना,

(5) जलते हुए सिंडर का निकलना रोकने के लिए भाप रेल इंजनों पर चिंगारी संरोधक की व्यवस्था,

(6) सवारी डिब्बों में ज्वलनशील वस्तुओं को ले जाने की जोखिमों के सम्बन्ध में इश्तहारों, पर्चों, सिनेमा स्लाइडों, रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से प्रचार करना।

शताब्दी के अंत तक जनसंख्या में वृद्धि का अनुमान

[अनुवाद]

1327. **श्री बी० एस० विजय राघवन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शताब्दी के अंत तक जनसंख्या में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है; और

(ख) जनसंख्या में और वृद्धि को रोकने के लिए क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सन् 2000, ईसवी तक जो अनुमानित जनांकिकीय लक्ष्य प्राप्त किये जाने हैं वे हैं--जन्म दर को घटाकर 21 और मृत्यु दर को घटाकर 9 तक लाना जिससे कि सहज जनसंख्या वृद्धि दर 1.2 प्रतिशत हो सके।

(ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक सुस्पष्ट कार्यनीति अपनाई गई है। इस कार्य नीति की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :--बहु प्रचार साधनों तथा पारस्परिक संचार की कार्यनीतियों के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करने और उन्हें जानकारी देने के जोरदार प्रयास करना; परिवार नियोजन अपनाने वालों को यथासंभव उनके घरों के नजदीक सेवाओ और सामग्री की व्यवस्था करना; महिला साक्षरता में तेजी से वृद्धि लाने के लिए लिए सुविधाएं जुटाना; स्कूलों और कालेजों तथा इनसे बाहर के युवकों को जनसंख्या शिक्षा देना; लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों की सहायता और समर्थन प्राप्त करना, दूसरे संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ उपयुक्त सम्पर्क स्थापित करना, परिवार नियोजन अपनाने वाले व्यक्तियों और राज्य सरकारों को प्रोत्साहन देना तथा सभी स्तरों पर कार्यक्रम पर बराबर निगरानी रखना और कार्यक्रम के प्रबन्ध को सुधारना।

तालचेर ताप विद्युत केन्द्र का विद्युत उत्पादन

1328. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तालचेर ताप विद्युत केन्द्र की वार्षिक विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या उपर्युक्त विद्युत केन्द्र इस संबंध में की गई अपेक्षाओं के अनुसार विद्युत उत्पादन करने में असफल रहा है ;

(ग) यदि हां, तो कम विद्युत उत्पादन के क्या कारण हैं; और

(घ) उपर्युक्त ताप विद्युत केन्द्र में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) तालचेर ताप विद्युत केन्द्र की प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 470 मेगावाट है जिसमें 62.5-62.5 मेगा० की 4 यूनिट हैं जो 1968 तथा 1969 में चालू की गई थी और 110-110 मेगा० की दो यूनिटें हैं जो मार्च, 1982 तथा मार्च, 1983 में चालू की गई थीं।

62.5 मेगावाट की यूनिटों में डिजाइन तथा इंजीनियरी संबंधी कठिनाई जैसे कोयला मिलों की अपर्याप्त क्षमता, कोयले की अपघर्षी प्रकृति के कारण आई० डी० पंखों की बार-बार बन्द होना, निम्न कोटि वाली तथा असंतोषजनक चूरा एवं त्र प्रणाली और कोयले की गुणवत्ता में ह्रास होने के कारण यूनिटों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है।

110 मेगा० यूनिटों में सामान्य कठिनाईयां थीं। इन कठिनाइयों का पता लगा लिया गया है और भेल द्वारा अधिकांश को दूर कर दिया गया है। पिछले कुछ महीनों में इन यूनिटों के कार्य-निष्पादन में सुधार आया है।

62.5 मेगावाट यूनिटों के संबंध में नवीकरण तथा आधुनिकीकरण स्कीम को 2346 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। 1901 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में दिए जाएंगे। स्कीम 3-4 वर्ष की अवधि में पूरी की जाएगी।

दाइयों तक की सेवाओं से वंचित गांव

1329. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे गांवों की संख्या कितनी है, जहां अर्हता प्राप्त दाइयों तक की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) इस स्थिति में सुधार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्रत्येक 10,000 ग्रामीण आबादी के लिए एक उप-केन्द्र उपलब्ध किया गया था जिसमें एक मिड-वाइफ (सहायक नर्स मिडवाइफ जो अब बहु-उद्देशीय महिला कार्यकर्ता के नाम से जानी जाती है) की व्यवस्था थी। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 5,000 ग्रामीण आबादी के पीछे चरणबद्ध ढंग से एक मिडवाइफ (उप-केन्द्र) की व्यवस्था की

जाए। इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए देश में लगभग 1.3 लाख उप-केन्द्रों की आवश्यकता है। आशा है कि छठी योजना के अन्त तक लगभग 80,000 उप-केन्द्र स्थापित हो जायेंगे। सातवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान 50,000 अतिरिक्त उप-केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। मिडवाइफों के अतिरिक्त, ग्राम स्तर पर दाइयों द्वारा प्रसूति सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं। लगभग 5.03 लाख दाइयों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है।

दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच राजधानी एक्सप्रेस जैसी तीव्रगामी रेलगाड़ी चलाना

1330. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली को भुवनेश्वर से जोड़ने के लिए राजधानी एक्सप्रेस जैसी कोई तीव्रगामी रेलगाड़ी शुरू की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कालेजों और विश्वविद्यालयों में डिमान्सट्रेटरों का पद समाप्त करना

1331. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कालेजों और विश्वविद्यालयों में डिमान्सट्रेटरों के पद समाप्त करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उक्त विषय पर राज्य सरकारों को यदि कोई सिफारिशें की गई हैं तो वे क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) 1973 में विश्वविद्यालयों एवं कालेजों के अध्यापकों के वेतनमान में संशोधन के लिए सिफारिश करते समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह सिफारिश की थी कि इन पदों के वर्तमान पदधारियों को संशोधित वेतनमान संस्वीकृत किए जा सकते हैं, परन्तु भविष्य में इस वर्ग के अध्यापकों की नियुक्तियां नहीं की जानी चाहिए। यह भी सिफारिश की गई कि वर्तमान अध्यापकों और निदर्शकों को अपनी अर्हताओं में सुधार करने के लिए सुविधाएं दी जानी चाहिए, ताकि अन्ततः उनकी लेक्चरर के रूप में नियुक्ति हो सके।

(ग) उपरोक्त सिफारिशें विश्वविद्यालयों एवं राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं।

महिलाओं की आर्थिक स्वतन्त्रता

1332. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल :** क्या समाज और महिला कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक अवसरों के अभाव में महिलाओं के आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में धीमी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इसके अतिरिक्त सामाजिक निषेध उनके द्वारा आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने तथा अवसरों का लाभ उठाने में बाधक है और उनकी कम प्रगति के लिए जिम्मेदार हैं; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां। यह भी एक कारण है।

(ख) जी हां।

(ग) समाज और महिला कल्याण मंत्रालय महिलाओं की सहायता के लिए सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम जैसी योजनाएं कार्यान्वित करता है जैसे — केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से प्रशिक्षण एवं उत्पादन इकाईयां और लघु उत्पादन इकाईयां स्थापित करना, स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से महिलाओं के पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना तथा सार्वजनिक/स्वायत्त संगठनों के माध्यम से महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों की योजनाएं कार्यान्वित करना।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दो योजनाएं शुरू की हैं—अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (डी०डब्ल्यू०सी०आर०ए०) और स्व-रोजगार कार्यक्रमों के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण (टी०आर०वाई०एस०इ०एम०) देना। राज्य सरकारों ने महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की है। समाज और महिला कल्याण मंत्रालय ऐसी योजनाओं के लिए सहायता देने और इन्हें समन्वित करने का काम जारी रखेगा जो दूसरे मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

1984-85 के दौरान अतिसार के कारण मृत्यु

1333. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान अतिसार के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई; और

(ख) इस खतरनाक रोग के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1984-85 के दौरान अतिसार रोगों से 6714 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित निरोधक उपाय किए गए हैं :—

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 लोगों की देखरेख करने वाले प्रत्येक ग्राम स्वास्थ्य गाईड को खाये जाने वाले पुनर्जलीकरण लवण के 60 पैकेट प्रतिवर्ष सप्लाई किए जाते हैं।

(ii) पिलाए जाने वाले पुनर्जलीकरण घोल के इस्तेमाल के द्वारा अतिसार के निवारण और उसकी रोकथाम के बारे में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और लोगों को शिक्षित करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री का विभिन्न भाषाओं में प्रकाशन किया जा रहा है।

(iii) खाए जाने वाले पुनर्जलीकरण लवण के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए डाक्टरों और अन्य कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।

रावतपुर स्टेशन (कानपुर) के पास गीतानगर रेल फाटक का निर्माण

[हिन्दी]

1334. श्री जगदीश अवस्थी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में रावतपुर स्टेशन (कानपुर) के पास गीतानगर रेल फाटक के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इसके कार्य के कब तक आरम्भ होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार के अनुरोध पर नये सम-पार की व्यवस्था करने के इस काम को रेलें निक्षेप शर्तों पर आरम्भ कर रही हैं। इस काम के खाके और आकलनों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; इस काम के अनुमोदन के लिए रेलवे ने रेलवे संरक्षा के आयुक्त से पत्र व्यवहार किया है और उसके प्राप्त होने के पश्चात इस कार्य का निष्पादन आरम्भ कर दिया जायेगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

संबलपुर, उड़ीसा के लिए सुपर ताप बिजली एकक

[अनुवाद]

1335. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में कोयले के विशाल भंडार को ध्यान में रखते हुए वहां पर एक सुपर ताप बिजली उत्पादन एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने इब घाटी में विद्युत के ग्रेड के कोयले पर आधारित 4 × 210 मेगावाट क्षमता के एक ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव भेजा है । परियोजना की अनुमानित लागत 424 करोड़ रुपये है, परियोजना राज्य क्षेत्र में हैं।

कलकत्ता बम्बई और मद्रास में महानगरीय रेल परियोजनाओं के लिए धनराशि का नियतन

1336. **डा० ए० कलानिधि :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में प्रत्येक महानगर की रेल परियोजनाओं के लिए वर्ष 1984-85 में कुल कितनी धनराशि नियत की गयी थी;

(ख) क्या उक्त धनराशि पूरी खर्च हो गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो आखिरी समय पर धनराशि के समर्पण से बचने हेतु कोई युक्तिसंगत योजना क्यों नहीं बनायी जा सकी ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) 1984-85 के लिए महानगर रेलवे परियोजनाओं के लिए संशोधित अनुमान के अनुसार कुल आबंटन इस प्रकार है :—

(I) **कलकत्ता**	
मैट्रो रेलवे	73.05 करोड़ रु०
सरकुलर रेलवे	7.50 करोड़ रु०
जोड़	80.50 करोड़ रु०
(II) **बम्बई**	
मानखुर्द-बेलापुर	2.75 करोड़ रु०
बांद्रा-अंधेरी	0.75 करोड़ रु०
जोड़	3.50 करोड़ रु०

(III) मद्रास

मद्रास बीच-तुंज	3.25 करोड़ रु०
	जोड़ 3.25 करोड़ रु०

(ख) वर्ष 1984-85 के अंत तक पूरी धनराशि खर्च हो जाने की संभावना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए किया गया मूल (कोर) पाठ्यक्रम

1337. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने देश भर में स्कूली शिक्षा के लिए एक युक्तिसंगत मूल (कोरा) पाठ्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस नये स्कूल पाठ्यक्रम की मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस मामले में राज्य सरकारों से भी सलाह ली जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ;

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) स्कूल स्तर पर पाठ्यचर्या सम्बन्धी बोझ का अध्ययन करने के लिए वर्ष 1983 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा गठित कार्यदल ने रा० शै० अ० तथा प्र० परिषद् को यह सिफारिश की कि देश के सभी स्कूलों में लागू की जाने वाली एक राष्ट्रीय कोर पाठ्यचर्या तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है। तथापि, रा० शै० अ० तथा प्र० परिषद् ने सरकार को ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

त्रिवेन्द्रम रेल मंडल में डीजल रेलवे वर्कशाप

1338. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के त्रिवेन्द्रम रेल मंडल में त्रिवेन्द्रम जिले में एक डीजल रेलवे वर्कशाप शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या 1985 में काम शुरू करने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाएगी?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय तिरुवनन्तपुरम

मंडल में एर्णाकुलम में डीजल लोको शेड के निर्माण से है। यह कार्य 1.88 करोड़ रुपये की लागत से 1985 के बजट में शामिल है जिस पर 1984-85 के अन्त तक 1.63 करोड़ रुपये के खर्च होने की प्रत्याशा है और 1985-86 के लिए 0.25 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है। इसे 1985-86 के दौरान पूरा कर दिए जाने की सम्भावना है।

हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकों में पारित संकल्प

[हिन्दी]

1339. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984 के दौरान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की कितनी बैठकें हुईं;

(ख) इन बैठकों में क्या संकल्प पारित किए गए; और

(ग) इन संकल्पों के कार्यान्वयन से संबंधित ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तीन !

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 714/85**]

तलचेर ताप विद्युत संयंत्र

[अनुवाद]

1340. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तलचेर के नजदीक ईब घाटी में सुपर ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए कार्यवाही की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने तलचेर सुपर ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए एक व्यवहारिता रिपोर्ट प्रस्तुत की है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 955 करोड़ रु० के अनुमानित लागत से परियोजना के प्रथम चरण में 2 × 500 मेगावाट के यूनिटों की प्रतिष्ठापना हेतु तकनीकी आर्थिक अनुमोदन कर दिया है।

गया-हजारी बाग रेल संपर्क

1341. **श्री बाई० पी० योगेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छत्रा होकर गयो और हजारी बाग के बीच रेल सम्पर्क चालू करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के लिए कितने परिव्यय की जरूरत है और इस परियोजना के शुरू और पूरा होने को प्रस्तावित तिथियां क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दादरा और नागर हवेली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रदान की गयी एम्बुलेंस गाड़ियां

1342. **श्री सीताराम जे० गावली :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दादरा और नागर हवेली में शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कितनी एम्बुलेंस गाड़ियां दी हैं;

(ख) क्या यह एम्बुलेंस गाड़ियां निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सुसज्जित हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने उन शहरी क्षेत्रों के लिए सुसज्जित एम्बुलेंस गाड़ियां उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की है;

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) पैटर्न के अनुसार इस संघ शासित क्षेत्र में तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को वाहन प्रदान किए गए हैं जिनका उपयोग गम्भीर रूप से पीड़ित रोगियों की इमर्जेन्सी की स्थिति में देखरेख करने तथा उन्हें लाने ले जाने के लिए किया जाता है।

"टावल इन एक्सिडेन्ट विक्टिम्स स्टोमक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1343. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 फरवरी 1985 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "टावल इन एक्सिडेंट विक्टिम्स स्टोमक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि डाक्टरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई तो वह क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) गम्भीर रूप से निरन्तर बह रहे रक्त को रोकने के लिए रोगी के पेट में एक थेरापुटिक पैक रखा गया था। यह एक स्थापित शल्यक्रिया विधि है और जब रक्त बन्द हो जाता है तो उस पैक को हटाने और शल्य क्रिया में सुधार के लिए पेट को फिर से खोला जाता है।

पश्चिम बंगाल के लिए बड़ी रेल परियोजनाएं

1344. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने राज्य के लिए किन-किन बड़ी रेल परियोजनाओं का सुझाव दिया है;

(ख) क्या सरकार ने इन सभी परियोजनाओं पर विचार किया है;

(ग) यदि हां तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) रेल मन्त्रालय ने पश्चिम बंगाल में निर्माण के लिए किन नई परियोजनाओं को स्वीकार किया है; और

(ङ) भविष्य में किन परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों में से, बज-बज-नामखाना और तामलुक-दीघा बड़े आमान की नयी लाइन परियोजनाएं बजट में शामिल की जा रही हैं। बज-बज-नामखाना लाइन के लिए, संसाधनों की कमी के कारण, योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है किन्तु तामलुक-दीघा के मामले में योजना आयोग इस लाइन के निर्माण के लिए सहमत नहीं हुआ है।

(ङ) सातवीं योजना के लिए प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के नाम	स्थिति
1. यातायात के जमघट को दूर करने के लिए रंगापानी के रास्ते न्यू	यातायात के जमघट को देखते हुए रेलवे ने सिलीगुड़ी टाउन जंक्शन में हिलकार्ट रोड पर एक

जलपाईगुड़ी को सिलीगुड़ी से जोड़ती हुई एक नयी बड़े आमान एवं मीटर आमान की लाइन का निर्माण।	ऊपरी सड़क पुल का प्रस्ताव किया था। राज्य सरकार इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थी और चाहती थी कि किसी अन्य विकल्प का पता लगाया जाय। इसलिए रेलवे ने मीटर आमान/छोटे आमान संरक्षण का दिक्परिवर्तन करते हुए इसे सिलीगुड़ी टाउन के बाहर ले जाकर महानन्दा नदी के किनारे के साथ-साथ मोड़ने के एक विकल्प का प्रस्ताव किया। चूंकि यह विशाखन लाइन ऊपरी सड़क पुल के बदले में बननी है। इसलिए राज्य सरकार को मौजूदा नियमों के अनुसार लागत का 50 प्रतिशत वहन करने के लिए कहा गया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
2. बज-बज-नामखाना नयी बड़ी लाइन।	संसाधनों की कमी के कारण परियोजना को योजना आयोग की स्वीकृति नहीं मिली है। परियोजना को योजना आयोग की स्वीकृति मिलने और उसके लिए धनराशि की व्यवस्था हो जानेके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
3. मेजिया के रास्ते रानीगंज से बांकुरा तक	इस कार्य के लिए 1976-77 के पुराने सर्वेक्षण का 1983-84 में पुनर्मूल्यांकन किया गया था। सर्वेक्षण से मालूम हुआ कि इस क्षेत्र से कोई सार्थक यातायात प्राप्त होने की संभावना नहीं है इसलिए पर्याप्त यातायात के अभाव और दामोदर नदी पर पुल के निर्माण की भारी लागत को देखते हुए मेजिया और रानीगंज के बीच लाइन के निर्माण की आवश्यकता नहीं है बांकुरा-मेजिया (38.37 कि० मी०) लाइन के निर्माण की लागत 14.16 करोड़ रुपये आंकी गयी थी।

संसाधनों की भारी तंगी और वर्तमान चालू कामों तथा साथ ही परियोजना के अलाभप्रद लक्षणों को ध्यान में रखते हुए इस लाइन के निर्माण कार्य को आरम्भ करने के प्रश्न पर यातायात के लिए पर्याप्त संभावनाओं के विकसित होने और संसाधनों की स्थिति मे सुधार होने तक विचार नहीं किया जा सकता।

4. बंडेल-कटवा खंड का आधुनीकीकरण

रेलों के विद्युतीकरण पर भारी पूंजी निवेश होता है। इसलिए विद्युतीकरण परियोजनाओं का काम भारी यातायात घनत्व वाले खंडों पर प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाता है जिससे अधिकतम और शीघ्र लाभ प्राप्त किए जा सकें। वर्तमान प्राथमिकताएं महानगर ट्रंक मार्गों और प्रमुख यातायात को ढोने के लिए तथा महत्वपूर्ण तथा संचलक प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए कुछ अन्य मार्गों को विद्युतीकरण करने की है। बंडेल-कटवा खंड के विद्युतीकरण को रेलों के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने का अभी औचित्य नहीं बन पाया है।

5. लामलुक-दीघा बड़े आमान की रेल लाइन।

इस कार्य को योजना आयोग के अनुमोदन से 1984-85 के बजट में इस शर्त के साथ शामिल किया गया था कि परियोजना का काम सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति और जांच के बाद आरम्भ किया जाएगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच के बाद योजना आयोग ने इस परियोजना को स्वीकृति नहीं दी है।

रेल लाइनों की कुल लम्बाई में वृद्धि

1345. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेल लाइनों की कुल लंबाई में कितने किलोमीटर वृद्धि की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने नये माल डिब्बे बनाये गये; और

(ग) क्या इस संबंध में उड़ीसा राज्य में भी कोई काम किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) 1981-82 से 1983-84 तक की अवधि के दौरान 134.4 कि० मी० लाइनें बिछाई गयी हैं।

(ख) 45,487 माल डिब्बे

(ग) उड़ीसा राज्य में नई लाइन की 3 चालू परियोजनाएं हैं :

(1) जखापुर-दैतारी-बांसपानी (176 कि० मी०)
नयी लाइन : दैतारी तक (33 कि० मी०) का चरण-I पहले से ही 22.3.1981 को खोला जा चुका है।

(2) कोरापुट-रायगढ़ा (74 कि० मी०) नयी लाइन मचिलीगुडा (19.65 कि०मी०) तक का चरण-I 1985-86 में खोल दिये जाने की आशा है।

(3) संबलपुर-तालचेर (171 कि० मी० नयी लाइन : यह काम 1984-85 में शुरू किया गया है।

रेल खानपान निगम

1346. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में प्रस्तावित खानपान निगम की स्थिति क्या है;

(ख) उक्त निगम कब तक काम करना आरम्भ कर देगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) पहले, रेलों पर खानपान सेवाओं के प्रबन्ध के लिए एक रेलवे खानपान निगम की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। किन्तु, इसी बीच, एक पायलट परियोजना के रूप में नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खान-पान सेवाओं को आधुनिक बनाने तथा उनमें सुधार करने के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम को लगाया गया है। इस परियोजना से प्राप्त अनुभव के आधार पर, इस दिशा में अगली कार्रवाई करने के लिए समीक्षा की जायेगी।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

1347. श्री मोहन भाई पटेल
श्री चिंतामणि जेना } : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के लिए देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए कोई विदेशी सहायता मांगी जा रही है; और

(ग) ग्रामीण युवकों को शिक्षित बनाने और प्रशिक्षण देने के क्या विभिन्न कार्यक्रम हैं?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) देश में 1984-85 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय तथा राज्य, दोनों क्षेत्रों के लिए 61.71 करोड़ रुपए का कुल आवंटन है। 1985-86 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र हेतु 39.00 करोड़ रुपए का व्यय अनुमोदित है। राज्य क्षेत्र के लिए परिव्यय को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) जी, नहीं। तथापि, जारी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को सम्पूर्ण करने के एक उपाय के रूप में यूनिसेफ महिलाओं व लड़कियों को अनौपचारिक शिक्षा की एक परियोजना में सहायता प्रदान कर रहा है जिसके अन्तर्गत 1984-85 के दौरान परियोजना पर खर्च की गई 6,41,490/- रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति यूनिसेफ द्वारा की जाएगी। दूसरी परियोजना का उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा का जनसंख्या शिक्षा के साथ एकीकरण करना है। प्रारम्भिक परियोजना, जो जून, 1985 से शुरू होगी, के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्र संघ जनसंख्या कार्यकलाप निधि के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रा० सं० ज० का० नि० 85,918/- अमरीकी डालर की राशि का योगदान करेगी।

(ग) 15-35 आयु-वर्ग, जिसमें ग्रामीण युवक शामिल हैं, के प्रौढ़ निरक्षरों में साक्षरता, कार्यात्मकता तथा जागरूकता पैदा करने के लिए तैयार किए गए विभिन्न कार्यक्रम इस प्रकार हैं:—

(I) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित योजना,

(II) राज्य प्रौढ़ कार्यक्रम,

(III) स्वैच्छिक एजन्सियों द्वारा संचालित साक्षरता परियोजनाएं,

(IV) विश्वविद्यालयों/कालेजों तथा नेहरू युवक केन्द्रों द्वारा संचालित साक्षरता परियोजनाएं,

(V) उत्तर-साक्षरता तथा अनुवर्ती कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित योजना।

भद्रेश्वर और शिवराफुली के बीच चौथी रेल लाइन का निर्माण

1348. **अनिल बसु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलगाड़ियों के सुचारू रूप से चलने के लिए भद्रेश्वर और शिवराफुली के बीच चौथी रेल लाइन का निर्माण करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(रेल मन्त्री श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) तारकेश्वर शाखा सहित शेवड़ाफूली और बंडेल खंड के बीच लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए एक सर्वेक्षण आरम्भ किया गया है । इंजीनियरी भूमि सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है । सर्वेक्षण, रिपोर्ट प्राप्त होने और उसकी जांच कर लेने के पश्चात ही इस प्रस्ताव के बारे में विनिश्चय किया जाएगा बशर्ते कि धन उपलब्ध हो ।

बन्देल और भद्रेश्वर के बीच तीसरी रेल लाइन

1349. **श्री अनिल बसु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेल में बन्देल और भद्रेश्वर के बीच एक तीसरी रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए हैं?

रेल मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) तारकेश्वर शाखा सहित शेवड़ाफूली और बंडेल खंड के बीच लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए एक सर्वेक्षण आरम्भ किया गया है । इंजीनियमी भूमि सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है । सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने और उसकी जांच कर लेने के पश्चात ही इस प्रस्ताव के बारे में विनिश्चय लिया जाएगा बशर्ते कि धन उपलब्ध हो ।

केन्द्रीय मेडिकल कालेजों में इन्टर्न्स की छात्रवृत्ति

1350. **श्री बी० बी० देसाई**
श्री कृष्ण प्रताप सिंह } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार जनवरी, 1985 से केन्द्रीय सरकार मेडिकल

कालेजों में इटर्न्स की छात्रवृत्ति को बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमास करने पर सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बद्ध प्राधिकारियों से इस सम्बन्ध में भविष्य के लिये कोई समझौता हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या छात्रवृत्ति की राशि सभी राज्यों में एक समान है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) हां। भारत सरकार ने पहली जनवरी, 1985 से केन्द्रीय/संस्थाओं/अस्पतालों (इनमें वे सम्बन्धित/स्वायत्त निकाय भी शामिल है जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरी-पूरी सहायता दी जाती है, के इंटर्नों की छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाकर 750/- रुपये प्रतिमास कर दी है। सरकार ने हर दो वर्षों के बाद छात्रवृति की राशि की समीक्षा करने के लिये एक समिति का भी गठन करने का निर्णय किया है। इंटर्नशिप की राशि हर राज्य में भिन्न-भिन्न है तथा इस मामले में कोई निर्णय लेना राज्य सरकार का काम है।

थीन बांध मजदूर संघ द्वारा की गई मांगें

1351. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें थीन बांध मजदूर संघ, पठानकोट द्वारा प्रधान मन्त्री को सम्बोधित दिनांक 8 फरवरी, 1985 का एक आभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) मांगों के समाधान हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी०शंकरानन्द) : (क) से (ग) प्रश्न में उल्लिखित अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

अंग्रेजी का गिरता स्तर

1352. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अंग्रेजी के स्तर में गिरावट आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो देश में इस भाषा को लोकप्रिय बनाने और इसका स्तर सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) अंग्रेजी का स्तर गिर रहा है, इस विचारधारा का समर्थन करने के लिए कोई तुलनात्मक अध्ययन उपलब्ध नहीं है यद्यपि यह एक आम धारणा है कि ऐसी गिरावट आ गयी है।

अंग्रेजी भाषा की दक्षता को स्तरोन्नत करने की आवश्यकता के लिए दिखाई जा रही इस चिन्ता को ध्यान में रखते हुए कई उपायों की परिकल्पना की गई है। इनमें वे कार्यक्रम भी शामिल हैं जो अंग्रेजी और भाषा शिक्षा की वर्तमान संस्थाओं को सुदृढ़ बनायेगी तथा कुछ नये कार्यक्रमों को अपनाया जाएगा। अन्यों में ये शामिल हैं—

(1) जिला अंग्रेजी भाषा केन्द्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देना, जो सम्भवत: स्रोत केन्द्रों के रूप में काम करेंगे तथा जिले में सामग्री तैयार करने और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(2) क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थानों, अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थानों और अंग्रेजी भाषा शिक्षण में लगी अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना ताकि अंग्रेजी के स्रोत व्यक्तियों तथा शिक्षकों के लिए उनके कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाया जा सके।

(3) विश्वविद्यालयों और कालेजों में अंग्रेजी शिक्षण में सुधार करने हेतु अंग्रेजी शिक्षण भाषा केन्द्र की स्थापना, उपचारात्मक पाठ्यक्रमों का संचालन, ग्रीष्म संस्थानों का आयोजन, सेमिनार आदि आयोजित करना जैसे कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सुदृढ़ बनाया जाना।

(4) स्कूल के शिक्षकों और छात्रों के लाभ के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के कार्यक्रमों को तेज करना।

(5) अंग्रेजी भाषा के अधिक प्रभावी शिक्षण और अध्ययन के लिए संचार विशेष रूप से रेडियो और टेलीविजन की प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना।

(6) प्रशिक्षण पुरस्कार, ब्रिटिश विशेषज्ञों को लगाना, साफ्ट-वेअर सामग्री के उत्पादन और वितरण में सहायता आदि जैसे विभिन्न रूपों में ब्रिटिश काऊन्सिल के साथ अधिक सहयोग करना।

दिल्ली में बिजली के बिल भेजने में विलम्ब

[हिन्दी]

1353. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में जिन व्यक्तियों को बिजली के नये कनेक्शन दिए जाते हैं उन्हें एक वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि के पश्चात् बिजली के बिल मिलते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे सरकारी राजस्व की हानि तथा लोगों को असुविधा नहीं होती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ये बिल समय पर भेजने के लिए कोई प्रबन्ध कर रही है;

(घ) यदि हां, तो सरकार का इन व्यक्तियों को कब तक बिल भेजने का विचार है, जिन्हें अभी तक ये बिल नहीं भेजे गए हैं; और

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान बिजली के कितने नये कनेक्शन दिए गए और कितने मामलों में बिल भेजे गये हैं और कितने मामलों में बिल अभी भेजे जाने हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं। नए कनेक्शन के सम्बन्ध में बिजली की खपत के प्रभारों का पहला बिल भेजने में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को सामान्यतः तीन से चार महीने लगते हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) पिछले दो वर्षों में दिए गए कुल 1,26,283 नए कनेक्शनों में से 1,03,555 मामलों में बिल भेज दिए गए हैं तथा शेष 22,728 मामलों के बिल भेजे जा रहे हैं।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिल भेजने में विलम्ब

1354. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विद्युत उपभोक्ताओं को एक अथवा दो वर्ष के पश्चात् उन्हें भेजे गए बिजली के बिलों का किस्तों में भुगतान करने पर मजबूर होना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए और इनमें से कितने आवेदनों पर किस्तों में अदायगी करने की अनुमति दी गई; और

(ग) ऐसे बिलों की अदायगी करने के पश्चात् भी कितने उपभोक्ताओं के बिजली के कनेक्शन काट दिए गए ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान सामान्यतः बिल बनाने के नियमित कार्यक्रम के अनुसार उपभोक्ताओं को बिजली के बिल

भेजता है। कुछ मामलों में जहां मीटर बदलने होते हैं तथा सप्लाई के दुरुपयोग अथवा अधिक भार का उपयोग करने के लिए अधिक टैरिफ लगाई जानी हो, अधिक लम्बी अवधि के बिल बनाए जाते हैं। जिन मामलों में संचित/संशोधित बिल भेजे जाते हैं तब उपभोक्ता के अनुरोध पर किस्तों में भुगतान की सुविधा की अनुमति दी जाती है। 1.3.1983 से 28.2.85 तक की अवधि के दौरान दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने 7681 मामलों में किस्तों में भुगतान करने की सुविधा की अनुमति दी थी। संस्थान के अनुसार बिजली की सप्लाई केवल उसी समय काटी जाती है जबकि देय तारीखों को किस्तों में भुगतान नहीं किया जाता।

असम के नौगांव जिले में बड़ी लाइन का लंका तक विस्तार

[अनुवाद]

1355. **श्री आनन्द पाठक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के नौगांव जिले में लंका तक बड़ी लाइन के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री बन्सी लाल) : (क) से (ग) तिनसुकिया के रास्ते मौजूदा गुवाहाटी—डिब्रूगढ़ मीटर लाइन जिसके अन्तर्गत गुवाहाटी-लंका खण्ड आता है, को बड़ी लाइन में बदलने और असम के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए गुवाहाटी तथा डिब्रूगढ़ के बीच एक वैकल्पिक बड़ी लाइन संरेखण के लिए सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। सर्वेक्षण रिपोर्टें प्राप्त होने तथा उनकी जांच हो जाने के बाद ही गुवाहाटी से आगे बड़ी लाइन के विस्तार के बारे में योजना आयोग के परामर्श से विनिश्चय किया जायेगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

शिक्षा मंत्रियों का पांचवां क्षेत्रीय सम्मेलन

1356. **श्री चित्त महाटा** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया और प्रशान्त महाद्वीप में शिक्षा के विकास के लिये हाल ही में बैंकाक में शिक्षा मंत्रियों का पांचवां क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन के क्या परिणाम निकले और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां। शिक्षा मंत्रियों और एशिया और प्रशान्त के आर्थिक आयोजन के लिए जिम्मेदार सदस्य राज्यों का पांचवां क्षेत्रीय सम्मेलन यूनेस्को

द्वारा बैंकाक में 4 से 11 मार्च, 1985 तक आयोजित किया गया था।

(ख) इस सम्मेलन में क्षेत्र में यूनेस्को के 27 सदस्य राज्यों के 125 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 1978 में कोलम्बो में आयोजित चौथे सम्मेलन के समय से लेकर एशिया तथा प्रशान्त में शैक्षणिक विकासों की समीक्षा करने के अलावा सम्मेलन में जिन प्रमुख विषयों पर विचार किया गया था वे हैं—प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना तथा इसका नवीकरण करना; और निरक्षरता के विरुद्ध आन्दोलन को तेज करना; शैक्षणिक विषय वस्तु तथा पद्धतियों का नवीकरण; विज्ञान अध्यापन का सुधार तथा विकास; अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा की प्रोन्नति; उच्च शिक्षा तथा विकास; अर्थात् क्षेत्र में उच्च शिक्षा की मूल समस्याएं; प्रशिक्षण; अनुसंधान और विकास तथा शिक्षा पद्धति के सुधार में उच्च शिक्षा की भूमिका इसके अतिरिक्त, सम्मेलन ने शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन, शैक्षणिक सुधार, अनुसंधान तथा परीक्षण, शैक्षणिक नव-परिवर्तन और सूचना तथा शैक्षणिक कार्मिकों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्यक्रमों पर विचार किया। सम्मेलन ने शिक्षा के विकास के लिए क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की नई प्रवृत्तियों, आयामों तथा प्राथमिकताओं पर भी विचार किया।

सम्मेलन ने, अन्य बातों के साथ-साथ, एक घोषणा भी पारित की, जिसमें "सभी के लिए शिक्षा" के आदर्श के प्रति राज्य सदस्य की वचनबद्धता और विकास के एक अनिवार्य पहलू के रूप में शिक्षा के सर्वसुलभीकरण, लोकतन्त्रीकरण तथा सुधार के लिए लगातार कार्य करने को जारी रखने के प्रति उनके संकल्प की पुष्टि की। सम्मेलन ने क्षेत्र में शिक्षा के विकास के विभिन्न पहलुओं पर 29 सिफारिशें भी पारित की।

चूंकि सम्मेलन की अधिकांश सिफारिशें शैक्षणिक विकास के लिए हमारे अपने प्राथमिकता के लक्ष्यों के अनुसार हैं, भारत सरकार सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों का समर्थन करती है। सम्मेलन ने एक मत से यह सिफारिश की, कि क्षेत्रीय सहयोग, जिसका खासतौर से यूनेस्को के तत्वावधान में अभी हाल ही के वर्षों में काफी लाभदायक रूप से विकास हुआ है, को विशेषकर प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने निरक्षरता के विरुद्ध आन्दोलन और "सभी के लिए विज्ञान" जैसे कुछ क्षेत्रों में तेज किया जाना चाहिए तथा उसका विकास होना चाहिए। भारत ने क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व का लगातार समर्थन किया है। जहां तक शिक्षा के विकास के लिए क्षेत्र में सदस्य राज्यों में सहयोग की आवश्यकता पर बल देने का सम्बन्ध है, इस सम्मेलन का विशेष महत्व है।

भारतीय रेलों के रोलिंग स्टाक की अधिकतम अनुमेय और वास्तविक गति

[हिन्दी]

1357. डा० ए० के० पटेल
श्री सी० जंगा रेड्डी } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में बड़ी लाइनों में बदली गयी लाइनों पर विद्युत और डीजल इंजिनों और नवीनतम डिजाइन के डिब्बों और वैगनों की अधिकतम अनुमेय गति क्या है और यात्री और माल रेल गाड़ियों की वास्तविक औसत गति क्या है;

(ख) क्या आधुनिकीकरण पर होने वाले भारी खर्च को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार रेलवे की आय बढ़ाने और जनता की सुविधायें प्रदान करने के लिए यात्री रेलगाड़ियों और माल गाड़ियों की वास्तविक औसत गति बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्ष 1985-86 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के लिए वास्तविक औसत गति का वर्षवार तुलनात्मक विवरण क्या है ?

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) भारतीय रेलों की परिवर्तित बड़ी लाइनों पर इंजनों और सवारी डिब्बों के अधिकतम अनुमेय रफ्तार 100 किलो मीटर प्रति घंटा और माल डिब्बों के लिए 75 कि० मी० प्रति घंटा है।

(ख) और (ग) जहां तक सवारी गाड़ियों की औसत रफ्तार में वृद्धि का सम्बन्ध है। औसत रफ्तार मुख्यतया रेलपथ की हालत, सिगनल प्रणाली, रेलपथ की मरम्मत के लिए अपेक्षित समय, इंजन की किस्म आदि जैसे अन्य कारकों के साथ-साथ ठहरावों की संख्या तथा अवधि पर निर्भर करती है। यदि ठहरावों की संख्या कम कर दी जाय तो औसत रफ्तार बढ़ायी जा सकती है, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं होगा क्योंकि इससे उन स्टेशनों के यात्रियों में अत्यधिक नाराजगी पैदा होगी जहां से हाल्ट समाप्त किये जायेंगे।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1	2	1981-82 3	1982-83 4	1983-84 5.
औसत रफ्तार (कि० मी० प्रतिघंटा)				
मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां	ब०ला०	47.2	47.2	47.1
	मी०ला०	35.0	34.3	32.8
सवारी गाड़ियां	ब०ला०	27.0	26.7	27.5
	मी०ला०	24.4	22.2	24.4
मिश्रित गाड़ियां	ब०ला०	24.8	25.0	25.0

1	2	3	4	5
	मी०ला०	18.6	17.8	18.2
ई०एम०यू० गाड़ियां	ब०ला०	32.5	32.1	32.2
	मी०ला०	31.3	31.5	31.6
सभी माल गाड़ियां	ब०ला०	20.8	21.4	21.9
	मी०ला०	16.1	16.5	17.0

मध्य प्रदेश में नई रेल लाइनें

1358. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उन नई रेल लाइनों के नाम क्या हैं, जिनके बारे में सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) अब तक सर्वेक्षण की गयी रेलवे लाइनों में से सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई रेल लाइनों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में नई रेल लाइनें बिछाने के कार्य को प्राथमिकता दी जायेगी; और

(घ) क्या मध्य प्रदेश और गुजरात के पिछड़े आदिवासी जिलों, झाबुआदोहद को इन्दौर से जोड़ने वाली रेल लाइन सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की गयी है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) मध्य प्रदेश में प्रस्तावित रेल लाइनें, जिनके सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य निकट भूत में पूरे हो चुके हैं, निम्नलिखित हैं—

(1) ब्योहारी तक एक वैकल्पिक मार्ग सहित ललितपुर-सिंगरौली (बागवार)

(2) शिवपुर-ग्वालियर-भिंड के रास्ते गुना-इटावा

(3) रतलाम-बांसवाड़ा (मध्य प्रदेश में आंशिक)

(4) विश्रामपुर-बरवांडीह (मध्य प्रदेश में आंशिक)

(5) कोरना-रांची (मध्य प्रदेश में आंशिक)

(6) जगदलपुर-डल्लीराजहरा

(7) सतना-रीवा

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के लिए बजट में शामिल की गयी नयी लाइनें

निम्नलिखित हैं—

(1) सतना-रीवा ।

(2) शिवपुर-ग्वालियर और भिंड के रास्ते गुना-इटावा ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की गयीं, ये लाइनें और कोई अन्य लाइनें धनराशि की अधिकतम उपलब्धता के अनुसार प्रगति करेंगी ।

(घ) महू और इन्दौर में मिश्रित आमान सहित दाहोद से महू तक नयी बड़ी लाइन के लिए प्रारम्भिक इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है । इस परियोजना पर सर्वेक्षण पूरा होने, रिपोर्ट होने, रिपोर्ट की जांच करने के पश्चात निर्णय लिया जाएगा, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो और योजना आयोग इसकी स्वीकृति प्रदान कर दे ।

कटिहार रेलवे स्टेशन का नया भवन

1359. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कटिहार में नये रेलवे स्टेशन भवन और बड़ी लाइन के प्लेट-फार्म शैड के निर्माण का काम 1984-85 तक पूरा होना था, परन्तु उसमें अभी तक हाथ भी नहीं लगाया गया है, जिनके कारण यात्रियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त कार्य को शीघ्र पूरा करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) बरौनी-कटिहार मीटर लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने के संबंध में 32 मीटर लम्बे एक ऊंची सतह के छतदार प्लेट-फार्म के निर्माण का कार्य 1984-85 में पूरा कर लिया गया है । 51.10 लाख रुपये की लागत से नयी स्टेशन इमारत की व्यवस्था करने का प्रस्ताव 1984-85 में किया गया था और इसे 1985-86 के बजट में शामिल किया गया है ।

(ख) इमारत की विस्तृत योजना बनाने का काम शुरू कर दिया गया है । इस कार्य की प्रगति धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कटिहार-जोगबनी को उत्तर पूर्व रेलवे प्रशासन के अन्तर्गत लाना

1360. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी-कटिहार, पूर्णिया-सहरसा, फरबीस गंज, सुपपैल-सहरसा और कुछ अन्य अनुभाग उत्तर-पूर्व रेलवे में आते हैं, जबकि कटिहार-जोगबनी अनुभाग पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के अंतर्गत आता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के बरौनी-कटिहार-पूर्णिया-सहरसा, पूर्णिया-बनमांखी-जानकी नगर-सहरसा, फरबीसगंज-सुपौल-सहरसा तथा अन्य अनुभागों में चल रही रेल गाड़ियां कटिहार, पूर्णिया तथा फरबीस गंज से शुरू होती है और यहीं समाप्त होती है, जोकि पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के प्रशासन के अन्तर्गत है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक प्रशासनिक कठिनाइयां होती है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार कटिहार-जोगबनी अनुभाग को पूर्वोत्तर रेलवे के प्रशासन के अन्तर्गत लाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया): (क) जी, हां।

(ख) यह सत्य है कि प्रश्न के इस भाग में उल्लिखित खंडों पर पूर्वोत्तर रेलवे के लिए और वहां से चलने वाली गाड़ियां कटिहार और फोरबिस गंज से शुरू होती हैं और वहां पर समाप्त होती हैं। पूर्णिया से कोई गाड़ी प्रारंभ या वहां पर समाप्त नहीं होती। तथापि, इस व्यवस्था में कोई परिचालनिक या प्रशासनिक कठिनाई नहीं है।

(ग) और (घ) चूंकि वर्तमान व्यवस्था में कोई कठिनाई नहीं है अतः कटिहार-जोगबनी खंड को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे से पूर्वोत्तर रेलवे में स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बंगलौर-मिरज बड़ी रेल लाइन

[अनुवाद]

1361. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर-मिरज बड़ी रेल लाइन का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ख) इस लाइन को बिछाने के लिए कितनी धन राशि की आवश्यकता है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मिरज बम्बई के बीच बड़ी रेल लाइन पहले ही बिछाई जा चुकी है; और

(घ) बंगलौर-मिरज बड़ी रेल लाइन का कार्य पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) बंगलूर और मिरज के बीच एक नयी बड़ी लाइन का निर्माण करने अथवा मीटर लाइन खंड का आमान परिवर्तन आरम्भ करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) आमान परिवर्तन की भारी लागत, संसाधनों की कठिन स्थिति और पहले से की गयी भारी वचनबद्धताओं के कारण इस समय इस प्रस्ताव के बारे में विचार करना सम्भव नहीं है।

गोआ को विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना

1362. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोआ के लोग अपने समग्र आर्थिक विकास में अत्याधिक पिछड़ रहे हैं क्योंकि यह क्षेत्र विद्युत सप्लाई के लिये पूरी तरह से अपने पड़ौसी राज्यों पर निर्भर है ओर ये राज्य प्रायः अपने वचनों को पूरा करने में असफल रहते हैं;

(ख) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र को विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उपाय करने है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) संघ शासित क्षेत्र गोवा की विद्युत सम्बन्धी आवश्यकताएं पूर्ण रूप से पड़ोसी राज्यों तथा केन्द्रीय क्षेत्र की कोरबा सुपर ताप विद्युत परियोजना से पूरी की जाती है। इस संघ शासित क्षेत्र में विद्युत की कोई कटौती लागू नहीं है।

संघ शासित क्षेत्र गोवा में विद्युत उत्पादन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोरबा और रामागुण्डम में केन्द्रीय क्षेत्र की ताप विद्युत परियोजनाओं से आबंटन किया गया है।

वास्को मिरज रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1363. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वास्को-मिरज छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए बार-बार मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया): (क) जी, नहीं।

(ख) संसाधनों की तंगी और इस योजना के वित्तीय रूप से अर्थक्षम न होने के कारण संसाधनों की स्थिति में सुधार होने तक इस लाइन के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

केरल में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए योजना परिव्यय

1364. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए योजना परिव्यय में वृद्धि करने का है;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) केरल सरकार ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए अपने योजनागत परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि का प्रस्ताव किया है। छठी पंचवर्षीय योजना के लिए अनुमोदित 700.00 लाख रुपए की तुलना में सातवीं पंचवर्षीय योजना में तकनीकी शिक्षा के लिए 2400.00 लाख रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में व्यावसायिक शिक्षा के लिए 850.00 लाख रुपए की राशि का प्रस्ताव रखा गया है। (छठी योजना में यह माध्यमिक शिक्षा का भाग था)। योजना आयोग द्वारा राज्य योजना की रूपरेखा को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन नहीं भेजा गया था। विभिन्न राज्यों के योजनागत परिव्यय के संबंध में निर्णय योजना आयोग द्वारा किया जाता है।

सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई सफलता

1365. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी में नई सफलताएं प्राप्त होने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो क्या लम्बी दूरी के बल्क विद्युत सम्प्रेषण के लिए उच्च शक्ति का डायरेक्ट करेंट शुरू करने के निर्णय के साथ ही सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी में एक बड़ा कदम पहले ही उठाया जा चुका है;

(ग) क्या यह भी है सच है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने वर्ष 1983-84 के दारान चहुमुखी प्रगति की है;

(घ) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने कई नई परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है और चालू वर्ष के लिए उसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 के दौरान कौन सी नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) वर्ष 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने कार्यक्रम के अनुसार 200-200 मेगावाट की 5 यूनिटों को चालू किया है ।

(घ) और (ङ) फरक्का चरण-2 (2×500 मेगा०) और कहलगांव चरण-1 (4×210 मेगा०) सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं और रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना से सम्बद्ध पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए राष्ट्रीय विद्युत निगम के प्रस्ताव के अनुसार निवेश सम्बन्धी निर्णय ले लिए गए हैं । राष्ट्रीय राजधानी ताप विद्युत परियोजना चरण-1 (4×210 मेगा०) और तलचेर सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-1 (2×500 मेगा०) की स्थापना के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के प्रस्ताव को भी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक मंजूरी दे दी है ।

सातवीं योजना के दौरान नये पोत कारखाने की स्थापना करना

1366. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सातवीं योजना के दौरान एक नए पोत कारखाने की स्थापना करने के उनके मंत्रालय के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण; हैं और

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने उस पोत कारखाने के विकास के लिए व्यय के एक भाग के रूप में सातवीं पंचवर्षीय योजना में 75 करोड़ रुपए की मांग की थी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से

ग) जहाजों के निर्माण और उनकी मरम्मत के बारे में प्रस्ताव तैयार करने के लिए योजना आयोग ने जिस कार्यदल का गठन किया है उसने भारत में एक नये शिपयार्ड की स्थापना के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 75 करोड़ रुपए की आरम्भिक व्यवस्था की है। चूंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है इसलिए इस बारे में सरकार ने भी कोई अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया है।

दक्षिण पूर्व रेलवे के बालीचक स्टेशन के पास रेलवे क्रासिंग पर ऊपरिपुल का निर्माण

1367. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के के० जी० पी० डिवीजन के बालोचक स्टेशन के पास, राज्य राजमार्ग पर बने लेवल क्रासिंग के कारण मिदनापुर जिले के दूर दराज के क्षेत्रों को जाने वाली यात्री बसों और अन्य वाहनों तथा यात्रियों के लिए भारी परेशानी होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार, इस स्थान पर रेलवे लाइन के आर-पार ऊपरिपुल का निर्माण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसके निर्माण में कितना समय लगेगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) बालीचक स्टेशन के समीप एक 'बी' श्रेणी का समपार मौजूद है। इस समपार पर हाल ही में की गई यातायात की रचना से इसके बदले में सड़क ऊपरी पुल का फिलहाल औचित्य नहीं बनता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंसुकरा और खड़गपुर स्टेशनों के बीच नई गाड़ियां चलना और वर्तमान गाड़ियों के आने जाने के समय पुनःनिश्चित करना

1368. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के के० जी० पी० डिवीजन में पंसुकरा और खड़गपुर स्टेशनों पर रुकने वाली उपनगरीय गाड़ियों की संख्या बहुत ही कम है और इससे इन स्टेशनों के यात्रियों को भारी कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बालीचक स्टेशन जोकि पंसुकरा और

खड़गपुर के बीच स्टेशनों में से एक है, कई दूर दराज सर्किल स्टेशनों के अन्तर्गत आने वाली जनसंख्या को बसों से जोड़ना है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन स्टेशनों पर नई रेल गाड़ियों को चलाने और आने वाली नई समय-सारणी में कुछ वर्तमान गाड़ियों के आने जाने के समय पुनः निश्चित करके रेल सुविधाओं में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) :(क) इस समय पांसकुडा-खड़गपुर खंड के बीच के सभी स्टेशनों पर ठहरने वाली 13 जोड़ी स्थानीय गाड़ियां इन स्टेशनों से होने वाले यातायात के मौजूदा स्तर की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा कर रही हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) यातायात औचित्य के अभाव के अतिरिक्त, संतुप्त लाइन क्षमता तथा टर्मिनलों पर सुविधाओं के अनुरक्षण के अभाव के कारण नई गाड़ियां चलाना तथा मौजूदा गाड़ियों के समय में परिवर्तन करना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

भारतीय नौवहन निगम द्वारा कन्टेनर पोतों की खरीद

1369. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौवहन निगम छठी योजना में कन्टेनर पोतों की खरीद के लिए उत्सुक था; और

(ख) यदि हां, तो कितने कन्टेनर पोतों की खरीद की जानी थी और इसके लिए किस पोत कारखाने को आर्डर दिया गया था ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय नौवहन निगम द्वारा 6 कंटेनरयुक्त जहाजों की खरीद का प्रस्ताव है। अभी तक किसी शिपयार्ड को कोई अन्तिम आर्डर नहीं दिए गए हैं।

मोंगराबेरी खुर्द सिंचाई परियोजना (मध्य प्रदेश)

1370. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में मोगरा बेरी खुर्द नामक सिंचाई परियोजना

को स्वीकृति दे दी और परियोजना को अन्तिम रूप देने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार को वापस भेज दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसे कब वापस भेजा गया था और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) मोंगरा में एक बांध स्थल सहित मोंगरा/बेरीखुर्द परियोजना को, इस परियोजना से खनिज भण्डारों के जलमग्न हो जाने की संभावना की दृष्टि से केन्द्र ने स्वीकृति प्रदान कर दी है तथा राज्य सरकार को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु 31.1.1983 को वापस भेज दिया गया है।

बिजली सप्लाई के लिए समान शुल्क दरें

1371. **श्री एस०एम० भट्टम** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ताप बिजली निगम ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न शुल्क दरों के अलग-अलग समझौते किए हैं;

(ख) केन्द्रीय बिजली उत्पादन स्टेशनों से विभिन्न क्षेत्रों को बिजली की सप्लाई के लिए प्रति यूनिट शुल्क दरें क्या-क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि राजाध्यक्ष समिति ने केन्द्रीय स्टेशनों से सप्लाई की जाने वाली बिजली के लिए सम्पूर्ण देश के लिए समान दरों की सिफारिश की थी ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त सिफारिश कब की गई थी और क्या उन सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने सिंगरौली, कोरबा तथा रामागुंडम सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं की थोक विद्युत सप्लाई करने के लिए उत्तरी पश्चिमी पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में स्थित विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों से समझौते किए हैं। इन समझौतों में टैरिफ समान सिद्धान्तों के आधार है। तथापि, परियोजनाओं की अपनी पूंजी लागत अपेक्षित पारेषण प्रणालियां और प्रचालन आदि पर पूंजीगत लागतों पर निर्भर करते हुए एक परियोजना से दूसरी परियोजना में उत्पादन की लागत अलग-अलग होती है।

(ख) केन्द्रीय ताप केन्द्रों द्वारा उत्पादित बिजली की टैरिफ दर निम्नानुसार है :—

1. सिंगरौली	36.29 पैसे प्रति यूनिट
2 कोरबा	35.32 पैसे प्रति यूनिट
3. रामागुंडम	43.00 पैसे प्रति यूनिट
4. बदरपुर	46.17 पैसे प्रति यूनिट (233 के० वी० प्रति यूनिट पर) 47.09 पैसे प्रति यूनिट (220 के० वी० प्रति यूनिट पर)

(ग) तथा (घ) केन्द्रीय केन्द्रों से राज्य बिजली बोर्डों को विद्युत एक समान दर पर निर्णय नहीं किया गया है।

ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षकों को दिया गया मानद भत्ता और दवाइयां

[हिन्दी]

1372. **श्री हरीश रावत** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक को कितना मासिक वेतन अथवा मानद भत्ता दिया जाता है तथा वितरण के लिए उसको कुल कितने मूल्य की दवाइयां दी जाती हैं;

(ख) क्या उसके वर्तमान मानद भत्ते की राशि तथा वितरण के लिए उसे दी जाने वाली दवाईयों की मात्रा में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) ग्राम स्वास्थ्य गाइड को प्रति मास 50 रुपए का मानदेय और प्रति वर्ष 600/- रुपए मूल्य की दवाईयां दी जाती हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनायें

1373. **श्री हरीश रावत** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत दस वर्षों अथवा उससे अधिक समय से निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) प्रस्तावित लक्ष्य के अनुसार इन सभी परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की आशा

है और उन पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) अब उन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय होने और इनके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) मंत्रालय द्वारा इन परियोजनाओं के लिए रखी गई धनराशि तथा उसके लिए निश्चित समय सीमा के भीतर ही उन परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) 1.4.1974 से पूर्व शुरू की गई बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की अपेक्षित सूचना सभा-पटल पर रखे गए विवरण में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 715/85]**

(घ) चूंकि सिंचाई एक राज्य विषय है अत: परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण तथा क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार, निर्माणधीन परियोजनाओं को आवश्यक निधियां प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराकर उन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध करती रही है। परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्यों को सहायता देने के लिए केन्द्रीय जल आयोग चुनिंदा परियोजनाओं की मानीटरी करता है जिसमें सिंचाई तथा विद्युत सेक्टर के लिए सीमेंट के आबंटन जैसी दुर्लभ सामग्री की सप्लाई में बाधाओं तथा कठिनाईयों का पता लगाया जाता है। राज्य सरकार के लिए ऐसी सामग्रियों के लिए सहायता तथा अन्य तकनीकी सहायता का प्रबन्ध किया जाता है। अतिरिक्त योजनागत सहायता प्राप्त करने में राज्यों को मदद करने के लिए बैंक, कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि तथा अन्य द्विपक्षीय एजेन्सियों जैसे विदेशी ऋणदाता एजेन्सियों में क्रेडिट/ऋण सहायता के लिए भी केन्द्रीय सरकार प्रबन्ध करती है।

भुसावल और बम्बई के बीच तेज गति की शटल गाड़ी शुरू करना

[अनुवाद]

1374. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुसावल और बम्बई के बीच तेज गति की शटल गाड़ी शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरदार सरोवर का निर्माण

1375. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्बदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण और उसके पूरे होने में पर्याप्त देरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य देर से शुरू हुआ था और यदि हां, तो उसके क्या कारण थे; और

(ग) उक्त परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) यद्यपि निर्माण कार्य आरम्भ करने में तो कोई विलम्ब नहीं हुआ है परन्तु कार्य की गति धीमी है। केन्द्र ने लाभार्थी राज्यों से अपनी वार्षिक योजनाओं में इस परियोजना के लिए अपेक्षित परिव्यय उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया है। इस बांध एवं आनुषंगिक कार्यों के विश्व बैंक से 300 मिलियन अमरीकी डालर की बाह्य सहायता भी उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार सरकार ने इस परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए मध्य प्रदेश के लागत के हिस्से के रूप में 300 करोड़ रुपए का अंशदान करने का भी निश्चय किया है।

विद्युत प्रेषण में नुकसान और राज्य विद्युत बोर्डों की तरफ बकाया धनराशि

1376. **श्री के० राममूर्ति:** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत प्रेषण और वितरण में नुकसान को न्यूनतम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जो कि प्रति वर्ष काफी बढ़ रहा है और एक नवीनतम प्राकक्लन के अनुसार यह उत्पादित विद्युत का 25 प्रतिशत बैठता है; और

(ख) विद्युत संयंत्रों की राज्य विद्युत बोर्डों की ओर विद्युत प्रभार की बकाया धनराशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और प्रत्येक विद्युत बोर्ड की ओर विद्युत प्रभार की राज्यवार बकाया धनराशि कितनी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) अखिल भारतीय आधार पर बिद्युत पारेषण और वितरण हानि (चोरी और हेराफेरी समेत) इस समय 20.21% है। इस प्रकार की हानियों को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदम विवरण-एक में दर्शाए गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, दामोदर घाटी निगम तथा नेवेली लिग्नाइट निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड की ओर राज्य-वार बकाया विद्युत प्रभार, विवरण दो में दिया गया। इन बकाया राशियों का शीघ्र भुगतान करने से सम्बन्धित मामले को विभिन्न राज्य सरकारों, बिजली बोर्डों के साथ उठाया गया है।

विवरण-एक

पारेषण और वितरण हानियों को कम करने का प्रश्न भारत और राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों का ध्यान आकर्षित करता रहा है। विद्युत विभाग ने सभी राज्यों संघशासित क्षेत्रों के विद्युत सचिवों; राज्य बिजली बोर्डों, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड, ब्यास निर्माण बोर्ड के अध्यक्षों और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के महाप्रबन्धक को पारेषण और हानियों को कम करने के लिए विभिन्न उपायों (जो कि नीचे दिए गए हैं) के क्रियान्वयन हेतु सुझाव देते हुए मार्च, 1984 में पत्र लिखा था :—

(1) अधिक हानियों वाली प्रणाली में कमजोर क्षेत्रों का पता लगाना तथा अधिक हानियों के कारणों का पता लगाना;

(2) सभी इन्डक्टीव प्रेरक विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा शंट कैपेसिटर प्रतिष्ठापित करना और प्रगति की सघन मानीटरिंग करना;

(3) उप-पारेषण और वितरण प्रणालियों को सशक्त बनाना;

(4) उप-पारेषण और वितरण लाइनों की लम्बाई को कम करना और भार केन्द्रों के समीप उप-केन्द्रों को पुनस्थापित करना;

(5) कम "भार रहित" हानियों वाले ट्रांसफार्मरों को इस्तेमाल करना;

(6) लम्बी निम्न वोल्टता लाईनों से बचने के लिए भारों के समीप कम क्षमता वाले वितरण ट्रांसफार्मरों का इस्तेमाल करना;

(7) राज्य बिजली बोर्डों के इंजीनियरों और पुलिस की सहायता से आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए सतर्कत दलों का गठन करना;

(8) निर्माण और बेहतर सामग्री के लिए नॉन फैरस लाइन कलैम्पस जैसी समुचित तकनीकों का इस्तेमाल करना;

(9) सीधे विद्युत प्राप्त करने से बचने के लिए मोटरों के पीछे कट-आउट का प्रावधान करना;

(10) मोटर टर्मीनल कवर और कट-आउट पर टेढ़ी-मेढ़ी और संख्यांकित सीलों का इस्तेमाल करना और नकली सीलों का पता लगाने के लिए सीलों का हिसाब-किताब रखना;

(11) मीटरों के साथ छेड़-छाड़ से बचने के लिए टर्मीनल कवर के अन्दर की बजाय मोटरों के अन्दर शंक्यता लिकों का प्रावधान करना;

(12) सीधे विद्युत प्राप्त करने को स्पष्ट करने के लिए सिंगल कोर बी० आई० आर० तारों के स्थान पर सर्विस मेन के रूप में पी० वी० सी० मल्टी-कौर के बलों का इस्तेमाल करना; और

(13) औद्योगिक उपभोक्ताओं की मासिक मीटर रीडिंग की अन्य ऐसे उपभोक्ताओं की मासिक मीटर रीडिंग से तुलना करना ताकि उपभोग में महत्वपूर्ण भिन्नताओं का पता लगाया जा सके।

विवरण-दो

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम/राष्ट्रीय जल विद्युत निगम/दामोदर घाटी निगम और नेवेली लिग्नाइट निगम द्वारा राज्य बिजली बोर्डों/उद्यमों को बेची गई विद्युत की बकाया राशि की स्थिति

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य बिजली बोर्ड का नाम	संगठन का नाम				15.3.85 के अनुसार कुल जोड़
		15.3.85 की स्थिति के अनुसार रा० ता० वि० निगम की बकाया राशि	15.3.85 की स्थिति के अनुसार रा० ज० वि० निगम की बकाया राशि	15.3.85 की स्थिति के अनुसार दा० घा० नि० की बकाया राशि	15.3.85 की स्थिति के अनुसार ने० लि० कारपोरेशन की बकाया राशि	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	—	—	2250.00
2.	असम	—	638.55	—	—	638.55
3.	बिहार	—	—	4591	—	4591.00
4.	गुजरात	94	—	—	—	94.00
5.	हरियाणा	240	850.16	—	—	1090.16
6.	हिमाचल प्रदेश	225	618.32	—	—	843.32

1	2	3	4	5	6	7
7.	जम्मू और काश्मीर	145	—	—	—	145.00
8.	कर्नाटक	607	—	—	—	607.00
9.	मध्य प्रदेश	2067	—	—	—	2067.00
10.	महाराष्ट्र	926	—	—	—	926.00
11.	पंजाब	—	1020.91	—	—	1020.91
12.	राजस्थान	1410	—	—	—	1410.00
13	तमिलनाडु	224	—	—	8982	9206.00
14.	उत्तर प्रदेश	2646	—		—	2646.00
15.	पश्चिम बंगाल	—	—	1486	—	1486.00
	जोड़	10834	3127.94	6077	8982	29020.94

ताप बिजली घरों का नवीकरण

1377. **श्री के० रामामूर्ति**
श्री पूर्ण चन्द्र मलिक } : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस तथ्य को ध्यान में रखकर ताप बिजली घरों की संस्थापित क्षमता 25,000 मेगावाट है, परन्तु एक तिहाई बिजली घर बहुत पुराने हो गये हैं और उनके तुरन्त नवीकरण की आवश्यकता है तथा ताप बिजली घरों में केवल 45 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग हो रहा है, केन्द्र द्वारा प्रयोजित ताप बिजलीघरों की 500 करोड़ रुपए लागत की नवीकरण और आधुनिकीकरण योजना का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मौजूदा ताप विद्युत संयंत्रों के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम को सरकार ने 1984-85 से क्रियान्वयन हेतु अनुमोदित कर दिया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में 26 विद्युत संयंत्रों का नवीकरण किए जाने का प्रस्ताव है। 23 विद्युत केन्द्रों के लिए नवीकरण स्कीमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और योजना आयोग द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दी गई है। ताप विद्युत केन्द्रों के संयंत्र भार अनुपात में, जो अप्रैल, 1984 से फरवरी, 1985 की अवधि में 49.2 प्रतिशत था, स्कीम के क्रियान्वित हो जाने के बाद और सुधार हो जाने की आशा है।

बिहार और उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति

1378. **श्री के० रामामूर्ति** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली की स्थिति को सुधारने के लिए विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा 60 दिन की निर्धारित सीमा के अन्दर बिहार और उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) क्या देश के अन्य क्षेत्रों के लिए भी ऐसी समय-सीमा निर्धारित की जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी०शंकरानन्द) : (क) और (ख) विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित से संबंधित हैं; (1) नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना तथा, (2) मौजूदा ताप विद्युत केन्द्रों के क्षमता समुपयोजन में सुधार लाना। ताप विद्युत केन्द्रों को अपेक्षित मात्रा तथा गुणवत्ता वाले कोयले की सप्लाई के लिए उपाय शुरू किए गए हैं। विद्युत राज्य मंत्री ने भी सभी राज्य सरकारों को लिखा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ताप विद्युत केन्द्रों के नियोजित अनुरक्षण पर बल दिया गया है। यद्यपि कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। फिर भी विद्युत की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए प्रगति

की नियमित रूप से मानिटरिंग की जाती है। फरवरी, 1985 में अखिल भारतीय संयंत्र भार अनुपात फरवरी, 1984 की तुलना में 3 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्डों के संयंत्र भार अनुपात में क्रमश: लगभग 2 प्रतिशत तथा 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

बड़ोदरा और सूरत के बीच अतिरिक्त यात्री-रेलगाड़ी सेवा

1379. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में कार्यालय समय के दौरान यात्रियों के लिए बड़ोदरा और सूरत के बीच अतिरिक्त यात्री रेलगाड़ी सेवा उपलब्ध कराने का कोई विचार है;

(ख) क्या यात्रियों के लिए उक्त सेवा उपलब्ध कराने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि इस सैक्शन में चलने वाली रेलगाड़ियों में बहुत भीड़ रहती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) बडोदरा-सूरत खण्ड पर दैनिक यात्री यातायात की मांग को पूरा करने के लिए रेलवे ने 18 नवम्बर, 1984 से 43/44 अहमदाबाद-बडोदरा पैसेंजर गाड़ी को सूरत तक/से बढ़ा दिया है। सवारी डिब्बों, अतिरिक्त लाइन क्षमता तथा टर्मिनलों पर टर्मिनल सुविधाओं जैसे संसाधनों की कमी के कारण अतिरिक्त गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तरी जोन में पकड़े गए बिना टिकट रेल यात्री

1380. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1984 को समाप्त होने वाली छमाही के दौरान उत्तरी रेलवे में पकड़े गए बिना टिकट रेल यात्रियों की संख्या कितनी है; और

(ख) इस अवधि में बिना टिकट यात्रा करने वालों से रेल भाड़ा और जुर्माने के रूप में कितनी धनराशि वसूल की गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जुलाई, 1984 से दिसम्बर, 1984 तक की अवधि के दौरान उत्तर रेलवे पर 2.43 लाख व्यक्ति बिना टिकट अथवा गलत टिकटों पर यात्रा करते हुए पाये गए और उनसे 53.93 लाख रुपये की राशि रेल किराये तथा जुर्माने के रूप में वसूल की गई थी।

पश्चिम बंगाल में नई रेल लाइनें बिछाना

1351. श्री चित्त महाटा
श्री अमर राय प्रधान } क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने नई रेल लाइनें बिछाने के लिए कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में एक वर्तमान रेल लाइन के विद्युतीकरण का भी अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां,

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भाग (ख) विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है—

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के नाम	स्थिति
1	2
1. यातायात के जमघट को दूर करने के लिए रंगापानी के रास्ते न्यू जलपाईगुड़ी को सिलीगुड़ी से जोड़ती हुई एक नयी बड़े आमान एवं मीटर आमान की लाइन का निर्माण	यातायात के जमघट को देखते हुए रेलवे ने सिलीगुड़ी टाउन जंक्शन में हिलकार्ट रोड़ पर एक ऊपरी सड़क पुल का प्रस्ताव किया था। राज्य सरकार इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थी और चाहती थी कि किसी अन्य विकल्प का पता लगाया जाये। इसलिए रेलवे ने, मीटर आमान/छोटे आमान संरेखण का दिक्परिवर्तन करते हुए इसे सिलीगुड़ी टाउन के बाहर ले जाकर महानन्दा

1	2
	नदी के किनारे के साथ-साथ जोड़ने के एक विकल्प का प्रस्ताव किया। चूंकि यह विशाखन लाइन ऊपरी सड़क पुल के बदले में बननी है, इसलिए राज्य सरकार को मौजूदा नियमों के अनुसार लागत का 50 प्रतिशत वहन करने के लिए कहा गया है इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
2. बज-बज नामखाना नयी बड़ी लाइन	संसाधनों की कमी के कारण परियोजनाओं को योजना आयोग की स्वीकृति नहीं मिली है। परियोजना की योजना आयोग की स्वीकृति मिलने और उसके लिए धनराशि की व्यवस्था हो जाने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
3. मेजिया के रास्ते रानीगंज से बांकुरा तक	इस कार्य के लिए 1976-77 के पूराने सर्वेक्षण का 1983-84 में पुदर्मूल्यांकन किया गया था। सर्वेक्षण से मालूम हुआ कि इस क्षेत्र से कोई सार्थक यातायात प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है इसलिए पर्याप्त यातायात के अभाव और दामोदर नदी पर पुल के निर्माण की भारी लागत को देखते हुए मेजिया और रानीगंज के बीच लाइन के निर्माण की आवश्यकता नहीं है बांकुरा-मेजिया (38.37 कि०मी०) लाइन के निर्माण की लागत 14.16 करोड़ रुपए आंकी गयी थी। संसाधनों की भारी तंगी और वर्तमान चालू कामों तथा साथ ही परियोजना के अलाभप्रद लक्षणों को ध्यान में रखते हुए इस लाइन के निर्माण कार्य को आरम्भ करने के प्रश्न पर यातायात के लिये पर्याप्त संभावनाओं के विकसित होने और संसाधनों की स्थिति में सुधार होने तक विचार नहीं किया जा सकता।
4. तामलुक-दीघा बड़े आमान की रेल लाइन।	इस कार्य को योजना आयोग के अनुमोदन से 1984-85 के बजट में इस शर्त के साथ शामिल

1	2
	किया गया था कि परियोजना का काम सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति और जांच के बाद आरम्भ किया जाएगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच के बाद योजना आयोग ने इस परियोजना को स्वीकृति नहीं दी है।
भाग (घ)—पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युतीकरण परियोजनायें।	
बंडेल-कटैवा खंड का विद्युतीकरण	रेलों के विद्युतीकरण पर भारी पूंजी निवेश होता है, इसलिए विद्युतीकरण परियोजनाओं का काम भारी यातायात घनत्व वाले खंडों पर प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाता है जिससे अधिकतम और शीघ्र लाभ-प्राप्त किए जा सके। वर्तमान प्राथमिकतायें महानगर ट्रंक मार्गों और प्रमुख यातायात को ढोने के लिए महत्वपूर्ण तथा संचलन प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए कुछ अन्य मार्गों को विद्युतीकरण करने की है। बंडेल-कटवा खंड के विद्युतीकरण को रेलों के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने का औचित्य नहीं बन पाया है।

शिक्षण संस्थाओं में दान देने वालों के लिए सीटें

1382. **श्री चित्त महाटा :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शिक्षण संस्थाओं में दान देने वालों के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन संस्थाओं का ब्यौरा क्या है जहां दान देने वालों के लिये सीटें आरक्षित की जाती हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चिकित्सा शिक्षा नीति में परिवर्तन का प्रस्ताव

1383. **श्री चित्त महाटा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चिकित्सा शिक्षा नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) भारत सरकार ने वर्तमान चिकित्सा शिक्षा पद्धति में आवश्यक सुधार लाने और उसकी समीक्षा करने और सिफारिशें करने हेतु सितम्बर, 1981 में एक चिकित्सा शिक्षा समीक्षा समिति गठित की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ ये सिफारिशें की हैं—(1) स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा आयोजित करना, (2) कैपिटेशन फीस को समाप्त करना; (3) ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए डाक्टरों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देना; (4) स्वास्थ्य विज्ञान के विश्व विद्यालयों की स्थापना करना; (5) क्षेत्रीय संस्थाओं की स्थापना करना आदि। समीक्षा समिति की रिपोर्ट के मिलने पर एक शक्ति सम्पन्न समिति नियुक्त की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार के विचारार्थ और उचित कार्रवाई के लिए भेज दी है।

थीन बांध के निर्माण में देरी

1384. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब सरकार द्वारा थीन बांध और शाहपुर कंडी बराज के निर्माण में काफी विलम्ब हुआ है जिसके परिणामस्वरूप रावी-तवी सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन में बहुत देरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार थीन बांध और शाहपुर कंडी परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी०शंकरानन्द) : (क) और (ख) थीन बांध के निर्माण में देरी हुई है। यह राज्य सरकार के पास निधियों की कमी के कारण है। केन्द्रीय सरकार इस परियोजना के निर्माण में तेजी लाने के उपायों पर विचार कर रही है।

शाहपुर कन्डी बराज परियोजना के संबंध में निर्णय नहीं लिया जा सका है क्योंकि परि-

योजना के अनुमानों के अनुमानों तथा इसके कुछ संघटकों की लागतों के हिस्सेदारी के सम्बन्ध में पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर के बीच मतभेदों को पहले दूर किया जाना है।

"मिक" गैस से प्रभावित हुए लोगों के पेशाब में थियोसाइनेट की अधिक मात्रा होने के कारण

1385. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् को हाल ही में भोपाल यूनियन कारबाइड में हुए "मिक" गैस के रिसाव से प्रभावित लोगों के पेशाब में पाई गई थियोसाइनेट की अधिक मात्रा के कारणों का पता लगाने का काम सौंपा गया था;

(ख) यदि हां, तो भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा किए गए अध्ययन के क्या परिणाम हैं;

(ग) क्या "हाल्पो" "मिक" गैस का प्रतिकारक हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के परिणामों को दो महीनों के बाद जारी करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग, गांधी मेडिकल कालेज तथा भोपाल के मेडिकों-लीगल इंस्टीट्यूट के फारेंसिक मेडिसिन विभाग के साथ मिलकर भोपाल में गैस से प्रभावित व्यक्तियों के वैज्ञानिक चिकित्सा अनुसंधान की दृष्टि से अनेक प्रकार के अन्वेषण किए। आरम्भिक अन्वेषणों के बाद यह निर्णय लिया गया था कि पेशाब में थायोसाईनेट वेल्यूज का मानीटरिंग करने के शरीर के सामान्य विष रहित होने की क्रियाविधि का ठीक-ठीक पता चलता रहेगा। इसलिए दिसम्बर मास के अन्त में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के एक दल ने भोपाल में परीक्षण शुरू कर दिए। इस क्रिया विधि की जनवरी के पहले सप्ताह से दिल्ली की उपयुक्त प्रयोगशालाओं में दूसरी बार जांच की गई। इन परीक्षणों से यह स्थापित हो गया है कि पेशाब में थायोसाइनेट का स्तर बढ़ा हुआ था। तत्पश्चात् सोडियम थायोसल्फेट (सामान्यतः हाईपो तथा ग्लूकोज के नाम से जाना जाने वाला) का प्रयोग करके अध्ययन करने का निश्चय किया गया।

यद्यपि इस औषधि को हानि रहित समझा जाता था और भोपाल में इसका प्रयोग सीमित मात्रा में किया जा रहा था, तथापि इसकी गुणकारिता का वैज्ञानिक आधार भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा पूरे किए गए अध्ययन के बाद ही सिद्ध हुआ। जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि थायोसल्फेट के सेवन से पेशाब में थायोसाईनेट अधिक मात्रा में बाहर निकलता है। भोपाल में गैस से प्रभावित व्यक्तियों के पेशाब में थायोसाईनेट की मात्रा अधिक निकलने से यह स्पष्ट हो

जाता है कि उनके शरीर से साईनेट की जमा मात्रा घट रही है। जैसे ही वैज्ञानिक आधार पर सोडियम थायोसल्फेट की गुणकारिता सिद्ध हो गई तो बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से 31.1.85 तथा 12.2.85 को यह जानकारी लोगों तक पहुंचा दी गई। मध्य प्रदेश सरकार को भी सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग करने का सुझाव दिया गया।

अभी यह निश्चित नहीं है कि हाईपो एम० आई० सी० के लिए विशिष्ट रूप से विषहारक है या नहीं। इस विषय पर अभी अन्वेषण किया जा रहा है। वैसे, अब तक प्राप्त हुए परिणामों के अनुसार हाईपो एम० आई० सी० क्षतिकारक तत्वों अथवा शरीर में उत्पन्न अन्य जहरीले पदार्थों को निष्प्रभावी कर देता है।

त्रिपुरा द्वारा डाका बांध पर आपत्तियां उठाया जाना

1386. **श्री अजय विश्वास** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 मार्च, 1985 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "त्रिपुरा औबजेक्ट्स टू डाका डेम्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने यह मामला बंगलादेश सरकार के साथ उठाया है।

संचारी रोगों के फैलने और उनके प्रभाव के बारे में सर्वेक्षण

1387. **श्रीमती जयंती पटनायक**
श्री भोला नाथ सेन } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश में मलेरिया और क्षयरोग के अतिरिक्त कुछ अन्य संचारी रोगों के फैलने और उनके प्रभाव के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि, हां, तो वे कौन-कौन संचारी रोग हैं जिनके गत तीन महीनों के दौरान देश के विभिन्न भागों में फैलने से चिन्ताजनक स्थिति पैदा हुई;

(ग) क्या इस प्रकार के कुछ रोग देश में तेजी से फैलते जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त संचारी रोगों की रोकथाम के लिए क्या उपाये किए गए हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनेस, खसरा, पोलियो, आन्त्र-ज्वर और गिनिकृमि रोगों से पीड़ित हुए व्यक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) (1) डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनेस, पोलियो और मियादी बुखार से बचाव के लिए रोगप्रतिरक्षण का एक विस्तृत कार्यक्रम बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है जिसके अन्तर्गत सन् 1990 तक सभी पात्र और बच्चों और गर्भवती महिलाओं को रोगप्रतिरक्षण की सेवाएं उपलब्ध् करायी जाएंगी। लोगों में इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा उपायों को तेज किया जा रहा है।

(2) गिनिकृमि रोग पर काबू पाने पाने के लिए गिनीकृमि उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रप की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं:—

(क) देश के प्रत्येक प्रभावित जिले के प्रत्येक गांव में साल में दो बार रोगियों का पता लगाना

(ख) राज्यों मेंकेन्द्रीय जन स्वास्थ्य पर्यावरणिक इंजीनियरिंग संगठन और राज्य जन स्वास्थ्य पर्यावरणिक इंजीनियरिंग संगठनों के जरिए पीने के स्वच्छ पानी की सप्लाई की व्यवस्था करना।

(ग) इस्तहार, पोस्टर वितरित करके सिनेमा स्लाइड और फिल्में दिखाकर, दीवारों पर नारे लिखकर, सामूहिक विचार विमर्श, रेडियो वार्ता के द्वारा लोगों को व्यापक शिक्षा देना जिससे समुदाय में रोग की रोकथाम हो सके और इस रोग के संचरण में कमी आ सके।

(घ) इस रोग के मौसम में न पीने योग्य पानी के स्रोतों का 50 प्रतिशत ई०सी० टेमीफोस से शोधन करना।

(ङ) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान में जिला स्तरीय स्वास्थ्य और इंजीनियरी अधिकारियों और राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अधिकारियों और अर्ध चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना।

(च) रोगियों का उपचार करना तथा अवरोधी पट्टी का प्रयोग करना ताकि हम गंदे कुएं के पानी के साथ रोगी का सम्पर्क न होने पाये।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में रोगियों की संख्या का विवरण

रोग का नाम	रोगियों की संख्या		
	1982	1983	1984
डिप्थीरिया	15944	11697	10288
काली खांसी	277848	210387	122788
टेटनेस	39553	32991	21662
खसरा	146256	128043	113954
पोलियो	21469	21290	14672
आन्त्र ज्वर	408992	339236	196232
गिनिकृमि	*42926	*44819	*40443

विद्युत परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

1388. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने विद्युत परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है जिनके आधुनिकीकरण के प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को 1984-85 के दौरान प्राप्त हुए हैं;

(ग) उक्त प्रस्ताव किन-किन राज्यों से प्राप्त हुए हैं; और

(घ) उक्त प्रत्येक परियोजना की भावी संभावनायें और उस पर आने वाली लागत का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

* ये रोगी छः राज्यों अर्थात : आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के 79 जिलों के हैं।

विवरण

(लाख रु० में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	राज्य बिजली बोर्ड आदि	ताप विद्युत केन्द्र का नाम	कुल अनुमानित लागत*
1	2	3	4
दिल्ली	एन०टी०पी०सी०	बदरपुर	2870.60
—वही—	डेंसू	इन्द्रप्रस्थ	4042.35
उत्तर प्रदेश	उ०प्र०रा०बि०बो०	पन्की	3703.11
—वही—	उ०प्र०रा०बि०बो०	ओबरा	4595.00
—वही—	उ०प्र०रा०बि०बो०	हरदुआगंज "क" हरदुआगंज "ख" और "ग"	6395.00
पंजाब	पी०एस०ई०बी०	भटिंडा	4173.70
हरियाणा	हरि०रा०बि० बोर्ड	फरीदाबाद	3966.00
—वही—	हरि०रा०बि० बोर्ड	पानीपत	1654.40
मध्य प्रदेश	म०प्र०बि०बो०	कोरबा-1) कोरबा-2) कोरबा-3)	1629.50
मध्य प्रदेश	म०प्र०बि०बो०	अमरकंटक-1) अमरकंटक-2)	1024.80
मध्य प्रदेश	म०प्र०बि०बो०	सतपुड़ा (2×210 मेगावाट यूनिट 6 और 7) के नवीकरण के लिए एक अन्य स्कीम 5.2.85 को प्राप्त हुई है जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है।	1778.80
महाराष्ट्र	म०रा०बि०बो०	कोराडी	2383.40
महाराष्ट्र	म०रा०बि०बो०	नासिक	660.74
महाराष्ट्र	म०रा०बि०बोर्ड	भूसावल	66.42
महाराष्ट्र	म०रा०बि०बोर्ड	पारस	187.45
गुजरात	गु०बि०बोर्ड	गांधीनगर	1726.70

1	2	3	4
गुजरात	गु०बि०बोर्ड	धुवारान	1891.90
गुजरात	गु०बि०बोर्ड	उकई	3355-50
आन्ध्र प्रदेश	आ०प्र०रा०बि० बोर्ड	कोठागुडम	4567.00
तमिलनाडु	त०ना०बि०बोर्ड	इन्नौर	7978.00
तमिलनाडु	त०ना०बि० बोर्ड	तूतीकोरीन	676.71
तमिलनाडु	नेवेली लिग्नोईटनिगम	नेवेली	4970.00
पं० बंगाल	दा०घा०नि०	चन्द्रपुर	1312.60
पं० बंगाल	दा०घा०नि०	बोकारो	841.00
प० बंगाल	दा०घा०नि०	दुर्गापुर	797.50
पं० बंगाल	दु०प०परि०लि०	दुर्गापुर	2376.00
पं० बंगाल	प०बं०रा०बि० बोर्ड	बैंडल	3390.00
पं० बंगाल	प०बं०रा०बि० बोर्ड	संथालडीह	2192.00
बिहार	बिहार रा०बि० बोर्ड	पतरात	3530.80
बिहार	बिहार रा०बि० बोर्ड	बरौनी	1556.30
बिहार	बिहार रा०बि० बोर्ड	कारबिगैया	512.90
उड़ीसा	उड़ीसा रा०बि० बोर्ड	तलचेर	2346.39

उड़ीसा के सिंचाई नालों और बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए विश्व बैंक की सहायता

1389. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की किन-किन सिंचाई परियोजनाओं, जल निकास योजनाओं और बाढ़ सुरक्षा उपायों के लिए विश्व बैंक की एजेन्सियों से सहायता मिल रही है;

(ख) क्या इस राज्य की इस तरह की किसी योजना के बारे में उनसे बातचीत चल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उड़ीसा की महानदी की किसी बाढ़ नियंत्रण योजना के संबंध में

*इसमें केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम और राज्य की योजनाएं दोनों का व्यय शामिल है।

विश्व बैंक के साथ बातचीत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उड़ीसा की महानदी के डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण के लिए उड़ीसा सरकार का परियोजना संबंधी कोई प्रस्ताव स्वीकृति के लिए विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) उड़ीसा राज्य में महानदी बराज परियोजना तथा उड़ीसा सिंचाई-दो परियोजना नामक दो सिंचाई परियोजनायें विश्व बैंक अभिकरणों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) राज्य सरकार ने "उत्तर बराज परिस्थितियों के लिए महानदी तथा काठजोरी तट-बन्ध का पुनर्रूपण" नामक एक स्कीम प्रस्तुत की है। इस स्कीम की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता को अभी स्थापित किया जाना है। इसके अतिरिक्त, बाढ़ नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा परियोजना पर विचार करने के लिए अभी सिफारिश नहीं की गई है।

ब्यारा स्टेशन पर फ्लाई ओवर का निर्माण

[हिन्दी]

1390. **श्री सी० डी० गामित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों की लम्बे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे में सूरत-भुसावल रेल लाइन पर ब्यारा स्टेशन पर एक फ्लाई ओवर का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त पुल के निर्माण के लिए कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की सम्भावना है और उस पर अनुमानत: कितनी लागत आएगी; और

(घ) इस पुल का तेजी से निर्माण करने के लिये सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

इण्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड का भारतीय रेलवे के साथ सम्बन्ध

1391. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड का उद्देश्य क्या है तथा भारतीय रेलवे के साथ इसका क्या सम्बन्ध है; और

(ख) इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड को 1983-84 और 1984-85 के दौरान कितना वास्तविक घाटा अथवा लाभ हुआ ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) इन्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कं० लि० (इरकान) की स्थापना निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों के लिए की गयी है—

रेलवे के निर्माण से सम्बन्धित सभी प्रकार के कार्य करना और व्यक्तिगत अथवा संयुक्त रूप से विदेशों अथवा भारत के अन्य उपक्रमों और कम्पनियों या व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से टर्नकी आधार पर या अन्यथा भारत या विदेशों में ठेके प्राप्त करना, जिनमें रेल उपस्कर की सप्लाई, उत्थापन एवं स्थापन और उससे संबंधित सभी सम्बद्ध सेवाएं आदि शामिल हैं।

यह कम्पनी सम्पूर्ण स्वामित्व वाली एक सरकारी कम्पनी है जो रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत संस्थापित की गयी है।

(ख) 1983-84 में कर-पूर्व लाभ 1545 लाख रुपए था और कराधान के पश्चात लाभ 1275 लाख रुपये था। 1984-85 के लेखों का संकलन अभी किया जाना है।

गुजरात में झांखरी सिंचाई परियोजना के लिए केन्द्र की स्वीकृति

[हिन्दी]

1392. **श्री सी० डी० गामित** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा गुजरात के सूरत जिले में झांखरी में मध्यम सिंचाई परियोजना को अभी तक स्वीकृति प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) उक्त परियोजना स्वीकृति के लिए सरकार को कब भेजी गई थी तथा इससे कितने एकड़ भूमि में सिंचाई होने की संभावना हैं और इस पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है तथा सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) योजना आयोग ने झांखरी परियोजना को 1982 में स्वीकृति प्रदान कर दी थी। उसके बाद, राज्य सरकार ने परियोजना के क्षेत्र में परिवर्तन किया तथा जनवरी, 1984 में संशोधित परियोजना की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। संशोधित परियोजना पर 42.90 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है तथा इससे प्रतिवर्ष 27,526 हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होने की आशा है। केन्द्रीय जल आयोग ने रिपोर्ट की रूप-रेखा पर अपनी टिप्पणियां भेज दी हैं तथा आगे की कार्यवाही एवं योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए राज्य से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मांगी है। परियोजना के संशोधित क्षेत्र की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी राज्य से प्राप्त नहीं हुई है।

पश्चिम रेलवे में सोनगढ़ स्टेशन पर अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस को रोकने की व्यवस्था

1393. **श्री सी० डी० गामित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में सूरत-भुसावल रेल लाइन पर सोनगढ़ स्टेशन पर अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रैस रेल गाड़ी को रोकने की व्यवस्था करने के लिए लोगों ने मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेल विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) विभिन्न क्षेत्र से बार-बार मांग प्राप्त होने पर 1-5-1985 से उकई सोनगढ़ में 133/134 अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस के ठहराव की व्यवस्था करने का विनिश्चय किया गया है।

वर्ष 1985-86 के लिए रेल माल डिब्बे

[अनुवाद]

1394. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 के लिये नये रेल माल डिब्बों के क्रयादेशों को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) पश्चिम बंगाल में प्रत्येक प्रमुख माल डिब्बा निर्माता को कितने माल डिब्बों के क्रयादेश दिये गये हैं और वर्ष 1984-85 में कितने माल डिब्बों के क्रयादेश दिए गए थे;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में कुल कितने माल डिब्बों के बकाया रहने की संभावना है; और

(घ) क्या माल डिब्बा निर्माताओं को अप्रयुक्त क्षमता तथा जनशक्ति की समस्या का सामना करना पड़ रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें सूचना दी गयी है।

(ग) यह प्रत्याशा की जाती है कि 31.3.85 को देश में मालडिब्बा निर्माण यूनिटों के पास 31,880 चौपहिया मालडिब्बों के लिए माल डिब्बा आदेश बकाया रहेंगे।

(घ) माल डिब्बा निर्माण यूनिटें कुल मिलाकर वैकल्पिक उत्पादन भी करती हैं और मालडिब्बों के लिए अपर्याप्त आदेश होने की स्थिति में आदेश प्राप्त करके, अन्य स्रोतों से निर्यात आदेश प्राप्त करके ये अन्य कार्य करती है। इस प्रकार उपलब्ध उत्पादन क्षमता की तुलना में कम आदेश प्राप्त होने के बावजूद क्षमता और जन-शक्ति के बेकार जाने की समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

विवरण

(आंकड़े चौपहियों में)

क्रम० सं०	माल डिब्बा निर्माताओं के नाम	1984-85 का उत्पादन लक्ष्य	1985-86 के लिए उत्पादन लक्ष्य
1.	ब्रेथवेट	1290	575
2.	बर्न/हवड़ा	1890	780
3.	जैस्सप	350	155
4.	टैक्समैको	3115	1290
	जोड़	6645	2800

बीजापुर से सिन्दगी तक नई रेल लाइन

1395. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जवारगी, मोरातगी, अफजलपुर, घंगापुर, अलन्द, ओपरगा, लटूर तथा पराली होकर बीजापुर से सिन्दगी तक एक नई रेल लाइन का निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसका कब तक निर्माण किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

विषविज्ञान के क्षेत्र में अपर्याप्त विशेषज्ञता तथा मेडिकल कालेजों में विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों का अभाव

1396. **श्री बाला साहिब बिरबे पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल दुर्घटना से यह बात स्पष्ट हो गई है कि विषविज्ञान के क्षेत्र में हमें बहुत ही कम विशेषज्ञता प्राप्त है;

(ख) देश में कितने मेडिकल कालेजों में इस विषय पर विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है; और

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में पहल करेगी और इस क्षेत्र में अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) विषविज्ञान/क्लीनिकल विषविज्ञान विषय फार्माकोलॉजी एवं फारेंसिक मेडिसिन के स्नातकपूर्व एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के एक भाग के रूप में पढ़ाया जाता है। देश में ऐसे 23 मेडिकल कालेज/संस्थाएं हैं जिनमें फारेंसिक मेडिसिन में विशिष्ट पाठ्यक्रम उपलब्ध है। इस विषय में उच्च विशिष्टता प्राप्त करने की बहुत गुंजाइश है।

महाराष्ट्र में रत्नगिरि को कोल्हापुर से और चिप्लेम को कराड से रेल द्वारा जोड़ना

1397. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में रत्नगिरि को कोल्हापुर से तथा चिप्लेम को कराड से रेल द्वारा जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में लम्बित पड़ा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल की सातवीं योजना में चन्दिया नदी का नियंत्रण

1398. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मिदनापुर जिले में चन्दिया नदी ने पिछले वर्ष भारी वर्षा के दौरान तथा उससे पहले भी कई बार पिंगला तथा समीपवर्ती पुलिस स्टेशनों के कृषकों का भारी नुकसान किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार चन्दिया नदी के नियंत्रण को सातवीं योजना में सम्मिलित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि उपर्युक्त का उत्तर नकारात्मक है तो क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार मिदनापुर जिले में पिंगला पुलिस स्टेशन क्षेत्र में चन्दिया नदी में, उसके तल में गाद भर जाने के कारण पिछले कुछ वर्षों से नुकसान हो रहा है।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने चंदिया नदी को पुनः उसकी पुरानी स्थिति में लाने हेतु एक स्कीम तैयार की है और इस स्कीम को राज्य की सातवीं योजना के प्रारूप में शामिल किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिजली की बढ़ती हुई आवश्यकता

1399. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी पन बिजली परियोजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) इन प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सातवीं योजना में विद्युत कार्यक्रम के आकार को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और यह साधनों की उपलब्धता जैसे पहलुओं पर निर्भर करेगा।

समेकित बाल विकास सेवा योजना से भिन्न विशेष पोषण कार्यक्रम को समाप्त करने के कारण

1400. **श्री के० राममूर्ति** : क्या समाज और महिला कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित बाल विकास सेवा योजना से भिन्न विशेष पोषण कार्यक्रम का विस्तार समाप्त करने के क्या कारण हैं;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय क्षेत्र में परिव्यय की धनराशियों का कम उपयोग किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) पोषण स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान और स्वच्छता के संबंध में समेकित शिक्षा की योजना के अन्तिम रूप देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) विशेष पोषाहार कार्यक्रम 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार प्रदान करने के लिए चौथी योजना में शुरू किया गया था। यह महसूस किया गया कि बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य और पोषाहार स्तर में और सुधार लाने के लिए पूरक-पोषाहार में स्वास्थ्य और शिक्षात्मक सेवाएं शामिल की जानी चाहिए।

अत: समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई० सी० डी० एस०), गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्य पोषाहार और शिक्षा संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। विशेष पोषाहार कार्यक्रम अब समेकित बाल विकास सेवा योजना का पूरक पोषाहार के रूप में एक अंग बन गया है। विशेष पोषाहार कार्यक्रम का विस्तार अब समेकित बाल विकास सेवा विस्तार का ही एक भाग है।

(ख) विशेष पोषाहार कार्यक्रम राज्य क्षेत्र का एक कार्यक्रम है। इसके लिए कोई केन्द्रीय परिव्यय नहीं है। समेकित बाल विकास सेवा (इसमें पूरक पोषाहार शामिल नहीं है जो राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है) के लिए केन्द्रीय परिव्यय का पूर्व उपयोग किया जाता है।

(ग) खाद्य विभाग इस योजना को अन्तिम रूप दे रहा है। इसके लिए पर्याप्त समय चाहिए था क्योंकि यह योजना अनेक मंत्रालयों/विभागों और संगठनों के परामर्श से तैयार की जानी थी जो पोषाहार, शिक्षा के कार्यकलापों से सम्बन्धित हैं।

मलेरिया की रोकथाम के लिये भारत की सहायता करने की विश्व स्वास्थ्य संघ की पेशकश

1401. **श्री एन डेनिस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल में भारत में मलेरिया की रोकथाम के लिये भारत सरकार की सहायता करने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) हां, देश में मलेरिया पर नियन्त्रण पाने के लिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन काफी अर्से से सरकार के साथ सम्बद्ध है। विश्व स्वास्थ्य संगठन विदेश में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए शिक्षावृत्तियां देता है। कार्यक्रम की गतिविधियों को आंकने/मूल्यांकन करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं/विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करता है, भिन्न-भिन्न श्रेणियों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए सहायता देता है, टैस्ट किट जैसे उपकरण और अनिवार्य सामग्री की सीमित सप्लाई करता है, कई अनुसंधान परियोजनाओं की सहायता करता है, बंगलादेश, नेपाल, बर्मा, मालदीव, भूटान, श्री लंका जैसे सीमावर्ती देशों के साथ मलेरिया रोधी कार्यकलापों में तालमेल स्थापित करता है और सीडा की सहायता से चलाए जाने वाले पी फाल्सीपरम रोकथाम कार्यक्रम के प्रति राष्ट्र द्वारा किए गए प्रयासों में भी सहायता करता है।

इन्द्रावती परियोजना

1402 **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्द्रावती परियोजना की मूल अनुमानित लागत कितनी है और इस परियोजना के पूरा होने की निर्धारित अवधि कितनी है;

(ख) क्या परियोजना निर्धारित समय में पूरी होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार का विचार क्या उपचारात्मक उपाय करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) अपर इन्द्रावती बहुद्देशीय परियोजना की मूल अनुमानित लागत 208.14 करोड़ रुपए है और इसे 1987-88 में पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

(ख) परियोजना को मूल आयोजना के अनुसार पूरा किए जाने की संभावना नहीं है।

(ग) इस परियोजना को शीघ्रता से पूरा किए जाने के लिए अपेक्षित परिव्यय उपलब्ध कराने हेतु राज्य पर समय-समय पर जोर डाला जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के जल विद्युत घटक के लिए लगभग 326.4 मिलियन अमरीकी डालर का आई० डी० ए०—क्रेडिट तथा आई०बी०आर०डी० ऋण सहायता प्रदान की गई है। केन्द्र इस परियोजना की मानीटरी भी कर रहा है और राज्य को सीमेंट तथा संरचनात्मक इस्पात जैसी दुर्लभ सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान कर रहा है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रबन्ध अध्ययन से असंगत पद

1403. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कोई प्रबन्ध सम्बन्धी अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रतिवेदन के अनुसार अनेक असंगत पदों का सृजन किया है; और

(ग) ऐसे पदों का ब्यौरा क्या है, जो इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रतिवेदन के अनुसार हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा आयोजित केन्द्रीय विद्यालय संगठन की प्रबन्ध अध्ययन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जो तेजी से विस्तार होने वाला संगठन है, की वास्तविक वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं पर भी उच्च स्तरीय समिति द्वारा ध्यानपूर्वक विचार किया गया था । इस समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर कई पदों का सृजन किया गया है । तीन नए क्षेत्रीय कार्यालयों की स्टाफ सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त पदों का भी सृजन किया गया है । उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर सृजित पदों की कुल संख्या तथा नए क्षेत्रीय कार्यालयों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा किए गए प्रबन्ध अध्ययन में अनुशासित अतिरिक्त पदों की संख्या से अभी भी कहीं ज्यादा कम हैं ।

औषधि पूर्ति प्रणाली के प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यशाला

1404. **श्री के० प्रधानी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में हाल ही में औषधि पूर्ति प्रणाली के प्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई कार्यशाला आयोजित की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां पर इस धारणा का खण्डन किया गया कि बीमारियों में औषधियों के प्रति अवरोधक शक्ति विकसित हो गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) इस कार्यशाला का ऐसे किसी भी प्रकार के औषध-निरोधी पहलू से सम्बन्ध नहीं था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंकी रेलवे यार्ड कानपूर के ऊपर रेलवे ऊपरी पुल का निर्माण

[हिन्दी]

1405. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पंकी रेलवे यार्ड कानपुर के ऊपर एक रेलवे ऊपरी पुल के निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना का ब्यौरा क्या है और इस पर किस तारीख से काम शुरू होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार की नीति क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) पनकी रेलवे यार्ड (कानपुर) पर होकर एक ऊपरी पैदल पुल, जो प्लेटफार्मों को भी मिलायेगा, की व्यवस्था करने का प्रस्ताव लगभग 13.30 लाख रुपये की लागत से 1985-86 के बजट में शामिल कर लिया गया है। विस्तृत खाके और आकलन तैयार करने का काम शुरू किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली के मेडिकल कालेजों में स्थानीय छात्रों के कोटे को कम करने का प्रस्ताव

[अनुवाद]

1406. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के मेडिकल कालेजों में स्थानीय छात्रों के कोटे को कम करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय ने बताया है कि वर्ष 1985-86 से कुल सीटों में से पहली 30 सीटें (जो 79 बैठती है) ओपन कम्बाइंड मैरिट लिस्ट से भरी जाएंगी जबकि पहले की व्यवस्था के अनुसार पहली

50 सीटें कम्बाइंड मैरिट लिस्ट से भरी जाती थीं। यह निर्णय भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1984 में दिये गये फैसले पर आधारित है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सूचित किया है कि एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए स्थानीय छात्रों का कोई कोटा नहीं है।

दिल्ली के मैडिकल कालेजों में निष्पक्ष प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु कार्यवाही

[हिन्दी]

1407. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह**: क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है कि दिल्ली मेडिकल कालेजों में एम०बी०बी०एस० आदि में प्रवेश के लिये होने वाली प्रवेश परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो, जैसा कि पिछले वर्ष हुआ था ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिए 1984 में प्रवेश परीक्षा में कदाचार के आरोपों का पता लगने पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने भविष्य में इन परीक्षाओं में ऐसे कदाचार न हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किये जाने वाले उपचारक, उपायों की जांच करने के वास्ते एक समिति नियुक्त की। विश्व विद्यालय द्वारा उठाये गये उपाय निम्नलिखित हैं :

(1) एक अलग से दाखिला परीक्षा यूनिट स्थापित किया जा रहा है, जिसमें एक संयुक्त परीक्षा नियन्त्रक और संगणक केन्द्र का निदेशक होगा।

(2) उत्तर पुस्तिका भरने के लिए स्याही के प्रयोग की अनुमति दी जायेगी।

(3) परिणामों के संगणक का कार्यक्रम अधिक परिष्कृत होना चाहिए, संगणक विज्ञान के वारिष्ठ अनुभवी प्रोफेसरों के परामर्श से तैयार किया जाना चाहिए और इसका उपयोग करने से पहले किसी अन्य एजेन्सी द्वारा पुनरीक्षण भी किया जाना चाहिए।

(4) दो अलग-अलग परिणाम तैयार किये जाने चाहिए और इन दोनों को बाद में मिला कर यह देखना चाहिए कि इनमें कोई विसंगति तो नहीं है।

(5) इस कार्य में लगाये गये व्यक्तियों की संख्या कम-से-कम होनी चाहिए।

(6) परीक्षकों के बोर्ड द्वारा प्रश्न पत्र तैयार किया जाना चाहिए और विभागाध्यक्ष उसका निर्णायक होगा। निर्णायक पत्रों के चार सैट तैयार करेगा, जिसमें से एक का परीक्षा में उपयोग किया जाएगा।

राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं

[अनुवाद]

1408. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र द्वारा राजस्थान राज्य में आरम्भ की गई सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनको पूरा करने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है और इन परियोजनाओं के द्वारा कितने क्षेत्र की सिंचाई किये जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अधीन इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (रा० न० परि०) स्तर-एक, चम्बल परियोजना तथा गंग भाखड़ा परियोजना पांचवी योजना अवधि से केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर रही है। माही बजाजसागर परियोजना को केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अधीन वर्ष 1983-84 से शामिल किया गया था।

(ख) जिन कार्यकलापों के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है, उनके सम्बन्ध में अब तक की गई प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है। इन परियोजनाओं से संभावित सिंचित क्षेत्र निम्न प्रकार है :—

हजार हेक्टेयर में

परियोजना	सिंचाई योग्य कमान क्षेत्र	सिंचित किए जाने वाला सम्भावित क्षेत्र	1983-84 तक सृजित क्षमता	1983-84 तक सिंचित क्षेत्र
इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (रा० न० परि०) स्तर-एक	540	540	441	398
चम्बल परियोजना	229	219	204.7	200.9
गंग भाखड़ा परियोजना	681	541.52	541.52	541.52
माही बजाज सागर परियोजना	80	80	30	12.88

विवरण

(हजार हेक्टेयर में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	सिंचाई योग्य कमान क्षेत्र	1982-84 के अन्त तक संचयी उपलब्धियां		
			खेत नालियां	भूमि समतलन	वाराबन्दी
1.	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (रा० न० परि०) स्तर-एक	540	253.12	30.52	253.12
2.	चम्बल परियोजना	229	39.3	35.85	35.87
3.	माही बजाज सागर परियोजना	80	31.5	—	—
4.	गंग भाखड़ा परियोजना	681	17.71	—	541.12

एम० वी० चिदम्बरम् में लगी आग के शिकार यात्रियों को प्रतिपूर्ति

1409. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अत्याधिक आरामदेह पर्यटक पोत एम० वी० चिदम्बरम् में 12 फरवरी, 1985 को लगी आग के परिणामस्वरूप कितने लोग मारे गए;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने जान और माल की हानि के लिए प्रतिपूर्ति की मंजूरी देने से इन्कार कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस विषय पर भारतीय वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम और अन्तराष्ट्रीय परिपाटियों के प्रावधानों के विरुद्ध है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) आग की दुर्घटना के बाद उन्नीस शव/खोपड़ियां मिली हैं।

(ख) सरकार को भारतीय वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम की किसी धारा या भारत सरकार द्वारा पुष्ट किए गए किसी अंतर्राष्ट्रीय करार के तहत यात्रियों के जान-माल की क्षति के

लिए कोई मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। तथापि, भारतीय नौवहन निगम द्वारा दुर्घटना में मृत प्रत्येक व्यक्ति के निकट सम्बन्धी को 10,000/—रुपए अनुग्रह राशि के रूप में दिए जा रहे हैं। पुनः 271 यात्रियों में से प्रत्येक को जिनका सामान नष्ट हो गया, 500 रुपए अनुग्रह राशि के रूप में दी गई है।

(ग) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केन्द्रीय विद्यालयों से दाखिला

1410. **श्री जी० पी० रामाराव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिल्ली तथा अन्य शहरों में अपने बच्चों को केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिल कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितने दाखिले दिये जाते हैं और देश में केन्द्रीय विद्यालयों में कितने आवेदन प्राप्त होते हैं; और

(ग) क्या सरकार, स्थान की समस्या के हल होने तक केन्द्रीय विद्यालयों में 2-3 शिफटें चलाने के बारे में विचार करेगी ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) दाखिलों के आवेदन-पत्रों का रिकार्ड एक वर्ष के बाद नहीं रखा जाता है। अतः पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों में प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना देना सम्भव नहीं है।

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान दिए गए दाखिलों तथा शैक्षिक सत्र 1984-85 के आरम्भ में प्राप्त आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

क्षेत्रीय महाप्रबन्धक के रिक्त पद

1411. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में क्षेत्रीय महाप्रबन्धक के कितने पद खाली पड़े हैं और कब से;

(ख) क्या इससे रेलवे की निर्णय लेने संबंधी प्रक्रिया पर कोई कुप्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा यह नियुक्तियां कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबन्धक का कोई भी पद रिक्त नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

समुद्रीय धोखाधड़ियां

1412. **श्री के० प्रधानी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मास में आरम्भ में बम्बई में हुए अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रीय और वाणिज्यिक धोखाधड़ियों संबंधी सेमिनार के अनुसार समुद्रीय धोखाधड़ियों के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इन धोखाधड़ियों का मूल कारण क्या है और स्पष्ट चूक के मामले में सरकार द्वारा क्या दण्डात्मक कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या यह सुझाव दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंकको गन्तव्य पत्तन पर माल की सुपुर्दगी सिद्ध हो चुकने तक भारत में स्टीमर एजेन्टों द्वारा माल भाड़े की रकम की अदायगी रोके रखने संबंधी आवश्यक शक्तियां प्रदान की जायें; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसका धोखाधड़ियों को रोकने के लिए अन्य क्या उपाय करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) समुद्री वाणिज्य में धोखाधड़ी नौवहन उद्योग में विश्वव्यापी मन्दी आदि कई कारणों से बढ़ रही है। इसके परिणामस्वरूप जहाजों को पर्याप्त माल नहीं मिल पाता है और वे गैरकानूनी धन्धे की ओर तेजी से आकृष्ट हो रहे हैं। चूंकि ये मामले वाणिज्यिक होते हैं इसलिए सरकार धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। इस संबंध में उचित कार्रवाई करने की जिम्मेदारी उद्यमकर्त्ताओं पर आती है।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने ट्रैम्प ऑपरेटर्स द्वारा की जाने वाली समुद्री धोखाधड़ी को रोकने के लिए उपायों के सम्बन्ध में सुझावे देने के लिए एक कार्यदल नियुक्त किया था। इसमें उपरोक्त

"ग" भाग में दिया गया सुझाव भी शामिल है, जिसे सरकार ने सिद्धांत रूप से स्वीकार किया है। उक्त कार्यदल ने कुछ अन्य उपाय भी सुझाये हैं जैसे नौवहन एजेंटों को लायसेंस देकर नियंत्रित करना, जहाजों द्वारा माल भेजने वाले व्यापारियों आदि से जिन नौवहन एजेंटों ने भाड़ा वसूल कर लिया है, उन्हें जब तक वे माल न पहुंचा दें, तब तक अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होने देना।

आन्ध्र प्रदेश में विवाह और गर्भधारण की आयु

1431. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **समाज और महिला कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 फरवरी, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह की औसत आयु अभी भी 13 वर्ष है और गर्भाधान की आयु 15 वर्ष से 35 वर्ष के बीच है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज और महिला कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती एम० चंद्रशेखर) : (क) जी, हां।

(ख) बाल विवाह निषेध अधिनियम् की किसी भी धारा का उल्लंघन, न्यायालय में अभियोग द्वारा दण्डनीय है। सरकार ने बाल विवाह के कुपरिणामों के बारे में जनसंचार माध्यम से प्रचार द्वारा और स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करते हुए लोगों को शिक्षित करने के लिये कदम उठाए हैं।

बाल विवाह निषेध अधिनियम का 1978 में संशोधन किया गया था जिसमें लड़कियों के लिए विवाह की आयु 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष और लड़कों के लिए आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है।

बदरपुर ताप बिजली केन्द्र के कर्मचारियों की समस्याओं की जांच करने हेतु नियुक्त समिति के निष्कर्ष

1414. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री बदरपुर के कर्मचारियों के राष्ट्रीय ताप बिजली निगम में स्थानान्तरण के बारे में 17 अप्रैल, 1984 के तारांकित प्रश्न संख्या 709 के भाग (क) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत विभाग ने बदरपुर ताप बिजली केन्द्र के कर्मचारियों की कार्मिक समस्याओं की जांच करने हेतु कोई समिति नियुक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने बदरपुर स्थित बदरपुर ताप बिजली केन्द्र के उन केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के जिनका उल्लेख उपर्युक्त उत्तर में किया गया है, मामलों पर भी विचार किया है जिन्हें न तो राष्ट्रीय ताप बिजली निगम में खपाया गया है और न ही गत सात वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ताप बिजली निगम अथवा उनके मूल विभाग अर्थात केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उनकी पदोन्नति के बारे में विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति के निष्कर्ष क्या हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या बदरपुर कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने भी उपर्युक्त समिति को इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

(घ) और (ङ) जी हां, समिति ने ज्ञापन पर विचार किया था।

स्कूली पाठ्यक्रम में 'स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास' को स्थान देना

1415. **श्री मोहन लाल पटेल**
कुमारी ममता बनर्जी } : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास को सभी स्कूली छात्रों के लिए निवार्य विषय बनाये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न स्तरों अर्थात् प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूल स्तरों पर मिल किये जाने वाले पाठ्यक्रम की मोटे रूप से रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी दिशा निर्देश तैयार करने के लिए किसी समिति का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) सभी स्कूली छात्रों के लिए भारती स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास का श्रेणीबद्ध परिचय प्रदान करने के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाओं की नीति तैयार करने के लिए भारत सरकार ने विशेषज्ञों का एक कार्यदल गठित किया है। कार्यदल को इस सम्बन्ध में संचालनात्मक रूपरेखाओं और स्वतंत्रता आन्दोलन के अध्ययनार्थ एक मॉडल, श्रेणीबद्ध पाठ्य-विवरण का सुझाव देने का कार्य भी सौंपा गया है। कार्यदल ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद

1416. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की स्थापना न किए जाने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : सड़क सुरक्षा समिति ने वर्ष 1983 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी। सड़क सुरक्षा उपायों की योजना बनाने और उसके कार्यान्वय के लिए इसकी सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया और यह अनुभव किया गया कि इस प्रकार की किसी परिषद की स्थापना जरूरी नहीं है तथा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को अपने स्तर पर सड़क सुरक्षा उपायों की योजना बनाने, उसे कार्यान्वित करने और इन उपायों की देखरेख करने के लिए अपने अपने यहां सड़क सुरक्षा सेल बनाने चाहिए। राज्य सरकारों से उक्त सेल के गठन के लिए अनुरोध किया गया था।

उत्तर प्रदेश में फैजाबाद बाई पास योजना

[हिन्दी]

1417. **श्री निर्मल खत्री** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में फैजाबाद बाई पास योजना काफी वर्षों से लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस योजना पर निर्णय कार्य कब तक आरम्भ होगा ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय के राज्य (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) : जी हां। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर फैजाबाद बाई पास के निर्माण के लि

1971 में मंजूरी दी गई थी। इसके लिए भूमि अधिगृहीत की जा चुकी है। तथापि, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की मौजूदा खामियों को दूर करने के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता है, उसके अनुसार पर्याप्त आबंटन नहीं होने के कारण पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं में बाई पासों के निर्माण की कम प्राथमिकता दी गई थी।

(ग) इस निर्माण कार्य को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के बारे में विचार किया जाएगा, जो धन की सकल उपलब्धता और इस निर्माण की तुलना में अखिल भारतीय स्तर पर प्राथमिकताओं पर निर्भर है। अभी सातवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विदेशों से ऋण/सहायता और विभागीय मशीन का आयात

[अनुवाद]

1418. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन-से देश हमें ऋण/सहायता दे रहे हैं अथवा विभागीय मशीनों का निर्यात कर रहे हैं;

(ख) हम कब से उनका आयात कर रहे हैं (देश-वार स्थिति सहित गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार खर्च की गई धनराशि बतायें);

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक आत्मनिर्भरता प्राप्त किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) सम्प्रति, भारत सरकार की भारतीय रेलों के लिए निम्नलिखित देशों ने वित्तीय सहायता प्रदान की है :—

(1) यूनाइटिड किंगडम

(2) जापान

(3) सऊदी अरब

जिन देशों से अधिकांश उपकरणों/सामान का आयात किया जा रहा है वे है आस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जापान, पोलैंड, रोमानिया, स्विटजरलैंड, दक्षिण कोरिया, यू० के०, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम जर्मनी।

(घ) भारतीय रेलों पर यथा आवश्यक मशीनों/सामान का समय समय पर आयात किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, रेल मंत्रालय ने अपने विभाग के लिए संलग्न विवरण में निर्दिष्ट विभिन्न देशों से मशीन/सामान का आयात करने का प्राधिकार दिया है।

(ग) और (घ) अपनी आवश्यकताओं के बारें में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तत्परता से प्रयत्न किया जा रहा है। यह एक सतत प्रक्रिया है तथा देश के कार्यकलापों के विभिन्न पहलुओं में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से, भारत में उपलब्ध तकनीक को आधुनिक बनाने और अद्यतन करने के लिए पहले से ही विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में किए गए उपायों का ब्यौरा भारतीय रेल वार्षिकी 1983-84 के अध्याय "आत्मनिर्भरता की ओर" में दिया गया है जिसे 14.3.84 को वर्ष 1985-86 के रेलवे बजट के साथ संसद में प्रस्तुत किया गया था।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

	आस्ट्रिया	ब्राजील	कनाडा	चीन	फ्रांस	जापान	पोलैंड	रोमानिया	स्विटजरलैंड	द० कोरिया
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1984-85 (18.3.85 तक)	0.5	6.3	0.5	0.3	13.5	5.4	12.8	5.6	3.2	1.9
1983-84	—	5.6	—	—	12.0	14.0	9.5	2.9	2.0	17.2
1982-83	3.9	4.2	0.4	4.7	4.8	33.0	6.2	7.4	5.8	2.2

	यू० के०	संयुक्त राज्य अमेरिका	पश्चिम जर्मनी	अन्य	जोड़
	11	12	13	14	15
1984-85 (18.3.85 तक)	9.6	12.8	19.2	11.8	103.4
1983-84	28.7	27.6	29.4	25.5	174.4
1982-83	6.0	33.3	13.2	2.9	128.8

राजघाट बांध के अन्तर्गत नहर कार्य पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाने वाला व्यय

[हिन्दी]

1419. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेतवा नदी पर राजघाट बांध के अन्तर्गत नहर कार्य पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा कितना व्यय किए जाने का अनुमान है और उनके द्वारा अलग-अलग राशि व्यय की जा चुकी है;

(ख) कितना कार्य अभी और किया जाना शेष है;

(ग) क्या नहर के कार्य में पूर्व निर्धारित अनुसूचित लक्ष्य के अनुसार प्रगति हो रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में राजघाट नहर परियोजना की अनुमानित लागत 82.64 करोड़ रुपये है। परियोजना पर मार्च, 1985 तक 8.32 करोड़ रुपये व्यय होने की प्रत्याशा है।

उत्तर प्रदेश में राजघाट नहर परियोजना की अनुमानित लागत 45 करोड़ रुपये है। परियोजना पर मार्च 1985 तक 14.42 करोड़ रुपये व्यय होने की प्रत्याशा है।

नहर के निर्माण कार्य क्रियान्वयन की आरम्भिक अवस्था में हैं।

(ग) और (घ) राजघाट नहर परियोजनाओं पर लक्ष्य के अनुसार प्रगति न हो पाने का मुख्य कारण इन परियोजनाओं के लिए दोनों राज्यों द्वारा पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने में असमर्थता है।

राजघाट बांध का निर्माण

1420. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेतवा नदी पर बनाए जाने वाले बांध की मूल और वर्तमान अनुमानित लागत क्या है;

(ख) इसे कब तक पूरा किया जाना था इसके पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं और यह बांध कब तक पूरा होगा;

(ग) इस बांध पर अब तक कितना काम पूरा हो चुका है और दिसम्बर, 1984 तक इस बांध पर कितनी राशि व्यय की गई है;

(घ) राजघाट बांध के निर्माण के कारण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पृथक-पृथक कितने गांव जल प्लावित होंगे और उससे कुल कितने लोगों के प्रभावित होने की सम्भावना है; और

(ङ) कितने प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया गया और उनका पुनर्वास किया गया और उस पर कितनी राशि व्यय हुई और बाकी के कितने प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और उनका पुनर्वास करने का विचार है और यह कब तक किया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) :(क) योजना आयोग ने राजघाट बांध परियोजना को 123.22 करोड़ रुपए की लागत से जुलाई, 1980 में स्वीकृत किया था। इस परियोजना की लागत इस समय लगभग 185 करोड़ रुपए आंकी गई है।

(ख) परियोजना को मूल रूप में जून, 1986 तक पूरा किया जाना था। तथापि, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गई अपर्याप्त निधियों के कारण, बांध को पूरा करने में विलम्ब हुआ। बांध को सातवीं योजना के अन्त तक पूरा करने का प्रस्ताव है।

(ग) दिसम्बर, 1984 तक चिनाई बांध तथा मिट्टी के बांध पर क्रमश: लगभग 20 प्रतिशत तथा 80% तक कार्य पूरा हो गया था। परियोजना पर दिसम्बर, 1984 तक किया गया कुल व्यय 60.18 करोड़ रुपए है।

(घ) राजघाट बांध के निर्माण से उत्तर प्रदेश के 44 गांव तथा मध्य प्रदेश के 31 गांव जलमग्न होंगे जिससे उत्तर प्रदेश में 10,662 व्यक्ति तथा मध्य प्रदेश में 8105 व्यक्ति प्रभावित होंगे।

(ङ) उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में भुगतान की गई मुआवजे की राशि क्रमश: 260 लाख रुपए तथा 394 लाख रुपये है जिससे उत्तर प्रदेश में 23 गांव तथा मध्य प्रदेश में 19 गांव कवर होंगे। शेष भूमि के लिए मुआवजे को तय किया जाएगा और जैसे-जैसे बांध के निर्माण कार्यों की प्रगति होगी, क्रमिक रूप से इसका भुगतान किया जाएगा। मकानों तथा अन्य सम्पत्तियों के मुआवजे के मामलों पर भी कार्यवाही की जा रही है। किसी भी व्यक्ति को अभी हटाया नहीं गया है तथा पुनर्वास नहीं किया गया है।

भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा पश्चिम बंगाल में मेडिकल कालेजों को मान्यता प्रदान करने से इन्कार किया जाना

[अनुवाद]

1421. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने पश्चिम बंगाल के कुछ मेडिकल कालेजों को

दीर्घावधि/स्थायी मान्यता प्रदान करने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मेडिकल कालेजों में किस प्रकार की अनियमितताओं का पता चला है; और

(घ) इन मेडिकल कालेजों के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) भारतीय आयुविज्ञान परिषद ने सूचित किया है कि उनके द्वारा किये गये अनेक निरीक्षणों से यह पता चला कि केवल नार्थ बंगाल मेडिकल कालेज, सुशुराथनगर, सिलीगुरी, पश्चिमी बंगाल को क्लीनिकल प्रशिक्षण और अध्यापन स्टाफ के रूप में प्रदान की गयी सुविधायें अपर्याप्त थीं।

तदनुसार भारतीय आयुविज्ञान परिषद ने कालेज के अधिकारियों को सलाह दी है कि वे इन कमियों को दूर करें और उन्होंने 30 अप्रैल, 1986 तक एम० बी० बी० एस० की डिग्री को अस्थायी मान्यता दे दी है।

इस डिग्री को स्थायी रूप से मान्यता देने के लिए भारतीय आयुविज्ञान परिषद कालेज के अधिकारियों द्वारा भेजी गयी अनुपालन रिपोर्ट को ध्यान में रखेगी।

भोपाल गैस दुर्घटना का भ्रूणों, नवजात शिशुओं और वृद्ध व्यक्तियों पर प्रभाव

[हिन्दी]

1422. **श्री विलास मुतेमवार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल गैस दुर्घटना का भ्रूणों, नवजात शिशुओं और वृद्ध व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) इससे कितने भ्रूण नवजात शिशु पन्द्रह साल तक के बच्चे और वृद्ध व्यक्ति प्रभावित हुये; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) अध्ययन के परिणामों से अभी तक यह पता नहीं चला है कि भ्रूणों और नवजात शिशुओं में हुई असामान्यताओं की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वृद्ध व्यक्तियों पर जो प्रभाव पड़ा है, वह लगभग वैसा ही है, जो अन्य आयु-वर्गों के व्यक्तियों पर पड़ा है।

(ग) सरकार ने लोगों के घरों पर ही चिकित्सा परिचर्या की व्यवस्था करने के लिए

कदम उठायें हैं और प्रभावित जनता का पता लगाने के लिए अनुवर्ती अध्ययन शुरू कर दिये हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने, राक्सिक गैस के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए भोपाल के स्थानीय वैज्ञानिकों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान की है। तकनीकी मेन-पावर और उपकरणों की व्यवस्था करके भोपाल में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर दिया गया है।

परियोजना के पूरा होने के बाद फालतू हुए श्रमिकों के लिए वैकल्पिक रोजगार

[अनुवाद]

1423. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ऐसे कर्मचारियों के बारे में कोई नीति है जो परियोजनाओं के पूरा होने के बाद फालतू हो जाते हैं;

(ख) क्या सरकार इन फालतू हुए श्रमिकों को अन्य चालू परियोजनाओं में रोजगार देने के लिए कदम उठा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) जहां तक संभव होता है फालतू हुए कर्मचारियों को अन्य परियोजनाओं पर खपाने के प्रयास किए जाते हैं। जिन कर्मचारियों को खपाया नहीं जा सकता उनको नियमों के अधीन तथा अनुज्ञेय छटनी मुआवजा दिया जाता है।

स्लेक कोयले के लिए माल डिब्बों के कोटे का आबंटन

[हिन्दी]

1424. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड स्लेक कोयले के लिए माल डिब्बों का आवंटन किन आधारों पर करता है;

(ख) किन-किन राज्यों ने रेलवे बोर्ड को रेल डिब्बों का अपना कोटा बढ़ाए जाने के बारे में विशेष रूप से लिखा है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) परिवहन के लिए रेल डिब्बों के पूर्वनिर्धारित कोटे में कटौती के क्या कारण हैं और क्या मंत्रालय इस कटौती को बहाल करने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) किसी उपभोक्ता का स्लैक कोयले का कोटा उसकी प्राथमिकता, पिछले वर्षों के दौरान वास्तविक खपत तथा प्रायोजक प्राधिकारी की सिफारिश पर निर्भर करता है।

(ख) हाल ही में गुजरात राज्य ने स्लैक कोयले के कोटे में वृद्धि करने के बारे में लिखा है। स्लैक कोयले की कुल उपलब्धता, परिवहन क्षमता तथा अन्य प्राथमिकता वाले अन्य क्षेत्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए गुजरात राज्य के लिए आबंटन में वृद्धि करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है। इसके अतिरिक्त गुजरात के उपभोक्ता 1984 में स्वीकृत कोटे के लिए भी कार्यक्रम नहीं बना पाये हैं।

(ग) और (घ) कोयला और परिवहन की वास्तविक उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1984 के लिए कोटे में कमी कर दी गयी थी ताकि इन्हें अधिक वास्तविक रूप दिया जा सके 1984 से पूर्व कोटा बहुत अधिक था जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक आबंटन तथा माल डिब्बों की सप्लाई करते समय कटौती करनी पड़ती थी। कोयला तथा परिवहन की उपलब्धता मौजूदा कोटे से अधिक होने पर रेलें कोटे में संशोधन करेंगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए पदों का आरक्षित कोटा

[अनुवाद]

1425. **प्रो० मनोरंजन हाल्दर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी जोनल रेलवे, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों पर कोटे के अनुसार नियुक्तियां नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) अन्य कर्मचारियों की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की जोन-वार संख्या कितनी है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी नहीं। क्षेत्रीय रेल वर्तमान नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पदों का आरक्षित कोटा रख रही हैं जो सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालयों द्वारा लगाये गए प्रतिबन्धों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवारों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें 31.3.1984 की अन्य कर्मचारियों की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के जोन-वार उपलब्ध नवीनतम आंकड़े दिये गये हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 716/85]

अधिकतम गति सीमा पर रोक

1426. **श्री संफुद्दीन चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में अधिकतम गति सीमा को बढ़ाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गति सीमा पर लगे इन प्रतिबन्धों को हटाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी नहीं। गति प्रतिबंध वाले रेल पथ की सीमा 31.3.1983 के 2356 कि० मी०. से घटकर 31.1.1985 को 1903 कि० मी० रह गयी थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलपथ नवीकरण की गति बढ़ायी जा रही है। 1984-85 में, 300 करोड़ रुपये की शुद्ध लागत से लगभग 2500 कि० मी० रेलपथ के नवीकरण कर दिये जाने की आशा है। 1985-86 के लिये, 415 करोड़ रुपए (शुद्ध) (494 करोड़ रुपए सकल) की व्यवस्था की गयी है और 3000 कि० मी० लम्बे रेलवे पथ का नवीकरण करने का प्रस्ताव है। सातवीं योजना (1985-90) के प्रारूप में लगभग 2500 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 21,000 कि० मी० रेलपथ के नवीकरण करने का विचार किया गया है।

मेडिकल शिक्षा का माध्यम

1427. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में मेडिकल शिक्षा अंग्रेजी में देने के बारे में सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार यह शिक्षा तमिल भाषा में देने की इच्छुक है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने, जो देश में चिकित्सा शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, सूचित किया है

कि सभी मेडिकल कालेजों में शिक्षा के माध्यम के बारे में परिषद् द्वारा अनेक बार विचार किया गया था और परिषद् का यह मत था कि शिक्षा का वर्तमान माध्यम (अंग्रेजी) ही सभी मेडिकल कालेजों में तब तक जारी रखा जाए जब तक क्षेत्रीय भाषाओं में उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो जातीं। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को लिखा है कि चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने में हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग का वातावरण तैयार करने के लिए वे हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें और सामान्य सामग्री तैयार करवाने के लिए उपयुक्त उपाय शुरू कर दें।

(ख) और (ग) तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि भारत सरकार के सुझाव के अनुसरण में उन्होंने सरकारी मेडिकल कालेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर तमिल करने की प्रारम्भिक कार्यवाही शुरू कर दी है। यह परिवर्तन लाने के लिए प्रारम्भिक कार्य चल रहा है।

देश में बाईपास सहित हृदय शल्य चिकित्सा यूनिटों की स्थापना

1428. **श्री के० प्रधानी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाईपास शल्य चिकित्सा के लिए विदेश जाने के लिए प्रत्येक रोगी को लगभग 4 लाख रुपये की आवश्यकता होती है; और

(ख) क्या सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और इसी प्रकार के अन्य किसी स्थान पर जहां पर पहले से कुछ व्यवस्था हो, अति आधुनिक उपस्करों से युक्त बाईपास यूनिट सहित कुछ हृदय शल्य चिकित्सा यूनिट स्थापित करने की आवश्यकता पर विचार करेगी ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) विदेश में बाईपास सर्जरी के खर्च में एकरूपता नहीं है। वैसे यह अनुमान लगाया गया है कि रोगी आमतौर पर दो से पांच लाख रुपए के बीच खर्च करते हैं और यह बात इस पर निर्भर करती है कि वे किस देश से अपना इलाज करवाते हैं।

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली समेत भारत में लगभग ऐसे दस अस्पताल हैं जहां पर बाईपास कोरोनरी सर्जरी की सुविधायें उपलब्ध हैं।

जय नगर-सीतामढ़ी रेल लाइन

[हिन्दी]

1429. **श्री अब्दुल हन्नान अंसारी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जय नगर से सीतामढ़ी तक एक नयी रेल लाइन

बिछाने की योजना बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो इस लाइन के कब तक बिछाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी योजना तैयार करने के लिए सरकार कब तक आवश्यक कदम उठाएगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) जया नगर से सीतामढ़ी तक नई लाइन का निर्माण करने का, फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) संसाधनों की अत्यधिक तंगी और काम की भारी मात्रा को देखते हुए कोई भी प्रस्ताव तैयार करने का विचार नहीं है।

गैर-सरकारी संस्थानों को खाद्य सहायता

[अनुवाद]

1430. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **समाज और महिला कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में गैर-सरकारी शैक्षणिक और समाज कल्याण संस्थानों को 1982, 1983 और 1984 के दौरान खाद्य सहायता दी गयी है; यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उड़ीसा को दी गई सहायता का क्या ब्यौरा है और इसका किस तरह उपयोग किया गया ?

समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) पूरक पोषाहार कार्यक्रम राज्य क्षेत्र में आते हैं। समाज और महिला कल्याण मंत्रालय बालवाड़ियों/दिवस देखभाल केन्द्रों के माध्यम से स्कूल पूर्व बच्चों (3 5 वर्ष) के लिए एक गैर-योजना पोषाहार कार्यक्रम चलाता है। कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर के पांच स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से चलाया जाता है। फिर भी, यह कार्यक्रम निजी शैक्षिक और समाज कल्याण संस्थानों के लिए खाद्य सहायता सम्बन्धी नहीं है।

पोषाहार कार्यक्रम के लिए बाह्य सहायता "केयर" (कोपरेटिव फार अमरीकन रिलीफ ऐवरीवेयर) तथा सी० आर० एस० (कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज) से प्राप्त की जाती है। केयर खाद्य सामग्री राज्य को दे दी जाती है न कि निजी संस्थाओं को। कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज माता

और बच्चों के स्वास्थ्य, नर्सरी, शिशु सदन, स्कूल बालाहार, अन्य बालाहार, निजी स्वास्थ्य मामले संबंधी और कार्य के लिए भोजन जैसे कार्यक्रमों के लिए निजी संस्थाओं के माध्यम से खाद्यान का वितरण करता है। वर्ष 1982, 1983 और 1984 के लिए कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज से उड़ीसा को निम्नलिखित खाद्य सहायता दी गई थी :—

1982 (वास्तविक)	5 कनसायनीज	4420 मी० टन
1983 (,,)	—तदैव—	3488 मी० टन
1984 (,,)	—तदैव—	1789 मी० टन

"मेनेनजाइटिस" के उपचार के लिए औषधियों का उपलब्ध न होना

1431. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "मेनेनजाइटिस" के लिए निवारक औषधियां देश में उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या ये औषधियां पश्चिम देशों में उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन औषधियां का आयात करने के लिए कोई प्रयास किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) मेनिनजाइटिस के लिए निवारक औषधियां देश में उपलब्ध हैं। वैसे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से मेनिनगोकोकल वैक्सीन (ए०+सी०) की 1,00,000 खुराकें आयात की गई हैं तथा 5,00,000 अतिरिक्त खुराकों की सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नियुक्तियां

1432. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
श्री सैफुद्दीन चौधरी
श्री मूल चंद डागा } : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 फरवरी, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपे उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के निवृत्तमान कुलपति ने सभी निर्धारित मापदण्डों और परिपाटियों का उल्लंघन करते हुए लगभग एक

मास की अवधि के दौरान अभूतपूर्व स्तरीके से 60 से अधिक अध्यापकों की नियुक्ति की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार का इस मामले में जांच करवाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार जनवरी और फरवरी, 1985 के महीनों के दौरान विभिन्न चयन समितियों की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय ने 9 प्रोफेसरों, 16 रीडरों और 31 लेक्चररों को विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में नियुक्त किया था। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय ने योग्यता पदोन्नति योजना के अन्तर्गत इसी अवधि के दौरान 16 लेक्चररों की रीडरों के रूप में और 10 रीडरों को प्रोफेसरों के रूप में पदोन्नत किया।

अध्यापकों की नियुक्ति की जांच करने का कोई औचित्य नहीं है जब तक ये नियुक्तियां अधिनियम के प्रावधानों और विश्वविद्यालय के कानूनों के अनुसार की जाती हैं।

———

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : श्रीमन्, सबसे पहले मैं आपके वापस आने का स्वागत करता हूं। मैं आपका ध्यान विश्व के विभिन्न भागों में उग्रवादियों की गतिविधियों पर शायद चर्चा करने के लिए दी गई कई एक सूचनाओं की तरफ दिलाना चाहता हूं। आज के हिन्दुस्तान टाइम्स में एक खबर छपी है जिसमें डा० जगजीत सिंह चौहान द्वारा श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या की ऐतिहासिक अनिवार्यता के बारे में.....

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम इस मामले को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखेंगे...मैंने इसको देख लिया है।

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी : उन्होंने ब्रिटिश सरकार का उन्हें उसकी गतिविधियों के लिए सहयोग देने के लिए आभार प्रकट किया है...

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे।

प्रो० के० के० तिवारी : इसलिए, मैं निवेदन करता हूं कि सभा इस मामले पर चर्चा करें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम इस मामले को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने रखेंगे और आपसे सलाह लेकर ही कोई निर्णय लेंगे।

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी : यह एक गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से सहमत हूं।

श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव (विजयवाड़ा) : श्रीमन्, भारतीय खाद्य निगम धान की खरीद नहीं कर रहा है..

अध्यक्ष महोदय : आप लिखित रुपए में दीजिए। मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : श्री तिवारी ने जो मामला उठाया है उस बारे में क्या निर्णय है ? आज उन्होंने एक बहुत ही उचित मामला उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : हम कार्य मंत्रण समिति में देखेंगे कि इस पर कैसे विचार किया जा सकता है।

प्रो० के० के० तिवारी : आज प्रो० मधु दण्डवते के विचारों में परिवर्तन नजर आता है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : पिछली रात डी० सी० एम० ने मिल बन्द करने का नोटिस दिया है। इससे 10,000 से अधिक लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा। मैंने इस बारे में सूचना दी है...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा, आप मुझे चैम्बर में आकर मिल लें।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर): श्रीमन् हम नोटिस देते रहे हैं, किन्तु हमें अनुमति नहीं दी गई है...

अध्यक्ष महोदय : किस बारे में ?

श्री अमल दत्त : भारत सरकार का उपक्रम, बर्न स्टैन्डर्ड एण्ड कम्पनी ने अपनी दो इकाइयों के बन्द होने के बारे में नोटिस जारी किए हैं... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सभी बातें समयानुसार आती हैं। समय सीमित है और हमें समय नियत करना होता है। इस पर उसी के अनुसार चर्चा होगी...

श्री अमल दत्त : हम हर-सप्ताह ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना देते रहे हैं ..

अध्यक्ष महोदय : उन्हें रद्दी की टोकरी में नहीं फैंका गया है, उन पर विचार किया जाएगा।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : श्रीमन् कांग्रेस (आई) के छात्र संगठन, पश्चिम बंगाल छात्र परिषद् के नेतृत्व में 10,000 छात्रों ने एक जलूस निकाला है और मांग की है कि प्राइमरी स्कूल के छात्रों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाए...

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दीजिए, मैं विचार करूंगा।

कुमारी ममता बनर्जी : ज्ञापन दिए दिए जाने की अनुमति देने की बजाय उन्हें बुरी तरह से पीटा गया...

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए। कृपया बैठ जाइए। श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (हावड़ा) : मुझे थोड़ा निवेदन करना है। मैंने एक मामले से सम्बन्धित कई सूचनाएं दी हैं। सारी सभा इस बारे में मुझसे सहमत होगी। यह पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक जूट मिल बन्द होने के बारे में है। मैंने वाणिज्य मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया...

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे चेम्बर में आइये। हम इस पर विचार करेंगे।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : ऐसा समाचार है कि अन्तर्राष्ट्रीय वायुपत्तन प्राधिकरण ने सभी नियमों की अवहेलना करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बम्बई, सदर के नजदीक एक पांच सितारा होटल के निर्माण की अनुमति दी है...

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार किसी भी मामले पर चर्चा नहीं कर सकता।

श्री सुरेश कुरुप : मैंने इस बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा। मैं सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा नहीं कर सकता। मुझे फैसला करना है।

श्री सुरेश कुरुप : मैंने दो विशेषाधिकार प्रस्तावों की भी सूचना दी है...

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन पर स्पष्टीकरण मांगा है। मुझे आपके विशेषाधिकार प्रस्तावों की सूचना मिल गई है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बडागरा) : मैंने कई दफा तमिलों और श्रीलंका के शरणार्थियों के बारे में प्रस्तावों की सूचना दी है और हम-सब इस बारे में क्षुब्ध हैं...

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने अभी तक इस पर चर्चा नहीं की है ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजपुर) : इस पर पिछली लोक सभा में चर्चा की गई थी ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : हम आपसे बार-बार अनुरोध करते रहे हैं...

अध्यक्ष महोदय : हमने पहले ही फैसला कर लिया है ..

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : इस पर तत्काल विचार किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : पहले ही इस पर कार्य मंत्रणा समिति में विचार किया जा चुका है । किसी अन्य कारण से इसे स्थगित कर दिया होगा । लेकिन हम इस पर चर्चा करेंगे ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : कुछ दिन पहले गृह मन्त्री ने सोवियत संघ के राजनयिक द्वारा दूसरे देश में शरण लिए जाने के बारे में एक वक्तव्य दिया था । उन्होंने बताया था कि वह अमेरिका सरकार से तथ्यों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें वह जानकारी प्राप्त हो गई है । इसलिए एक अन्य वक्तव्य दिया जाए...

(व्यवधान)

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : कुछ प्रवर्तन अधिकारियों ने...(*)..., छापा मारा था....

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है । यह हमारा कार्य नहीं है । यह राज्य का विषय है ।

श्री ललित माकन (दक्षिण दिल्ली) : दिल्ली की कपड़ा मिलें बुरी हालत में हैं...

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार नहीं । आप सूचना दीजिए...

श्री ललित माकन : यह एक अति महत्वपूर्ण मामला है—डी०सी०एम० को बन्द होने...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । मेरे पास इस बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है । मैं इस पर निर्णय लूंगा ।

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

12.06 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे

[अनुवाद]

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री बी०शंकरानन्द) : मैं नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के 30 जून, 1984 को समाप्त हुए वर्ष से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे सभा पटल पर रखता हूं।

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 601/85**]

रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, सिल्चर वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा और सरदार बल्लभ भाई रीजनल कालेज ऑफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी, सूरत, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक लेखे।

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) रीजनल इन्जीनियरिंग काले, सिल्चर, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, सिल्चर, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 602/85**]

(2) रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 603/85**]

(3) सरदार बल्लभ भाई रीजनल कालेज आफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलोजी, सूरत के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-604/85**]

राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा तथा विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : मैं निम्नलिखित पत्र

सभा-पटल पर रखती हूं —

(एक) राष्ट्रीय होमियोपैथी संस्थान, कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय होमियोपैथी संस्थान, कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 605/85]

भारतीय पत्तन अधिनियम और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें और विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 6 की उपधारा 2ख के अन्तर्गत, मद्रास पत्तन (बन्दरगाह-यान) (संशोधन) नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 28 जनवरी 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 45 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 606/85)]

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 865 (अ) जो 20 नवम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बम्बई के निकट न्हावाशेवा पत्तन परिसर की पनवेल तक जोड़ने वाली सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है ।

(दो) का०आ० 868 (अ), जो 20 नवम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश में लखनऊ-जगदीशपुर-सुल्तानपुर-जौनपुर-वाराणसी सड़क को राजमार्ग घोषित किया गया है ।

(3) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 607/85)]

सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत पिछली अधिसूचना में संशोधन करने के लिए अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 287 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 21 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 27 जून, 1979 की अधिसूचना संख्या 141-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि खजूरों के लिए निर्दिष्ट पैकिंग का तरीका समाप्त किया जा सके, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 608/85]

12.07 म०प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महा सचिव : श्रीमन्, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे पंजाब विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1985 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 26 मार्च, 1985 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, को वापिस लौटाने और यह बताने का निर्देश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे पंजाब विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1985 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 26 मार्च, 1985 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, को वापिस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 27 मार्च, 1985 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 26 मार्च, 1985 को पारित

राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 1985 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।"

(चार) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 27 मार्च, 1985 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 26 मार्च, 1985 को पारित किए गए संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 1985 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।" **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : प्रधान मंत्री जी द्वारा की गई टिप्पणी को कार्यवाही वृतांत से निकालने के बारे में आपका निर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे कक्ष में आकर चर्चा कर सकते है।

श्री अमल दत्त : आप चाहते हैं कि हम आपके कक्ष में आपसे मिलें।

अध्यक्ष महोदय : आपका हमेशा स्वागत है।

श्री अमल दत्त : कृपया कार्यवाही-वृतान्त को देखिए·····

अध्यक्ष महोदय : इसमें कुछ भी नहीं है। इसका फैसला पहले ही हो चुका है। कृपया बैठ जाइए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उपाध्यक्ष महोदय ने अंतिम रूप से इसका फैसला कर दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष **महोदय** : कृपया बैठ जाइये। आप इसे यहां क्यों उठाना चाहते हैं ? मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। जो कुछ भी उपाध्यक्ष ने कर दिया है, वह ठीक है। जो कुछ उपाध्यक्ष ने किया है मैं उससे सहमत हूं।

श्री अमल दत्त : आपको नियमों के अनुसार चलना होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने नियमों के अनुसार ही कार्य किया है। कृपया बैठ जाइये···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : हम आपके कक्ष में आपसे मिलेंगे और इस पर चर्चा करेंगे।

12 08 म० प०

समितियों के लिए निर्वाचन

[अनुवाद]

(एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 30 नवम्बर, 1945 के शिक्षा मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ० 16-10 44-ई० 3, के पैरा 3 के खंड 1 (छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, 31 जुलाई, 1985 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 30 नवम्बर, 1945 के शिक्षा मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ० 16-10 44-ई० 3, के पैरा 3 के खंड 1(छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, 31 जुलाई, 1985 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रौद्योगिक संस्थान अधिनियम, 1961, की धारा 31 (2) (ट) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम की धारा 31(1) के अधीन स्थापित परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रौद्योगिक संस्थान अधिनियम, 1961, की धारा 31 (2) (ट) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम की धारा 31(1) के अधीन स्थापित परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) भारतीय विज्ञान संस्थान, परिषद बंगलौर

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, के विनियमों के विनियम 3.1 और 3.1.1 के साथ पठित उस संस्थान की सम्पत्तियों तथा निधियों के प्रशासन तथा प्रबन्धन की योजना के खण्ड 9(1) के उपखंड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए, भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद्, बंगलौर, के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, के विनियमों के विनियम 3.1 और 3.1.1 के साथ पठित उस संस्थान की सम्पत्तियों तथा निधियों के प्रशासन तथा प्रबन्धन की योजना के खण्ड 9(1) के उपखंड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए, भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद, बंगलौर, के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 2 के खण्ड (1) के उपखंड (उन्नीस) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय के अथवा उस विश्वविद्यालय के किसी मान्यता-प्राप्त कालेज या संस्थान के कर्मचारी नहीं होंगे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 2 के खण्ड (1) के उपखंड (उन्नीस) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय के अथवा उस विश्वविद्यालय के किसी मान्यता-प्राप्त कालेज या संस्थान के कर्मचारी नहीं होंगे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पांच) भारतीय खान स्कूल, धनबाद, की महापरिषद्

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इंडियन स्कूल आफ माइन्स (भारतीय खान स्कूल), धनबाद, के नियमों तथा विनियमों के नियम 4(दो) से (चार) तक तथा 15 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों तथा विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद, की महापरिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इंडियन स्कूल ऑफ माईन्स (भारतीय खान स्कूल), धनबाद, के नियमों तथा विनियमों के नियम 4(दो) से (चार) तक तथा 15 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों तथा विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद, की महापरिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(छः) नारियल जटा बोर्ड

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नारियल जटा उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यकाल के लिए, नारियल जटा बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नारियल जटा उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यकाल के लिए, नारियल जटा बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 377 के अधीन मामले

12.10 म० प०

(एक) गढ़-चिरौली (महाराष्ट्र) में रोजगार गारंटी योजना के उचित कार्यान्वयन की आवश्यकता

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में 1972 में जब अकाल पड़ा था उस समय एम्पलायमेंट गारंटी स्कीम प्रारम्भ की गई थी, जिससे सभी लोगों को काम दिया जा सके। पिछले साल भी महाराष्ट्र में अकाल पड़ा, उसके परिणामस्वरूप आज गांवों में हालत यह हो गई है कि लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है और काम देने के लिए सरकार के पास काम नहीं। लोगों को 2 रुपये रोज का रोजगार या बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल पा रहा है। भुखमरी की भयावह स्थिति पैदा हो गई है। गढ़ चिरौली आदि जो आदिवासी जिले हैं उनमें तो स्थिति यह है कि लोगों के शरीर पर कपड़ा नहीं और पेट में अन्न नहीं। उनकी इस दयनीय स्थिति के कारण उनका शोषण भी किया जा रहा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह महाराष्ट्र सरकार को पर्याप्त धन उपलब्ध कराये ताकि वहां के लोगों को पेट पालने के लिए काम उपलब्ध कराया जा सके अथवा फिर उन्हें बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाओं में काम पर लगाया जाये, जिससे उन लोगों को भुखमरी का सामना न करना पड़े। एम्पलायमेंट गारन्टी स्कीम को भी ठीक प्रकार लागू किया जाये ताकि इस अच्छी स्कीम का लाभ भी लोगों को मिल सके।

(दो) लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश) में सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग सुविधा की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा वर्मा (खीरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने जनपद लखीमपुर खीरी में माइक्रोवेव एस०टी०डी० लगाने के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, जिसको स्व० वर्मा जी ने सन् 1977 में जब वे स्वयं संचार विभाग में थे, स्वीकृति दी थी और लखीमपुर खीरी में सर्वे करके जमीन भी अधिग्रहण करली गई थी। उसका कुछ सामान भी वहां पर आ गया था। 1980 में जब से मैं चुनाव में चुनकर आयी हूं तब से क्षेत्र की जनता की मांग बराबर चल रही है। तब से ही मैं बराबर लिखा-पढ़ी कर रही हूं और जो भी मंत्री जी आये हैं, उनसे बराबर सम्पर्क स्थापित करती रही हूं। पता नहीं किस कारण से वह कार्य अधूरा पड़ा है।

माननीय संचार मंत्री जी से पुनः मेरा निवेदन है कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी कराने की कृपा करें जिससे क्षेत्रीय जनता में जो असंतोष है उसको दूर किया जा सके।

(तीन) पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कारवाड़ (कर्नाटक) स्थित सोडा कास्टिक फैक्ट्री को यह हिदायतें देने की मांग कि वह उन अपशिष्ट पदार्थों को समुचित रूप से उपचारित करें जिनके समुद्र में बहाये जाने के कारण प्रदूषण होता है

[अनुवाद]

श्री जी० देवराय नायक (कनारा)** : कर्नाटक में कारवाड़ नामक स्थान पर एक कास्टिक सोडा फैक्ट्री है इस कारखाने से जो बहिस्त्राव निकलता है वह समुद्र में जाता है। इस बहिस्त्राव में पारा कार्बन तथा अन्य विषैले तत्त्व होते हैं और इससे उस क्षेत्र के समुद्र का पानी प्रदूषित हो बहुत बड़ी संख्या में मछलियां तथा अन्य समुद्री जन्तु मर गये हैं और समुद्रीय प्रदूषण बहुत अधिक हो गया है। हजारों की संख्या में मछुआरे बेरोजगार हैं। वातावरण प्रदूषित हो गया है और वनस्पति एवं जन्तुओं पर भी प्रभाव पड़ा है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। स्वास्थ्य संबंधी खतरे की गम्भीरता को देखते हुए पर्यावरण बोर्ड ने इस फैक्ट्री को कास्टिक सोडे का उत्पादन न करने के आदेश दिए थे। परन्तु इसने दुबारा कार्य करना शुरू कर दिया है। इससे उस क्षेत्र के लोगों में भारी भय पैदा हो गया है इस फैक्ट्री के बहिस्त्राव में से जहरीले तत्त्वों को हटाने की अत्यंत आवश्यकता है। अगर इस संबंध में उचित और तुरन्त कदम नहीं उठाये गये तो सैकड़ों लोगों का जीवन समाप्त हो जाएगा। अत: मैं माननीय पर्यावरण मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि फैक्ट्री से निकलने वाले बहिस्त्राव का प्रदूषित प्रभाव समाप्त करने के लिए वे इस फैक्ट्री को आवश्यक अनुदेश दें।

(चार) केन्द्रीय सरकार द्वारा हरियाणा और राजस्थान राज्य सरकारों को यह निदेश देने की मांग की कि वे मसानी बैरेज को वर्ष भर खुला रखें तथा इस बांध में पानी जमा न करें।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : हरियाणा सरकार ने केन्द्र में जनता शासन के दौरान हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले में मसानी गांव के पास सहाबी नदी पर 'बैराज' के साथ 'मसानी बांध' के निर्माण से लिये एक परियोजना प्रतिवेदन को केन्द्रीय जल आयोग के पास जांच करने और इसे स्वीकृति प्रदान करने के लिए भेजा था। इसे क्रियान्वित करने के लिए इस परियोजना को योजना आयोग ने स्वीकृत कर दिया था। हरियाणा सरकार ने वर्ष 1979 में मसानी बांध का कार्य राजस्थान राज्य सरकार की अनुमति लिए बिना शुरू कर दिया था। केन्द्रीय जल आयोग तथा योजना आयोग ने राजस्थान राज्य के ग्रामवासियों के हितों को ध्यान में नहीं रखा "मसानी बांध" की वजह से राजस्थान ग्रामवासियों की सम्पत्ति तथा कृषि भूमि जलमग्न हो जाएगी।

मसानी डैम और बैराज से अकोली, लालपुर, धानी अकोली, बिजोली, कारीरीवास, झांखावास, राबदका, महुधानी, महेसरा, जमालपुर, हजनका, नरवास, जटुवास, खुडकदा और

** कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अन्य बहुत से ग्रामों के आबादी क्षेत्र तथा कृषि भूमि जल मग्न हो जाएगी 'मसानी बांध' का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और बैराज का निर्माण कार्य भी लगभग पूरा होने वाला है और यह एक महीने के अन्दर पूरा हो जाएगा। इन प्रभावित गांवों में रहने वाले लोगों और किसानों को जिनकी सम्पत्ति और कृषि भूमि इस प्रयोजन के लिए अधिगृहीत कर ली गई है उन्हें इसका कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

अतः मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वे हरियाणा और राजस्थान सरकारों को निर्देश दें कि 'मसानी बैराज, को पूरे वर्ष खुला रखा जाए और मसानी बांध में पानी एकत्र नहीं किया जाए। मैं इस बात पर भी जोर दूंगा कि इस परियोजना से राजस्थान का एक भी गांव विस्थापित नहीं होना चाहिये।

(पाँच) गोरखपुर में रेल डिब्बा निर्माण कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में तत्काल निर्णय लिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मदन पाण्डेय (गोरखपुर) : उत्तर प्रदेश में पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर बुनियादी तौर पर रेलवे टाउन के तौर पर जाना जाता रहा है। अपनी औद्योगिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण यह बड़ी लाइन और छोटी लाइन का महत्वपूर्ण संधिस्थल (जंक्शन) है तथा गोरखपुर देवरिया बस्ती, आजमगढ़ और आसपास के जनपदों का राजनैतिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक केन्द्र होने के बावजूद औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। स्वाधीनता काल में मात्र फर्टिलाइजर कारखाना स्थापित हो सका है। अर्से से रेलवे कोच फैक्ट्री इस अंचल में स्थापना हेतु प्रस्तावित हैं। गोरखपुर में सर्वेक्षण भी सम्पादित हुए अर्सा हो गया। मेरी जानकारी के अनुसार कोच फैक्ट्री की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश सरकार इस जिले में भूमि तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की पेशकश कर चुकी है। कोच फैक्ट्री की स्थापना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान होते हुए भी अन्तिम निर्णय विचाराधीन पड़ा हुआ है। गोरखपुर के श्रमिक, शिक्षित बेरोजगार तथा सर्व-साधारण तरह-तरह की आशंकाओं से उद्वेलित हैं। अतः मैं केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कर अनुरोध करता हूं कि कोच फैक्ट्री गोरखपुर में स्थापित करने का निर्णय शीघ्र लिया जाय।

(छः) बंसधारा परियोजना को तत्काल स्वीकृति देने हेतु उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव (विजयवाड़ा) : बंसधारा परियोजना आंध्र प्रदेश के पिछड़े जिले श्रीकाकुलम के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। 154.35 करोड़ रुपये की लागत की बंसधारा चरण-2 का परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय जल आयोग और उड़ीसा सरकार को 1982-83 में भेजा गया था। भूतपूर्व केन्द्रीय सिंचाई मंत्री, स्वर्गीय श्री केदार पांडे ने 8.8.82

को विशाखापतनम में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री और उड़ीसा सरकार के सिंचाई मंत्री के साथ बातचीत की। बांध से बाढ़ के पानी के निकास और निस्सरण के मामलों में आम सहमति हो गई थी। आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारियों की 10.1.84 को नई दिल्ली में केन्द्रीय जल आयोग और उड़ीसा सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बाद में उन्होंने 10 और 11 फरवरी, 1984 की परियोजना स्थल की जांच की। केन्द्रीय सिंचाई मंत्री द्वारा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की शीघ्र बैठक बुलाने की आवश्यकता है तथा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजना प्रतिवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में तुरंत आवश्यक कदम उठाए।

(सात) तमिलनाडु के लोगों की इच्छा का सम्मान करते हुए दूरदर्शन के नेटवर्क कार्यक्रम में पहले वाले ही समय को पुनः लागू करने की आवश्यकता

श्री एन० सुन्दरराजन (शिवकाशी) : दूरदर्शन पर नेटवर्क कार्यक्रम रात साढ़े आठ बजे आरम्भ होता है और यह रात दस बजे तक चलता रहता है। नेटवर्क कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम से अलग नहीं है। 6 महीने पहले राष्ट्रीय कार्यक्रम का समय भी रात साढ़े आठ बजे से कर दिया गया था। चूंकि इससे तमिल में कार्यक्रम प्रसारित नहीं हो पाते, तमिलनाडु में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश रद्द करने के लिए व्यापक आंदोलन चल रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने तमिलनाडु के लोगों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए इस आदेश को रद्द कर दिया। अब नेटवर्क कार्यक्रम का समय बदले जाने के कारण तमिलनाडु के लोग बहुत नाराज हैं, लोगों को अपनी भाषा प्रिय होती है; यह लोगों की आत्मा है। अतः केन्द्रीय सरकार को नेटवर्क कार्यक्रम के लिए पहले वाले ही समय को पुनः लागू करना चाहिए तथा तमिलनाडु के लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान करना चाहिए।

(आठ) हथकरघा निर्मित कपड़े के भारी मात्रा में जमा हुए स्टाक की शीघ्र निकासी के लिए तथा हथकरघा बुनकरों की शिकायतों को दूर करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री एन० डेनिस (नागर कोइल) : हथकरघा बुनकरों के पास बिना बिका बहुत-सा कपड़ा जमा हो जाने के कारण गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनके पास बहुत कपड़ा जमा हो जाने के कारण उनकी कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं तथा वहां बेरोजगारी तथा निर्धनता व्याप्त है। इस जमा हुए कपड़े की बिक्री के लिए तुरन्त कदम उठाए जाने चाहिए। सरकार द्वारा उनसे कपड़ा खरीद कर ऐसा किया जा सकता है। सहकारी संस्थाओं के द्वारा कपड़ा खरीदा जा सकता है। इसके लिए 25 प्रतिशत की विशेष छूट की मंजूरी देनी होगी। हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को उत्पादन के 60 प्रतिशत की दर से ऋण दिया जाए। हथकरघा के मामले में विशेष आरक्षण करने के लिए कानून बनाया जाए जिससे आवश्यक वस्तुएं अधिनियम के अन्तर्गत कपड़ा आयुक्त के आरक्षण आदेश में उल्लिखित 10 किस्मों का उत्पादन किया जा सके तथा मिलों अथवा विद्युत करघों द्वारा

ऐसी किस्मों के उत्पादन पर रोक लगाई जा सके। सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों की शिकायतों को दूर करने के लिए यथा शीघ्र कदम उठाए जाएं।

12.22 म० प०

स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अध्यादेश 1985 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प और स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 13 और 14 एक साथ लिए जायेंगे, अर्थात् :

निम्नलिखित संकल्प पर, जो प्रो० सैफुद्दीन सोज द्वारा 27 मार्च, 1985 को पेश किया गया था, आगे चर्चा :—

> "यह सभा, राष्ट्रपति द्वारा 8 मार्च, 1985 को प्रख्यापित स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (1985 का अध्यादेश संख्या क 2) का निरनुमोदन करती है।"

और निम्नलिखित प्रस्ताव पर, जो श्री अब्दुल गफूर द्वारा 27 मार्च, 1985 को पेश किया गया था, आगे विचार :

> "कि स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा यथापारित रूप में, विचार किया जाए।"

श्री व्यास अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं इस बिल के बारे में निवेदन कर रहा था कि यह बिल जो लाया गया है, वह खास तौर से ऐसी प्रापर्टीज और बिल्डिंग्ज के लिए लाया गया है जिनमें सरकारी दफ्तर होते हैं या अन्य सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आम तौर पर सरकार बड़े बूढ़े लोगों के मकान ही एक्वायर करती है

लेकिन एक्विजीशन के बाद में उनका किराया किस प्रकार से तय किया जायेगा इस सम्बन्ध में केवल यही प्रावधान किया गया है कि कांपिटेन्ट एथारिटी उसकी व्यवस्था करेगा। लेकिन किस तरीके से वह इस कार्य को करेगा— इस सम्बन्ध में कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई है। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि खास तौर से जो मकान मालिक होते हैं वे यह एतराज करते हैं कि 10-15 साल पहले जो रेन्ट तय हुआ था उसको जल्दी रिवाइज नहीं किया जाता है। यही कारण है कि मकान मालिक अपना मकान देने में आना-कानी करते हैं। मेरा सुझाव है कि आरम्भ में ही इस बात की व्यवस्था कर दी जानी चाहिए कि यदि आप मियाद बढ़ाते हैं तो आगे आने वाले वर्षों में किराया क्या होगा और वह निश्चित कर देना चाहिए ताकि किसी मकान मालिक को कोई एतराज न हो। कोर्ट में जो केसेज चल रहे हैं वह इसीलिए चल रहे हैं कि बाजार भाव आज 1 हजार रुपए है और सरकार 20 साल पहले का किराया दे रही है। इस प्रकार की कठिनाई विशेष रूप से जो मैट्रोपोलिटन सिटीज हैं —जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, उनमें पैदा होती है। इन शहरों में पिछले वर्षों में जिस रफ्तार से बिल्डिंग्ज के किराए बढ़े हैं उसके अनुरूप सरकार किराया निर्धारित नहीं करती है। कांपिटेन्ट एथारिटी जो किराया तय करता है वह प्रिविलेन्ट रेट के मुताबिक नहीं होता है और इसीलिए एतराज पैदा होते हैं।

एक दूसरी बात और भी है। अभी परसों ही मैंने एक सवाल पूछा था कि सरकारी अधिकारी मकान बनाने के लिए सरकार से एक लाख रुपया लेते हैं लेकिन मकान बना देते हैं 20-25 लाख का और उनके यह असैट्स कैसे बने, उसकी जानकारी सरकार नहीं करती है और फिर बाद में वे लोग अपनी बिल्डिंग को सरकारी आफिस के लिए ही ज्यादा किराए पर दे देते हैं।

उनका जब मकान आता है, तो ज्यादा तादाद में किराया देने की व्यवस्था होती है और जब साधारण आदमी का मकान होता है, तो पन्द्रह साल पहले जो किराया मुकर्रिर किया था, उस किराए पर मकान लेने की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार दो तरह की बातें हो रही हैं,जिसकी वजह से लोगों के दिल-व-दिमाग में असंतोष हो रहा है। इसके लिए आपको निश्चित तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे इस एक्विजिशन के सम्बन्ध में कोई विशेष झगड़ा न हो। खास तौर से मैं यह बात मैट्रोपोलिटिन सिटीज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। डाक-यार्ड्स जहां पर भी बने हुए हैं, उनके पास गोडाउन्स नहीं हैं, जिनमें वे अपना सामान डाल सकें। आपके महकमें का काम है कि उन महकमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जमीन उपलब्ध कराए या मकान उपलब्ध कराए। इसी प्रकार अन्य शहरों में भी बहुत सारे महकमें ऐसे हैं, जो आपके कमाऊ महकमें हैं, जो सरकार को पैसा इक्ट्ठा करके देते हैं, जैसे कस्टम्स है, एक्साइज है। इन विभागों के निजी मकान शहरों के अन्दर बहुत कम स्थानों पर हैं। जो मकान इनके लिए तय किए जाते हैं, उनके कम्पैन्सेशन या रैन्ट का मामला कठिन हो जाता है। जितना उनके अधिकार क्षेत्र में होता है, यदि उस अधिकार क्षेत्र में वह मकान नहीं आता है, तो उस मकान को लेने में बड़ी कठिनाई होती है। इस वजह से कई प्रकार की कठिनाइयां आपके विभागों को जगह-जगह देखनी पड़ रही हैं। मकानों के रखने की मियाद की पहले आपने पांच साल किया, फिर दस साल बढ़ा दिया और अब दो साल और बढ़ाना चाहते हैं। इस बात की क्या आप गारन्टी दे

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

सकते हैं, दो साल के बाद आप इस मियाद को नहीं बढ़ायेंगे ? आपने खुद कहा है कि हमारे पास इतनी बिल्डिंग्स नहीं है, इसलिए यह जरूरी है कि आप दो साल के अन्दर एक ऐसा कानून लायें, जिसके अन्दर समुचित तरीके से यह व्यवस्था हो कि जब तक सरकार को आवश्यकता होगी, तब तक उस मकान को सरकार बराबर कायम रखेगी। यदि आप यह व्यवस्था कर दें, तो आपको बार-बार अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरा आपसे यह भी आग्रह है कि आप सारे विभागों की जानकारी करके, कौन कौन से विभाग को किस-किस स्थान पर कितने-कितने मकानों की आवश्यकता है, एक लिस्ट तैयार करें। इससे आपके विभाग को फायदा होगा और एक निश्चितता भी आ जाएगी। इसकी वजह से हाईकोर्ट और अन्य स्थानों पर जो मुकद्दमेबाजी चल रही है, उससे भी सरकार दूर रह सकती है। इस बिल में बहुत बड़ी-बड़ी खामियां हैं, फिर भी मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन इन सारी बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने आपसे निवेदन किया है। मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आप एक बिल लाने की व्यवस्था करें, जिससे भविष्य में आपको इस प्रकार की कठिनाइयां न हों।

इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं। संपत्ति के अधिग्रहण और अर्जन की शक्ति सरकार को भारत रक्षा नियमों के अधीन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दी गई थी। युद्ध का सामना करने के लिए कुछ नए सरकारी विभाग खोलने के लिए कुछ बिल्डिंगें आवश्यक पाई गईं। अतः वे भवन सरकार और इसके विभागों के कब्जे में ही रहे। इसकी कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी कि अधिग्रहण की गई बिल्डिंग कब वापिस की जाएगी। ऐसा चलता रहा और 1952 में यह अधिनियम पारित किया गया। इससे सरकार को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए संपत्ति को अधिगृहीत और अर्जित करने की शक्ति प्राप्त हो गई। जहां जिस सार्वजनिक प्रयोजन के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा कोई भवन या भूमि अधिगृहीत की गई थी, वह प्रयोजन समाप्त होने के बाद भी, सरकार ने उन भवनों पर इस आधार पर कब्जा बनाए रखा कि यद्यपि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ऐसा किया गया था वह प्रयोजन पूरा हो चुका है, फिर भी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ऐसा किया गया क्योंकि उन्हें कुछ अन्य विभाग बनाने के लिए भवनों की आवश्यकता थी। इस अधिनियम में समय सीमा निर्धारित नहीं थी जिसके बाद कुछ अधिगृहीत किया ही नहीं जा सकेगा।

1970 में इस अधिनियम में यह संशोधन किया गया कि अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत अधिगृहीत की गई संपत्ति अधिग्रहण किए जाने की तारीख से 15 वर्ष के भीतर वापिस दी जानी चाहिए अथवा इसे 15 वर्ष के भीतर अर्जित कर लिया जाना चाहिए। इस अधिनियम में मुआवजे का भुगतान करने के सम्बन्ध में पुनः 1980 में संशोधन किया गया। अधिगृहीत संपत्ति के बदले में जो किराया दिया जाता है, उसे मुआवजा कहा जाता है, इसे किराया नहीं कहा जाता क्योंकि वे इसे

मकान मालिक और किरायेदार के बीच संबंधों के समान नहीं समझते हैं। अत: जब कोई जगह अधिगृहीत की जाती है, सरकार महसूस करती है कि वह उस जगह की मालिक बन गई है; और बेचारा मालिक गलियों में धक्के खाता है। अधिनियम में कोई सिद्धांत नहीं रखा गया है और न ही कोई नियम बनाए गए हैं जिसके अनुसार मुआवजा निर्धारित किया जा सके।

जसा कि मेरे माननीय मित्र ने पहले बताया, मान लीजिए कोई बिल्डिंग 30 वर्ष पूर्व, 1952 में अधिगृहीत की गई थी। उसका कब्जा सरकार के पास है। उसे कितना किराया देना होगा? किराये में संशोधन करते समय किन परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए? यदि मैं गलती नहीं कर रहा, तो किराए में संशोधन की नीति पहली बार 1975 में लागू की गई। अत: मालिक अधिगृहीत संपत्तियों को वापस नहीं ले सकता हालांकि वह इसे अपने उपयोग के लिए चाहता है सरकार के कब्जे में जो संपत्तियां हैं, उनके सम्बन्ध में सरकार की स्थिति एक किराएदार की होनी चाहिए और सम्पत्ति का मालिक मालिक ही बना रहना चाहिए। लेकिन यह स्थिति उल्टी है। सरकार समझती है कि वह मालिक है और बेचारा मालिक दया का पात्र बन जाता है। यह कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं।

मंत्री महोदय ने विधेयक के उद्देश्यों में कहा है कि दो वर्षों के पश्चात सरकार इस स्थिति में होगी कि अधिगृहीत सम्पत्ति खाली कर दी जाएगी अथवा वापिस दे दी जायेगी। मुझे इसमें भारी सन्देह है। कुछ वर्ष पूर्व मैं निर्माण और आवास मंत्री था। मैं कठिनाइयों से अवगत हूं। सरकार पूरे देश में अपने विभागों के लिए भवन निर्माण करने में समर्थ नहीं है। मैं समझता हूं कि यह दो वर्ष की अवधि बहुत कम है। मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि सरकार दो वर्षों के भीतर अधिगृहीत किए गए सभी भवन वापिस करने की स्थिति में होगी। मुझे विश्वास है कि इसकी अवधि और बढ़ाने के सम्बन्ध में संसद में पुन: चर्चा की जाएगी।

मैं अधिगृहीत किए गए भवनों की सूची, उनके अधिगृहीत किए जाने की तिथि, किस तारीख को उनमें से कोई एक भवन वापिस किया गया अथवा वह भूमि कब अर्जित की गई, इस बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। मैं नहीं समझता कि मंत्री महोदय यह जानकारी देने की स्थिति में हैं क्योंकि पूरे देश में ऐसी कई बिल्डिंगें हैं जो सरकार के कब्जे में हैं। उनके मालिक सरकार से वह लौटाने के लिए आवेदन करते है यहां तक कि सेवानिवृत्ति के पश्चात, जब वह अपना फ्लैट जो युद्ध के समय अधिगृहीत किया गया था, वापिस लेना चाहते हैं, फिर भी उसे कब्जा नहीं मिलता। अत: सरकार को किरायेदार की हैसियत से रहना चाहिए ताकि किराया नियंत्रण अधिनियम के उपबंध उस पर लागू हो सकें। जहां मालिक उस भवन का अपने वैयक्तिक प्रयोग के लिए चाहता है, सरकार को उसे खाली कर देना चाहिए। हमने जो विशेष अधिनियम पारित किया है उसके कारण वे उपबन्ध लागू नहीं होते।

अत: स्थिति यह है। पांच वर्ष के बाद जब किराये में संशोधन भी किया जाता है, उस

[श्री जगन्नाथ राव]

मुआवजे की राशि भी इतनी कम होती है कि बेचारे मालिकों को न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में ऐसी कई याचिकाएं लंबित पड़ी हैं। अतः सरकार को यह महसूस करना चाहिए कि उसका कर्तव्य है कि वह इन मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, ताकि मालिक को वैध रूप से जो राशि देय है उचित मुआवजे के रूप में उन्हें उसका भुगतान किया जाए।

उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में जो कई मामले लंबित पड़े है वह नागरिकों तथा राज्य के बीच विवाद से संबद्ध है। यहां तक कि जहां राज्य भी महसूस करता है कि नागरिक का यह अधिकार है और सरकार इसे नहीं मानती है। वे कहते हैं "इसका निर्णय न्यायालय को करने दो" और असहाय नागरिकों को वकील करने पड़ते हैं और उन्हें मुकदमेबाजी करनी पड़ती है।

ये असामान्य परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में भी सरकार बहुत सी इमारतें बनवा रही है, परन्तु वह उन्हें अपने इस्तेमाल के लिए नहीं बनवाती। मैं कलकत्ता की एक ऐसी इमारत के विषय में जानता हूं जो अभी अस्तित्व में आई है तथा जो अभी निर्माणाधीन है। मैं नहीं समझता कि वह इमारत कलकत्ता के सभी विभागों को स्थान देने के लिए काफी होगी। बम्बई में भी वही स्थिति है। जिन मामलों में सरकार मकान मालिकों से मकान पट्टे पर लेती है उन मामलों में प्रति पांच वर्ष पश्चात् किराए में संशोधन का सिद्धान्त लागू होना चाहिए। पट्टे हेतु कोई 20 वर्ष पूर्व प्रति वर्ग फुट के लिए एक विशेष दर निर्धारित की गई थी। इस बीच निगम कर और नगरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मकान-मालिक जो अतिरिक्त निगम कर लगाए गए हैं क्रम से उनको अदा करने के लिए मंत्रालय से किराए में संशोधन करने का आवेदन करते हैं परन्तु मंत्रालय इस तर्क को नहीं सुनता। एक गरीब नागरिक क्या कर सकता है ? मकान मालिक जो इसी देश का नागरिक है, को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं चाहे इस बिल का समर्थन करता हूं, यह नागरिकों के लिए भारी कठिनाई पैदा करेगा। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे कृपा करके दो वर्ष बाद भी दोबारा से वहां किरायेदार न बने; बल्कि यह देखें कि अधिनियम की धारा 6 के अधीन सभी अधिगृहीत भवन और परिसर खाली कर दिए जाएं तथा जब भी आप मांगी गई जमीन के किसी भाग पर कब्जा करे तथा बकाया किराया अदा कर दिया जाए अब प्रश्न यह उठता है कि जब जमीन का कोई टुकड़ा अधिगृहीत कर लिया जाता है तो उसके उस दूसरे हिस्से का, जिसका अधिग्रहण नहीं किया गया है, क्या मूल्य हो ? तब जमीन का मूल्य घट सकता है। ये कठिनाइयां हैं। ऐसे मामलों में भी भूमि अधिग्रहण अधिनियम में बताया गया सिद्धांत लागू होना चाहिए ताकि नागरिक घाटे में न रहें क्योंकि सरकार पूर्ण शक्ति प्राप्त है। अतः आप कृपया किरायेदार की तरह से बर्ताव करें न कि सर्वोच्च मालिक की तरह।

उद्देश्यों और कारणों के कथन में उल्लिखित परिस्थितियों के संदर्भ में मेरे पास विधेयक का समर्थन करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं अतः मैं इसका समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत है, उस में 15 साल के बाद दो साल और समय बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसके संबंध में मुझे यह कहना है कि जो सम्पत्ति इन्होंने अधिग्रहण की थी, उसका सही ढंग से ये उपयोग नहीं कर सके। ये जो जमीन लेते हैं, उस के एक तरह से मालिक बन जाते हैं और जिनकी जमीन होती है, उनको जो उचित मुआवजा या बाजार रेट पर जो मुआवजा मिलना चाहिए, वह नहीं देते हैं जिससे जमीन वाले लोगों को बहुत परेशानी होती है और उनको बहुत घाटा होता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि समय बढ़ाने के पक्ष में तो मैं हूं लेकिन जिस चीज का ये अधिग्रहण करते हैं, उसका जैसा इस्तेमाल होना चाहिए, वैसा इस्तेमाल नहीं होता है। भूमि खंडों का अधिग्रहण करते हैं लेकिन उस का हिसाब-किताब नहीं रहता है, जिस की वजह से जिन लोगों की जमीन लेते हैं, उन को बड़ी परेशानी होती है और उनके सामने बहुत सी दिक्कतें आती हैं।

इन सारी चीजों को देखते हुए जिन की जमीन ली जाए, उन को कोई दिक्कत न हो, इस तरह का इन्तजाम होना चाहिए। इस के बारे से मुझे विशेष रूप से और कुछ नहीं कहना है।

श्री राम प्यारे पनिका (रावर्ट्सगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्थावर सम्पति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह बात सही है कि मकान आदि के लिए मुआवजे के जो नियम बनाते हैं, वे उचित नहीं होते हैं। हर साल बाजार भाव बढ़ जाते हैं और मेरा कहना यह है कि उस के अनुरूप हम को किराया या कम्पेंसेशन देना चाहिए।

इससे पहले सत्र में लोक सभा में हम लोगों ने एक लेण्ड एक्वीजिशन एक्ट पास किया था और उस पर चर्चा के समय बहुत से विचार यहां आये थे। माननीय मंत्री जी, खास कर आपके विभाग की बड़ी शिकायतें हैं। आप कानून तो बनाते हैं कि मार्केट रेट से मुआवजा देंगे लेकिन देते नहीं हैं। आपका मंत्रालय किसानों की जमीन सस्ती लेकर किस तरह से उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। न उनको उचित मुआवजा दिया जाता है, न उनको नौकरी दी जाती है। जिनकी जमीन अक्वायर की गई है उनको प्लाट तक नहीं दिये जाते हैं।

आपकी योजना है कि बड़े-बड़े शहरों में आप बहुत से मकान बनायेंगे लेकिन आपके मकान बनाने की बड़ी धीमी गति है। इस बिल के द्वारा आपने केवल दो वर्ष का समय और मांगा है, इससे अधिक का समय नहीं मांगा। आपका विभाग कितना होशियार है। जब इस कानून की अवधि समाप्त होने को हुई तो आरडिनेंस जारी करवा दिया। इससे हमें बदनामी सहनी पड़ी। यह आपके विभाग की कार्यक्षमता के कारण हुआ है।

[श्री राम प्यारे पनिका]

आपका विभाग जो फ्लेट वगैरह बनवाता है उनकी आप क्वालिटी दिखवा लीजिए। आपका विभाग इसके लिए सारे देश में बदनाम है। हम लोगों के जो फ्लेट हैं उनकी हालत आप देख लीजिए। जो उनमें बरसाती बना हैं उनकी कोई क्वालिटी नहीं है। उनमें सीमेंट वगैरह कुछ नहीं लगी है। आप लोगों ने उसका पेमेंट भी कर दिया है। आप लोगों के कुछ निश्चित ठेकेदार हैं जो यह सारा काम करते हैं। मैंने एक ठेकेदार के बारे में आपको लिखा भी है। आप लोगों ने बड़े-बड़े शहरों में बहुत से मकान बनाने की योजना बनाई है। आप कहां कहां जल्दी जल्दी मकान बनबाने जा रहे हैं ? बम्बई में बनवा दिए हैं, कलकत्ता में क्या आप बनवाने जा रहे हैं, कहां-कहां आप इन्हें जल्दी-जल्दी पूरा करने जा रहे हैं। जब तक आपके विभाग की मकान बनवाने की गति तेज नहीं होगी तब तक लोगों को जल्दी मकान नहीं मिल सकेंगे। इसलिए आप निश्चित तौर से अपने विभाग की गति तेज कीजिए।

सेवंथ फाइव ईयर प्लान में आपकी बहुत सी योजनाएं हैं। उसमें आपको बहुत सी बिल्डिंग्स की जरूरत होगी। हमने डिफेंस पर 77 हजार करोड़ रुपया बढ़ा दिया है। हमें अपने डिफेंस के लिए बड़े-बड़े शहरों में मकानात लेने पड़ेंगे और आपने इस बिल में समय दो वर्ष का मांगा है। मैं चाहता हूं कि आप अधिक समय मांगें।

कम्पेनसेशन के बारे में भी इसमें सीधे व्यवस्था होनी चाहिए कि वह प्रिवेलिंग मार्केट रेट पर दिया जायेगा।

मान्यवर, जो हमारी गवर्नमेंट अण्डरटेकिंग्स हैं ने जो बिल्डिंगें किराये पर लेती हैं उनके बारे में मुझे जानकारी है कि उनके एक्जीक्युटिव सी० एम० डी० वगैरह बड़े-बड़े शहरों में प्रापर्टी डीलरों से सांठगांठ करके अधिक किराया तय करा लेते हैं जबकि किराया होता कम है। यह सब बड़े-बड़े शहरों और दिल्ली में भी हो रहा है। वास्तव में किराया कम दिया जाता है और अधिक किराए का भुगतान दिखाया जाता है।

यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण बिल है। जबकि हमारे देश में बिल्डिंगों का विस्तार हो रहा है तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो जमीन ली जाए उसके लिए कम्पीटेंट अथारिटी के लिए सीधे मार्केट रेट पर कम्पेनसेशन देने की व्यवस्था हो। जैसे-जैसे बड़े-बड़े शहरों में जमीनों की कीमत का प्रतिशत बढ़ता जाता है वैसे-वैसे कम्पेनसेशन का प्रतिशत भी बढ़ता जाए।

हमारी वेल्फेयर गवर्नमेंट है। हमें जमीनों का अधिग्रहण जनहित में करना पड़ता है लेकिन अधिग्रहण का मतलब यह नहीं है कि शोषण हो। हमें किसी प्रकार का भी शोषण नहीं होने देना चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विभाग में अब एक अच्छे मंत्री आ गये हैं। हम उनकी रीति-नीति से परिचित हैं। हम चाहते हैं कि वे थोड़ा सा अपने विभाग को कसें। क्वालिटी के मामले में, कीमत के मामले में जो धांधलियां चली आ रही हैं उनको वे अब न चलने दें। आपके विभाग में इंजीनियर लोग नौकरी प्राप्त करना अपना सौभाग्य समझते हैं। आप अब अपने विभाग में कोई ढिलाई न चलने दें बल्कि कड़ाई करें। मुझे विश्वास है कि आप इस मामले में कदम उठायेंगे।

कड़ाई कौन-सी करनी है। एक तो यही है कि जब इसकी अवधि को समाप्त होने में दो रोज रह गये तो आर्डिनेंस जारी कर दिया। इसके लिए आप देखें कि कौन जिम्मेदार है। जो जिम्मेदार है उसको दंडित किया जाए ताकि इस विभाग में आगे से अच्छा काम चल सके।

आपका एक ऐसा विभाग है जो वोकल लोगों को प्रभावित करता है और ये लोग आपके विभाग की सारे देश में चर्चा करते हैं। इसलिए इस चीज को देखने की जरूरत है।

अन्त में मैं यही कहता हुआ कि मार्केट रेट पर मुआवजा आप जमीनों का दें और इसके लिए कोई कम्प्रीहेंसिव बिल न लाएं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (हावड़ा) : मैं इस बात के लिए सरकार की सराहना कर सकता हूं कि मुकदमेबाजी से बचने के लिए उसके पास इस अध्यादेश को लाने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं था। मैं कुछ मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहूंगा क्योंकि इस विधेयक के विस्तार से जो शहर सबसे अधिक प्रभावित होगा वह मेरा अपना शहर है। अर्थात कलकत्ता शहर है।

अंग्रेजों के समय में लोगों ने अपने मकान बनाए। उन दिनों में कलकत्ता अंग्रेजों अथवा बाबुओं का शहर था, जो अब बाबू नहीं रहे बल्कि अब कलकत्ता शहर में ही उनकी सम्पत्ति है। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान तथा उसके बाद भी कलकत्ता शहर के भीतरी भाग, जिसे चौरंघी क्षेत्र कहा जाता है, की बहुत सी सम्पत्तियों का सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है। बहुत से सरकारी कार्यालय उनमें अपना कार्य कर रहे हैं। मेरा मंत्री महोदय से मूल प्रश्न यह है कि सरकारी विभागों को किसी अवधि विशेष में कितने मकानों की आवश्यकता होगी, इस का निर्धारण करने के लिए आपकी वास्तविक नीति और योजना क्या है ? और वास्तव में आप इसे कैसे लागू करते हैं ? क्या ऐसा है कि आप विभिन्न मंत्रालयों से जानकारी प्राप्त करते हैं और तत्पश्चात् योजना बनाते हैं ? अथवा विभिन्न मंत्रालयों की क्षमता और उनके विस्तार तथा उनके लिए अपेक्षित क्षेत्र और स्थान को देखते हुए आप अगले पांच वर्षों के लिए एक भावी नीति तैयार करते हैं ?

मेरे विचार से इस मामले में मंत्रालय बहुत ही तदर्थ तरीके से काम कर रहा है जिस का परिणाम अन्ततः होता है अधिग्रहण और इस दशा में विधेयक के परिधि क्षेत्र का विस्तार आवश्यक हो जाता है। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि यह स्पष्ट करें कि सरकारी कार्यालयों के लिए विभिन्न स्थानों पर भवन बनाने सम्बन्धी नीति वे किस प्रकार बनाते विशेष रूप से कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जैसे बड़े शहरों में ?

कार्यालयों के लिए एक नया भवन बनाते समय ह्रास मूल्य और रख-रखाव की लागत का हिसाब लगाने के लिए आपकी कतिपय नीतियां और मानदण्ड होंगे। क्या आप सदन को बताएंगे कि जिस सम्पत्ति का आपने 10, 15 अथवा 30 वर्ष पूर्व अधिग्रहण किया था उसके ह्रास मूल्य की गणना आप कैसे करते हैं ? यदि आप दोनों स्थितियों की तुलना करें तो आप पाएंगे कि जिन सम्पत्तियों का सरकार ने 30 वर्ष पूर्व पट्टे पर अथवा किन्हीं अन्य शर्तों पर अधिग्रहण किया था उनका ह्रास मूल्य और रख रखाव की लागत उस हिसाब से नहीं आंकी जाती जिस हिसाब से सरकारी कार्यालयों के लिए बनाए गए नए भवनों के बारे में आंकी जाती है। एक प्रकार से यह अधिकार से वंचित करना है, अथवा कानूनी भाषा में नागरिकों और सरकारी कार्यालय के बीच समानता को न्याय से

[श्री प्रिय रंजन दास मुंशी]

वंचित करना है। मैं व्यक्तिगत तौर पर अनुभव करता हूं कि इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि कोई खामी रह जाती है तो कृपया इसका पता लगाएं तथा देखें कि जब दो वर्ष की अवधि बीत जाए तो ह्रास मूल्य और रख-रखाव की लागत के लिए उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। मैंने देखा है कि जब भी सरकार किसी मकान पर से अपना कब्जा छोड़ती है तो वह उसे मालिक को ऐसी हालत में वापिस करती है कि वह रहने योग्य नहीं रहता। तथा मकान को आवास योग्य अथवा पुनः किराए के योग्य बनाने के लिए मालिक को इतनी रकम स्वयं खर्च करनी पड़ती है जितनी उसने शायद इससे 10 अथवा 15 वर्षों अर्थात् पट्टे की सम्पूर्ण अवधि में न प्राप्त की हो। यह कलकत्ता शहर के उन बहुत से लोगों का महान दुःख है जो हमसे इस की बाबत शिकायत करते हैं। कृपया ध्यान रखें कि उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाए। जब आप किसी सम्पत्ति पर से अपना कब्जा छोड़ते हैं तो कृपया देख लें कि इसे उचित दशा में वापिस किया जाए। अन्यथा होता क्या है कि मकान को ठीक हालत में लाने के लिए मालिक को बहुत समय लग जाता है। और मकान मालिक बिना वजह नुकसान उठाता है। सरकार कोई मुआवजा नहीं देती है। ऐसा क्यों ? किसी मकान पर से अपना कब्जा छोड़ते समय, इसे मालिक को सौंपने से पहले या तो उसे उचित हालत में सौंपा जाए अथवा उसे इसका मुआवजा दिया जाए।

एक अन्य बात, जिस पर विचार करने के लिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा वह बैंक इमारतों से सम्बन्धित है। मैं नहीं जानता कि इस बारे में सरकार की नीति क्या है। वे इसका बयान कर सकते हैं। जब भी बैंकों को कोई अच्छा भवन मिलता है वे इसका ज्यादा किराया देते हैं जबकि मैंने देखा है कि जब कभी अन्य विभाग किसी भवन का अधिग्रहण करते हैं तो वह बहुत ही कम किराया देते हैं। इस प्रकार का भेदभाव क्यों है ? सभी सरकारी विभागों के मामले में वह बैंक हो अथवा स्वास्थ्य विभाग अथवा रक्षा विभाग अथवा कोई अन्य विभाग, किराए सम्बन्धी एकरूपता क्यों नहीं हो ? यदि आप इसका अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि जिन परिसरों का अधिग्रहण बैंकों ने किया उन पर अन्य विभागों, चाहे वह रक्षा प्रतिष्ठान हो, द्वारा अधिग्रहण किए गए परिसरों पर मिले किराये से अधिक किराया मिला। बहुत पहले कलकत्ता में डी० जी० ओ० एफ० के कार्यालय ने एक सम्पत्ति का अधिग्रहण किया था, वह कार्यालय अब वहां से स्थानान्तरित हो गया है। वे अधिक किराया दिया करते थे जबकि कुछ अन्य विभाग उसका कम किराया दे रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया पता लगाएं कि यह असमानता क्यों कर होती है। क्योंकि आपने पिछली दफा, सम्पत्ति मालिकों को इस सदन में यह आश्वासन दिया था कि अधिग्रहण की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् आप उन्हें तंग नहीं करेंगे तदनुसार उन्होंने कुछ कार्यों की योजना बनाई कि पांच वर्ष पश्चात् वे अपनी सम्पत्ति का दुकान के लिए अथवा व्यापारिक केन्द्र के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। और इस हेतु उन्होंने कुछ बुनीयादी पूंजी निवेश किया तथा अपने कुछ मित्रों और सम्बन्धियों को भी अपने साथ मिलाया। परन्तु यदि आप इस अवधि को दो वर्ष और बढ़ा देंगे तो आप उनकी क्षति-पूर्ति कैसे करेंगे ? इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक की परिधि में लाएं, अर्थात् वे लोग जिन्हें और दो वर्षों के लिए नुकसान उठाना पड़ेगा उनको पहले दिए जा रहे किराए से अधिक किराया देकर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए ताकि उन्होंने इस आशा में कि पांच वर्ष बीत जाने पर तो उन्हें उनकी सम्पत्ति वापिस मिल ही जाएगी, जो पूंजी निवेश पहले ही कर दिया है, उसका उन्हें उचित मुआवजा मिल जाए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो यह उनके साथ अन्याय होगा; साथ ही कानून का विद्यार्थी होने के नाते मैं आपको बता दूं कि यदि उपर्युक्त आधार पर कोई व्यक्ति न्यायालय में चला जाए तो आपको कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। यह सम्पत्ति का प्रश्न है। आप ऐसा नहीं कर सकते। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया इन सभी सुझावों पर विचार करें तथा अपने उत्तर में इनका समावेश करें। कृपया दो वर्ष बाद आप यहां आकर यह नहीं कहें कि आप वह

अवधि एक अथवा दो वर्ष और बढ़ाना चाहते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो उस समय स्वयं आपको ही पकड़ा जाएगा.। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इज्जत-माब मिनिस्टर से यह अर्ज करना चाहूंगा कि असल में बिल में कोई बड़ी बात नहीं है। आपने सिर्फ दो साल का इजाफा मांगा है। जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, दी रिक्वीजीशनिंग एंड दी एक्वीजीशन आफ दी इम्मूवेबल प्रापर्टी एक्ट, उसमें आप अमेंडमेंट चाह रहे हैं कि उसमें आपको ज्यादा वक्त मिले। आप रिक्वीजीशन करें और बाद में उन प्रापर्टीज को रिलीज भी करें। उसके लिए दो साल आपने मांगे हैं। 1970 के बाद मार्च 1985 में इसको खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन उसके लिए आप चाह रहे हैं कि दो साल और हो। मैं समझता हूं कि पीसमील लेजिसलेशन नहीं लाना चाहिए। आपने कहा है कि पांच करोड़ से ज्यादा की जायदादें डिफेन्स फोर्सेज ने अपने हाथ में ली हैं। मैं समझता हूं कि आपको इस सारी बात का बगौर जायजा लेना चाहिए। उसके बाद यह देखना चाहिए कि दस या बीस साल जितनी मुद्दत के लिए चाहिए, उसको लेकर हाउस में आएं, फिर दो या चार साल के लिए यह बिल लाएं और यह सिलसिला जारी रहे। मैं समझता हूं कि आपके लिए यह मुनासिब नहीं रहेगा। इसको थारोली स्टडी करना पड़ेगा। इसमें मैन्शन किया है कि कलकत्ता में जायदादें रिलीज कर रहे हैं और कहीं पर आपकी जायदाद नहीं बन रही है। कहीं छोड़ रहे हैं और कहीं पर एक्वायर कर रहे हैं। एक बात मैं जानना चाहता हूं, जो जम्मू-काश्मीर से ताल्लुक रखती है। जम्मू-काश्मीर का चीन और पाकिस्तान के साथ बार्डर लगा हुआ है। सारा जम्मू सैक्टर, काश्मीर घाटी और लद्दाख के लोगों की बहुत शिकायतें आ रही हैं कि आर्म्ड फोर्सेज को जमीन चाहिए। बहुत सारी जगहें उन्होंने ले भी ली हैं। श्रीनगर में एयरपोर्ट के लिए जगह चाहिए थी। इसी तरह से ओन्तीपुरा में आर्मी को एयरपोर्ट फैसीलिटी के लिए जगह चाहिए थी। मेरी कांस्टीच्युएंसी में बड़गाम का इलाका पड़ता है।

बड़गांव के इलाके में एरोड्रोम बना, आर्मी का अलग है और सिविल का अलग है, उसमें उन्होंने बहुत सारी जमीनें लोगों से खाली करवा लीं, उसके आसपास कितनी आबादी थी, देहात बसे थे, उनको कहा गया कि पीछे हट जाओ। बहरहाल, हमारी फौजों को जरूरत है तो उसमें उनकी मजबूरी थी और उसके बारे में किसी को शिकायत भी नहीं हो सकती लेकिन सवाल यह है कि जो उनकी जमीनों के क्लेम्स हैं, उस इलाके में आम-मार्केट में जिस कीमत पर जमीन बिक रही है, उसके मुताबिक कीमत मिलनी चाहिए, श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में तो एक कैनाल जमीन की कीमत एक लाख रुपये से भी ज्यादा हो गई है, अब बहुत सारे देहातों में तो दो लाख रुपये में भी आपको जमीन नहीं मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ जब हमारी आर्म्ड फोर्सेज के लिए जमीन ली जाती है तो उसका कम्पैन्सेशन देते वक्त इस बात का कोई ख्याल नहीं रखा जाता कि किस भाव पर हम कम्पैन्सेशन दे रहे हैं और मार्केट रेट्स क्या हैं। फिर, जिन लोगों की जमीनें ली गई, वे मुजारे हैं, जो उन पर काम करते थे, वहां उनकी पैदावार होती थी और उस पैदावार का वे खुद भी फायदा उठाते थे और स्टेट को भी फायदा था लेकिन उनकी जमीनें छीनने के बावजूद उनको मुनासिब कम्पैन्सेशन नहीं मिल रहा है। यह बड़े दुख की बात है। उड़ी टंगडार और राजौरी पुंछ में तो हजारों केसेज ऐसे पड़े हैं। मैं जम्मू और

[श्री अब्दुल रशीद काबुली]

कश्मीर असैम्बली का तकरीबन 11 साल तक मैम्बर रहा हूं और इन 11 सालों में मुत्तवातिर मैंने इसका हल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं तलाश कर पाया क्यों कि यह सब्जैक्ट स्टेट के ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जम्मू और कश्मीर के मामले में मुलाहजा करें जहां सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे केस पैन्डिंग हैं। बेचारे लोग बेघर हो गए हैं उनको पीछे हटा दिया गया है, उन्होंने जमीनें छोड़ दी हैं जो काश्तकारी की जमीनें थीं और उनके कम्पैन्सेशन का मामला अभी तक हलतलब है। चूंकि आप इस बिल के जरिए उस टाइम को दो सालों के लिए और एक्सटैंड करने जा रहे हैं, उस सम्बन्ध में मैं आप की तवज्जह उस मसले की तरफ भी दिलाना चाहूंगा। इसमें कोई शक या शिकायत की बात नहीं है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जमीन की जरूरत थी, कि उन जमीनों के कम्पैन्सेशन का मामला अभी तक लटकता आ रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से चाहूंगा कि वे अपने जवाब में यह भी बतायें कि जिन गरीब लोगों की जमीनें ली गई हैं, वे बहुत ज्यादा गरीब किसान हैं, गूजर हैं और सदियों से उन पहाड़ों पर रहते आये हैं, उनकी जमीनें काश्तकारी में आती थीं और अब वे तकरीबन बेघर हो गए हैं, काश्त के काबिल उनके पास अब कोई जमीन नहीं रह गई है, क्योंकि उनके सामने संकट की घड़ी पैदा हो गई है प्रौब्लम पैदा हो गई है, मैं आपके नोटिस में उस मामले को लाना चाहता हूं। मालूम नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने वह बात आप तक पहुंचाई या नहीं पहुंचाई लेकिन इस वक्त चूंकि यह मसला उठा है, मैं चाहता हूं कि उसकी तरफ भी आप मुत्तवज्जह हो जाएं। खास तौर से डिफैन्स मिनिस्ट्री के साथ आप बात करें और देखें कि हजारों और सैकड़ों केसेज जो सालों से पड़े हुए हैं, डिस्प्यूटिड हैं, काफी मुद्दत से पड़े हैं, आप उनका कोई हल तलाश कर सकें। उनको कम्पैन्सेशन दिलवाया जाए और जितना जल्दी मुमकिन हो उनकी रिहैबिलिटेशन का भी इंतजाम करवाया जाए। रिलीफ देने के लिए भी आपको मुतल्लका मिनिस्ट्री से बात करनी चाहिए।

आखिर में, मैं यह बात भी कहूंगा कि इसमें तो हमें कोई ऐतराज नहीं है कि आप दो साल की एक्सटेंशन लें लेकिन फिर वही अर्ज करूंगा बजाहिर जैसे कल भी बताया गया, शायद 5 तारीख को समन जारी हुए, वह तो सैक्रेटेरिएट दुरुस्त करेगा कि सही तारीख क्या है, लेकिन हमारे मुताबिक 8 को आर्डिनेंस जारी हुआ जब कि 13 से पार्लियामेंट मिलनी थी और इतने कम वकफे में ही, यानी 5 से 8 और 8 से 13 मार्च के बीच में कोई खास अंतर नहीं है, यह कोई इतना बड़ा वकफा नहीं है कि कोई इंक्लाब आ जाता, कोई हंगामा बरपा हो जाता, अगर आप 4-5 दिन ऑर्डिनेंस और न लाते और बराह-रास्त इस बिल को पार्लियामेंट में लाकर पास करवाते लेकिन मैं वही बात फिर दोहराऊंगा जो बात ट्रैजरी बैन्चेज और अपोजीशन बैन्चेज से भी आई है कि खुदा के लिए आइन्दा के लिए आप इस बात का ख्याल रखें। अगर पार्लियामेंट के सैशन और आर्डिनेंस के बीच में काफी अन्तर हो तब तो कोई बात नहीं, यदि ज्यादा अन्तर नहीं है, काफी टाइम नहीं है तो आप आर्डिनेंस अलग से मत निकालिये, बल्कि बिल की बाबत में उसको पार्लियामेंट में लेकर आईये। मैं चाहूंगा कि आप इस बात का आइन्दा के लिए ख्याल रखेंगे और इस विषय पर कुछ रोशनी डालेंगे।

شری عبدالرشید کابلی (سری نگر) ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ میں عزت مآب منسٹر سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اصل میں بل میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ نے صرف دو سال کا اضافہ مانگا ہے۔ جہاں تک اس بل کا تعلق ہے دی ریکویزیشننگ اینڈ دی ایکویزیشن آف دی امموویبل پراپرٹی ایکٹ اس میں آپ امینڈمینٹ چاہ رہے ہیں اور آپ جس میں چاہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کو زیادہ وقت ملے۔ آپ ریکویزیشن کریں اور بعد میں ان پراپرٹی کو ریلیز بھی کریں۔ اس کے لئے دو سال آپ نے مانگے ہیں۔ ۱۹۷۰ء کے بعد مارچ ۱۹۸۵ء میں اس کو ختم ہو جانا چاہیئے تھا۔ لیکن اس کے لئے آپ چاہ رہے ہیں کہ دو سال اور ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بیچ میں لیجسلیشن نہیں لانا چاہیئے۔ آپ نے کہا ہے کہ پانچ کروڑ سے زیادہ کی جائدادیں ڈیفنس فورسز نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس ساری بات کا بغور جائزہ لینا چاہیئے۔ اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیئے کہ دس یا بیس سال جتنی مدت کے لئے چاہیئے اس کو لے کر ہاؤس میں آئیں کبھی پھر دو یا چار سال کے لئے یہ بل لائیں اور یہ سلسلہ جاری رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لئے یہ مناسب نہیں رہے گا۔ اس کو سخارہ ولی اسٹیڈی کرنا پڑے گا۔ اس میں منطق کیسا ہے کہ کلکتہ میں جائیدادیں ریلیز کر رہے ہیں اور کہیں پر آپ کی زیادہ جائیداد نہیں بن رہی ہے اور کہیں پر ایکوائر کر رہے ہیں۔ ایک بات میں جاننا چاہتا ہوں۔ جموں کشمیر سے تعلق رکھتی ہے۔ جموں کشمیر کا چین اور پاکستان کے ساتھ بارڈر لگا ہوا ہے۔ سارا جموں سیکٹر کشمیر گھاٹی اور لداخ کے لوگوں کی بہت شکایتیں آ رہی ہیں کہ آرمڈ فورسز کو زمین چاہیئے۔ بہت ساری جگہیں جنہوں نے لے بھی لی ہیں سری نگر میں ایئرپورٹ کے لئے جگہ چاہیئے تھی۔ اسی طرح اونتی پورہ میں آرمی کو ایئرپورٹ فیسیلیٹیز کے لئے جگہ چاہیئے تھی۔ میری کانسٹی ٹیونسی میں بڑگام کا علاقہ پڑتا ہے۔

اور بڑگاؤں کے علاقے میں ایروڈروم بنا آرمی کا الگ ہے اور سول کا الگ ہے۔ اس میں انہوں نے بہت ساری زمینیں لوگوں سے خالی کروا لیں ان کے آس پاس جتنی آبادی

[श्री अब्दुल रशीद काबुली]

تھی دیہات بسے تھے۔

ان کو کہا گیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ بہرحال ہماری فوجوں کو ضرورت ہے تو اس میں ان کی مجبوری تھی اور اس کے بارے میں کسی کو شکایت بھی نہیں ہو سکتی لیکن سوال یہ ہے کہ جو ان کی زمینوں کے کلیمس ہیں اس علاقے میں عام مارکیٹ میں جس قیمت پر زمین بک رہی ہے اسی کے مطابق قیمت ملنی چاہیئے۔ سری نگر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں تو ایک کینال زمین کی قیمت ایک لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ بہت سارے دیہاتوں میں دو لاکھ روپے میں بھی آپ کو زمین نہیں ملے گی۔ لیکن دوسری طرف جب ہماری آرمڈ فورسز کے لئے زمین لی جاتی ہے تو اس کا کمپینسیشن دیتے وقت اس بات کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا کہ کس بھاؤ پر ہم کمپینسیشن دے رہے ہیں اور مارکیٹ ریٹس کیا ہیں۔ پھر جن لوگوں کی زمینیں لی گئیں وہ مزارع ہیں جو ان پر کام کرتے تھے وہاں ان کی پیداوار ہوتی تھی اور اس پیداوار کا وہ خود بھی فائدہ اٹھاتے تھے اور اسٹیٹ کو بھی فائدہ تھا لیکن ان کی زمینیں چھینے جانے کے باوجود ان کو مناسب کمپینسیشن نہیں مل رہا ہے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ ماڑی ننگڈا اور راجوری، پونچھ میں تو ہزاروں کیسز ایسے پڑے ہیں۔ میں جموں اور کشمیر اسمبلی کا تقریباً گیارہ سال تک ممبر رہا ہوں اور ان گیارہ سالوں میں متواتر میں نے اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن کوئی جواب نہیں تلاش کر پایا کیوں کہ یہ سبجیکٹ اسٹیٹ کے جیورسڈکشن میں نہیں آتا۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ جموں اور کشمیر کے معاملے میں ملاحظہ کریں جہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے کیس پینڈنگ ہیں۔ بے چارے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں ان کو پیچھے ہٹا دیا گیا ہے۔ انہوں نے زمینیں چھوڑ دی ہیں جو کاشت کاری کی زمینیں تھیں اور ان کے کمپینسیشن کا معاملہ ابھی تک حل طلب ہے۔ چوں کہ آپ اس بل کے ذریعہ اس ٹائم کو دو سالوں کے لئے اور ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں اس سمبندھ میں میں آپ کی توجہ اس مسئلے کی طرف بھی دلانا چاہتا ہوں۔ اس میں کوئی شک یا شکایت کی بات نہیں ہے کہ ہماری آرمڈ فورسز کو زمین کی ضرورت تھی۔ لیکن ان زمینوں کے

कंपेनसेशन का معاملہ ابھی تک اٹکتا آ رہا ہے۔ میں آپ کے مادھیم سے منتری جی سے چاہوں گا کہ وہ اپنے جواب میں یہ بھی بتائیں کہ جن غریب لوگوں کی زمینیں لی گئی ہیں وہ بہت سے غریب کسان ہیں گوجر ہیں اور صدیوں سے ان پہاڑوں پر رہتے آئے ہیں ان کی زمینیں کاشت کاری میں آتی تھیں اور اب وہ تقریباً بے گھر ہو گئے ہیں کاشت کے قابل ان کے پاس اب کوئی زمین نہیں رہ گئی ہے کیوں کہ ان کے سامنے سنکٹ کی گھڑی پیدا ہو گئی ہے میں آپ کے نوٹس میں اس معاملے کو لانا چاہتا ہوں۔ معلوم نہیں اسٹیٹ گورنمنٹ نے وہ بات آپ تک پہنچائی یا نہیں پہنچائی لیکن اس وقت چوں کہ یہ مسئلہ اٹھا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کی طرف بھی آپ متوجہ ہو جائیں۔ خاص طور سے ڈیفنس منسٹری کے ساتھ آپ بات کریں اور دیکھیں کہ ہزاروں اور سینکڑوں کیسز جو سالوں سے پڑے ہوئے ہیں ڈسپیوٹڈ ہیں کافی مدت سے پڑے ہیں آپ ان کا کوئی حل تلاش کر سکیں ان کو کمپینسیشن دلوایا جائے اور جتنا جلدی ممکن ہو ان کی ریہیبلیٹیشن کا انتظام کروایا جائے۔ ریلیف دینے کے لئے بھی آپ کو متعلقہ منسٹری سے بات کرنی چاہیئے۔

آخر میں میں یہ بات بھی کہوں گا کہ اس میں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ دو سال کی ایکسٹینشن لیں لیکن پھر وہی عرض کروں گا بظاہر جیسے کل بھی بتایا گیا شاید پانچ تاریخ کو سمن جاری ہوئے وہ تو سکریٹریٹ درست کرے گا کہ صحیح تاریخ کیا ہے لیکن ہمارے مطابق آٹھ کو آرڈی ننینس جاری ہوا جب کہ ۱۳ سے پارلیامنٹ بیٹھی تھی اور اتنے کم وقفے میں ہی یعنی ۵ سے ۸ اور ۸ سے ۱۳ مارچ کے بیچ میں کوئی خاص انٹر نہیں ہے یہ کوئی اتنا بڑا وقفہ نہیں ہے کہ کوئی انقلاب آ جاتا کوئی ہنگامہ برپا ہو جاتا اگر آپ چار پانچ دن آرڈی ننینس اور نہ لاتے اور براہ راست اس بل کو پارلیامنٹ میں لا کر پاس کروا لیتے لیکن میں وہی بات پھر دہراؤں گا جو بات ٹریجڈی بیچ اور اپوزیشن بیچ سے بھی آئی ہے کہ خدا کے لئے آئندہ کے لئے آپ اس بات کا

[श्री अब्दुल रशीद काबुली]

خیال رکھیں۔ اگر پارلیمنٹ کے سیشن اور آرڈی نینس کے بیچ میں کافی انتر ہو تب تو کوئی بات نہیں یدی زیادہ انتر نہیں ہے کافی ٹائم نہیں ہے تو آپ آرڈی نینس الگ سے مت نکالئے بلکہ اس کو بل کی شکل میں پارلیمنٹ میں لے کر آئیے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس بات کا آئندہ کے لئے خیال رکھیں گے اور اس وشے پر کچھ روشنی ڈالیں گے۔

1.00 म० प०

[हिन्दी]

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दोस्ती काबुली साहब ने जो कहा कि 5 तारीख और 8 तारीख, यह बात ठीक है, लेकिन इसको लाने की क्यों जरूरत पड़ी यह मैं बताता हूं।

पिछली दफा जब यह अमेंडमेंट हुआ था तो उसका टाइम 5 साल था, वह खत्म हो रहा था 10 मार्च को। अगर यह आर्डिनेन्स नहीं लाते और पार्लियामेंट में एक्ट लाते तो उसके पास होने में कम-से-कम कुछ वक्त तो लगता। इस दरम्यान में इस एक्ट के मुताबिक तमाम लोग, जिनकी प्रापर्टीज का रैक्वीजीशन हुआ था, वह कोर्ट में चले जाते कि हमारी प्रापर्टीज वापिस कर दीजिये क्योंकि एक्ट के मुताबिक नहीं रख सकते। इसलिये आर्डिनेन्स लाया गया और साथ ही साथ हमने यह भी तय किया कि इसी सैशन में इस लैकुने से बचने के लिये हम एक्ट पास कर देते हैं।

एक चीज मैं अच्छी तरह से समझा देना चाहता हूं, करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों, जिन्होंने डिस्कशन में भाग लिया है, उनका यह ख्याल था कि आप 2 साल में क्या कीजियेगा ? हमने जो 2 साल का टाइम लिया है, बड़ी आसानी से इसको 5 साल भी कर सकते थे, लेकिन पिछली दफा जो अमेंडमेंट हुआ था, उसमें 5 साल का टाइम गवर्नमेंट ने लिया था और उसमें तय हुआ था कि फेज प्रोग्राम में सारी प्रापर्टीज जो रिक्वीजीशन हुई थीं, उनको वापिस कर देंगे। काफी हद तक वह वापिस भी हुई हैं। करीब 200 प्रापर्टी और 8,000 एकड़ जमीन खास तौर से डिफेन्स डिपार्टमेंट के पास है जो वापिस नहीं हुई। गवर्नमेंट भी इस चीज की अहमियत को अच्छी तरह से समझती है, लेकिन दो साल का टाइम इसीलिये लिया कि हमारी नीयत साफ है, हम 2 साल के अन्दर ही सारी प्रापर्टी को वापिस कर देंगे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : 5 साल में तो किया नहीं, 2 साल में कैसे कर देंगे ?

श्री अब्दुल गफूर : डागा साहब आप तो क्यू में हैं, इसलिये थोड़ी देर वेट कीजिये।

आप यह समझते हैं कि यह वर्क्स हाउसिंग मिनिस्ट्री का ही सब किया हुआ है। ऐसी बात नहीं है। हमारी परेशानी देखिये, डिफेन्स डिपार्टमेंट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, रेलवे और एजूकेशन मिनिस्ट्री प्रापर्टीज एक्वायर करती हैं और उन सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इसलिये इस जिम्मेदारी पर थोड़ी सी आपकी भी नजरे-इनायत होनी चाहिये। सारा बोझा मेरे ऊपर जवाब देने का हो जाता है। इसलिये मैंने तय किया है 2 साल के अन्दर, आलरेडी तमाम डिपार्टमेंट्स को लिखा जा रहा है कि आप इस चीज को वापिस कीजिये। मैं उम्मीद करता हूं कि 2 साल के अन्दर, शायद दो साल भी पूरे नहीं होंगे, इन चीजों को हम वापिस कर देंगे। अगर कोई वापिस नहीं करता है, तो उसको अख्त्यार है कि वह एक्वायर कर ले और मार्किट रेट से कम्पेंसेशन दे, लेकिन उसको रखे भी रहे, यह ठीक नहीं

[श्री अब्दुल गफूर]

है। जो सरकार स्टेट में बैठी हुई हैं, उन्होंने कहा है कि यह रेंट 20 साल पहले का फिक्स किया हुआ है और आज तक भी वही दिया जा रहा है। इस एक्ट में प्रावीजन है कि 5 साल के बाद रेंट का रिवीजन गवर्नमेंट और ओनर आफ दी हाउस, जिसकी प्रापर्टी रिक्वीजीशन हुई है, वह दरख्वास्त देगा और गवर्नमेंट मिलकर दोनों इसको तय करेंगे और अगर दोनों में डिफरेंस होगा तो उसके लिए भी यह है कि आप दोनों मिलकर एक आर्बीट्रेटर बहाल करेंगे और वह आरबीट्रेटर जो फैसला देगा, वह दोनों पर लागू होगा।

हमारे श्री प्रिय रंजन दास मुंशी ने भी इसी बात का सवाल उठाया कि बैंक ज्यादा किराये पर प्रापर्टी लेते हैं, लेकिन जो पहले से रिक्वीजीशन्ड हैं, उनका किराया कम है। इसलिये हम चाहते हैं कि ये सारी प्रापर्टीज जिनकी हैं, उनको वापिस कर दी जायें। सारे हिन्दुस्तान से जो हमने फिगर्स मंगाये हैं, उसमें मुश्किल से 200 से कम ही प्रापर्टी हैं, कुछ रैंजीडैंशल हैं कुछ नान-रैजीडैंशल हैं और कुछ लड है। लैंड ज्यादातर डिफैन्स की है। डिफैन्स में ज्यादा सामान वगैरह रखने की, बनाने की जरूरत हो तो वह उस जमीन को एक्वायर कर ले।

उसको लेकर वह रेंट पर न रखें। यह सारा मामला मैं समझता हूं कि मेरी तरह से हर डिपार्टमेंट को यह लोग लिखते रहेंगे। उस समय तक लड़ते रहेंगे जब तक ये चीजें खत्म न हो जायें। मैं उम्मीद करता हूं कि दो साल के अन्दर हम इस चीज को हल कर लेंगे। इस बारे में सारे कैबिनेट के लोगों ने बैठकर डिसकशन किया, उसके बाद से यह आर्डिनेंस आया, इसलिए वे लोग अपनी जिम्मेदारी को जानते है। अगर हमको रिक्वीजीशन कर देना हो तो हम कल ही कर देते, लेकिन अब उन लोगों की जरूरत के मुताबिक उन लोगों को देखना पड़ेगा कि कहां वह रखे जायेंगे। कलकत्ता, बम्बई वगैरह में बिल्डिंगें बनकर तैयार हुई हैं, काफी आफिस शिफ्ट किये गये हैं, कुछ और शिफ्ट करने का विचार है। हम समझते हैं कि जो यह दिमाग का बोझ है, जिसका इशारा किया कि जस्टिस नहीं हो रहा है, सारी चीज को पूरा करने के लिये हम दो साल का समय मांगते हैं। चाहते तो आसानी के साथ 5 साल तक इत्मिनान होकर बैठे रहते, लेकिन दो साल में परेशानी होगी, इसका अन्दाजा कर सकते हैं। इसलिये इस बिल को, आर्डिनेंस को ऐक्ट में बदलने के लिये हाऊस के अन्दर मैं माननीय मैम्बरों से यही कहूंगा कि इसको पारित कर दें।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मैं माननीय मंत्री महोदय से अर्ज करूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो समस्या है, उसको वह देखें। डिफेंस फोर्सेज की वजह से बहुत सी जमीनें उन्होंने ले ली हैं। कुछ जमीनें जिनकी कीमत चुकानी चाहिए, जिनको नहीं चुका रहे हैं, मार्किट रेट देना चाहिए। हमारे बार्डर एरियाज में हजारों लोगों का यह मसला है। मैं चाहता हूं कि इस मामले में आप इतमिनान दिलायें।

شری عبدالرشید کابلی :- میں مانیہ منتری مہودے سے عرض کروں گا کہ جموں کشمیر میں جو سمسیا ہے اس کو وہ دیکھیں ڈیفنس فورسز کی وجہ سے بہت سی زمینیں انہوں نے لے لی ہیں۔ کچھ زمینیں جن کی قیمت چکانی چاہیئے جن کو نہیں چکا رہے ہیں مارکیٹ ریٹ دینا چاہیئے۔ ہمارے بارڈر ایریاز میں ہزاروں لوگوں کا یہ مسئلہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں آپ اطمینان دلائیں۔

श्री अब्दुल गफूर : मेरे पास फीगर्स हैं जो कि 8 हजार 4 सो की हैं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : हमारे गुप्ता साहब से पूछिए कि यह समस्या जम्मू में है, लद्दाख में है, काश्मीर में है, लेकिन यह मसला हल होने में नहीं आता है। वे लोग बेघर हो गये हैं जमीनें ली गईं, वह कश्तकार लोग थे, वे गूजर थे, इसी तरीके के लोग जो गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, परेशानी में हैं। मैं चाहूंगा कि इस मामले पर आप हमें इतमिनान दिला दीजिए कि आप डिफेंस फोर्सेज़ से बात करेंगे। इस मामले को बढ़ाने की बजाय कम्पेन्सेशन का मामला जल्दी से जल्दी हल करायेंगे। जो मौजूदा जो मार्किट रेट होगा, उसके मुताबिक देंगे क्योंकि 10-20 साल से लिटिगेशन चल रही है। जितनी जल्दी हो सके, इसको हल कर दें, जिससे हजारों लोग मुत्तासिर हो रहे हैं और उसमें लापरवाही हो रही है।

شری عبدالرشید کابلی :- ہمارے گپتا صاحب سے پوچھیئے کہ یہ سمسیا جموں میں ہے لدّاخ میں ہے کشمیر میں ہے لیکن یہ مسئلہ حل ہونے میں نہیں آتا ہے۔ وہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں زمینیں لے لی گئیں وہ کاشتکار لوگ تھے وہ گوجر تھے اسی طریقے کے لوگ جو غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں پریشانی میں ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس معاملے پر آپ ہمیں اطمینان دلا دیجئے کہ آپ ڈیفینس فورسز سے بات کریں گے۔ اس معاملے کو بڑھانے کی بجائے کمپنسیشن کا معاملہ جلدی سے جلدی حل کرائیں گے۔ موجودہ جو مارکیٹ ریٹ ہوگا اس کے مطابق دیں گے کیوں کہ دس بیس سال سے لیٹی گیشن چل رہا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے اس کو حل کر دیں جس سے ہزاروں لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور اس میں لاپرواہی ہو رہی ہے۔

[अनुवाद]

मूल चन्द डागा (पाली) : मैं इस संबंध में दो या तीन स्पष्टीकरण चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ एक स्पष्टीकरण। मैं किसी भी प्रकार के भाषण की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री मूल चन्द डागा : मै सिर्फ स्पष्टीकरण करवाना चाहूंगा और कुछ नहीं।

क्या उन सभी विभागों को जिनके पास अचल सम्पत्ति है लिखित में दे दिया है कि वे दो वर्ष के भीतर इन्हें छोड़ देंगे। मेरे विचार से आपको विभिन्न विभागों की दरख्वास्तें प्राप्त हुई हैं जिन्होंने कहा है कि वे दो साल के अन्दर इस सम्पत्ति को छोड़ देंगे। ऐसे कौन-कौन से विभाग हैं जिन्होंने ऐसा लिखित में दिया है ? अगर यह सम्पत्ति इनके मालिकों को दो वर्ष में नहीं लौटाई गई तो क्या सरकार उन्हें मुआवजा देगी ? एक बात तो यह है जो मैं आपसे जानना चाहता हूं। दूसरी बात है माना कि आपने सदन को आश्वस्त कर दिया कि दो वर्ष के अन्दर ये सम्पत्ति उनके मालिकों को लौटा दी जायेगी परन्तु अगर यह नहीं लौटायी जाती है तो आप इस पर क्या कार्यवाही करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको सिर्फ एक स्पष्टीकरण के लिए कहा था।

श्री मूल चन्द डागा : उन्होंने सम्पत्तियों का नाम नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं दूसरे स्पष्टीकरण की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री अब्दुल गफूर : निर्माण और आवास मन्त्रालय : 5 रिहायशी और 34 दफ्तरों तथा अन्य मकसदों के लिए।

रक्षा मन्त्रालय : 26 रिहायशी, 5 अन्य कामों के लिए... (**व्यवधान**) 4,164 एकड़

संचार मन्त्रालय...... (**व्यवधान**)

श्री राज मंगल पांडे (देवरिया) : प्रश्न और जवाब एकदम अलग-अलग हैं।

(**व्यवधान**) *

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए। मैं इजाजत नहीं दूंगा। कुछ भी कार्यवाही-वृतान्त में शामिल नहीं होगा।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर : ये सारी चीजें जो कही गईं, इन्होंने कहा कि यह जो बिल ला रहे हैं, क्या आपको दूसरी मिनिस्ट्रीज से यह लेटर मिला है या नहीं कि वह लोग खाली कर देंगे, तो उनको मालूम है कि यहां जितना काम होता है ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी से होता है, कैबिनेट में चीज जाती है, कैबिनेट तय करती है कि इस बिल को लाना है या आर्डिनेंस लाना है तो वहां तो ज्वाइंट कन्सेंट हो ही गई। इसलिए मैं समझता हूं कि डागा साहब को ज्यादा इन्तजार नहीं करना पड़ेगा।

दूसरी तरफ जो काबुली साहब ने इशारा किया है, उनको मैं यह कहना चाहता हूं कि वह जानते हैं कि डिफेंस डिपार्टमेन्ट की तरफ से काफी जमीन ली गई है। अर्डिनरिली दूसरा डिपार्टमेन्ट रहता तो पांच छः महीने में खाली करा लेते, लेकिन डिफेंस के मामले में थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप के दिल में जो बातें हैं उसी प्वाइंट से हम इसकी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हो।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० सोज, क्या आप संकल्प वापस ले रहे हैं ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही खुशी है कि मेरे संकल्प से सदन के दोनों पक्षों में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। कल मैं विशेषरूप से प्रसन्न था जब प्रो० रंगा ने इस संकल्प को इस सम्मानित सदन में लाने के लिए मुझे बधाई दी। परन्तु श्री अब्दुल गफूर के लिए मुझे खेद है। मैं नहीं समझता कि यह उनकी गलती है। वह इस अध्यादेश को सदन में लाये हैं। शायद वे उन बुराईयों का जवाब दे रहे हैं जो विभिन्न मन्त्रालयों में, सम्पूर्ण प्रशासन में आ गई हैं। मैं नहीं समझता कि निर्माण एवं आवास मन्त्री इसके लिए जवाबदेह हैं।

भूमि अधिग्रहण तथा अर्जन का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्षों तक आप यह निर्णय नहीं ले पाते क्या आप उप सम्पत्ति को अर्जित करेंगे अथवा नहीं। आपने कहा कि आपके पास सिर्फ 200 जायदादें हैं और आपने सिर्फ 8,400 एकड़ का अधिग्रहण किया है। मैं नहीं जानता कि ये आंकड़े कहां तैयार किए जाते हैं। वहां तक मेरी पहुंच नहीं है। परन्तु मोटे रूप से मेरा अंदाजा है कि 8,400 एकड़ के आंकड़े गलत हैं। शायद इसका ठीक से हिसाब नहीं लगाया गया है कि आप कितने एकड़ का अर्जन अथवा अधिग्रहण करना चाहते हैं। परन्तु मैं यह विषय बाद में उठाऊंगा। इस समय मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि अधिकतर मन्त्रालय विशेष रूप से रक्षा मन्त्रालय यह फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि अन्ततः उन्हें कौन सी भूमि का अर्जन करना है इसमें लम्बा समय लग जाता है। यह राष्ट्रीय नुकसान है। जहां कहीं भी भूमि है अगर उस पर खेती नहीं की जाती, उस पर कोई इमारत नहीं बनी हुई है उस भूमि का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तो यह राष्ट्रीय हानि है। उस भूमि का मालिक उसे बेच भी नहीं सकता।

ऐसे भी स्थान हैं जहां भूमि की अत्यन्त कमी है। दुर्भाग्यवश, मैं ऐसे स्थान का रहने वाला हूं

[प्रो० सफुद्दीन सोज]

जहां पर भूमि की अत्यधिक कमी है और वह स्थान है बारामूला। बारामूला शहर पहाड़ों से घिरा हुआ है। वहां एक छोटी घाटी है। मुश्किल से ही वहां पर कोई भूमि है। मैं निर्माण और आवास मन्त्री को बारामूला आने का निमन्त्रण देता हूं और वे स्वयं इसे देख सकते हैं। शायद वे कभी कश्मीर नहीं गए हैं। वह कश्मीर का जो अत्यन्त सुन्दर घाटी है अप्रैल अथवा मई में भ्रमण कर सकते हैं। ये बहुत ही सुहावने महीने होते हैं। इस समय आप यहां लोगों द्वारा पहाड़ों पर बनाये जा रहे भवनों के काम का अवलोकन भी कर सकते हैं। क्योंकि यहां की सबसे अच्छी और उपयोगी भूमि फौज के कब्जे में है। उसके लिए बहुत ही कम किराया दिया जाता है। आखिरकार बारामूला अथवा भारत के किसी भी स्थान पर रहने वाले लोग इस महान देश के नागरिक हैं। रक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण है परन्तु नागरिकों की स्वतन्त्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। वे जो भी किराया निर्धारित करते हैं लोगों को वही किराया स्वीकार करना पड़ता है।

मैं माननीय मन्त्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं—और वे रक्षा मंत्रालय के साथ इस बात को उठाएं—कि बारामूला के व्यक्तियों को मिलने वाला किराया बहुत ही कम है। वे लोग उपायुक्त के पास भी गये थे और कहा कि वे इस किराए को स्वीकार नहीं करेंगे। परन्तु वे क्या कर सकते थे? उपायुक्त अथवा मुख्य मन्त्री क्या कर सकते थे? वे क्या कर सकते थे? क्योंकि रक्षा विभाग अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

इससे अधिक आपत्तिजनक यह कि बारामूला एक बहुत ही छोटी घाटी है और इसकी आधी जमीन सेना के अधिकार में है यहां पर और भी भूमि है जिसे सेना उपयोग में ले सकती थी। परन्तु सेना ने बारामूला शहर के बीचोंबीच सबसे बड़े भूभाग पर कब्जा कर रखा है। उसके लिए वह बहुत ही कम किराया देते हैं।

इस तरह की स्थिति देश के अन्य स्थानों पर भी विद्यमान होगी। भूमि तथा अचल सम्पत्ति के अर्जन तथा अधिग्रहण की समस्या में यह मूल दोष है। परन्तु इस से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इस सदन की गरिमा और सम्मान का है।

श्री राज मंगल पांडे : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं नहीं समझता कि इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न बनता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था प्रश्न क्या है?

श्री राज मंगल पांडे : यह विधेयक जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सारे देश पर लागू होता है।

श्री सैफुद्दीन सोज : यह सम्बद्ध विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं बनता।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उन्हें इस बात का उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए कि सेना ने किस प्रकार से यह जमीन प्राप्त की। मैंने एक मुख्य प्रश्न उठाया है। कानून में यह एक मूल दोष है। बारामूला केवल एक उदाहरण है। इस देश में और भी अन्य स्थान हैं जहां पर ऐसी ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मेरा प्रश्न कानून में विद्यमान त्रुटि से ही संबंधित नहीं है परन्तु इसका सम्बन्ध इन बातों से भी है कि किस प्रकार से सम्पत्ति अर्जित की जाती है। किस प्रकार से इसमें इतना ज्यादा समय-लगता है और लोगों को क्या-क्या कष्ट उठाने पड़ते हैं। दशकों तक वे लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं। परन्तु इससे भी अधिक गम्भीर बात इस तरह का अध्यादेश प्रख्यापित करने की है। मेरा प्रश्न है कि संसद की गरिमा और सम्मान ही खतरे में है।

कल मैंने प्रश्न उठाया था कि श्री मावलंकर के इस बारे में क्या विचार थे। मैंने यह भी बताया था कि हमारे महान प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू की इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई थी। इसके लिए बहुत लम्बा पत्रव्यवहार हुआ था। वे सभी बात मैं आज दोहराऊंगा नहीं। परन्तु मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार श्री मावलंकर तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू को लगातार पत्र लिखते रहे। सन् 1954 में उन्होंने पत्र लिखा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उसका सिर्फ सार दे दीजिये।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं आपको उसका सार बताऊंगा।

उसे बताने से पहले मैं आपको डाक्टर अम्बेडकर के विचार बताऊंगा। उनके विचार ये कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया जा सकता है। परन्तु उसे इसका प्रयोग बार-बार नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्ताव रखा और उसने मान लिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। डा० अम्बेडकर सहमत थे कि अध्यादेश की उद्घोषणा के लिए संविधान में प्रावधान होना चाहिये। परन्तु थे जब संविधान सभा में अध्यादेश के सम्बन्धी बिल पर चर्चा हो रही थी तब इस बात से भी बराबर आश्वस्त थे कि इस प्रकार के अधिकार कार्यकारिणी में निहित होना चाहिये। उन्होंने कहा :

> "यह कल्पना की जा सकती है कि ऐसे मामले पैदा हो सकते हैं जब कोई ऐसी स्थिति अचानक या तत्काल उत्पन्न हो जाये जिससे निपटने के लिये उस समय विद्यमान सामान्य कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार अपर्याप्त हों। आपातकालीन स्थिति का अवश्य मुकाबला किया जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता कि उसका एकमात्र समाधान राष्ट्रपति को यह अधिकार देना है कि वह ऐसा कानून प्रख्यापित कर सकें जिसके अन्तर्गत कार्यपालिका उस विशिष्ट स्थिति से निपट सके।"

संविधान में उल्लिखित शब्दावली तथा डा० अम्बेडकर द्वारा इसके पक्ष में कही गई बात से

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

स्पष्ट है कि अध्यादेश को तभी जारी किया जाना चाहिए जब कार्यपालिका द्वारा तुरन्त कार्यवाही को जाने की आवश्यकता हो।

[अनुवाद]

अतः मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि पहली लोक सभा ने यह व्यवस्था की थी। उसने एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना की थी कि संसद के अधिकारों का ह्रास होगा और संसद की गरिमा खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए, इस संकल्प पर अपना भाषण समाप्त करने से पहले, मैं इस सम्मानित सदन को उस बात की याद दिलाना चाहूंगा जो डा० अम्बेडकर ने पंडित जवाहर लाल नेहरू को तब लिखी थी जब वह इस महान देश के प्रधानमंत्री थे। माननीय अध्यक्ष श्री मावलंकर ने अपने 17 जुलाई, 1954 के पत्र में प्रधानमंत्री को लिखा था :

"अध्यादेश जारी करना अलोकतान्त्रिक है।" श्री मावलंकर और पंडित जवाहर लाल नेहरू के बीच एक लम्बा पत्राचार हुआ था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को लिखे इस 17 जुलाई, 1954 के पत्र में स्पष्ट इशारा है कि श्री मावलंकर ने अध्यादेश जारी करने के विषय में अपनी अन्तिम राय क्या कायम की थी।

"अध्यादेश जारी करना अलोकतान्त्रिक है। इसे नितान्त अविलम्बनीयता और आपात-कालीन स्थिति जैसे मामलों के सिवाय उचित नहीं ठहराया जा सकता..... हमारे ऊपर पहली लोक सभा के नाते परम्पराएं स्थापित करने की जिम्मेवारी है। यह सरकार के वर्तमान अधिकारियों का प्रश्न नहीं है बल्कि पूर्व दृष्टांतों का प्रश्न है और यदि अध्यादेश जारी करने की इस परिपाटी को नितान्त अविलम्बनीयता और बहुत ही महत्वपूर्ण मामलों तक सीमित नहीं रखा गया तो इसका फल यह हो सकता है कि भविष्य में सरकार अध्यादेश पर अध्यादेश जारी करती चली जायेगी और लोक सभा के पास उन अध्यादेशों पर मोहर लगाने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रहेगा। मैं एक और विषय, अर्थात् उस वित्तीय पहलू की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहूंगा जो भारतीय आयकर अधि-नियम, 1922 के संशोधन से सम्बद्ध है। यह प्रत्यक्ष रूप में एक कराधान उपाय नहीं है। इसका उद्देश्य आयकर वसूल करना है। अप्रत्यक्ष तौर पर, इसका प्रभाव वित्तीय स्थिति पर पड़ता है और इस प्रयोजन के लिए अध्यादेश जारी करना एक गलत दृष्टांत बन जायेगा।"

इसका मतलब है कि सरकार भी ऐसे बहुत से विषयों पर अध्यादेश जारी करके उसे संसद में पेश करने की आदत सी बन जाएगी। यह उसी क्रम का एक अध्यादेश है। अतः श्री मावलंकर ने देश को 1954 में चेतावनी दी थी और चूंकि अध्यादेश इस तरह से संसद के अधिकारों को समाप्त कर रहे हैं, मैं इसे इस संसद के सम्मान के प्रति एक बहुत बड़े अनादर के रूप में देखता हूं। मैं अपने इस संकल्प को स्वीकार किए जाने का पुरजोर आग्रह करता हूं। इस सदन की गरिमा तथा सम्मान को बनाये रखना आपका फर्ज है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना संकल्प वापिस ले रहे हैं ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं सिद्धान्त के आधार अपने संकल्प पर जोर दे रहा हूं। अगर आप अध्यादेश जारी नहीं करते तो क्या हो जाता ? क्या लोग जाकर भूमि पर कब्जा कर लेते ?

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर : उपाध्यक्ष महोदय, यह आर्डिनेंस भी एक एक्सैप्शनल सरकमस्टैन्स में हुआ है। इसी दस मार्च को, जहां हम लोग इस महीने में बैठे हुए हैं, एक्ट जो पांच साल के लिए रखा था, वह खत्म हो रहा था और अगर दस मार्च को पार्लियामेंट में कोई बिल लाते, तो उसकी बहस में एक महीना लग जाता है, और दस मार्च के बाद जितनी भी सारी प्रापर्टी है, उससे हाथ धोना पड़ता तथा सारे भारत में लिटिगेशन हो जाता। इस चीज से बचने के लिए आर्डिनेंस जारी किया गया। इस सैशन में दो-तीन रोज के बाद एक्ट ला रहे हैं और दो साल के अन्दर सारी चीजों का निपटारा करेंगे। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हाउस की प्रैसटिज का ख्याल न रखा गया हो। यह मैंने पहले ही कहा है कि इस में एक डिपार्टमेंट का सवाल नहीं है, सारे हिन्दुस्तान में गवर्नमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन सबसे कन्सर्न रखता है, लेकिन जवाब हाउसिंग मिनिस्टर को देना पड़ता है। इस मजबूरी का ख्याल रखते हुए, अगर यह दस तारीख से पहले आर्डिनेंस नहीं होता, तो सारी प्रापर्टी, जिनका आप लोगों ने इस हाउस में जिक्र किया, सब लिटिगेशन में चली जाती। सब ओनर्स जाकर मुकद्दमा दायर कर देते कि इनको अब इस प्रापर्टी को रखने का कोई अख्तियार नहीं है। अगर यह बात हो जाती, कुछ सैन्सिटिव डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कम्यूनीकेशन का है, डिफेंस का है, तो एक तरह से बावेला सारे हिन्दुस्तान में मच जाता। इसलिए यह आर्डिनेंस जारी किया गया, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, अपने इस रिजोल्यूशन को वापिस ले लें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारमूला) : डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक गफूर साहब, जो वर्क्स मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, का ताल्लुक है, उनकी नीयत पर मुझे कोई शुब्हा नहीं है। दरअसल यह उनके डिपार्टमेन्ट की बात है, जिसने उनके लिये इस तरह की सिचुएशन पैदा कर दी की उनके सामने इस आर्डिनेन्स को लाने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था। यह 10 मार्च या 8 मार्च की बात नहीं है, यह जनवरी की बात है, उस वक्त यहां सेशन हो रहा था, उस वक्त यह बिल क्यों नहीं लाये ? छोटे से छोटा आदमी, छोटे से मेरा मतलब उनकी तनख्वाह कम नहीं है, सब बराबर हैं, लेकिन जो शख्स किसी मिनिस्ट्री के किसी डेक्स पर पहुंच जाता है तो अगर वह कोई गफ़लत करता है, कोई स्लेकनैस दिखलाता है तो उसको कोई नहीं पूछता, उसकी गफलत की सजा मंत्री जी को उठानी पड़ती है, प्रेसिडेन्ट के मर्तबे को उससे नुकसान पहुंचता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रपति को जब चाहो तब अध्यादेश पर हस्ताक्षर के लिए तैयार नहीं रहना चाहिए। उन्हें सभी की गरिमा को भी ध्यान में रखना चाहिए।

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

[हिन्दी]

जहां तक गफूर साहब के कहने का ताल्लुक है कि 10 मार्च को यह खत्म हो जाता, यह ठीक है जरूर खत्म हो जाता, बहुत सारी जमीन चली जाती, लेकिन यह 10 मार्च या 8 मार्च की बात नहीं है, यह जनवरी की बात है, उस वक्त यहां पहला सेशन हो रहा था। उस वक्त यह बिल क्यों नहीं लाया गया। इसका मतलब है कि जो सुस्ती और काहिली वहां हो रही है उस पर रोक लगानी चाहिये और प्रेजिडेन्ट को भी इसका नोटिस लेना चाहिए।

[अनुवाद]

उन्हें संसद के ऊपर कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है।

[हिन्दी]

पालियामेन्ट की डिगनिटी खतरे में है। इसलिये मैं इस रेजोल्यूशन को विधड्रा नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसके सपोर्ट में ज्यादा जोर लगा रहा हूं।

پروفیسر سیف الدین سوز (بارامولا):- ڈپٹی اسپیکر صاحب جہاں تک غفور صاحب جو ورکس منسٹری کے منسٹر ہیں کا تعلق ہے ان کی ذہنیت پر مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ دراصل یہ ان کے ڈیپارٹمنٹ کی بات ہے جس نے ان کے لئے اس طرح کی سچویشن پیدا کر دی کہ ان کے سامنے اس آرڈی نینس کو لانے کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ یہ دس مارچ یا آٹھ مارچ کی بات نہیں ہے یہ جلدی کی بات ہے اس وقت یہاں سیشن ہو رہا تھا اس وقت یہ بل کیوں نہیں لائے یہ چھوٹے سے چھوٹے آدمی چھوٹے سے میرا مطلب ان کی تنخواہ کم نہیں ہے سب برابر ہیں لیکن جو شخص کسی منسٹری کے کسی ڈیکس پر پہنچ جاتا ہے تو اگر وہ کوئی غلط کرتا ہے کوئی سلیکئیس دکھلاتا ہے تو اس کو کوئی نہیں پوچھتا اس کی غلطی کی سزا منتری جی کو اٹھانی پڑتی ہے پریسیڈنٹ کے مرتبے کو اس سے نقصان پہنچتا ہے۔

The President should not be prepared to sign Ordinances at any moment of time. He must take into account the dignity of the House.

جہاں تک غفور صاحب کے کہنے کا تعلق ہے دس مارچ کو یہ ختم ہو جاتا یہ ٹھیک ہے مگر ختم ہو جاتا بہت ساری زمین چلی جاتی لیکن یہ دس مارچ یا آٹھ مارچ کی بات نہیں ہے یہ جنوری کی بات ہے اس وقت یہاں پہلا سیشن ہو رہا تھا۔ اس وقت یہ بل کیوں نہیں لایا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو سستی اور کاہلی وہاں ہو رہی ہے اس پر روک لگانی چاہیئے اور پریذیڈنٹ کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیئے۔

He does not have any Constitutional authority over the head of Parliament. Parliament is the supreme legislative authority.

پارلیمنٹ کی ڈگنٹی خطرے میں ہے اس لئے میں اس ریزولوشن کو وردھ نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس کے سپورٹ میں زیادہ زور لگا رہا ہوں۔

My Resolution will remain. Of course, they have the power to negative it.

[अनुवाद]

मैं अपना संकल्प वापस नहीं लूंगा। ठीक है उनके पास इसे अस्वीकार करने की शक्ति है!

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, राष्ट्रपति द्वारा 8 मार्च, 1985 को प्रख्यापित स्थावर सम्पत्ति अधि-

ग्रहण और अर्जन (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (1985 का अध्यादेश संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।
प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम

विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री अब्दुल गफूर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.28 म० प०

हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) विधेयक 1985
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कार्यसूची के मद 15 पर विचार करेगी। मंत्री महोदय।

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि अनन्य रूप से हथकरघों द्वारा उत्पादन हेतु कुछ वस्तुओं का आरक्षण करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित, रूप में विचार किया जाये।"

यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। हथकरघा कपड़ा उद्योग का महत्वपूर्ण अंग है। हमारे देश में लगभग 35 लाख हथकरघे कार्यरत हैं और इससे लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसी दृष्टि से सरकार हथकरघा उद्योग तथा हमारे देश के बुनकरों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष ध्यान देती है। पहली पंचवर्षीय योजना में हथकरघा के विकास के लिए केवल 11.10 करोड़ रुपये रखे गये थे परन्तु छठी पंचवर्षीय योजना में यह राशि बढ़कर 120 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी है। इतनी ही राशि राज्यों की योजनाओं में रखी गई है। इस समय हमारा हथकरघा उद्योग लगभग 32520 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन करता है जो देश के कुल कपड़ा उत्पादन का लगभग 30 प्रतिशत है। अगर हम निर्यात के क्षेत्र में देखें तो हथकरघा उद्योग बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और 1983-84 में इस क्षेत्र ने 310 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। हथकरघा उद्योग समूचे देश में फैला हुआ है। इसके लिए दूसरे दो औद्योगिक क्षेत्रों, अर्थात्, मिल तथा विद्युतकरघा, से मुकाबला करना बहुत कठिन है इसका कारण यह है कि मिलों तथा विद्युतकरघों के पास बढ़िया तकनीक है, उनका उत्पादन भी अधिक है तथा वे अच्छी जगहों पर स्थित हैं। अतः, शुरू से ही भारत सरकार कुछ मदों का सारा उत्पादन विशेष रूप से हथकरघा उद्योग के लिए आरक्षित करती रही है। वस्त्र आयुक्त ने सूती कपड़ा नियन्त्रण आदेश, 1948 के खंड 20 में वस्त्र आयुक्त को दी गई शक्तियों के अन्तर्गत 1950 में पहली बार यह काम किया था। उसके बाद 1955 में इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के उपबंध के अन्तर्गत लाया गया। लेकिन कुछ समय से हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ लोगों ने भारत सरकार के इस आदेश को अदालत में चुनौती दे दी है। इसीलिए विभिन्न मंचों से यह मांग की जा रही थी कि हथकरघा उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाना चाहिए और इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम यह विधेयक लाये हैं जिसे राज्य सभा ने पहले ही पारित कर दिया है।

वर्तमान कपड़ा नीति में हथकरघा उद्योग को विशेष महत्व का स्थान प्राप्त है। अब आपको

[श्री पी० ए० संगमा]

मालूम है कि हम एक नई कपड़ा नीति बना रहे हैं और मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि हमारी नई नीति में भी हथकरघा उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान बना रहेगा···

श्री ई० अय्यापु रेड्डी (कुरनूल) : महोदय, मंत्री अभी नई कपड़ा नीति की बात कर रहे थे। लेकिन इसका खाका तक इन्होंने नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : भाषण समाप्त होने के बाद, आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री पी० ए० संगमा : मैंने कहा है कि वर्तमान कपड़ा नीति में हथकरघा उद्योग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अब हम एक नई कपड़ा नीति बना रहे हैं। मैं यह कह रहा था कि नई कपड़ा नीति में भी हथकरघा उद्योग को वही विशेष स्थान मिलता रहेगा। मैं, नई कपड़ा नीति क्या होगी, इस पर अधिक चर्चा नहीं कर सकता। मेरे विचार में मेरे लिए यह उचित नहीं है। मैं सिर्फ एक संकेत दे रहा था कि नई कपड़ा नीति में हथकरघा उद्योग को विशेष स्थान प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है कि सारा सदन एक मत होकर इस विधेयक का समर्थन करेगा। इन टिप्पणियों के साथ, मैं इस विधेयक की सदन से सिफारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि अनन्य रूप से हथकरघों द्वारा उत्पादन हेतु कुछ वस्तुओं का आरक्षण करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

यहां पर 12 सदस्य हैं जिन्होंने अपने नाम दिये हैं।

अब हमें समय भी निश्चित करना होगा। क्या हम एक घंटा निश्चित कर सकते हैं।

कई माननीय सदस्य : दो घंटे।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। हम 2 घंटे लेंगे! श्री अजित कुमार साहा!

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : यद्यपि विधेयक देर से लाया गया है फिर भी मैं इसका स्वागत करता हूं। इस उपाय का स्वागत करते हुए मुझे कोई सन्देह नहीं है कि इससे हथकरघा उद्योग की समस्याओं का काफी हद तक समाधान हो जायेगा।

इस विधेयक में यह ठीक ही उल्लेख किया गया है कि इस उद्योग के लिए बिक्री सुविधा की कमी है, इसके कारण इस उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है। हथकरघा उद्योग की समस्याओं के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी और समिति का यह विचार था कि हमारे देश में

ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति कम होने की वजह से इस उद्योग के सामने संकट है। अतः बाजार में वस्तुओं का भंडार इकट्ठा होने से हथकरघा तथा अन्य उद्योग विशेषतः कपड़ा उद्योग संकट में है।

लगभग 800 कपड़ा मिलों में से लगभग 150 से 200 मिलें या तो रुग्ण हैं या बंद हो चुकी हैं। कृषि के बाद हथकरघा उद्योग का बहुत महत्त्व है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया था, इस उद्योग में हमारे एक करोड़ व्यक्ति सीधे ही लगे हुए हैं। इस उद्योग के माध्यम से 4 करोड़ से अधिक व्यक्ति अपनी जीविका अर्जित कर रहे हैं। पिछले बजट में हथकरघा उद्योग के लिये 30 करोड़ रुपये आबंटित किये गये थे। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अनेक व्यक्ति इस उद्योग में नियुक्त हैं। जो रुपया आबंटित किया गया है वह बहुत कम है। संगठित क्षेत्र यथा वस्त्र उद्योग तथा अन्य उद्योग जिनमें हालांकि 3 या 4 लाख व्यक्ति नियुक्त हैं, पर उनके लिये जो राशि आबंटित की गई है वह हथकरघा उद्योग के लिये आबंटित की गई राशि से कहीं अधिक है। सरकार बहुत सारी विदेशी मुद्रा अर्जित करती है, उसे प्रति वर्ष 300 करोड़ रुपया प्राप्त होता है। इसलिये इस क्षेत्र के लिये कुछ-न-कुछ किया जाना चाहिए। अनेक व्यक्ति, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस उद्योग में लगे हुए हैं।

इसके बारे में मेरा सुझाव है कि हमें इस उद्योग की रक्षा के लिए कुछ करना चाहिये और बुनकरों की मदद करनी चाहिये जो बहुत ही कठिनाई में हैं। अनेक बुनकर बिचोलियों की दया पर आश्रित हैं। इस उद्योग को सहकारी समितियों के अधीन लाया जाना चाहिये जिससे इसका विस्तार और विकास हो सके। सरकार को उन अलाभकारी समितियों को समाप्त करने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये जिनमें निहित स्वार्थ प्रधान हो गये हैं। उसे वास्तविक बुनकरों की नई सहकारी समितियां बनाई जानी चाहिये। हथकरघा उद्योग के सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ करने के अलावा, सरकार को अपेक्षित आवश्यक माल की सप्लाई के लिये विशेष कदम उठाने चाहिए। तथा इस उद्योग को विपणन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। बुनकरों को ब्याज की मामूली दर पर ऋण की सुविधा दी जानी चाहिए। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये कि बुनकरों को पर्याप्त धागे की सप्लाई हो सके। यथा अपेक्षित तथा आवश्यकतानुसार बुनकरों को पर्याप्त धागा सप्लाई किया जाना चाहिये।

महोदय, पूरे पूर्वी क्षेत्र में रुई का उत्पादन नहीं होता। हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में अनेक ऐसे कच्चे माल की कमी होती है जो वहां के उद्योगों के लिये आवश्यक हैं। आगामी वित्त वर्ष से सरकार द्वारा माल भाड़े में वृद्धि किये जाने से स्थिति और भी खराब हो जायेगी। महोदय, हमें कपास दूरस्थ स्थानों यथा गुजरात से तथा अन्य कच्चा माल पंजाब से मंगाना पड़ता है। ये राज्य 1800 से 2000 कि० मी० की दूरी पर स्थित हैं और इन राज्यों से कच्चे माल के परिवहन के लिए भाड़े की दर उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है।

महोदय, इन सब मामलों का अध्ययन करने के लिये वाणिज्य मंत्रालय ने एक अध्ययन दल नियुक्त किया था और इस दल ने 1981 में यह सिफारिश की थी कि अन्य राज्यों से पूर्वी क्षेत्र तक कपास के परिवहन के लिये समान भाड़ा होना चाहिये। किन्तु इस दिशा में अभी तक कोई कार्यवाही

[श्री अजित कुमार साहा]

नहीं की गई है। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया जाये और हथकरघा उद्योग के लिये कुछ-न-कुछ किया जाये। वह इस बात का भी ध्यान रखें कि हथकरघा उद्योग और बुनकरों के समक्ष जो बाधायें उत्पन्न होती हैं, उन्हें दूर कर दिया जाये ताकि बुनकर कठिनाई में न पड़े। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। यह बिल बहुत ही आवश्यक था और बहुत इंतजार के बाद आया है। इसके लिए मैं कामर्स मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हमारे देश में खेती के बाद सबसे अधिक लोग हैण्डलूम के काम में लगे हुए हैं और दुर्भाग्य की बात यह है कि वर्षों की कोशिशों के बावजूद इन लोगों की स्थिति अभी तक हम लोग ठीक नहीं कर पाये हैं। हमारे देश में कपड़ा उत्पादन के तीन स्रोत हैं। एक तो मेकेनाइज्ड लूम, दूसरा पावर लूम्स और तीसरा हैण्ड लूम है। लगभग ढाई लाख मेकेनाइज्ड लूम हमारे देश में हैं जो 5 हजार मिलियन मीटर कपड़ा बनाते हैं। तीन लाख डीसेंट्रलाइज पावर लूम्स हैं, इसमें से अधिकतर अनएथराइज है और वे लगभग 4 हजार मिलियन मीटर कपड़े का उत्पादन करते हैं। हमारे यहां 50 लाख हैंडलूम्स हैं और ये हैण्ड लूम्स मेकेनाइज्ड लूम्स और पावर लूम्स के बीच में पिसे हुए हैं। कुल तीन हजार मिलियन मीटर कपड़े का उत्पादन करते हैं, जबकि इनकी क्षमता 6 हजार मिलियन मीटर कपड़े का उत्पादन करने की है, लेकिन केवल तीन हजार मिलियन मीटर कपड़े का उत्पादन हो पाता है और तीन हजार मिलियन मीटर की जो कैपेसिटी है, वह आइडल रह जाती है, बची रह जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है हैण्डलूम क्षेत्र में पावर लूम का घुस जाना। पावर लूम बराबर हैण्डलूम क्षेत्र में बिना रोक-टोक के एन्क्रोच करता जा रहा है। सरकार की नीति रही है हैण्डलूम को प्रोटक्शन देने की। कहीं-कहीं प्रोटक्शन दिया भी गया, सरकारी आदेश जारी भी किए गये, लेकिन आज पूरे देश में बड़े पैमाने पर अनएथराइज पावर लूम्स खुलते जा रहे हैं। बहुत अनएथराइज पावरलूम बनते जा रहे हैं और वे पावर-लूम उसी आइटम्स को बनाने लगे हैं जो हैण्डलूम के लिए संरक्षित किये गये थे।

हैण्डलूम्स के लिए जिनको रखा गया था, वही आइटम पावरलूम भी आज बड़े पैमाने पर बनाने लगे हैं। उस पृष्ठभूमि में हम देखें तो जो यह बिल आया है और जिसमें सख्ती करने का प्रावधान है, वह एक अच्छी बात है। उससे मैं समझता हूं कि हैण्डलूम में काम करने वालों को काफी प्रोटेक्शन मिलेगा और काफी उनकी सुविधा बढ़ेगी। सबसे अच्छा तो यह होता कि जो हमारी कपड़े की घरेलू मार्किट है, अगर इसकी सप्लाई के लिए केवल हैण्डलूम सैक्टर को ही छोड़ दिया जाता। हैण्डलूम इण्डस्ट्री आज की नहीं है। वह तब से है, जब से सभ्यता का इतिहास इस देश में शुरू होता है। हैण्डलूम इण्डस्ट्री सारे देश को कपड़े पहनाती रही है। अगर कपड़े का सारे का सारा घरेलू मार्किट हैण्डलूम के ऊपर छोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूं इससे एम्पलायमेंट की काफी सुविधा बढ़ जायेगी और हैण्डलूम

इण्डस्ट्री को काफी बूस्ट मिलेगी। पावरलूम के लिए लांग क्लाथ, पापलीन, डबल बैड-शीट या जो सिंथेटिक यार्न है, उनके द्वारा बनाए जाने का काम टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज को सौंप दिया जाए और उनसे कहा जाए कि वह अपना माल केवल निर्यात करने के लिए बनाएं या इसके अलावा सिंथेटिक और मैन-मेड जो फाइबर्स हैं, उनके द्वारा वह कपड़ा बनाना चाहते हैं, यह उनके ऊपर छोड़ दिया जाए तो इससे तीनों सैक्टर को सुरक्षा प्रदान होगी। हैण्डलूम के विकास में हमारे बीस सूत्री कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है। इससे पांच करोड़ लोए जो परोक्ष रूप से हैण्डलूम इण्डस्ट्री में जमे हुए हैं, उनमें वृद्धि होगी। हैण्डलूम के जिम्मे कम-से-कम जो घरेलू मार्किट है, उसको छोड दिया जाए तो सबसे अच्छा होगा। आजकल सबसे बड़ा सवाल रॉ-मैटीरीयल का है, जो हमारे हैण्डलूम्स में इस्तेमाल होता है। बहुत से स्पीनिंग मिल बन रहे हैं। निजी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में भी हैं और सरकार ने भी स्पीनिंग मिल्स कायम किए हैं। जो सूत वर्कर्स और वीवर्स को मिलना चाहिए, वह ठीक प्रकार से नहीं मिल रहा है। मेरा सुझाव है कि जिस क्षेत्र में स्पीनिंग मिल्स लगाई गई हैं, उस क्षेत्र की मिल्स को यह कहना चाहिए कि उस क्वालिटी का सूत बनाए जिस क्वालिटी का सूत उस क्षेत्र के वर्कर्स और वीवर्स इस्तेमाल करते हैं। अक्सर यह देखने में आता है कि दूसरे क्षेत्रों से यार्न मंगाना पड़ता है। उस क्षेत्र के वर्कर्स उस क्वालिटी का यार्न इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो बिक्री हो, वह हैण्डलूम को-आपरेटिव्ज के द्वारा या जो हैण्डलूम कार्पोरेशन राज्य स्तर पर है या हैण्डलूम डवलपमेंट कार्पोरेशन है, वह सारे इन धागों को ले ले और उन धागों को बुनकरों तक सही दाम में पहुंचाने की कोशिश करे। इसी प्रकार से सिल्क का मामला है। सिल्क हमारे यहां कर्नाटक में पैदा होता है। कर्नाटक के लोग सिल्क की मोनोपली कर चुके हैं। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि कर्नाटक में सिल्क के लाखों अंडे इसलिए तबाह कर दिए जाते हैं कि सिल्क का दाम आसमान तक पहुंच जाए। सस्ते दाम में रेशम जो कर्नाटक में पैदा होता है, इसका सबसे ज्यादा काम उत्तर प्रदेश में बनारस में होता है। वह काफी महंगा पड़ता है। हैण्डलूम डवलपमेंट कार्पोरेशन भारत सरकार का प्रतिष्ठान है। इसको चाहिए कि सिल्क बाहर से मंगाए और कोई सिल्क यार्न बैंक कायम करे। अगर निर्धारित मूल्य से दाम ऊपर उठते हैं तो वह सिल्क को रिलीज कर दे और बुनकरों को दे दे। अगर दाम कम रहते हैं जो निर्धारित रेट है तो वह सिल्क को अपने पास रख रहें।

इस तरह से दाम स्टैबिलाइज होंगे। मैं यहां उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक और बात की तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

हमारे यहां नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन के सम्बन्ध में आजकल बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ है और यह सबसे ज्यादा हैंडलूम को खा रहा है। हैंडलूम के डैवलपमेंट के लिए आप प्लान एक्सपैंडीचर में केवल 30 करोड़ रुपया देते हैं जबकि इसमें लगभग 5 लाख वर्कर्स कार्यरत हैं। मैं यहां नौन-प्लान के एक्सपैंडीचर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ प्लान एक्सपैंडीचर की बाबत ही बता रहा हूं इसलिए सबसिडी वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जहां आप 30 करोड़ रुपया प्लान एक्सपैंडीचर के तहत हैंडलूम विकास के लिए देते हैं, वहीं आप नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन के घाटे को पूरा करने के लिए 120 करोड़ रुपया देते हैं और हर साल इतना रुपया आप सिर्फ इस वास्ते देते हैं क्योंकि इसमें लगभग

[श्री जैनुल बशर]

डेढ़ लाख लोग लगे हुए हैं। उनकी एम्पलायमेंट के लिए आप पैसा देते हैं। मैं यहां आपके माध्यम से मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहूंगा कि आप उन डेढ़ लाख वर्कर्स को प्रति वर्कर के हिसाब से 500 रुपये महीना दे दीजिए, तब भी आप घाटे में नहीं रहेंगे बल्कि मुनाफे में रहेंगे। दूसरी तरफ नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन की जितनी सिक मिल्स हैं, उनको आप नीलाम कर दीजिए, उनको लिक्वीडेट कर दीजिए, उससे ही आपको काफी पैसा आ जाएगा। सारी की सारी सिक मिलों को नीलाम करके, हर वर्कर को सिर्फ 500 रुपया महीना दे दीजिए तो आपको हर वर्ष एन० टी० सी० के घाटे को पूरा करने के लिए जो 120 करोड़ रुपया देना पड़ता है, उससे आप बच जाएंगे और आपको घाटा भी नहीं पड़ेगा। बेशक एन० टी० सी० कितना ही अच्छा सामान क्यों न बना रही हो, जनता साड़ी, जनता धोती, बैडशीट या तौलिया आदि, लेकिन ये सारी चीजें तो हैंडलूम इंडस्ट्री में बनाई जा सकती हैं और बन भी रही हैं और इन मिलों की वजह से हैंडलूम इंडस्ट्रीज मार्केट में कम्पटीशन भी नहीं कर पा रही है। इन सब बातों से भी आपको छुट्टी मिल जाएगी और एन० टी० सी० पर आधारित 5 करोड़ लोगों को भी रोजी और रोटी मिल जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां हैंडलूम डैवलपमैंट कार्पोरेशन है लेकिन दुख की बात यह है कि हैंडलूम के मामले में बुनकरों को उसमें कोई रिप्रेजैन्टेशन नहीं दिया गया है, उसमें वीवर्स को इन्वाल्व नहीं किया गया है। इस तरह हैंडलूम डैवलपमैंट कार्पोरेशन केवल अधिकारियों का कार्पोरेशन बनकर ही रह गया है। मैं नहीं समझा कि आप इसमें वीवर्ज के प्रतिनिधियों को क्यों नहीं शामिल करना चाहते। इस बिल में भी आपने एक एडवाइजरी बौडी के गठन की बात कही है, प्रावधान रखा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस एडवाइजरी बौडी में भी वीवर्ज के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए और हैंडलूम डैवलपमैंट कार्पोरेशन में भी वीवर्ज के प्रतिनिधियों को रखा जाना चाहिए। मैं स्वयं बुनकर नहीं हूं, लेकिन बुनकरों का प्रतिनिधित्व जरूर करता हूं। आप उस बौडी में ऐसे लोगों को रखिए जो कि बुनकरी का काम जानते हों, एक्सपर्ट हों, करते हों। हमारे यहां बुनकरों की कई कोआपरेटिव सोसायटीज है, संस्थाएं हैं, आर्गेनाइजेशन्स हैं, आप उनको रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष जी, अंत में मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि टैक्सटाइल के विषय को कामर्स मिनिस्ट्री से हट जाना चाहिए और चूंकि टैक्सटाइल का बहुत बड़ा विभाग है, उसमे मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री भी है, उसमें पावरलूम भी है और हैंडलूम भी है, इन सबको मिलाकर टैक्सटाइल मिनिस्ट्री के नाम से एक नई मिनिस्ट्री गठित की जानी चाहिए। आपका टैक्सटाइल कमिश्नर अलग है, टैक्सटाइल सैक्रेटरी अलग है और टैक्सटाइल डिपार्टमैंट भी अलग है, सिर्फ कामर्स मिनिस्ट्री के अन्तर्गत उनको रखा गया है, इसलिए वहां से हटाकर अलग से एक टैक्सटाइल मिनिस्ट्री बनाई जानी चाहिए। इस तरह से ही आपके टैक्सटाइल के तीनों सैक्टरों के बीच समन्वय पैदा किया जा सकता है और यह देखा जा सकता है कि वे आपस में एक दूसरे से ओवरलैपिंग

तो नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण तो नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष जी, यह बिल एक अच्छी शुरुआत है जिसके लिए में मंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं जानता हूं कि उनकी टैक्सटाइल और हैंडलूम इंडस्ट्री में गहरी दिलचस्पी है और उनकी वीवर्स के उद्धार और उत्थान में काफी दिलचस्पी है। मैं इस बिल के लिए उनको शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि जो काम आपने अपने जिम्मे लिया है उससे न केवल बुनकरों को काफी लाभ पहुंचेगा बल्कि गवर्नमेंट को भी लाभ होगा।

1.55 म० प०

(श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं युवा मंत्री को, जो इस विधेयक को लाये हैं, बधाई देता हूं। इसकी बहुत समय से प्रतीक्षा थी। आपको यह विधेयक तो स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद लाना चाहिए था।

माननीय सदस्य ने जो अभी अभी पीठासीन हुए हैं, बहुत ही रुचिकर वक्तव्य दिया था। इस विधेयक के प्रस्तोवत युवा मंत्री को उन्होंने बधाई दी थी। मैंने भी वही किया है। किन्तु हम दोनों ही उनसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए युवा मंत्री को हम लोग खादी पहनने की सलाह देते हैं। यदि वह सभा में कल खादी के कपड़े पहनकर आते हैं तो मुझे प्रसन्नता होगी। प्रमुख राजनैतिक दल भी यह निर्धारित कर चुके हैं कि उनके सक्रिय कार्यकर्ता खादी पहनें क्योंकि उनका उद्देश्य खादी को प्रोत्साहन देने का है। इससे पता चलता है कि वे खादी और हथकरघा आन्दोलन को कितना महत्व देते हैं।

इस विधेयक का स्वागत करते हुए, मैं सरकार को सचेत रहने की चेतावनी देना चाहता हूं और इस बात का ध्यान रखने के लिए कहता हूं कि कहीं शक्तिशाली मिल 'लाबी' इस विधेयक को बेकार न कर दें। यह बात बहुत महत्व की है। मुझे विश्वास है कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें आवश्यक कदम उठायेंगी कि यह विधेयक केवल सिद्धांत रूप में ही लागू होकर न रह जाये अपितु सच्चे अर्थों में कार्यान्वित हों। यह बहुत आवश्यक है।

हाल ही में मंत्री जी ने एक दिलचस्प वक्तव्य दिया है। उन्होंने कुछ आंकड़े भी प्रस्तुत किये हैं। उन्होंने बताया है कि 35 लाख हथकरघे हैं और लगभग एक करोड़ व्यक्ति हथकरघों से रोजी रोटी कमाते हैं। मैं सही आंकड़ें तो नहीं दे सकता किन्तु मेरी सूचना के अनुसार हथकरघों की संख्या इससे कहीं अधिक है। मैं कर्नाटक राज्य का हूं जहां हथकरघा उद्योग को बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है और जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति से भी पहले यह उद्योग फल-फूल रहा है। कर्नाटक में हथकरघा को गौरवशाली स्थान प्राप्त है। कर्नाटक की बनी साड़ियां न केवल भारत में अपितु संसार भर में लोकप्रिय हैं।

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

मंत्री जी ने कहा है कि हथकरघा से बने कपड़ों का निर्यात कर हम लोग 350 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। यदि हम लोग इसे और अधिक प्रोत्साहन देंगे तो हम और अधिक विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। तमिलनाडू की बनी चादरें, बिहार की सिल्क और बनारस की साड़ियां बहुत ही आकर्षक हैं। वास्तव में भारत हथकरघों और हथकरघों से बने वस्त्रों का जन्म स्थान है। कहा जाता है कि अकबर के जमाने में ऐसी साड़ियां बनाई जाती थीं जो अंगूठी में से निकल सकतीं थीं। उसे ढाका की मलमल कहा जाता था। इसलिये, हम लोग हाथ से काते गये और हाथ से बुने गए सामानों के लिए प्रसिद्ध हैं।

अभी अभी बताया गया है कि योजना के अन्तर्गत हथकरघा के लिये केवल 50 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं जबकि राष्ट्रीय कपड़ा निगम, जो घाटे में चल रहा है, के लिये 120 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। मैं मन्त्री जी से यह कहना चाहूंगा कि जबकि आप हथकरघा के पक्ष में लड़ रहे हैं तो हथकरघा के लिये और अधिक निधि प्राप्त करने के लिए आपको लड़ना चाहिये। मुझे विश्वास है कि इस कानून से रोजगार के अवसर दुगुने हो जाएंगे।

क्या कारण है कि 38 वर्ष के बाद भी हम लोग बेरोजगारी की समस्या हल नहीं कर पाये हैं? इसका कारण यह है कि हम लोगों ने गांधी जी की सलाह नही मानीं। यदि हथकरघा को इससे पहले ही प्रोत्साहित किया गया होता, जैसे कि हम इस समय प्रयत्नशील हैं, तो बहुत हद तक बेरोजगारी की समस्या सुलझा ली गई होती। मुझे विश्वास है कि एक वर्ष के अन्दर ही बुनकरों की एक करोड़ की संख्या बढ़कर दुगुनी हो जायेगी।

मेरा अनुरोध है कि सरकार बहुत अधिक सचेत रहे। इस समय हम लोग हथकरघा को बहुत अधिक प्रोत्साहन दे रहे हैं तथा कुछ विशेष प्रकार के वस्त्रों के उत्पादन में हथकरघा उद्योग को एकाधिकार दे रहे हैं। किन्तु मंत्री जी इस बात का भी ध्यान रखें कि उसकी गुणवत्ता यथावत बनी रहे यह बात बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें आरक्षण मिले अथवा न मिले किन्तु इसकी गुणवत्ता, हथकरघे के सामानों में अपने देश की कीर्ति बनी रहे। यह बात बहुत महत्त्व-पूर्ण है कि गुणवत्ता परखने के लिये आपके पास एक तंत्र होना चाहिये। सभापति महोदय, आपने साड़ी और जनता धोती के बारे में जो सुझाव दिया था, मैं उसी को दोहराता हूं। जब जनता पार्टी सत्तारूढ़ थी तब उन्होंने इस प्रकार का विधेयक लाने का विचार किया था किन्तु दुर्भाग्यवश, वे ऐसा नहीं कर पाये क्योंकि वे लोग अधिक समय तक सत्ता में नहीं रह सके। अन्ततोगत्वा आपने यह कर दिखाया। तब हमने यह सोचा था कि साड़ी हथकरघा उद्योग के लिये आरक्षित रहेगी; यह बात बहुत महत्त्व की थी।

2.00 म० प०

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मेरे माननीय मित्र आरम्भ में ही कह चुके हैं कि विपणन की बात

बहुत महत्त्वपूर्ण है। कर्नाटक में विपणन का अच्छा प्रबंध है। वहां विपणन समितियां, धागा वितरण समितियां और कच्चा माल वितरण समितियां हैं। वहां बुनकरों का शोषण समाप्त हो गया है। उचित मूल्य पर उन्हें अर्थात बुनकरों को विशेषकर हथकरघा बुनकरों को धागा दिया जाता है। इसलिए कर्नाटक राज्य ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर लिये हैं कि न केवल बुनकर स्तर पर ही बल्कि सभी स्तरों पर किसी का भी शोषण न हो। पूरे राज्य में विपणन समितियों की और सहकारी समितियों की शाखायें हैं। इसलिये इस उपाय का स्वागत करते हुए, मैं आपके माध्यम से पुनः सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि यह विधेयक, जो बहुत ही प्रगतिशील है, हमारे देश के लिये आवश्यक है, कार्यान्वित किया जाये।

हम लोग आंशिक रूप से ही गांधी जी के स्वप्न को साकार बना रहे हैं। यह गांधीजी के रचनात्मक कार्यों में से एक है। वास्तव में, उन्होंने हाथ से बुनी हुई और हाथ से काती गई पूर्ण खादी की वकालत की थी। इस दिशा में, हम एक कदम ही बढ़ पाये हैं। वस्तुतः एक दिन ऐसा आयेगा जब हम खादी को अधिकाधिक प्रोत्साहन दे सकेंगे। खादी आवश्यक है, क्योंकि खादी को प्रोत्साहन दिये बिना हम लोग प्रगति नहीं कर सकते। इससे हमारे देश के लाखों लोगों को सहायता मिलेगी। मैं इस विधेयक का एक बार फिर स्वागत करता हूं।

श्री एन० तोम्बी सिंह (आन्तरिक मणिपुर) : सभापति महोदय, यह एक स्वागत करने योग्य विधेयक है पर उसे पुरःस्थापित करने में बहुत देर हो चुकी है। मैं उस राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां बुनना एक सम्मानीय कार्य है और हर दुल्हन को विवाह में उपहार के रूप में अपेक्षित उपकरणों सहित एक करघा दिया जाता है राजा से लेकर समाज में छोटे से छोटे वर्ग का व्यक्ति इस परम्परा का पालन करता है।

पूरे समाज में प्रत्येक परिवार में अपने बुनकर होते हैं। मैं भी बुनकर परिवार का हूं विशेष कर परिवार की स्त्रियां जिनकी परम्परा मेरी मां और बहन से आरम्भ होती है, सभी को बुनाई में विशेष योग्यता प्राप्त है। इसलिए, प्रत्येक परिवार में एक या एक से अधिक करघे होने चाहिये। हथकरघा उद्योग न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से फल-फूल रहा है अपितु उसके पीछे भावनात्मक संबंध और परम्परागत मूल्य है। इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि आरक्षण के लिए समान का चयन करते समय सलाहकार समिति को परम्परागत हथकरघा उत्पाद और विशेषकर आम लोगों के उपयोग के लिये बनाये गये हथकरघा उत्पाद को ध्यान में रखना चाहिये। परम्परागत उत्पाद की मदों पर जोर दिये जाने का स्वागत है।

माननीय वाणिज्य मंत्री हमारे क्षेत्र के देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के हैं। हथकरघा के कपड़ों के महत्त्व के बारे में उन्हें पता है। प्रत्येक जनजाति अथवा समुदाय के कपड़ों का अपना डिजाइन अपना रंग बिरंगा डिजाइन होता है।

विशेष रूप से जब हम महिलाओं को पारम्परिक उत्सवों और सामाजिक उत्सवों में देखते हैं

[श्री एन० तोम्बी सिंह]

तो उस पुरुष महिला को अपने पहनावे से ही पहचाना जाता है।

मेरे अपने राज्य मणिपुर में लगभग 30 जन जातियां और समुदाय हैं तथा मणिपुर घाटी में बहुमत मैथेई जाति का है। यह मैथेई जाति हथकरघा का कपड़ा तैयार करती है, जिसकी बहुत खपत होती है जो बड़ा रंग बिरंगा होता है। इस कपड़े का डिजाइन और बुनाई केवल घरेलू बाजार में ही नहीं बल्कि विदेशी बाजार में भी प्रसिद्ध है। परन्तु आदिवासी क्षेत्र में कटिवस्त्र बुनने वाला करघा बहुत प्रसिद्ध है; क्योंकि इसे कटि के चारों ओर लपेट कर पहना जाता है इसलिए इसको कटिवस्त्र (करघा) नाम दिया गया है। आदिवासी क्षेत्र में यह केवल प्रसिद्ध ही नहीं है बल्कि प्रत्येक घर में एक 'लायन लूम' होना आवश्यक है। स्थायी रूप से बुनने वाली महिलाएं ही होती हैं। यह उनके सामाजिक जीवन की आवश्यकता है। इस संदर्भ में हम पाते हैं कि विद्युत, करघा और मिलों द्वारा बनाया गया भिन्न प्रकार के वस्त्र हथकरघा क्षेत्र के वस्त्रों की नकल ही होता है। हथकरघा और लायनलूम' की पवित्रता भी पूरी तरह नष्ट हो गई है। इसकी रक्षा करने के लिए हमें बहुत से उपाय करने पड़ेंगे। यह विधान स्वागत योग्य है। यह विधेयक हथकरघा क्षेत्र खासकर उन महत्त्वपूर्ण परम्परागत वस्तुओं जिनसे आर्थिक लाभ नहीं होता, को बचाने का एक तरीका है परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि विधान बना देना ही पर्याप्त नहीं क्योंकि इस विधान से अधिक जरूरी है बुनकरों को माल, कच्चा माल पहुंचाना।

देश के हमारे वाले भाग में बुनकर लोग अधिकतर गरीब हैं। वे कम कीमत पर भी आवश्यक धागा नहीं खरीद सकते। उन्हें स्थानीय सप्लाई पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और स्थानीय सप्लाई अमीर व्यापारियों के नियंत्रण में होती है और वे ही धागे की कीमतों का नियंत्रण करते हैं। स्वभाविक ही वे उत्पाद के मूल्य को भी नियंत्रित करते हैं। अतः जब हम विदेशों को अपने कपड़े का निर्यात करने के प्रश्न पर आते हैं,— हथकरघे पर बने कपड़ों के कुछ डिजइन बहुत लोक प्रिय हैं पर कठिनाई यह उत्पन्न होती है कि हमारे बुनकर इतनी अधिक मात्रा में कपड़ा तैयार नहीं कर सकते। वे विदेशों की मांग की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कपड़ा नहीं बना सकते। विदेशों द्वारा अनुमोदित कपड़े की सैम्पल के कपड़े की खरीद के आर्डर लाखों की संख्या में होते हैं। वे लाखों की संख्या में कपड़े तैयार नहीं कर सकते। बड़े पैमाने पर मांग और 'आर्डरों' की पूर्ति हेतु हथकरघा उद्योग को सहकारी क्षेत्र अथवा किसी अन्य साधन-सम्पन्न क्षेत्र के माध्यम से संचालित किए जाने की आवश्यकता होती है बुनकरों को तो इतने अधिक संख्या में आर्डर पूरे करने ही होते हैं।

हम आर्थिक लाभ कमाने की बात करते रहे हैं। विभिन्न राज्यों में उद्योग की स्थितियां भिन्न हैं; कहीं सुदृढ़ हैं तो कहीं कमजोर। विशेष रूप से हमारे राज्य में हथकरघा इतनी प्रसिद्ध कुटीर उद्योग है कि प्रत्येक घर में एक करघा होता है और यह उनको अपना स्वयं का रोजगार चलाने में मदद करता है। इस उदाहरण के साथ मैं वाणिज्य मंत्री जी को यह सुझाव देना

चाहूंगा कि इस विधान को यथासंभव कारगर ढंग से लागू करने के लिए हमें देखना चाहिए कि बुनकरों को कच्चा माल तथा अन्य सहायता मिलती रहे ताकि वे उन बड़े-बड़े कपड़ा उत्पादकों से मुकाबला कर सकें जो केवल उनके डिजाइन की नकल का ही उत्पादन करते हैं। यदि हम दिल्ली में भी बड़ी दुकानों पर जाएं तो हम देख सकते हैं कि उन पर भी मिल की बनी खादी बेची जाती है। वे कहते हैं कि यह मिल में बनी खादी है। इसका क्या अभिप्राय है। हथकरघा पर बनी वस्तु हो सकता है खादी न हो। परन्तु खादी के सभी वस्त्र तो हथकरघा पर बने होने चाहिए। इस प्रकार बड़ी-बड़ी मिलों द्वारा खादी और हथकरघा वस्त्रों का नकली उत्पादन हथकरघा उद्योग के लिए अनिष्टकारी है।

विधेयक में सलाहकार बोर्ड के गठन का प्रावधान है। परन्तु कौन-कौन सदस्य हों। इसका कोई प्रावधान नहीं है। यहां दक्षता ही मार्ग-दर्शक तत्व है। मैं मंत्री महोदय को इस बात पर विचार करने का सुझाव दूंगा कि सभी राज्यों को उनके हथकरघा निदेशालयों के माध्यम से प्रतिनिधित्व मिले ताकि प्रत्येक राज्य बता सके कि किन-किन वस्तुओं को हैंडलूम उद्योग के लिए सुरक्षित रखा जाए। इसके साथ ही खादी आयोग तथा अभी अभी सदन में माननीय सदस्यों द्वारा सुझाए गए अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, और इनके अतिरिक्त ऐसे विशेषज्ञों को जो इस विषय पर राय दे सकें, उन्हें भी समिति में जगह दी जा सकती है। खादी आयोग और हथकरघा बोर्ड सही प्राधिकरण हैं जो जानते हैं कि समस्या क्या है। हथकरघा उद्योग को वैधानिक स्तर पर ही नहीं बल्कि 'माल' के स्तर पर भी संरक्षण मिलना चाहिए अर्थात उसे सस्ते दामों पर कच्चा माल मिलना चाहिए ताकि वे बड़े व्यापारी, जो धागे की कीमतों का नियंत्रण करते हैं, उनका शोषण न कर सकें। उत्पादन को व्यवस्थित करने तथा निर्यात सुविधाएं मुहैया कराने, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकार सरकारी क्षेत्र में एक निकाय स्थापित कर सकती है, ताकि हमें बड़ी संख्या में अनुमोदित सेम्पलों के आर्डर मिल सकें। इससे न केवल हथकरघा उद्योग को एक अच्छा बाजार मिलेगा। बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के उन लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा जो वास्तव में सारे ही बुनकर परिवारों से हैं तथा जो बुनाई के काम को सम्मानित व्यवसाय अथवा एक रुचिकर कार्य मानते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

बेगम अब्दुल्ला (अनन्तनाग) : यह एक अच्छा विधेयक है। हथकरघा के माध्यम से धागा तैयार करने के काम आने वाली वस्तुओं को आरक्षित करने से इस उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा।

सलाहकार समिति बनाने का विचार सराहनीय है। परन्तु मैं यह सुझाव दूंगी कि जिन राज्यों में परम्परा से हथकरघा उद्योग चला आ रहा है उनको इस समिति में उपयुक्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए जम्मू और काश्मीर राज्य में पशमीना और रेशम के वस्त्र परम्परा से हथकरघा पर बनाये जाते रहे हैं। उस परम्परा को सुरक्षित रखने के लिए मशीन से रेशमी वस्त्र तैयार करना छोड़ देना चाहिए। कश्मीरी शाल बनाने वाले लोगों को भी इस सलाहकार समिति में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

[बेगम अब्दुल्ला]

मैं यह सुझाव भी दूंगी कि हस्तशिल्प के संवर्धन के लिए एक अलग विधेयक लाया जाए।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, अगर सरकार का काम करने का इरादा पक्का है तो उसकी ईमानदारी पर शक करें या न करें लेकिन पहले हम सरकार से यह जानना चाहेंगे कि जो कन्ट्रोल आर्डर निकला उसमें कितने आदमियों को सजा दी जाएगी। मेहरबानी करके आप लिस्ट तैयार कर लीजिए कि उस आर्डर के अन्तर्गत कितने आदमियों को सजा दी गई।

मिनिमम वेज एक्ट, 1948 बना, लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना कि इतने आदमियों का कान्विक्शन हुआ। इसी प्रकार एसैंशल-कमोडिटीज एक्ट, 1959 भी सरकार द्वारा बनाया गया। आप मेहरबानी करके यह बताइए कि कितने लोगों को सजा दी गई। सभापति महोदय, यह सरकार कानून बनाने में बड़ी माहिर है। कानून तब बनाने की कोशिश की जाती है, जब बुनकर को कोई मदद नहीं देना चाहते हैं। एक बात तो है, आप यह कह रहे हैं कि हम भ्रष्ट नीति नहीं बना रहे हैं, कानून में लिखा है कि एक्सपर्ट्स की एडवाइजरी कमेटी बना रहे हैं, लेकिन उसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। मेरी दृष्टि में गांव में रहने वाला बुनकर जो जन्म से इस काम को करता है, वह आपके डिग्री होल्डर से ज्यादा एक्सपर्ट है। या आपके बाबू लोग जो आफिस में बैठे हुए हैं इनसे ज्यादा एक्सपर्ट है। लेकिन आपकी दृष्टि में जो आफिस में काम करते हैं ज्यादा एक्सपर्ट हैं। गांव में काम करने वाले बुनकर ने झोंपड़ी में बैठे-बैठे अपनी सारी जिन्दगी निकाल दी, लेकिन आज तक कोई उसको फायदा नहीं हुआ। एडवाइजरी कमेटी बनाने के लिए आपने गाइड-लाइन्स दी हैं, मैं समझता हूं कि कोई भी आदमी उस कमेटी का मेम्बर बनना नहीं पसन्द करेगा। एडवाइजरी कमेटी कैसे फंक्शन करेगी, कब मीटिंग होगी, इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। एडवाइजरी कमेटी में हम जिसका नाम चाहेंगे, उसका नाम लिख देंगे। डिग्री होल्डर ने आज तक कभी कपड़ा नहीं बुना है, वह कुछ भी न जानते हुए एक्सपर्ट हो जाते हैं। हैण्डलूम एक्सपर्ट, जो गांव का जुलाहा है, जिसकी दाढ़ी सफेद हो, उसको एक्सपर्ट रखना चाहिए।

श्री बी० के० गढवी (बनासकांठा) : मेंहदी से रंगी हुई होनी चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : अब इस बिल में मंत्री जी क्या करेंगे। आखिर में जो ला-डिपार्टमेंट ने उनको दे दिया, वह ठीक है। बिल में कहा गया है :

[अनुवाद]

ऐसी वस्तुओं अथवा ऐसे वर्ग की वस्तुओं का आरक्षण केन्द्रीय सरकार द्वारा सलाहकार समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् ही किया जाएगा।

[हिन्दी]

सभापति जी, आपको कहें कि आप बुनकरों के प्रतिनिधि हैं और आपको इस कमेटी का मैम्बर बनावें, तो आप मत बनिएगा।

ये कहते हैं कि हम तुम्हारी राय पर विचार करेंगे।

सभापति महोदय : इन्होंने तो उसका नाम ही एडवाइज़री कमेटी दिया है।

श्री मूल चन्द डागा : जो हमारे मंत्री हैं, उनका दिल बहुत साफ है, वह ही इसके चेयरमैन बन जाएं और वह एडवाइज़री कमेटी जो निर्णय ले वह फाइनल हो। लेकिन गवर्नमेंट इससे अलग रहना चाहे और कहे कि एडवाइज़री कमेटी की राय पर विचार करेंगे, यह ठीक नहीं है।

हिन्दुस्तान में 35 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। आप जानते हैं कि गांवों के अन्दर यह गरीबी कैसे आई और यह भी जानते हैं कि यह अभिशाप है तो फिर आप बतलाइये कि क्या बुनकरों के लिए आपने कोई चीज़ रिजर्व की है ? क्या इस कानून मे आपने कहीं इसको डिफाइन किया है ? हमारे मिनिस्टर साहब नार्थ ईस्ट से आते हैं आप मुझे बतलाइये कि कौन-कौन-सी आर्टिकल्ज गवर्नमेंन्ट ने रिजर्व की है, एसेन्शल कमाडिटीज एक्ट के अन्तर्गत किन-किन का चालान किया है ? आप यहां कहते हैं कि आर्टीकल्ज रिजर्व कर देंगे और उनका नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। आज तक आप ने क्या किया है ?

आप यहां लिखते हैं कि नोटिस सर्व करने के तीन महीने बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरे जैसा होशियार बनिया हो तो न जाने कितना सामान इस बीच में निकाल देगा, क्योंकि आप उसको तीन महीने का वक्त दे रहे हैं। अगर आप 30 दिन का समय देते तो मैं मान सकता था। मुझे इसका इन्टरप्रेटेशन समझ में नहीं आ रहा है। न ला डिपार्टमेंट इसको एक्जामिन करता है और न आपके लोग करते हैं, धड़ाधड़ रोज़ कानून आते जाते हैं।

[अनुवाद]

"किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्घलंन करने का प्रयत्न करता है।"

उल्लंघन का प्रयत्न भी इसमें समाहित है; क्या यह हत्या के प्रयत्न समान है ?

"या उसके उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है, यह समझा जाएगा कि उसने उस आदेश का उल्लंघन किया है।

[श्री मूल चन्द डागा]

[हिन्दी]

यहां किस के खिलाफ अटेम्प्ट होगा ? जब तक वह माल प्रोड्यूस नहीं करेगा, तब तक गुनाहगार कैसे साबित होगा। ये जो क्लाजेज आप बनाते हैं इन को बारीकी से समझने की कोशिश करें। मैंने अभी आपके सामने पेश किया है—

[अनुवाद]

वह ऐसे आरक्षण की तारीख से तीन मास की समाप्ति तक इस प्रकार लगा रह सकता है।

[हिन्दी]

उस का नोटिस आप ने इशू किया, लेकिन वह गांव में नहीं पहुंचा तो क्या होगा।

[अनुवाद]

यदि यह सिद्ध हो गया तो कम्पनी इसकी जिम्मेदार नहीं होगी।

[हिन्दी]

जिस आदमी के यहां माल पैदा होता है, अब तो बिल्कुल नया तरीका हो गया है। लोग अब खुद खादी नहीं पहनते हैं, अगर खादी पहनते होते तब भी ठीक था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। फोर्थ क्लास एम्पलाइज को कहते हैं कि खादी पहनों और कपड़ा ऐसा देंगे जो जल्दी फट जाय। इस से बुनकरों का लाभ नहीं होगा। बुनकरों को लाभ देना है तो पहले अपने घर से शुरू कीजिये। चैरिटी बिगिन्स-एट-होम। लेकिन आप टैरिकोट पहनें और बुनकरों को लाभ पहुंचाने की बात करें, तो इससे क्या लाभ है ? गांधी जी ने कहा था—जब तक हिन्दुस्तान के एक भी गरीब आदमी की आंख में आंसू रहेगा तब तक हिन्दुस्तान आजाद नहीं कहा जाएगा। आज हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू हैं, गरीबी उन पर छाई हुई है। अगर आप चाहते हैं कि बुनकरों को लाभ हो तो बतलाइये कि कौन उनका माल खरीदेगा क्या कोई गवर्नमेन्टल एजेन्सी है जो माल खरीदेगी ?

उन को माल कैसे सप्लाई होगा। इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है। बुनकरों को लोन कितना मिलता है और आप कहते हैं कि हम करोड़ों रुपया फोरेन एक्सचेंज का कमाते हैं। आपने यह नहीं बताया कि फोरेन एक्सचेंज का कितना रुपया इससे कमाते हैं और यह जो आपने बताया है यह इन्क्लूडिंग आल अदर थिंग्स है या केवल हैंडलूम की बात आप कह रहे हैं और अगर इतना रुपया इससे कमाते हैं, तो बुनकरों के लिए क्या किया है। ये सब बातें पता लगनी चाहिएं। इसलिए मेरा कहना यह है कि इसको कुछ दिनों के लिए एक कमेटी में भेज दीजिए और उससे इन सारी बातों की

जांच करवा लीजिए ताकि आपका यह कानून इफैक्टिव बने।

एक बात और कहना चाहता हूं। आपने इसमें सज़ा क्या रखी है। तीन महीने और कुछ फाइन। यह बहुत बड़ी सज़ा है? व्हाई नाट इम्प्रिजनमेंट? अगर आपने किसी आदमी पर 5 हज़ार रुपये फाइन कर दिया तो वह फौरन दे देगा। आप इसमें सज़ा को मेन्डेटरी क्यों नहीं बनाते हैं। मेरा कहना यह है कि लोगों को सख्त सज़ा देनी चाहिए। तीन महीने और छः महीने रख देंगे और उसके साथ "**और फाइन**" रख देने से काम नहीं चलता है। मेजिस्ट्रेट सीधे फाइन करके घर चले जाएंगे। सज़ा को आप कम्पलसरी क्यों नहीं बनाते हैं। आप चाहे 7 दिन की सज़ा कर दें लेकिन वह कम्पलसरी होनी चाहिए।

[**अनुवाद**]

जानबूझ कर किए गए अपराध से आपका क्या तात्पर्य है।

[**हिन्दी**]

क्या पुलिस चालान करेगी? आप यह भी बताएं।

[**अनुवाद**]

क्या इसकी जमानत हो सकेगी अथवा नहीं?

आपने जो बिल बनाया है, उसको आप कृपा करके एक कमेटी से एग्ज़ामिन करवा लीजिए वरना ठीक है, आपने बिल बना दिया और आपका स्टेटमेंट अखबारों में आ जायेगा और वे आपको ज्यादा कवरेज देंगे।

श्री पी० ए० संगमा : आपका ज्यादा आएगा।

श्री मूल चन्द डागा : हमारा ज्यादा नहीं आयेगा। हमारे बारे में तो सिर्फ यह आएगा। श्री डागा भी बोले। इन को तो अपना धंधा करना है। जिसका नाम देने से ज्यादा फायदा हो सकता है, उस का नाम आ जाता है।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने जो बिल पेश किया है, उसमें जो आपने एडवाइजरी कमेटी बनाने की बात कही है, उससे आप कुछ काम लेते और उसका कुछ रूप बनाते। आपने इसमें शुरूआत की है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन यह कहना चाहूंगा कि काम ऐसा कीजिए, जो मज़बूत हो। जो धीरे-धीरे काम होते हैं, उनसे हम कहीं नहीं पहुंचते। कदम तेजी से उठाने चाहिए यही मेरा कहना है।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : सभापति महोदय, मैं इस प्रगतिशील विधान का समर्थन करता हूं समाज के कमजोर तथा वंचित वर्गों विशेषकर हथकरघा उद्योग के बुनकरों के प्रति इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा हमारी सरकार का जो रवैया है, वही इस विधान में प्रतिबिम्बित होता है। अतः मैं मंत्री महोदय को विधान लाने के लिए पुनः बधाई देता हूं। लेकिन साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि यह विधेयक त्रुटिहीन और व्यापक दस्तावेज नहीं है। इसलिए, मैं कुछ कमियों के बारे में बताना चाहता हूं। यदि मंत्री महोदय उन सुझावों को स्वीकार करें तो मैं उनका बहुत आभारी रहूंगा।

सभापति महोदय आप जानते हैं कि खादी वस्त्र और हथकरघा वस्त्र हमारी स्वतन्त्रता संग्राम के प्रतीक हैं। जब मैं चौथी कक्षा में था तो मैंने बंगाली स्कूल में पढ़ा था कि अंग्रेज लोग हमारे देशी उद्योगों, लघु उद्योगों विशेषकर हथकरघा बुनकरों को समाप्त करने के उद्देश्य से मानचेस्टर से भारत में मलमल लाया करते थे। उस समय इतना अधिक अत्याचार किया जाता था कि अविभाजित बंगाल के कई गांवों में बुनकरों के हाथ और उगलियां काट दिए गए। जब उनका खून बहा तो संघर्ष शुरू हुआ। इस प्रकार की कई घटनाएं घटीं। अतः मैं जब भी बुनकरों की दुर्दशा देखता हूं और उस बारे में सोचता हूं तो मुझे राष्ट्रीय संघर्ष के वे दिन याद आ जाते हैं। उनका योगदान भी हमें याद रखना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 साल पूरे हो गए हैं, मैं मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वे हथकरघा उद्योगों और साथ ही खादी उद्योग के उन बुनकरों पर पुनः ध्यान दें, जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में भारी योगदान दिया। यदि इस विधेयक को और व्यापक बनाया जाये, तो निःसंदेह यह वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत हथकरघा उद्योग के इतिहास को एक नई दिशा देगा।

सभापति महोदय, मैं इस विधेयक में कुछ बातों पर प्रकाश डालूंगा। हथकरघा उद्योग में कौन से लोग लगे हुए हैं ? मैंने हमेशा देखा है कि इस सभा में जब कभी कोई विधान पेश किया जाता है भले ही इसका उद्देश्य कितना भी अच्छा क्यों न हो, अंततः लाभ बुनकरों को नहीं मिलता, लाभ बिचौलिए को ही मिलता है। मैं ऐसे राज्य और निर्वाचन क्षेत्र से संबद्ध हूं जहां राष्ट्रीय संग्राम के दिनों में परंपरागत दृष्टि से हथकरघा उद्योग स्थापित किए गए थे और वह राज्य है पश्चिम बंगाल। आपने यह सुना होगा, तथा मैं समझता हूं मंत्री महोदय जानते होंगे अन्यथा श्रीमती संगमा को यह जानकारी अवश्य होगी कि तंगैल, धानीखली और शांतिपुर की साड़ियों विदेशों में बहुत अधिक पसन्द की जाती हैं। इनसे काफी विदेशी मुद्रा मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि बनारसी सिल्क की साड़ियां पसंद नहीं की जाती और हथकरघा की सिल्क साड़ी पसंद की जाती है। किसी बुनकर को एक साड़ी का नमूना बनाने डिजाइन डालने और उसे पूरा करने में पूरे 18 दिन लगते हैं और जैसा कि आप जानते हैं देश में केवल हथकरघा उद्योग ही ऐसा है जहां पूरा परिवार सामूहिक रूप से काम करता है। यदि एक इकाई में हथकरघा है, तो उसमें माता-पिता, पत्नी, बच्चे सब कुछ न कुछ काम करते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 5 लाख लोग इस हथकरघा उद्योग में काम कर रहे हैं। चुनाव-प्रचार के दौरान भी मैंने उनकी दुःख तकलीफों पर ध्यान दिया। उन्हें क्या दुख है ? उन्हें

कठिनाई यह है कि वहां हथकरघा है, काम करने वाले लोग हैं लेकिन धागे की सप्लाई करने वाले बिचौलिए होते हैं उन्हें बुनकरों की दशा और उनके दुःखों से कोई वास्ता नहीं होता। वह तो कहेगा मैं आपको धागा दूंगा। धागे की चिंता मत करिए मैं आपको कुछ मजदूरी दूंगा आपको इतनी साड़ियां इतने समय में पूरी करके देनी होंगी। सभापति महोदय, अपने चुनाव प्रचार के दौरान मैंने देखा कि वे लोग पूरी रात करघे पर काम करते रहे। मैंने पूछा कि आप सोने क्यों नहीं जाते ? उन्होंने कहा कि यदि हम कल शाम तक व्यापारियों को पूरा काम करके नहीं देंगे तो वे हमें शीघ्र भुगतान नहीं करेंगे। इस तरह उनका शोषण किया जा रहा है। हम इस शोषण से बुनकरों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। अब हम सहकारी समितियों की बात करेंगे। मैं पश्चिम बंगाल सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने तन्तुजा नामक एक इकाई स्थापित की है, जो पिछले कई वर्षों से चल रही है। यह अच्छी तरह काम कर रही है। लेकिन हमें तन्तुजा जैसी और सहकारी समितियां तथा इकाइयां स्थापित करने की जरूरत है। अन्यथा बुनकरों की रक्षा नहीं की जा सकेगी। व्यापारी और बिचौलियों क्या करते हैं ? वे धागे के मूल्यों में हुई वृद्धि का लाभ उठाकर बुनकरों का शोषण करते हैं। सूती कपड़ा उद्योग में आप किसी कर्मचारी को 8 घंटे से अधिक काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यदि आप उसे 8 घंटे से अधिक समय तक काम करने के लिए बाध्य करते हैं तो उसे समयोपरि भत्ता मिलेगा। चाहे राष्ट्रीय वस्त्र निगम हो अथवा गैर सरकारी क्षेत्र, आप सूती कपड़ा इकाइयों के उत्पादन लागत में हर चीज की गणना कर रहे हैं। लेकिन हथकरघा बुनाई उद्योग में वे लोग केवल एक साड़ी या कुरता अथवा एक लुंगी या एक चादर बनाने के लिए सुबह से लेकर पूरी रात काम करते रहते हैं। बुनकरों को भुगतान करते समय कपड़े के उत्पादन लागत में उनकी कुल मजदूरी उनकी श्रम शक्ति की गणना नहीं की जाती, और उसका लाभ बिचौलिया उठा लेता है जो माल लाता है और बाजार ले जाता है। अतः मुख्य रूप से जिस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह है कि मंत्री महोदय राज्य सरकार के सहयोग से तुरंत इस संबंध में एक नीति तैयार करें और यह देखें कि सहकारी समितियां कैसे बनाई जा सकती हैं या सीधी नियंत्रक इकाइयां कैसे स्थापित कर सकते हैं। ताकि उन्हें उचित मूल्यों पर सीधे धागा मिल सके। यदि बैंककारी विभाग इस काम में सहयोग नहीं देता तो मेरा सुझाव है कि आप उपयुक्त समय पर इस पहलू पर विचार करें। यदि आप इस संबंध में एक विधान पेश करें, तो मैं आपका आभारी रहूंगा। आप कृपया पूरे देश में हथकरघा बुनकरों के लिए एक हथकरघा धागा बैंक की स्थापना करें। यह बैंक केवल हथकरघा बुनकरों के लिए होगा। जैसे आप हथकरघा उद्योग द्वारा उत्पादन करने के लिए कुछ वस्तुओं का चयन कर रहे हैं, आप हथकरघा धागा बैंक भी बनाइए जहां से केवल बुनकरों को ही धागा मिलेगा। अन्यथा मुझे संदेह है कि आपकी अच्छी मंशा और आपके द्वारा दी जा रही सहायता और प्रोत्साहन के बावजूद वे लाभ केवल बिचौलियों को मिलता है। मैं किसी धर्म जाति या संप्रदाय को बीच में नहीं लाना चाहता। लेकिन यह सच है कि मेरे राज्य में काफी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मुसलमान और गांवों के निर्धन किसान खाली महीनों में इस उद्योग में काम करते हैं और उन्हें ही कष्ट उठाने पड़ते हैं। सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विशेषकर गांवों में सप्ताह में एक बार हाट या बाजार लगता है। हावड़ा नगर में उसे हावड़ा हाट कहा जाता है। यह पूरे भारत का सबसे बड़ा बाजार है। सुबह वहां

[श्री प्रिय रंजन दास मुंशी]

50 60 हजार बुनकर अपना माल बेचने आते हैं। आपको यह जानकर दुख होगा कि राजस्थान कलकत्ता और उत्तर प्रदेश के व्यापारी ट्रकों में जाते हैं और नाममात्र के मूल्यों पर सारा माल लूट लेते हैं और बुनकर रोते रह जाते हैं। यदि बुनकर अपना माल मंडी में ले जाना भी चाहें तो पुलिस गली में ही उन्हें पकड़कर कहती है कि आप हमें पैसे दो अन्यथा हम आपको नहीं जाने देंगे। उनकी यह दशा है।

यही समय है जबकि मंत्री महोदय को इस बारे में सोच विचार करके कुछ करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री कह रहे है कि हमें किसी मामले पर दूसरों के दृष्टिकोण से नजर डालकर फिर निर्णय लेना चाहिए। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे आज ही विधान पारित करें। ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप कृपया अपने अधिकारियों के साथ गुजरात, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार का दौरा करें तथा बुनकरों की दशा देखें।

श्री डागा ने दफ्तरशाही की आलोचना की है और मैं उनसे सहमत नहीं हूं। आजकल सभी राजनीतिज्ञों में दफ्तरशाह की निंदा करने का प्रचलन सा हो गया है। आखिर वे कर ही क्या सकते है ? मैं यह नहीं कहता कि केवल राजनीतिज्ञ ही देशभक्त हैं और सक्षम हैं तथा दफ्तरशाह ऐसे नहीं है। अंततः वे भी हमारे भाई हैं। हम ही उन्हें परीक्षा देने, प्रशिक्षण देने और किसी विषय की तैयारी के लिए भेजते हैं। वे भी विद्वान है सक्षम हैं। यह सही है। तथापि आप उन्हें साथ ले जाएं और देखें कि वास्तव में क्या हो रहा है।

सभापति महोदय, अब मैं विधान के बारे में दो-तीन मुद्दों पर प्रकाश डालूंगा। विधान इस अर्थ में अक्षम है कि यह अस्पष्ट प्रतीत होता है। विधेयक का खंड 4 में सलाहकार समिति का जिक्र है। यह सलाहकार समिति क्या है? आपने यह नहीं बताया है कि समिति में कितने सदस्य होंगे। क्या इस समिति में 1000 सदस्य होंगे या 10 सदस्य अथवा 5 सदस्य ? यदि उस समिति का स्पष्ट विश्लेषण किया जाए और उसमें यह बताया जाए कि उस समिति का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो मैं इसे अच्छी तरह समझ सकता हूं और उस उद्देश्य से वाद-विवाद में भाग ले सकता हूं। समिति के संबंध में आपका कहना है कि इसके लिए विशेषज्ञ नामजद किए जाएंगे। विशेषज्ञ कौन हैं ? मैं इस बारे में केवल एक ही बात पूछना चाहता हूं कि हमारे सरकारी क्षेत्र को आज संकट का सामना क्यों करना पड़ रहा है। जब सरकारी क्षेत्र में, मोहन कुमार मंगलम द्वारा मंत्रालय का भार सम्भालने से बहुत पहले दुर्गापुर इस्पात संयंत्र बनाया गया था, सरकारी क्षेत्र में टाटा ग्रुप से विशेषज्ञ बुलाए गए थे। वे टाटा उद्योग में सेवा निवृत्ति प्राप्त कर चुके थे। उन्हेंदु र्गापुर इस्पात संयंत्र में मार्गदर्शन करने के लिए नियुक्त किया गया था। वे विशेषज्ञ बिलिमोरिया एण्ड कम्पनी थे। वे वस्तुतः सब कुछ हजम कर गए। मैं यह मामला अपने प्रधानमंत्री के समक्ष भी रखना चाहता हूं। इस तरह से आप सब प्रबन्ध चला रहे हैं।

मेरा अनुरोध है कि हथकरघा उद्योग के लिए जो सलाहकार समिति बनाई गई है, कृपया मोदी या फगवाड़ा या रिलायंस टेक्सटाइल्स अथवा किसी अन्य सूती कपड़ा उद्योग में नियुक्त लोगों को इसका सदस्य न बनाए। वे यहां आएंगे पुनः किसी के साथ सांठ-गांठ करेंगे और सारा मामला बिगाड़ देंगे। कृपया इस उद्योग में लगे व्यक्तियों को इस समिति का सदस्य न बनाएं। उनमें से किसी एक को भी सलाहकार समिति का सदस्य न बनाया जाए। यह मेरा विनम्र सुझाव है। यदि मैंने पाया कि इस उद्योग के किसी व्यक्ति को सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है तो यह मामला सदन में पुनः उठाऊंगा।

मेरा दूसरा सुझाव बुनकरों के सम्बन्ध में है। आप बुनकरों के प्रतिनिधियों को कैसे चुनेंगे। बुनकरों के अपने-अपने राज्यों में कुछ संगठित वर्ग है। हे किसी भी पार्टी से संबद्ध हों, मैं बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन आपको देखना चाहिए कि आवेदन सीधे बुनकरों द्वारा किए जाएं, बिचौलियों द्वारा नहीं। यदि श्रीमान चौबे और स्वयं मैं बुनकरों के नेता बन जाएं तो हम पर विश्वास न करें। आप उस व्यक्ति को सलाहकार समिति का सदस्य बनाएं जो स्वयं बुनकर है। आपका विधान केवल तब ही सक्षम कहलाएगा। अन्यथा सलाहकार समिति का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।

सलाहकार समिति सरकार को सिफारिश करेगी। मुझे आशा है कि आपका उत्तर यही होगा कि सलाहकार समिति की सिफारिशों को पूरी तरह स्वीकार किया जाएगा। यदि आप प्रश्न-काल की भांति पुनः यह कहेंगे कि सिफारिशें की गई है और मामले की जांच की जा रही है तो मैं समझूंगा कि आप बुनकरों के साथ न्याय नहीं कर रहे। आप को उनके साथ न्याय करना होगा। सरकार को सिफारिशें कार्यान्वित करनी ही होंगी। अन्यथा यह विधान अपने आप में सिफारिश ही माना जायेगा, विधान नहीं।

अन्त में मैं सजा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसमें एक बड़ी कमी है। मैं नहीं जानता कि यह विधान किसने बनाया है।

मुझे इस कानून की थोड़ी जानकारी हैं और मैं आपको इस बारे में कुछ बता सकता हूं। आप खंड 10 पर नजर डालें, इसके अनुसार :

> "जो कोई धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में किसी वस्तु या वस्तुओं के किसी वर्ग का उत्पादन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा—

जैसा आप जानते हैं, यदि मैं किसी आदमी को चोट पहुंचाता हूं या उसको मार देता हूं तो मेरी सजा भिन्न होगी। यह विधान संभवतः आपके अधिकारियों ने ही तैयार किया होगा—आपको वह बताना होगा कि उसके लिए क्या दंड देना होगा। यदि मेरे पास एक लाख रुपये मूल्य की वस्तुएं है तो भी मेरी सजा 6 महीने की कैद तथा 5000 रुपए जुर्माना होगी। यह बड़ा सरल मार्ग है। व्यापारी आसानी से इसका लाभ उठायेंगे। यदि वे अन्य करधों का, जिन पर आप केवल चुनी हुई

[श्री प्रिय रंजन दास मुंशी]

वस्तुओं का उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं, प्रयोग कर सकते हैं और 1 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुएं जमा कर सकते हैं, वे अपने प्रतिनिधियों को न्यायालय भेज देंगे और उन्हें 6 महीने की सजा और 5000 रुपए जुर्माना हो जाएगा। जेल से वापिस आने पर भी उनका शुद्ध लाभ 99,95000 रुपए होगा।

क्या यह विधान न्यायोचित है? मैं जानना चाहता हूं यह विधान किसने बनाया? आपको अपराध की गंभीरता के अनुरूप सजा का उल्लेख करना होगा। इससे नियम का उल्लंघन करने वालों की भरमार हो जाएगी। यह अनुचित है। आप इस तरह से बुनकरों की सहायता कैसे कर सकते हैं?

मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि आपको मिदनापुर के बुनकरों पश्चिम बंगाल के बुनकरों के सबसे बड़े समूह तथा नादियाद, हावड़ा, हुगली, बंकुरा आदि के बुनकरों की सहायता करनी होगी। आप राज्य सरकारों के साथ मिलकर स्वयं देखिए—यह मामला ऐसा है जिसमें आप अकेले कुछ नहीं कर सकते—कि सहकारी आंदोलन मजबूत बनाया जाए तथा हथकरघा धागा बैंक के साथ सीधा संपर्क किया जाए।

मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि वे अपनी शिकायतें किससे करेंगे। इस विधेयक में क्या व्यवस्था की गई है? मान लीजिए किसी दूर-दराज गांव में, बुनकर महसूस करते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कुछ चुनी हुई वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है तो वे किसे शिकायत करेंगे? क्या वे सलाहकार समिति को शिकायत करेंगे? क्या व्यवस्था की गई है? इसका संचालन कौन करेगा? क्या केन्द्रीय सरकार की एजेंसी अथवा राज्य की एजेंसी इसका संचालन करेगी? यह भी स्पष्ट नहीं है। बिक्री-कर-शुल्क और उत्पाद शुल्क संबन्धी काम का संचालन केन्द्र सरकार करती है। इस मामले में भी आपको स्पष्ट करना होगा कि संचालन कौन करेगा। अन्यथा, यह अर्थहीन होगा।

मेरे ये सुझाव हैं। एक बार फिर मैं मंत्री महोदय से अपुरोध करता हूं कि कृपया पश्चिम बंगाल के हथकरघा उद्योग को जिसने आपको जीवन दिया तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में अत्याधिक योगदान दिया, पुनः चालू किया जाए। भाड़ा समीकरण नीति का सर्वाधिक प्रभाव इन बुनकरों पर पड़ा है। एक तरफ आप राष्ट्रीय अखंडता की बात करते हैं और दूसरी ओर अगर सूत सम्बन्धी भाड़ा समीकरण के कारण बुनकरों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो हम समझेंगे कि यह पाखन्ड है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं तथा मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि मेरे सुझावों पर विचार करें।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी (कुरनूल) : सभापति महोदय, यह विधान प्रस्तुत करने के लिए

जिन माननीय सदस्यों ने मंत्री महोदय को बधाई दी है, मैं भी उनमें शामिल हूं। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा कि जब तक आप विधेयक के खंड 3 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी नहीं करते, आप इस बधाई के हकदार नहीं होंगे।

खंड 4 के अन्तर्गत एक सलाहकार समिति बनाने का प्रस्ताव है। इस सलाहकार समिति को खंड 4 में उल्लिखित (क), (ख), (ग) और (घ) के सम्बन्ध में सलाह देनी होगी। इसका अर्थ है, पहले सलाहकार समिति बनानी होगी, तब यह (क) (ख) (ग) और (घ) पर विचार करेगी, फिर यह सिफारिश करेगी, तत्पश्चात सरकार को उसकी सिफारिश स्वीकार करनी होगी और फिर सरकार अधिसूचना जारी करेगी जिसमें हथकरघा उद्योग के लिए आरक्षित वस्तुओं का उल्लेख होगा।

मैं जानना चाहता हूं कि खंड 3 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने में सरकार को कितना समय लगेगा ? मंत्री महोदय हमें यह आश्वासन दें कि इस विधेयक के पारित होने के कम से कम 1 वर्ष के भीतर, खंड 3 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी कर दी जायेगी। क्या वह हमें आश्वासन देंगे कि इस विधेयक के पारित होने के 1 माह के भीतर सलाहकार समिति बना दी जाएगी ? अन्यथा यह संदिग्ध है कि इस विधेयक के पारित करने से उन्हें सुरक्षा मिल जाएगी। हथकरघा उद्योग के संबंध में कुछ ठोस कार्यवाही नहीं हो पाएगी।

यदि विधेयक में हथकरघा उद्योग के लिए आरक्षित वस्तुओं की अनसूची का उल्लेख किया गया होता तो मुझे खुशी होती। इस छोटे से विधान को तैयार करते समय सरकार के समक्ष निश्चय ही आंकड़े, होंगे, सामग्री होगी और उसकी अपनी नीति होगी। यदि सरकार के पास हथकरघा उद्योग से सम्बन्धित ये सब चीजें थीं तो मुझे विधेयक के साथ एक ऐसी अनुसूची संलग्न न करने का कोई कारण नजर नहीं आता, जिसमें उन वस्तुओं का उल्लेख किया गया होता, जो हथकरघा उद्योग द्वारा उत्पादन के अनन्य रूप से आरक्षित हों। यह अनुसूची साथ लगाने की सामान्य प्रक्रिया है। समय की आवश्यकता तथा जरूरतों के अनुसार अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार भी सुरक्षित रखा जाता है, लेकिन इस प्रकार की अनुसूची विधेयक के साथ नहीं लगाई गई है। अतः सरकार अभी तक यह निश्चय नहीं कर पाई है कि वह हथकरघा उद्योग के लिए कौन-कौन सी वस्तुएं आरक्षित करना चाहती है। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है क्योंकि हम उस बुनियादी उद्योग को सांविधिक संरक्षण देने की कोशिश कर रहे है जो भारत और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है क्या हम इस तथ्य को याद करते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में इस बुनियादी उद्योग को संरक्षण देना हमारे लक्ष्यों में एक था ? यह खेद का विषय है कि हमारी आजादी के 35 वर्षों बाद भी हम केवल इस हथकरघा उद्योग को सांविधिक संरक्षण देने की बात सोच रहे हैं।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वे कब तक सलाहकार समिति का गठन करने जा रहे हैं और धारा 3 के अन्तर्गत वे कब तक अधिसूचना जारी कर रहे हैं।

मैं अपने से पूर्व के वक्ता से सहमत हूं कि सलाहकार समिति में जो सदस्य होंगे उनकी

[श्री ई० अय्यापु रेड्डी]

योग्यताओं का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है ! इसमें केवल एक ही योग्यता है और वह यह है कि उन्हें सरकार द्वारा विशेषज्ञ समझा जाना चाहिए। संबंधित व्यक्ति को यह संतोष है कि ये सभी विशेषज्ञ होंगे मैं आशा करता हूं कि मेरे पूर्व वक्ता द्वारा नियमों में बताई गई कमी को दूर कर किया जाएगा। कम से कम अधिनस्थ विधान के अन्तर्गत बनाए गए नियमों उन सदस्यों में योग्यताओं को विनिर्दिष्ट किया जा सकता है जो सलाहकार समिति के सदस्य होंगे इस संबन्ध में मैं मंत्री महोदय से अनुग्रह करता हूं कि सलाहकार समिति में जो धारा 4 के अन्तर्गत गठित की जा रही है लोक सभा से कम से कम दो सदस्य और राज्य सभा से कम से कम एक सदस्य लेना न भूलें।

क्या साड़ी और धोती जैसी कतिपय मदों को जो बहुत प्रचलित हैं, हथकरघा क्षेत्र के लिए पूरी तरह से आरक्षित किया गया है ? नई कपड़ा नीति अभी तक नहीं की गई है। राष्ट्रपति के भाषण में यह उल्लेख किया गया था कि नई कपड़ा नीति पर विचार किया जा रहा है तथा सरकार इसे इस बजट सत्र की अवधि में इसकी घोषणा करने जा रही है। नई कपड़ा नीति घोषित नहीं की गयी है। वास्तव में माननीय मंत्री से मेरा यह अनुरोध है कि उन्हें हमको कम से कम नई कपड़ा नीति का कच्चा खाका बता देना चाहिए। वह इसका संतोषजनक ढंग से उत्तर नहीं दे पाए हैं।

विधेयक में कई अस्पष्ट धारा जुड़ी हुई है; इसमें किसी भी बात का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। यदि माननीय मंत्री सोचते है कि हथकरघा उद्योग में उत्पादन के लिए कुछ वस्तुओं को आरक्षित करने से ही हथकरघा उद्योग को संरक्षण मिल जाएगा तो यह गलत है। केवल उत्पादन को ही संरक्षण देने के बारे में तो यह बात ठीक है लेकिन इस उद्योग के विपणन के बारे में संरक्षण देना बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्य ने कहा कि बुनकरों के बहुत से माल को स्वीकार किया जाता है। बिचौलियें उनके माल को बहुत ही सस्ते दामों पर खरीदते हैं और बुनकरों की गरीबी बनी रहती है। मैं इस संबन्ध में कहना चाहता हूं कि हथकरघा उद्योग को समुचित संरक्षण देने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार पर छोड़ दिया जाए। प्रत्येक वर्ष आन्ध्र प्रदेश सरकार वह सारा स्टाक खरीदती है जो हथकरघा उद्योग के पास जमा होता है और खरीददारों को सस्ती दरों पर बेचती है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उन सभी राज्यों को वित्तीय सहायता दें जो हथकरघा उद्योग को संरक्षण दे रहे हैं, आप अपनी ओर से वित्तीयसहायता दें। तभी हम स्वतन्त्रता संग्राम के अपने उस एक प्रतीक के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित कर पाएंगे जिसने हमें प्रेरणा दी थी। इसकी भी कम से कम नियमों में व्यवस्था होनी चाहिए या सलाहकार समिति का गठन करते समय, इसे ध्यान में रखा जाए सलाहकार समिति को हथकरघा उद्योग को दी जाने वाली विपणन सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में सिफारिश करने की शक्तियां भी दी जानी चाहिए।

धारा 10 में केवल 6 महीने के कारावास के दण्ड की व्यवस्था की गई है। यह पर्याप्त नहीं है। दण्ड सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा किए गए उल्लंघन के अनुरूप दिया जाना चाहिए। यदि यह केवल तकनीकी उल्लंघन है तो वह जुर्माना देने से बच सकते हैं। लेकिन यदि अधिनियम के उपबन्धों का

व्यापक उल्लंघन होता है तो उसे केवल 6 महीने की कारावास की सजा न देकर और अधिक कठोर सजा दी जानी चाहिए।

हम कुल मिलाकर इस विधेयक का स्वागत करते हैं। विभिन्न धाराओं में जो कमियां बताई गई हैं उन्हें नियमों में शामिल किया जाए। मैं मंत्री महोदय से इस आश्वासन की आशा करता हूं कि इस विधेयक के पारित किए जाने के बाद कम से कम 6 महीने के भीतर इन संरक्षणों को कार्यरूप दिया जाएगा।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि विपक्ष के नेता भी इसका स्वागत कर रहे हैं। बुनकरों को ठोस, उद्देश्यपूर्ण और आवश्यक संरक्षण देने के सम्बन्ध में यह पहला कदम है। इससे न केवल इसका विकास होगा। बल्कि हथकरघा बुनकरों और विक्रेताओं के हितों की रक्षा भी होगी। मुझे विश्वास है कि यह विधेयक लाने के लिए पूरा सदन सरकार के प्रति आभार प्रकट करेगा। इस उद्योग में चार करोड़ से अधिक लोग कार्यरत हैं जो उस कपड़ा उद्योग में लगे हुए लोगों से कहीं ज्यादा हैं जो संगठित हैं जो विद्युत करघा तथा अनुसूचित रूप से संगठित और कार्यरत विद्युत करघा उद्योग में काम कर रहे हैं। वास्तव में यह उद्योग सबसे बड़ा लघु और कुटीर उद्योग है। इसमें काम करने वाले अधिकतर लोग स्व-रोजगारी लोग हैं। वे अपने मालिक खुद हैं, वे अपने घरों में अपने करघों पर काम करते हैं और इसी करण दुर्भाग्यवश उन्हें वे संरक्षण नहीं दिए गए हैं जो उन्हें देश की सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने चाहिए।

हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के आरम्भ से ही हमारे राष्ट्रीय नेता इस उद्योग को संरक्षण दिलाने के लिए उत्सुक थे, वे चाहते थे कि इन कामगारों, स्व-रोजगार वाले लोगों का सम्मान किया जाए और उन्हें संरक्षण दिया जाए। दुर्भाग्यवश ब्रिटिश सरकार ने इस उद्योग के लिए कुछ नहीं किया, हालांकि मैं इसके शासन के अन्ति मदो दशकों की अवधि में कुछ काम शुरू किया था। केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई दशकों से सुझाए गए सिफारिशों के आधार पर योजना आयोग ने इन लोगों की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दिया। ये सुझाव अंग्रेजों के शासन काल में अखिल भारतीय हथकरघा बुनकर कांग्रेस ने दिए थे। आन्ध्र के विभिन्न स्थानों दक्षिण में करूर में प्रारम्भिक कदम उठाए गए तथा हमने अखिल भारतीय हथकरघा बुनकर कांग्रेस नामक संगठन स्थापित किया। इस विधेयक में जिन संरक्षणों की व्यवस्था की जा रही है उनकी मांग हमने शुरू की थी। हमने हथकरघा उद्योग के लिए कतिपय मदों के आरक्षण की मांग की थी। धीरे-धीरे इस ओर कार्रवाई की गई।एक कुटीर उद्योग बोर्ड बना। उसके बाद एक हथकरघा बोर्ड बना। लेकिन इनमें से किसी ने भी समास्याओं का थोड़ा भी समाधान नहीं किया। कुछ समय बाद बुनकरों में से ही दो बहुत साहसिक, सक्षम और देशभक्त बुनकर पैदा हुए एक थे यंम्मिगनुर के स्वर्गीय सोभाप्पा और दूसरे थे कोटिया। कोटिया अभी जिंदा हैं हमारे साथ इन दोनों ने हथकरघा बुनकरों ने भारतीय हथकरघा बुनकर कांग्रेस का नेतृत्व संभाला और संरक्षण की मांग की पहले कपड़ा उद्योग के विरुद्ध और बाद में सर्वव्यापी बिजली करघा के विरुद्ध और

[प्रो० एन० जी० रंगा]

संरक्षण मांगना शुरू किया। सरकार बिजली करघा और कपड़ा उद्योग तथा हथकरघा बुनकर के बीच विद्यमान समस्या को कैसे हल किया इस बारे में कुछ दुविधा में थी। इसके अलावा बिहार के स्वर्गीय डा० अंसारी ने भी इस दिशा मे काम किया। वह कांग्रेस सरकार में उस समय मंत्री थे। उन्होंने भी हमको बहुत समर्थन दिया।

हाल ही में हाथरस, अलीगढ़ से श्रीमान सहयोगी अन्य कई लोग आए हैं। अब तक हम इस उद्योग को सहकारी उद्योग बनाने के लिए कहते रहे, ताकि इन हथकरघा बुनकरों को, जो अपने घरों में अपने करघों पर काम कर रहे हैं, संगठित किया जा सके, जिससे उन्हें सूत, रंग और विभिन्न महत्त्व-पूर्ण उपकरण उचित मूल्यों पर मिल सकें। युद्ध के दौरान हमें अपने देश में रंग के लिए बहुत अधिक मूल्य देना पड़ता था, क्योंकि आयात पर रोक लगा दी गई थी और युद्ध के समय जो सहूलियतें दी गई थी वह भी समाप्त कर दी गईं, और बुनकरों को एक तरफ तो सूत के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था और दूसरी तरफ रंग और अन्य उपकरणों के लिए भी ऊंचे मूल्य देने पड़ते थे। उन्हें अधिक संरक्षण प्रदान नहीं किया गया था। तथापि इन बुनकरों में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रयास किए गये थे। हम इसमें सब बुनकरों को लाना चाहते थे। यहां तक कि आज भी केवल 50% बुनकरों को कम ब्याज तथा आसान शर्तों पर ऋण देकर सुरक्षा प्रदान की जाता है तथा उन्हें जो सूत दिया जाता है उसके दाम उचित तो नहीं होते किन्तु बहुत अधिक भी नहीं होते। चूंकि विपणन की उचित व्यवस्था नहीं थी अतः उनका शोषण किया जा रहा था। सूती हथकरघा वस्त्रों के आयात में सुधार लाने के लिए कुछ कदम उठाए गये थे। सरकार द्वारा भी कुछ राज सहायता और छूट के रूप में कुछ सुरक्षा प्रदान की गई थी। लेकिन यह सब पर्याप्त नहीं था।

जैसा कि औद्योगिक श्रमिकों और किसानों की समस्याओं का प्रति वर्ष निरंतर बड़ी सावधानी-पूर्वक समाधान किया जाता है, बुनकरों की भी यही स्थिति है। इस प्रकार के विधान से उनकी समस्या का समाधान हमेशा के लिए नहीं किया जा सकता। प्रतिवर्ष सरकार को राज्य स्तर पर और केन्द्रीय स्तर पर उनके हितों की रक्षा करनी होगी तथा सरकार को सभी स्तरों पर एक नियमित कार्यक्रम और निश्चित नीति बनानी होगी। क्या ऐसा किया जा रहा है ? ऐसा हो तो रहा है किन्तु वह इतना संतोषजनक नहीं है। मुख्य बात उन्हें आरक्षण देने की है। ऐसा नहीं किया गया है। अभी विपक्ष के मेरे माननीय सहयोगी, श्री रेड्डी ने एक चेतावनी दी है। इसे सावधानीपूर्वक कार्यान्वित करना होगा।

3.00 म० प०

क्या हमें विश्वास है कि इसे सावधानीपूर्वक कार्यान्वित किया जाएगा ? जब यह विधेयक अधिनियम बन जाएगा, तो इसे कार्यान्वित कौन करेगा ? राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार को इसे कार्यान्वित करना चाहिए। क्या हम विश्वास करें कि वे संतोषजनक तथा प्रभावी ढंग से इसे कार्यान्वित

करेंगे ? इसलिए आवश्यक है कि बुनकरों के संगठन का ही समुचित विकास किया जाए। यह दो तरह से किया जा सकता है— पहला— उनके गैर सरकारी संगठन को राज सहायता देकर तथा दूसरे सभी स्तरों पर हथकरघा सहकारी समितियों के संबद्ध संगठनों में प्रतिनिधित्व प्रदान करके। इस दिशा में भी अभी कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है और अब ऐसा किया जाना चाहिए।

3.01 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

महोदय, हथकरघा बुनकरों के लिए कौन सी वस्तुएं आरक्षित की जानी चाहिए ? यह काम कैसे किया जाएगा ? इसे तीन क्षेत्रों में बांटना होगा -- बड़े उद्योग, संगठित सूती कपड़ा उद्योग तथा विद्युतकरघा और हथकरघा बुनकर। विद्युत करघे कहां है, कितने हैं, इस बारे में एक उचित सर्वेक्षण कराना होगा। लेकिन यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तक कोई भी राज्य सरकार समुचित और विश्वसनीय सर्वेक्षण नहीं करा पाई है। दूसरे, हमने राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार से कहा था कि और बिजली करघों को लाइसेंस न दिए जाएं। उन्होंने कहा कि वे कुछ उपाय करने जा रहे हैं। उसका क्या हुआ ? क्या बिना कोई लाइसेंस दिए विद्युत करघे स्थापित किये गये हैं अथवा वे स्थानीय पुलिस और अन्य अधिकारियों तथा कुछ राजनीतिज्ञों और राजनीतिक दलों की सांठ-गांठ से चलाए जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा राजनैतिक दल है। इसे रोकना होगा। और फिर इन क्षेत्रों के बीच न्याय करना होगा। हम जानते हैं कि आज भी संगठित उद्योग, जिस उचित मूल्य पर सूत खरीदना चाहे उसे मिल जाता है। लेकिन हथकरघा बुनकरों को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में सूत नहीं मिलता। इस संबंध में कदम उठाए जाने चाहिए। अभी तक कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाए गये हैं। कुछ कदम उठाए भी जा रहे हैं, लेकिन उनका क्या लाभ है ? उन्हें उनकी जरूरत का केवल 10%-15% सूत दिया जा रहा है। शेष सूत के लिए उन्हें मंडी पर आश्रित रहना पड़ता है। अतः उन्हें जितने भी सूत की आवश्यकता है वह समय-समय पर उपयुक्त योजना के अनुसार सूती कपड़ा उद्योगों से इकट्ठा खरीदना होगा। महोदय, दूसरे कुछ सूती कपड़ा मिलों हथकरघा बुनकरों द्वारा ही स्थापित की जानी चाहिए। सरकार ने यह नीति अपनायी थी। कुछ कपड़ा मिलों को सहकारिता के आधार पर स्थापित करना होगा। बुनकरों को ही वरीयता दी जानी चाहिए। कुछ बुनकर काफी अमीर हैं, अन्य बुनकर भी उनके साथ हो सकते हैं। उन्हें सूती कपड़ा मिले स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। उन्हें सूत लाभकारी मूल्य पर बताए गए मूल्य पर मिलना चाहिए। परंतु इसके साथ ही कपड़ा मिलों को हथकरघा बुनकरों को नुकसान पहुंचाकर लाभ नहीं कमाने दिया जाना चाहिए। जहां तक सूत की सप्लाई का संबंध है वे हथकरघा बुनकरों को नुकसान पहुंचाकर, लाभ कमाती रही हैं और उनका शोषण करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। यह बड़े दुःख की बात है और इस संबंध में कुछ प्रभावी कदम उठाये जाने होंगे। ऐसा करके इन बुनकरों को अपने कपड़े का उत्पादन करने का अवसर देने के पश्चात, उन सब लोगों के लिए हमें क्या करना होगा जिन्हें स्वयं बुनकरों ने निजी करघों पर, अथवा सहकारी करघों में नियुक्त किया है। क्या उन्हें संरक्षण प्रदान नहीं किया

[प्रो० एन० जी० रंगा]

जाना चाहिए। यदि उन्हें औद्योगिक श्रमिकों के समान अधिक वेतन नहीं दिया जा सकता तो कम-से-कम उनके समान संरक्षण तो दिया जाना चाहिए। महोदय, उन्हें संरक्षण देना ही होगा। प्रति वर्ष न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाना चाहिए निजी, संगठित अथवा सहकारी समितियों द्वारा लगाए गए करघों में लगे बुनकरों को वेतन दिया ही जाना चाहिए। इन सब दिशाओं में प्रभावी कदम उठाने होंगे लेकिन आज तक उनके लिए अधिक काम नहीं किया गया है। यद्यपि प्रत्येक दिशा में काम शुरू कर दिया गया है, और इसका अधिक श्रेय कांग्रेस सरकार और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की सरकारों को है। यहां तक कि जनता सरकार के शासन के दौरान भी हथकरघा बुनकरों को कुछ संरक्षण देने का प्रयास किया गया था किन्तु इतने प्रभावी और जागरुकता से नहीं जितना कि पिछले 5-6 वर्षों के दौरान दिया गया है और इसके लिए हम 20 सूत्री कार्यक्रम के आभारी हैं। लेकिन यह 20 सूत्री कार्यक्रम भी पर्याप्त नहीं है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई राज्य हैं। पूरा आसाम तथा 5-6 राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐसे हैं जहां धन अर्जन करने वाला एक भी उद्योग नहीं है। यह एक गृह उद्योग है। विवाह से पहले प्रत्येक स्त्री को अच्छा बुनकर बनना पड़ता है। वह उसकी सर्वप्रथम योग्यता मानी जाती है। अन्यथा वह विवाह के योग्य नहीं मानी जाती। उन राज्यों में उस उद्योग को विशेष संरक्षण प्रदान करना होगा। इस बात पर विचार करना होगा कि उन्हें कहां तक और किस तरह संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। जम्मू और कश्मीर जैसे अन्य राज्यों की भी यही स्थिति है। वे कई राज्यों में कम्बल और कार्लीन बनाने का काम करते हैं, कई जिलों में, जैसे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में ऐसे कालीन बनाए जा रहे हैं। काफी समय से उनका शोषण किया जा रहा है। उन्हें संरक्षण प्रदान करना होगा।

उन बातों के अतिरिक्त मैंने यह सुझाव दिया था कि उनके लिए एक पृथक विभाग बनाया जाना चाहिए और यदि संभव हो तो राज्य स्तर पर और केन्द्र स्तर पर हथकरघा बुनकर उद्योग और अन्य कुटीर उद्योगों के लिए पृथक मंत्री होना चाहिए। सौभाग्य से मेरे माननीय सहयोगी, श्री संगमा उसी प्रदेश के है जहां कृषि के अलावा यह भी एक महत्त्वपूर्ण उद्योग है। यह आदिवासी क्षेत्रों में है, मैं अनुरोध करता हूं कि समस्त कुटीर उद्योगों के लिए विशेषकर हथकरघा उद्योगों के लिए, जो कि सूत, रेशम, ऊन, और अन्य चीजों का उपयोग कालीन तथा विभिन्न सजावट की वस्तुओं को बनाने के लिए करते हैं, संरक्षण का दायित्व उन जैसे एक पृथक मंत्री को सौंपा जाए। लेकिन भारत सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया है और न ही मैं जानता हूं कि हथकरघा उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग के लिए उनका कोई पृथक विभाग है। अगर ऐसा कोई विभाग नहीं है तो मैं चाहता हूं कि वह इस संबंध में पहल करें एक कुशल, सक्षम और सशक्त विभाग बनाएं जिसे इस बारे में समस्त जानकारी हो तथा इसका प्रभार एक मंत्री महोदय को सौंपा जाए।

विधि मंत्रालय में इस विधेयक निर्माताओं और वस्त्र विभाग वालों ने इस विधेयक को बहुत सरसरी तौर पर लिया है। उनका कहना है कि एक सलाहकार समिति बनानी होगी। यह सलाहकार समिति क्या है। इसके सदस्य कौन होंगे ? उनका चयन कैसे किया जाएगा ? उनकी नियुक्ति कैसे की

जायेगी ? क्या यह प्रतिनिधित और स्थायी निकाय होगा ? और यह कब तक रहेगा—इस बारे में विस्तार में कुछ नहीं बताया गया है। यहां तक कि उसका जिक्र भी नहीं किया गया है। उनका कहना है कि नियम बनाए जाएंगे पर हमेशा की तरह इस संबंध में भी सरकार मनमानी ढंग से काम कर रही है। उन्होंने मात्र सलाहकार समिति का उल्लेख किया है। वास्तव में इस प्रकार की कमी इस विधेयक विशेष के संबंध में कोई नई बात नहीं है। यह तो हमारे सरकार के विधि मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों का एक विशेषाधिकार बन गया है। प्रायः सभी विधेयक, जो इस सभा के समक्ष पेश किये जाते हैं, उनमें बहुत कुछ नियम बनाने वालों पर छोड़ दिया जाता है। क्या उन नियमों को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए ? हम नहीं जानते। हमें कोई जानकारी नहीं है। मैंने इस विधेयक में एक संशोधन हेतु नोटिस दिया है और एक अथवा दो सदस्यों ने इसका समर्थन भी किया है। हमारे नोटिस देने के उपरान्त भी वह हमें बुलाकर यह नहीं पूछते कि कहिए हम इस विषय में क्या कर सकते हैं यह तरीका नहीं है। उस विधान को हमारे समक्ष रखना होगा।

पहले मैं अपने मित्र को विधेयक को दूसरे सदन में पुरःस्थापित करने तथा वहां उसे पारित कराने तथा इस सभा में लाने के लिए बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आज सभा के स्थगित होने तक हम इसे पारित करा पायेंगे। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वह अपना लचीला दृष्टिकोण अपनाये तथा हमारे द्वारा रखे गये संशोधनों पर गम्भीरता से विचार करें। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने इसपर पहले ही विचार किया होगा तथा सामान्य रूप से यह नहीं समझा होगा कि सभी संशोधन या तो अस्वीकार कर दिये जायेंगे अथवा वापस ले लिये जायेंगे। यदि वह हमारे संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकते तो जो समय हमारे पास उपलब्ध है, उसी में इस पर गम्भीरता से विचार करें तथा अपने संशोधन पेश करें तथा सलाहकार समितियों का निर्माण करें।

अन्त में मैं करोड़ों हथ-करघा बुनकरों की प्रशंसा करता हूं जो विदेशों के वस्त्र उद्योगपतियों से तथा स्वतंत्रता के पहले तीन या चार दशकों में वस्त्र उद्योगपतियों तथा विद्युतकरघा मालिकों से भारी स्पर्धा का सामना करते हुए इस उद्योग के प्रति निष्ठावान रहे हैं।

मैं उन हथकरघा क्षेत्र के नेताओं की भी सराहना करता हूं जो हथकरघा बुनकरों के हित में समग्र देश में संघर्ष करते रहे हैं।

अन्त में, महोदय, इस विधेयक का समर्थन करने के लिए यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बिल का समर्थन करता हूं। इस बिल में कई खामियों की चर्चा की गई है। यदि इन सारे पहलुओं पर विचार करके एक काम्प्रिहैंसिव बिल पेश किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता।

[श्री विजय कुमार यादव]

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के अन्दर हैण्डलूम उद्योग एक ऐसा उद्योग है, जिसका देश के आर्थिक जीवन से गहरा सरोकार है। अपने देश में जब औद्योगीकरण शुरू नहीं हुआ था, उस समय यह उद्योग हमारी अर्थ-व्यवस्था का एक प्रधान अंग था। यह उद्योग उस समय भी काफी विकसित था। कहा जाता है कि एक बार औरंगजेब के दरबार में औरंगजेब की लड़की ढांके के मलमल को अपने बदन पर कई तह लपेट कर जाने के बावजूद भी उसका शरीर स्पष्ट दिखाई देता था, मेरे कहने का मतलब है कि कपड़ा बहुत ही महीन होता था। उस जमाने की मलमल को देखते हुए, आज ऐसा लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। इस उद्योग को अंग्रेजों ने किस तरह से तबाह किया, इसकी जानकारी माननीय सदस्यों को है। अभी जिस विषय में सदन में चर्चा चल रही है, इस विषय में हमारे राज्य की स्थिति अजीब है। हैण्डलूम उद्योग और बुनकर का साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन दुःख की बात है कि इस उद्योग के विकास में केन्द्रीय सरकार को जितनी दिलचस्पी लेनी चाहिए, उतनी दिलचस्पी सरकार द्वारा नहीं ली गई। जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में अगर सौ को-आपरेटिव हैं, तो इनमें से 60 या 70 को-आपरेटिव ऐसी हैं, जो कि फेक हैं, केवल कागज पर हैं।

बुनकरों को सूत की सप्लाई होती है, जिसका उनको कपड़ा बना कर देना होता है, उसके बाद गवर्नमेन्ट की तरफ से रिबेट की व्यवस्था है। लेकिन होता क्या है? वीवर्स यार्न नहीं लेते हैं, कपड़े का प्रोडक्शन, हैण्डलूम क्लाथ का प्रोडक्शन, कागजों पर दिखा दिया जाता है—इस तरह से उस सारे रुपये का गोलमाल हो जाता है। यह बहुत दुख की बात है कि एक तरफ तो हम बुनकरों की हालत को सुधारना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोआपरेटिव्ज के जरिये इस तरह का गोलमाल होता है, उनकी आर्थिक-अवस्था पर गहरी चोट की जाती है। रिकार्ड पर आता है कि बिहार में लाखों मीटर हैण्डलूम क्लाथ तैयार हुआ, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि शायद 25 परसेन्ट ही कपड़ा तैयार होता होगा, इतनी बुरी हालत है। मुझे दूसरे राज्यों की जानकारी नहीं है, लेकिन कई माननीय सदस्यों ने यहां कहा है कि उनके यहां कोआपरेटिव्ज बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही हैं। बंगाल की चर्चा आई है, वहां कोआपरेटिव्ज अच्छे ढंग से चल रही हैं, यह अच्छी बात है और हम लोग तो शुरू से ही कोआपरेटिव मूवमेन्ट के साथ रहे हैं, लेकिन मेरे राज्य में जो दुर्दशा है···

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उत्तर प्रदेश की भी यही हालत है।

श्री विजय कुमार यादव : यू० पी० की भी यही हालत है—मेरे मित्र ने कहा है। यदि सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट चाहती है कि इसमें सुधार हो तो उनको कुछ-न-कुछ उपाय करना होगा, अन्यथा आप करोड़ों रुपया सेन्टर से देंगे लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं होगा और बुनकरों की हालत में कोई सुधार नहीं होगा। जो भी सूत दिया जाता है या जो मार्केटिंग की बात है, जब तक नियमित रूप से इस बात की गारन्टी नहीं की जायेगी कि वह एक्चुअल वीवर्स तक पहुंचे, उनको रेगुलरली मिलता रहे, जो कपड़ा तैयार हो उसका मार्केटिंग हो, तब उनका कुछ भला हो सकता है। मार्केटिंग का काम कोआपरेटिव्ज नहीं कर सकती हैं। आज हमारे देश के अन्दर ऐसे-ऐसे वीवर्स हैं जो एक-से-एक कलात्मक बैडशीट्स

तैयार करते हैं, कटेनक्लाथ तैयार करते हैं, तौलिये तैयार करते हैं तथा बहुत सारे ऐसे कपड़े तैयार करते हैं जिनकी मांग विदेशों में बहुत ज्यादा है। लेकिन आप की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा मालूम होता है कि हमारे हैण्डलूम के एक्सपोर्ट में कमी आई है। अगर यह स्थिति सही है तो यह जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर भी है, विदेशों में हैण्डलूम क्लाथ के लिए जो प्रचार होता है वह उस तरह का प्रचार नहीं है जैसा होना चाहिए या आपके डिपार्टमेन्ट को इस मामले में जो इनीशिएटिव लेना चाहिए उस तरह का इनीशिएटिव नहीं लिया जा रहा है जबकि यह देश के अन्दर सबसे बड़ा जाब-ओरिएन्टेड उद्योग है। यदि सरकार इसकी उन्नति के लिये ज्यादा पैसे का एलाटमेन्ट करे, सुपरविजन और हर तरह की सुविधायें दे तो जाहिर बात है कि देश की आर्थिक अवस्था में, खास कर जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं उनको ऊपर उठाने में, क्योंकि यह 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम का भी अंग है, निश्चित रूप से सुधार होगा। बुनकरों को जो यार्न दिया जाय, इस बात का ख्याल अवश्य रखा जाना चाहिए कि उसकी कीमत ऐसी हो, जब कपड़ा तैयार होकर निकले, तो तुरन्त बिक सके तथा बुनकरों को वाजिब मजदूरी मिल सके। केन्द्रीय सरकार ने एक साधारण मजदूर के लिए कम-से-कम साढ़े आठ रुपये मजदूरी निश्चित की है, इससे कम किसी को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे बिहार में ऐसा नहीं हो रहा है। मैं अन्य राज्यों के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मेरे राज्य में बुनकरों के अन्दर भयंकर अनएम्पलायमेन्ट है।

उनको एक्सप्लायट किया जाता है और सूत नहीं दिया जाता है और जिन लोगों को दिया जाता है, जो माल तैयार करते हैं, उनके उस माल का कोई साधन मार्केटिंग का नहीं है।

मैं इस पर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन यह जरूर चाहता हूं कि इन सारी चीजों की व्यवस्था की जाए और एक काम्प्रीहैंसिव बिल इसके लिए आपको लाना चाहिए। यह जो बिल है, यह तो पास किया जाए क्योंकि इसका विरोध करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां पर बुनकरों का सेन्टर है, वहां सूत के लिए कोई उनका अपना भंडार हो ताकि उनको गारन्टी मिल सके कि रेगूलर एम्पलायमेंट मिलेगा और रेगूलर एम्पलायमेंट मिलने में कोई बाधा नहीं पड़ेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एन० डेनिस (नागर कोइल) : इस विधेयक का समर्थन करते समय मैं निम्नलिखित मुद्दे उठाना चाहूंगा।

हथकरघा उद्योग देश में सबसे पुराना उद्योग है। यह श्रम-प्रधान कुटीर उद्योग है जो कि कृषि के बाद सबसे बड़ी संख्या मे लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

इस समय हथकरघा उद्योग बहुत-सी समस्याओं का सामना कर रहा है। उत्पादित कपड़े की

[श्री एन० डेनिस]

बिक्री बाजार में नहीं हो पाती। बिक्री के बिना भारी स्टोक जमा हो जाता है। अतः इस क्षेत्र में व्यापक बेरोजगारी है। इस उद्योग में लगे लोग गरीबी से ग्रस्त हैं तथा भुखमरी के शिकार होने वाले हैं।

हथकरघा बुनकर देश भर में फैले हुए हैं। जब भी उनके समक्ष कोई समस्या आती है वह पूरे देश में फैल जाती है अतः बुनकरों की समस्याओं को कारगर ढंग से और शीघ्र हल किया जाना चाहिए। बुनकरों को समय पर धागा नहीं मिल पाता। इसकी पूर्ति नियमित रूप से नहीं की जाती है। धागा मिल की दर पर बिना करों के दिया जाना चाहिए। जब कभी धागे का मूल्य बढ़ता है वस्त्र की उत्पादन लागत बढ़ जाती है। कपड़े के मूल्य में भी वृद्धि होनी चाहिए। इसके विपणन में भी इसी अनुपात से वृद्धि होनी चाहिए। अन्यथा इससे बहुत सी समस्याएं पैदा होंगी।

इस समय बिक्री की कठिनाइयां हैं। उद्योग के समक्ष यह सबसे बड़ी समस्या है। जिसका समाधान होना चाहिए। हथकरघा उद्योग को मिलों तथा विद्युतकरघा के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। अतः इस कानून का लाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस विधान से हथकरघा बुनकरों के हितों का संरक्षण होना कुछ मदों में पहले से आरक्षण प्राप्त हैं। इन उपायों से उद्योग में सुधार आया है। इस उद्योग को संरक्षण देने तथा इसका कारगर तथा बेहतर ढंग से विकास करने के लिए इस कानून की अत्यन्त आवश्यकता है।

इस कानून से सभी समस्याओं का समाधान तो नहीं होगा परन्तु बुनकरों की समस्याओं के समाधान के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे उद्योग तथा बुनकरों को राहत मिलेगी।

सरकार इस उद्योग को पर्याप्त महत्व देती है। भूतपूर्व प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम में मद 18 इस उद्योग को बढ़ावा देता है। हाल के वर्षों में बहुत से सुधार हुए हैं। तथा हथकरघा के कपड़े का निर्यात बढ़ा है। इस उद्योग के संवर्धन को महत्त्व दिया गया है।

बुनकरों के समक्ष कुछ समस्याओं के बारे में मैं ये सुझाव देना चाहूंगा :

बुनकरों को धागा प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि ऐसे उपाय किए जायें कि बुनकरों को नियमित रूप से सस्ते दर पर धागा उपलब्ध हो सके।

देश-विदेश में बिक्री को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

बुनकरों के उपकरणों के आधुनिकीकरण तथा डिजाइनों की किस्म में सुधार तथा उनके द्वारा उत्पादित कपड़े की किस्म में सुधार के यत्न किये जाने चाहिए।

इस समय बुनकरों को ऋण प्राप्त करने में पर्याप्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

ऐसे प्रयास किये जाने चाहिएं कि उन्हें सस्ते ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके। बुनकरों की और अधिक सहकारी समितियां उन स्थानों पर गठित की जानी चाहिए। जहां पर कि ऐसी समितियां विद्यमान नहीं हैं।

कई स्थानों पर अपेक्षित काउंट का धागा सप्लाई नहीं किया जाता है। उस ओर ध्यान देकर इसकी पूर्ति की जानी चाहिए।

बाजार में रुई की बहुतायत है। मूल्य भी कम हैं। परन्तु धागे का मूल्य बढ़ रहा है। इस परस्पर विरोधी स्थिति का अध्ययन किया जाना चाहिए तथा उपचारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए ताकि कपास के उत्पादकों तथा बुनकरों को संरक्षण मिल सके।

मंत्री महोदय ने बताया है कि शीघ्र ही एक नई वस्त्र नीति तैयार की जायेगी। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि बुनकरों की इन समस्याओं का उक्त नीति में स्थान मिले तथा सातवीं पंच-वर्षीय योजना में भी उस पर ध्यान दिया जाए।

हथकरघा उत्पादकों की बिक्री पर छूट की पद्धति शुरू की गई थी। तमिलनाडु को इस छूट की भारी राशि केन्द्र को देय है—उन्हें लगभग 7 करोड़ रुपया देय है। इसे शीघ्र दिया जाना चाहिए।

विद्युत करघों द्वारा निर्मित वस्त्रों को हथकरघा द्वारा उत्पादित माल के रूप में अंकित कर दिया जाता है तथा उन्हें उसी रूप में बेचा जाता है। इस कदाचार को रोका जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री बी० के० गढ़वी (बनासकांठा) : यद्यपि व्यवहारिक रूप से कोई भी विद्युत करघों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहना चाहेगा तथापि जब हम हथकरघा को संरक्षण देना चाहते हैं। तब तीन क्षेत्रों अर्थात् वस्त्र उद्योग विद्युत करघा और हथकरघा जैसे मैं समझता हूं कि विद्युत करघा अनाधिकृत रूप से आकर अन्य दो क्षेत्रों हथकरघा और वस्त्र उद्योग के महत्त्व को कम कर रहा है। तथा सरकार के लिए भी विद्युतकरघा क्षेत्र के अनधिकृत विकास को रोकना भी कठिन है। मुझे यह कहने में खेद होता है कि वस्त्र आयुक्त भी जिससे यह उम्मीद की जाती है कि वह इस पर नियंत्रण रखे। इसमें विफल रहा है।

इस बारे में प्राक्कलन समिति कर प्रतिवेदन भी सभा के समक्ष है। इसलिए अब स्थिति ऐसी बन गई है कि वस्त्र उद्योग क्षेत्र में जहां कार्मिको के हित संरक्षण के अधिक अवसर हैं—कुछ बड़े वस्त्र उद्योग विद्युत करघों से वस्त्रों का उत्पादन कराकर वस्त्रों को स्वयं उनके द्वारा उत्पादित प्रदर्शित करते हैं। यह मनुष्य निर्मित वस्त्र है। रुई के क्षेत्र में भी वैसी ही स्थिति है। और जब यह घोषित किया गया है कि नई वस्त्र नीति तैयार की जाएगी तो मैं चाहूंगा कि सरकार विद्युत करघों

[श्री बी० के० गढवी]

के बारे में व्यापक नीति अपनाये, जोकि अपनी अनियमित अनाधिकृत वृद्धि से हथकरघा तथा वस्त्र उद्योग के मुख्य लाभों को आत्मसात करता जा रही हैं। अतः जहां तक हथकरघा का सम्बन्ध है उनका एक गरिमापूर्ण इतिहास रहा है तथा अंग्रेजों पर यह ठीक ही आरोप लगाया जाता रहा है कि वे हथकरघा तथा गांव के कुटीर उद्योग को पूर्णतः विनष्ट कर रहे हैं। शायद यही एक मात्र उद्योग है जोकि कृषि के बाद सबसे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देता है। यहां दिए गए आंकड़ों के अनुसार 4 करोड़ व्यक्ति इसमें लगे हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि 2 करोड़ से अधिक परिवार इस पर निर्भर करते हैं तथा इन परिवारों के बच्चे तक भी हथकरघा पर कार्य करते हैं।

इस विधेयक द्वारा कतिपय मदों को हथकरघा के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था की जा रही है। मुझे भय है कि इस संदर्भ में सरकार द्वारा समेकित उपाय किये जाने की आवश्यकता है। क्योंकि हमें इस बात का अनुभव है कि बहुत सी ऐसी वस्तुएं जो लघु और कुटीर उद्योगों द्वारा बनायी जा सकती है, एम० आर० टी० पी० कम्पनियों द्वारा बनायी जा रही है। हम जानते हैं कि टूथ पेस्ट, टूथ ब्रुश, शेविंग सोप, नहाने का साबुन टाटा और गोदरेज कम्पनियों द्वारा बनायी जाती हैं जोकि एम० आर० टी० पी० कम्पनियां हैं और इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। अतः जब सलाहकार समिति हथकरघा उद्योग द्वारा उत्पादित होने वाली वस्तुओं का निर्धारण करेगी तब मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार दबाव में नहीं आयेगी। क्योंकि इसके विरुद्ध दबाव डाला जाएगा। ऐसी वस्तुओं के निर्धारण के विरुद्ध शक्तिशाली शक्तियां कार्यरत हैं जो चाहती हैं कि ऐसी वस्तुएं एक मात्र हथकरघा उद्योग द्वारा ही उत्पादित न की जाए। इसलिए हमारे उपनेता प्रो० रंगा सहित इस सभा के एक वरिष्ठ सदस्य, ने राय व्यक्त की है। कि सलाहकार समिति का गठन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि समिति की सिफारिशों पर हथकरघा उद्योग के लिए पृथक मदें निर्धारित करना महत्त्वपूर्ण हैं। यदि इस समिति को अधिक शक्तियां न दी गई तो वह समिति नाम मात्र की समिति बनकर रह जाएगी। अतः मैं इस बारे में अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त की गयी राय से सहमत हूं, तथा सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस सलाहकार समिति के गठन पर गम्भीरता से विचार करे।

दूसरे, उपलब्धता के बारे में, बेशक धीमी गति से ही सही, इस क्षेत्र की सहायता करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। राज सहायता दी जा रही है, छूट दी जा रही है, इस क्षेत्र के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो भी इस उद्योग की सहायता की आवश्यकता है। रेशम बुनाई, सूत बुनाई और ऊन बुनाई के मामले में ऐसा ही है। हथकरघा उद्योग के उत्पादों की विदेश में विशेष मांग है। अतः मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र के लिए किन्हीं संगठित प्रयत्नों की आवश्यकता है। निःसन्देह सरकारी समितियां हैं। परन्तु दुर्भाग्य से सहकारी समितियां भी आशाओं के अनुरूप नहीं हैं। गुजरात में इस क्षेत्र के बारे में व्यापक प्रयत्न किए गए हैं और सहकारी समितियां आशा के अनुरूप नहीं पनप सकी हैं। इसलिए यह तो ठीक है। कि हम सहकारी समितियां बनाते रहें

परन्तु कुछ ऐसे उपाय किए जाने चाहिए कि इस क्षेत्र के बुनकरों को रेशम, धागा, स्टार्च तथा अन्य उपकरण उपलब्ध कराये जायें तथा उत्पादों की बिक्री की सुविधाएं दी जायें। समस्या का सार यह है कि बिचौलिए लाभ को हड़प जाते हैं। आज यद्यपि सहकारी समितियां उत्पाद बेच रही हैं परन्तु बिचौलियों को अधिक लाभ हो रहा है। अतः कार्मिकों को मिलने वाला हिस्सा उन्हें नहीं मिल पाता। अतः विवशता से वे इस व्यवसाय में लगे हुए हैं। अतः हमें उनकी सहायता करनी चाहिए।

यह उद्योग सारे देश में उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक लगभग 2 करोड़ परिवारों को धंधा उपलब्ध कराता है अतः मुझे उम्मीद है कि सरकार और व्यापक विधेयक पर विचार करेगी। मुझे विश्वास है कि सरकार इस विधेयक को पारित करके इस क्षेत्र की ओर ध्यान देना बंद नहीं करेगी अपितु उन्हें अधिक लाभदायक मूल्य दिलायेगी तथा इस क्षेत्र के विकास के लिए अन्य सुविधाएं देगी।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री के० आर० नटराजन (डिन्डिगुल): मैं ए० आई० ए० डुमक की ओर से विधेयक का स्वागत करता हूं। हथकरघा उद्योग के लिए मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा।

यह भली प्रकार से विदित है कि कृषि के पश्चात् भारत में हथकरघा दूसरा बड़ा व्यवसाय है। बहुत से बुनकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। जहां कि पीने के पानी की सुविधाएं भी नहीं है। उनके लिए आवास की कोई सुविधाएं नहीं है। वे प्रायः गरीबी के स्तर से नीचे जीवन यापन कर रहें हैं। उसका कारण यह है कि मिल क्षेत्र के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा है उनकी दैनिक आय कम है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए। विपणन सुविधाओं के अभाव में हथकरघा उद्योग ठप्प पड़ा है अतः हथकरघा उत्पादों के विपणन के लिए राज सहायता दी जानी चाहिए। इनके लिए उतनी ही बिक्री की सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए, जितनी मिलों को उपलब्ध हैं। हथकरघा उत्पादों का बिचौलियों के बिना निर्यात किया जाना चाहिए। बिचौलिए लाभ का बड़ा भाग हथिया लेते हैं अतः उनके हस्तक्षेप को समाप्त किया जाना चाहिए।

बुनकरों के कुछ प्रतिनिधियों ने मुझे बताया कि उनका एक प्रतिनिधिमंडल भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से मिला था तथा उन्होंने आश्वासन दिया था कि सरकार मकानों के लिए ऋण देगी। परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया। अतः मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें तथा मकान निर्माण के लिए ऋण उपलब्ध करायें।

जब भी विद्युतकरघों के लिए लाइसेंस दिए जाते है सरकार को यह बात अनिवार्य कर देनी चाहिए। बुनकर ही उन्हें चलायें, बिचौलिए न चलायें, ताकि लाभ बुनकरों को ही मिले।

उनके लिए शिक्षा सुविधाएं बहुत कम हैं। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि उन्हें समुचित

[श्री के० आर० नटराजन]

शिक्षा सुविधाएं दी जाएं। मेरा अभिप्राय तकनीकी शिक्षा से है कालेजों तथा अन्य संस्थाओं में 'टैक्सटाइल कोर्सों' में पचास प्रतिशत स्थान बुनकरों के बच्चों के लिए सुरक्षित रखे जायें बुनकरों के लिए स्वास्थ्य योजनाएं तथा अन्य कल्याण योजनाओं की व्यवस्था की जाए। तमिलनाडु में विशेषत: मदुरै तथा धर्मपुरी जिलों में बुनकरों की स्थिति अति दयनीय है तथा उसे सुधारा जाना चाहिए। उनकी कठिनाइयों को कम करने के लिये डिन्डिगुल निर्वाचन क्षेत्र में उसलामपट्टी में एक कताई मिल तथा धर्मपुरी जिले में एक सहकारी मिल स्थापित की जानी चाहिए (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पहले ही वहां पर एक मिल है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह एक और चाहते हैं, आप उन्हें रोकते क्यों हैं। वह धर्मपुरी जिले में एक और मिल लगवाना चाहते हैं। और आप कह रहे हैं वहां पर एक मिल पहले से है। वहां पर एक और मिल बनने दें।

श्री के० आर० नटराजन : चूंकि तमिलनाडु पिछड़ा राज्य है तथा धर्मपुरी जिला अत्यन्त पिछड़ा जिला है अत: वहां पर एक और मिल खोली जा सकती है। चूंकि महान स्वतंत्रता सेनानी सुब्रामनिया शिवा धर्मपुरी जिले के पप्पारापट्टी गांव में रहते थे, मेरा सुझाव है कि नयी मिल की स्थापना उनके नाम पर की जाये।

तमिलनाडु सरकार ने हथकरघा उद्योग में विशेष रुचि ली है तथा हथकरघा नाम का एक विशेष विभाग भी स्थापित किया है जिसके प्रभारी अधिकारी एक आई० ए० एस० अधिकारी हैं। भारत सरकार हथकरघा उद्योग में विशेष रुचि ले रही है तथा प्रतिवर्ष हथकरघा मेले का आयोजन करती है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि ऐसे मेले वर्ष में दो बार लगाये जायें तथा बुनकरों को आर्थिक सहायता दी जाये।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम् (सलेम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हथकरघा उद्योग के संरक्षण के लिए लाए गये इस विधेयक का स्वागत करता हूं। प्रारम्भ में मैं कहना चाहूंगा कि इस विधेयक को ऐसी तलवार नहीं बनने देना चाहिए जिसका उपयोग इसलिए किया जाये कि भविष्य में प्रगति न हो। दूसरे शब्दों में मुझे उम्मीद है इस विधेयक द्वारा हथकरघा बुनकरों से यह नहीं कहा जायेगा कि यह अन्तिम उपाय है तथा यह कि वे लोग हथकरघा के अलावा जीवन में कुछ और नहीं कर सकते। मेरे इस कथन का अभिप्राय यह है कि हमारा उद्देश्य उद्योग को नहीं बुनकर को संरक्षण देना है। मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय मेरे कथन को उसके अभिप्रेत रूप में समझेंगे कि हमारी बुनकरों में रुचि है। उद्योग में नहीं। उद्योग का अस्तित्व तो बुनकरों के कारण ही है उनसे अलग रहकर नहीं। अत: इस विधेयक द्वारा बुनकरों की स्थिति ऐसी न हो जाये कि वे सदा हथकरघा बुनकर ही बने रहेंगे जीवन में और कोई भी प्रगति नहीं कर सकेंगे। यह सर्व विदित है कि विद्युतकरघा और कुछ नहीं केवल मोटर लगा हथकरघा है जैसा कि मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में देखा है। वास्तव में कई तरह के हथकरघे हैं।

मंत्री महोदय इसे समझ सकते हैं। कई विद्युतकरघे मिलों के समान हैं तथा कई हथकरघों के समान। इनमें छोटे से छोटे विद्युतकरघे तथा बहुसंख्या में भारी विद्युतकरघे हैं जोकि मिलों के समान हैं।

दुर्भाग्यवश, जब भी "विद्युतकरघा" शब्द का इस्तेमाल होता है प्रत्येक व्यक्ति एक बड़े बिजलीकरघे की तलाश में रहता है केवल एक बिजली के साधन से ही बहुकरघे संबद्ध होते हैं। जिसे एक पूंजीपति चलाता है। इसमें अभागे गरीब मजदूर नौकरी करते हैं। ये पूंजीपति इनका शोषण करते हैं। इसके साथ ही वास्तव में वे जुलाहे हैं जो बिल्कुल अकेले हैं तथा केवल एक ही करघे से कार्य करते हैं जो बिजली से चलता है। ये जुलाहे अपने उत्पादिता में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह सच है क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 30,000 ऐसे बिजलीकरघे हैं जहां मैंने खुद जाकर देखा है कि उन्होंने विद्यमान हथकरघों में केवल बिजली की मोटर लगा दी है, तथा वह भी अवैध तरीके से क्योंकि उन्हें इसकी इजाजत नहीं है।

उन्होंने ऐसा क्यों किया या उन्हें ऐसा रास्ता क्यों अपनाना पड़ा, इसका कारण बहुत सीधा-सा है। हथकरघा बुनकरों की आय रहन-सहन के व्यय को देखते हुए पर्याप्त नहीं हैं, जबकि सरकार काफी राजकीय सहायता देती है तथा इनके उत्पादों की बिक्री के लिए काफी प्रयास किया जाता है। यह एक वास्तविकता है जिसका हम सभी को सामना करना चाहिए। हथकरघा बुनकर पर्याप्त पैसा नहीं कमा सकते हैं। वास्तव में जैसा कि श्री दास मुन्शी कह रहे थे कि ये लगातार 24 घंटे कार्य करने के बावजूद भी पर्याप्त धन नहीं कमा सकते। इसका कारण बहुत सरल है। बड़ी कपड़ा मिलों के लग जाने से, तथा काफी पूंजी निवेश किए जाने तथा अधिक उत्पादिता होने से श्रम की लागत प्रति मीटर घट गई है। हथकरघा उद्योग कुछ विशेष कलात्मक किस्मों को छोड़कर श्रम की दृष्टि से महंगा होता जा रहा है।

ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम चाहे जो भी करें परन्तु एक बात को हम नहीं टाल सकते और वह है कि हमें बुनकरों के भविष्य के बारे में विचार करना होगा। इस बारे में मेरा एक प्रस्ताव है, जिसपर, मुझे आशा है, कि मंत्री महोदय विचार करेंगे। इन बड़ी कपड़ा मिलों द्वारा बेनामी विद्युत-करघों द्वारा बने कपड़े पर अपने ट्रेड मार्क की मोहर लगाकर बेचने से विद्युत करघों का जो दुरुपयोग होता है उसे रोकने के लिए सभी बिजली करघों पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए तथा केवल उन हथकरघों को जो परम्परागत हथकरघे हैं, चलने दिया जाए ताकि यदि हथकरघा बुनकर अपनी प्रौद्योगिकी में उन्नति करके बिजलीकरघे लगा सकें तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए न कि हतोत्साहित। निश्चित रूप से, एक ओर हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम 21वीं शताब्दी में पहुंच गए हैं तथा दूसरी ओर हम परम्परागत हथकरघा बुनकरों को प्रौद्योगिकी में आगे नहीं बढ़ने देते तथा उन्हें बिजलीकरघों के रूप में नहीं पहुंचने देते।

मानते हैं कि यह डर है कि एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार कम्पनियां या गैर-एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार कम्पनियां तथा वास्तव में वे कौन सी एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार कम्पनियां है जो बिजलीकरघों के नाम का शोषण कर रही हैं।

[श्री पी० आर० कुमारमंगलम]

इसीलिए हथकरघा क्षेत्र के लिए कुछ वस्तुओं का आरक्षण ही केवल उचित नहीं है बल्कि कपड़ा-उद्योग में ही कुछ क्षेत्रों को हथकरघा बुनकरों के लिए आरक्षित रखना आवश्यक है।

यह एक माना हुआ तथ्य है तथा मेरे विचार से जितने लोग यहां हैं उन सभी ने यह कहा भी है कि कृषि के बाद हथकरघा एक ऐसा उद्योग है जो सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है, कि ऐसा क्यों है, कि हम प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन करने वाले उपकरणों का निर्माण नहीं कर सकते जो 'फ्लाई वील' जोड़कर वास्तव में छोटे बिजलीकरघों को उपलब्ध कराया जा सके ? केवल एक 'फ्लाई वील' तथा मोटर की ही आवश्यकता है। यदि ऐसा कर दें तो आपकी उत्पादिता में सुधार होगा, अधिक वेतन मिलेगा तथा आप अधिक अच्छी तरह जीवन बिता सकते हैं। यह सच है जो मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री के ध्यान में लाना आवश्यक है।

बहुत से अवैध बिजली करघा एकक स्थापित हैं तथा अभी भी वे चल रहे हैं। तमिलनाडु सरकार के अत्यधिक प्रयत्न से भी यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि अवैध बिजलीकरघा एकक स्थापित न होने पायें और हथकरघा उद्योग प्रभावित न हों। अवैध बिजली करघे इसलिऐ चल रहे हैं क्योंकि ये उतने ही मजदूरों की सहायता से जितने कि हथकरघा क्षेत्र में होते हैं, तथा उच्च पूंजी-निवेश की सहायता से ये अधिक उत्पादन करते हैं और इन बिजलीकरघा इकाइयों से अधिक लाभ उठाने में सफल हो जाते हैं। एक अधिवक्ता के रूप में मैं यहां इस विधेयक में कुछ त्रुटियां देख रहा हूं। यदि हमें यह वाकई लागू करना है तो हमें ये त्रुटियां दूर करनी होंगी।

पहली यह है कि धारा 4 में "वस्तु" शब्द का प्रयोग किया गया है परन्तु इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। सहज ही न्यायालय में इसका मतलब सामान्य व्यापार के शब्द से लिया जायेगा। इसीलिए 'धोती' एक वस्तु बन जाएगी। बुनाई काउंट असंगत होगा इसीलिए, मेरा सुझाव है कि 'वस्तु' शब्द के स्थान पर इससे अच्छा शब्द 'कपड़ा उत्पाद' का प्रयोग करना चाहिए ताकि आप वास्तव में विभिन्न उत्पादित वस्तुओं के लिए वीव काउंट निर्धारित कर सकें तथा उचित संरक्षण प्रदान कर सकें।

दूसरी यह है कि आप धारा 10 में हर जगह 6 महीने ही कहते आ रहे हैं। एक वकील के रूप में अनुभव होने के नाते मैं जानता हूं कि जब आप यह कहते हैं कि 6 महीने की अवधि के लिए दण्डनीय या जुर्माने के साथ या दोनों, वास्तव में यह केवल जुर्माना ही है। इसीलिए अमीर व्यक्ति एक करघे का 5,000 रुपये देना स्वीकार कर लेगा। क्यों नहीं ? उन्हें अधिक पैसा मिलेगा इसलिए जुर्माना देने में उन्हें संकोच नहीं होगा। इसीलिए 'या' शब्द को हटाकर 'तथा' शब्द को उसके स्थान पर रखिए। इससे आप अच्छा परिणाम देखेंगे।

मैं केवल यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि सरकार का रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने हथकरघे के लिए विधेयक रखा है तथा हमने बुनकरों को संरक्षण प्रदान कर दिया

है तथा केवल यही हम करेंगे।" मैं माननीय मन्त्री से आग्रह करूंगा कि वे इसे हथकरघा बुनकरों या करघा बुनकरों जैसा भी आप उन्हें कहना चाहें, के हित का ख्याल रखकर गम्भीरता से विचार करें, ताकि वह सही जीवन व्यतीत कर सके और आर्थिक दृष्टि से उन्नति कर सकें।

***श्रीमती जयन्ती पटनायक** (कटक) : सभापति महोदय, मैं हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) विधेयक 1985 का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। यदि हम हथकरघा उद्योग के इतिहास को देखें तो हमें पता लगेगा कि इस देश में भारतीय सिल्क तथा मुस्लिम वस्त्र बड़े लोकप्रिय थे। विदेशी लोग भी भारतीय हथकरघों को बहुत पसन्द करते थे। भारतीय सिल्क तथा मुस्लिम वस्त्रों में सुन्दर डिजाइन डाले जाते थे। इस विधेयक का उद्देश्य बुनकरों की दशा को सुधारना है। इसके साथ ही यह विधेयक बुनकरों को उनके उद्योग के लिए धागा देने की समस्या का भी स्थायी हल ढूंढ पाएगा इसीलिए मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं।

महोदय, हथकरघा एक प्राचीन उद्योग है। इसीलिए इस उद्योग का विकास आवश्यक है। इस विधेयक पर बोलते हुए मुझे अपनी स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ कार्य करने की पुरानी याद आती है। अपनी जिन्दगी के अन्तिम 2 दिनों में उन्होंने उड़ीसा का दौरा किया था। जब वे टिगिरिया के समीप एक गांव, नौपटना, का दौरा कर रहीं थीं तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उड़ीसा सरकार द्वारा लगाई गई एक हथकरघा प्रदर्शिनी देखी थी। हथकरघा के वस्त्र देखकर वह अति प्रसन्न हुई थीं। उन्होंने कुछ साड़ियां भी खरीदीं थीं। लेकिन यह एक दुर्भाग्य की बात है कि वह उन साड़ियों को पहन नहीं पाईं। वह बहुत से बुनकरों से मिलीं तथा उनकी परेशानियों के बारे में बात-चीत की। उन्होंने अपने आप ही कहा कि हमारे देश में बुनकरों की स्थिति ठीक नहीं है तथा इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। हमें उनका आर्थिक स्तर ऊपर उठाना होगा। मुझे अभी भी उनके शब्द याद हैं।

उनके मन में हथकरघा उद्योग के विकास की बात जरूर थी। उन्होंने हथकरघा उद्योग के विकास को अपने 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम में शामिल किया था। हथकरघा की हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कपड़ा उद्योग का यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमारे देश में कृषि के बाद दूसरा स्थान हथकरघा उद्योग का है। इसके द्वारा लगभग एक करोड़ व्यक्तियों को प्रत्यक्ष तथा लगभग 4 करोड़ व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। लेकिन बड़े खेद की बात है कि बुनकरों की दशा में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। कई स्थानों पर उन्हें चौबीस घंटे काम करना पड़ता है। इससे बावजूद वे बहुत गरीब हैं। अतः उनके जीवन स्तर को सुधारना हमारी पहली जिम्मेदारी है।

वर्ष 1984 को हथकरघा उद्योग घोषित किया गया था। इसके बहुमुखी विकास का निर्णय लिया गया था। सरकार की योजना इस उद्योग में लगे कामगारों की दशा में सुधार करने की थी।

*उड़ीया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

[श्रीमती जयन्ती पटनायक]

महोदय, देश में वस्त्रों की कुल जरूरत की 30% पूर्ति हथकरघा उद्योग के माध्यम से होती है। इस बात को मद्देनजर रखकर, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या कोई संवीक्षा की गई है जिससे पता चले कि हथकरघा वर्ष के दौरान हथकरघा उद्योग को हम कितना प्रोत्साहन दे पाए हैं। आशा है माननीय मंत्री सदन को जानकारी देंगे कि बुनकरों की दशा में कितना सुधार हुआ है। महोदय देश में 30 लाख करघे हैं। देश में प्रतिवर्ष 3400 मिलियन मीटर हथकरघा वस्त्र का निर्माण किया जाता है। अतः इस उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विदेशी मुद्रा कमाने के लिए हम हथकरघा-वस्त्रों का निर्यात करते हैं। वर्ष 1971 के दौरान देश ने निर्यात द्वारा 25.16 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित की थी और अब 1983-84 में 309 करोड़ रु० लागत का हथकरघा वस्त्र निर्यात किया गया है। इस प्रकार इनके निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जन में वृद्धि हो रही है।

अब मैं हथकरघा उद्योग के विकास के लिए कुछ सुझाव दूंगा। हथकरघा उद्योग के विकास की बात करते समय बुनकरों के समक्ष पेश आने वाली कठिनाइयों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। महोदय, कई स्थानों पर सूत की बेहद कमी है। जरूरत पड़ने पर बुनकरों को अपेक्षित मात्रा में सूत नहीं मिलता। अतः मेरा सुझाव है कि हथकरघा सूत बैंकों की स्थापना की जाए जहां से बुनकर सूत खरीद सकें। बुनकरों को उचित दरों पर सूत की सप्लाई करने के लिए उचित दर की दुकानें खोली जाएं। इस संबंध में मेरा सरकार को सुझाव है कि सरकारी कताई कारखाने खोले जाएं। बुनकरों को अपना माल सीधे बेचने की अनुमति दी जाए। निसंदेह कई राज्यों मे बुनकरों द्वारा बनाई गई कुछ सहकारी समितियां हैं लेकिन मेरा विचार है कि बुनकरों के लिए देश में और अधिक सहकारी समितियां होनी चाहिए।

महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में माल के भंडारण की सुविधाएं बहुत अपर्याप्त हैं। अतः सरकार से अनुरोध है कि भंडारण सुविधाएं बढ़ाई जाएं। विपणन सुविधाओं के अभाव में बुनकरों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी जगहों पर बिचौलिए लाभ उठाते हैं। वे गरीब बुनकरों का शोषण करते हैं। बाजार में वस्त्र का बहुत स्टाक होने के कारण बुनकरों को मजबूरन अपना माल बिचौलियों को सस्ती दरों पर बेचना पड़ता है। अतः बुनकरों की दशा में अगर हम वास्तव में सुधार करना चाहते हैं तो विपणन की पर्याप्त सुविधाएं जुटानी होंगी।

मेरा सरकार को सुझाव है कि वह बुनकरों के लिए कुछ प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करे ताकि वे आधुनिक प्रौद्योगिकी सीख सकें। अपनी परम्परागत तकनीकी का आधुनिकीकरण करने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें जरूरी प्रोत्साहन दिए जाएं। महोदय, भारत में बनने वाले हथकरघा वस्त्रों की विदेश में बहुत मांग है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में हथकरघा उद्योग का प्रर्याप्त प्रचार करने की जरूरत है। इस संबंध में भारतीय दूतावासों को जरूरी निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

महोदय, मैं शिवरमन समिति का उल्लेख करना चाहूंगा। इस समिति ने सिफारिश की थी कि

राज्य सरकार को कुल जितने वस्त्र की जरूरत होती है उसका 20% वह हथकरघा उद्योग से खरीदे। जिन राज्यों में इस सिफारिश को लागू नहीं किया गया है वहां इसे लागू किया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं मंत्रणा समिति के गठन के बारे में प्रोफेसर एन० जी० रंगा द्वारा उठाए गए मुद्दों से सहमत हूं। मेरा सुझाव है कि इस समिति में एक महिला सदस्य को शामिल किया जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

4.00 म० प०

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, 'द्रमुक' दल की ओर से मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। तमिलनाडु में लाखों बुनकर हैं। हमारी पार्टी 1953 से हथकरघा बुनकरों के अधिकारों का मुद्दा उठाती रही है। जब करोड़ों रुपये की लागत का हथकरघा वस्त्र न बिकने के कारण जमा हो गया था तो हमारे नेता श्री करुणानिधि और अन्य नेताओं ने कपड़ों के बंडल अपने कंधों पर उठाए थे और एक गीत गाकर उन्हें बेचा था।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह तो अन्ना के मार्गदर्शन में हुआ था।

श्री एन०वी०एन० सोमू : मैं प्रो० रंगा का आभारी हूं। हां यह काम स्वर्गीय अन्ना के निर्देशन में भी किया गया था। उस समय अन्ना ने विवरण दिया था। कालाइंगर करुणानिधि तथा अन्य नेताओं ने एक गाना गाकर कपड़ा बेचा था। उपाध्यक्ष महोदय उस समय राज्य में कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ थी। मैं उस गीत को पहले पढ़ूंगा। मैं उसका अंग्रेजी अनुवाद भी करूंगा :

"वर्षं उरमुरई मार्गंडी मादम बैंकुण्ठम काट्टतु एकादशी
इप्पो मादम तोरुम नैसवालर वीट्टिल बैंकुंठम
काट्टतु पसी पसी
इदे कष्टलै नीक्कं गवंमैंट इक्क नेरम इलैइरोम्ब
बुसी बुसी
इदे कवलैयैं नीस्तु कन्नाल पाइरक डी० एम० के० कुकुरोम
कुशी कुशी।"

* बैंकुण्ठ एकादशी वर्ष में एक बार 'मार्गंडी' माह में आती है और व्रत रखा जाता है। बुनकरों के परिवारों में यह प्रतिदिन ही आती है, क्योंकि वहां सर्वत्र भूख-ही-भूख है। सरकार बहुत व्यस्त है, उसके पास वक्त नहीं है कठिनाइयां दूर करने का डी० एम० के० पार्टी को खुशी होगी जब वह स्वयं देखेगी कि सरकार इसके लिए उपाय कर रही है।

जैसा कि प्रो० रंगा उल्लेख कर चुके हैं, हमारे स्वर्गीय नेता एरिंगर अन्ना ने कहा था कि ऐसा

* तमिल में उद्धृत अंश के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तर।

[श्री एन० बी० एन० सोमू]

कपड़ा जिस पर बार्डर हो हथकरघा उद्योग के लिए आरक्षित रखा जाए। हमारी पार्टी की महापरिषद ने भी अनेक बार यह प्रस्ताव पारित किया था कि धोती तथा साड़ी बनाने का काम केवल हथकरघा उद्योग को ही सौंपा जाए। माननीय मंत्री कांचीपुरम् तथा प्रसिद्ध अरानी साड़ियों के बारे में तो अच्छी तरह जानते ही होंगे। मिलों द्वारा निर्मित वस्त्रों के कारण हथकरघा उद्योग को कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। श्री राजाजी ने भी, जब वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, इस बात पर जोर दिया था कि बार्डर वाले वस्त्र बनाने का काम हथकरघा उद्योग को ही दिया जाए। मैं सम्माननीय सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मिल में निर्मित वस्त्रों के कारण हथकरघा वस्त्रों को कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। यदि हथकरघा उद्योग को बचाना है तो कुछ वस्त्रों का निर्माण कार्य पूरी तरह से हथकरघा उद्योग को सौंप दिया जाना चाहिए। सम्माननीय सदन के बाहर भी, बहुत से नेताओं ने यह भावना व्यक्त की है कि धोती और साड़ी बनाने का काम पूरी तरह से हथकरघा-उद्योग पर छोड़ दिया जाए। तभी यह उद्योग बच सकता है। अभी भी तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश तथा हमारे पड़ोसी राज्यों में खासकर मद्रास शहर के पास ही स्थित अरानी में, लाखों बुनकर परेशानी का सामना कर रहे हैं। "ब्लीडिंग मद्रास" नामक एक किस्म को अमेरिका में भी काफी पसन्द किया गया था। इस किस्म के वस्त्र का निर्माण अब धीरे-धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि हथकरघा उद्योग को न तो राज्य सरकार न ही केन्द्र सरकार से कोई प्रोत्साहन मिल रहा है।

प्रो० रंगा ने ठीक ही कहा है कि हथकरघा के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाना चाहिए। विधेयक का उद्देश्य यही होना चाहिए था।

विधेयक में मंत्रणा समिति के गठन का उल्लेख किया गया है। इस समिति में केवल संसद सदस्यों को नियुक्त करने से कोई फायदा नहीं है। इसमें समस्त देश से विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी चाहिए। तभी विशेषज्ञ हथकरघा बुनकरों की शिकायतें दूर करने के लिए न केवल विवेक सम्मत बल्कि व्यवहारिक सलाह दे सकेंगे।

तमिलनाडु में अपने शासनकाल के दौरान हमने हथकरघा उद्योग में अनेक सहकारी संस्थाएं शुरू की थी। मेरे विद्वान बंधु मेरे इस कथन पर नाराज न होना कि पिछले 7-8 सालों के दौरान तमिलनाडु में सहकारी संस्थाओं की देखभाल का काम केवल एक स्पेशल अफसर द्वारा किया जा रहा है। वहां चुनाव नहीं हुए हैं हथकरघा बुनकरों की दुर्दशा का शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।

एक माननीय सदस्य ने छूट की समस्या का उल्लेख किया है। तमिलनाडु में त्यौहार के अवसर के दौरान ही छूट दी जाती है। अनुरोध है कि चाहे किसी भी माध्यम से दी जाए, तमिलनाडु में वर्ष भर रियायत दी जानी चाहिए। तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है, क्रिसमिस मनाया जाता है, तमिलनाडु नववर्ष मनाया जाता है तेलगू नववर्ष मनाया जाता है।

अन्ना का जन्म दिन मनाया जाता है; महात्मा गांधी का जन्म दिन मनाया जाता है। अतः,

सारे साल, प्रत्येक महीने, कोई न कोई त्यौहार तमिलनाडु में आता रहता है, उन्हीं के नाम पर, छूट दी जा सकती है। पूरे वर्ष छूट दी जा सकती है ताकि हथकरघा उद्योग फल-फूल सके।

सारांश में, इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं यह कहना चाहता हूं विधेयक में यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि धोतियां तथा साड़ियां केवल हथकरघा उद्योग के लिए आरक्षित रखी जायेंगी।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, हैंडलूम (रिजर्वेशन आफ आर्टिकल्स प्रोडक्शन) बिल, 1985 का मैं समर्थन करता हूं। इस बिल के जरिए से कुछ आर्टिकल्स को हैंडलूम के लिए रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया गया है। जिस प्रकार की इसके लिए व्यवस्था की गई है, वह तो निश्चित तरीके से स्वागत योग्य है, मगर इस व्यवस्था को किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा, इसके सम्बन्ध में जो प्रावधान इसमें रखे गए हैं, उनमें कुछ खामियां नजर आती हैं।

पहली खामी है – कान्स्टीचूशन आप-दि-एडवाइजरी-कमेटी। इस सम्बन्ध में इसमें कोई चर्चा नहीं की गई है। पहले जितने भी बिल इस सदन में पेश किए गए हैं, उन सब में इस बात का जिक्र किया गया था कि कौन-कौन से सदस्य होंगे और किस प्रकार के लोग होंगे। हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ही इस कमेटी में रखा जाना चाहिए। आल-इण्डिया-वाइज हर स्टेट में हैंडलूम की व्यवस्था है, कहीं पर ज्यादा है व कहीं पर कम हैं, जिन क्षेत्रों में ज्यादा हैंडलूम का प्रचलन है, वहां के लोगों को विशेष तौर से रिप्रजेंटेशन देना चाहिए। खादी और विलेज इन्डस्ट्री में जो एक्सपर्ट लोग हैं, इनको कमेटी में रिप्रज़ेंटेशन देना चाहिए। हर राज्य में अलग-अलग हैंडलूम बोर्ड हैं, उनको इस एडवाइज़री कमेटी का सदस्य बनाना चाहिए, ताकि वे बैठकर इस बात को तय करें कि कौन-कौन से आइटम हैंडलूम को दिए जा सकते हैं।

आप ने इस बिल के सैक्शन 4(2) में यह व्यवस्था की है कि प्रोडक्शन किस प्रकार से किया जाएगा। आर्टीकल्ज को निश्चित करने के लिए एक एडवाइज़री कमेटी बनेगी, उसकी मीटिंग में तय होगा कि कौन-कौन-सी हैण्डलूम को दी जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही ऐसा प्रावधान भी कर दिया है कि जो लोग उस आर्टीकल को प्रोड्यूस करते हैं, तीन महीने के अन्दर उसको समाप्त कर दें। इस प्रावधान से उनको काफ़ी अर्से तक उस आर्टीकल के प्रोडक्शन का मौका मिल जाएगा, वे उसको प्रोड्यूस करते रहेंगे और उसका फायदा उठाते रहेंगे। इसको रोका जाना चाहिए ताकि सही व्यवस्था जल्द से जल्द लागू हो सके।

जो पीनल क्लाज है, उसके सम्बन्ध में जैसा एक माननीय सदस्य ने भी कहा है, आप ने यह प्रावीज़न किया है कि 6 महीने की सज़ा या 5 हज़ार रुपये जुर्माना। अक्सर कोर्ट्स में यह देखा गया है जब बड़े लोग फंस जाते हैं तो उनको सज़ा नहीं मिलती है, पेनल्टी लेकर उनको छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए कि जब बड़े लोग फंसे, चाहे टैक्सटाइल वाले हों या पावर-लूम्ज वाले पूंजीपति हों, उनको चाहे एक दिन की सज़ा हो, लेकिन सज़ा अवश्य होनी चाहिए, इसका

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

बहुत अच्छा असर पड़ेगा। इसलिए पीनल क्लाज में 'और' शब्द के स्थान पर 'एण्ड' शब्द को जोड़ा जाए।

आप ने सैक्शन 18 (1) में एक एक्जेम्पशन दी है। जो आर्टीकल विदेशों से मंगाई जाएगी, उसकी पूर्ति हैण्डलूम वाले नहीं कर पायेंगे तो हम पावर-लूम्स या टैक्सटाइल दालों को इस प्रकार का अधिकार दे देंगे कि वे उस वस्तु को बना सकें। इस प्रावधान का बड़े-बड़े लोग खूब फायदा उठायेंगे और आप से परमीशन लेकर उसको बनायेंगे। इस तरह के प्रावधान से इस बिल का सारा परपज-समाप्त हो जाता है और हैण्डलूम-इण्डस्ट्री को इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हमने भिवानी में देखा है, वहां बिडला की मिल है, जिन्होंने बहुत से मजदूरों को निकाल दिया, उसके बाद ऐसी आर्टीकल्ज बनानी शुरू कर दीं जो हैण्डलूम इण्डस्ट्री में तैयार होती थीं, हजारों मजदूरों को अनएम्प्लाय किया, साथ ही ऐसी वस्तुयें बनानी शुरू कर दीं जो हैण्डलूम सैक्टर में बन सकती थीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की नीयत से अपने यहां बनाना शुरू कर दिया। इस तरह की व्यवस्था को रोका जाना चाहिए।

देश में टैक्सटाइल इण्डस्ट्री की हालत बहुत खराब है। हमारा टेक्सटाइल का जितना एक्सपोर्ट होता था, चाहे मिल के जरिए, पावर लूम्ज के जरिए या हैण्डलूम के जरिए हो, पिछले कुछ सालों में वह काफी कम हुआ है। इसकी वजह क्या है? वजह तो मिनिस्ट्री ही बतला सकती है, लेकिन जैसी मांग की गई है कि इसका एक सैप्रेट डिपार्टमेंट होना चाहिए, सैप्रेट मिनिस्ट्री होनी चाहिए, इस तरफ आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिए। टैक्सटाइल का अलग डिपार्टमेंट होने से उसको मौका मिलेगा कि वह देखे कि टैक्सटाइल के अन्दर जो कमी हो रही है, जो डाउन-फाल हो रहा है, प्रोडक्शन घट रही है, बहुत सारी इण्डस्ट्रीज सिक हो रही है, जो प्रोडक्शन हम चाहते थे वह नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है? कामर्स डिपार्टमेंट के पास आज बहुत काम है; इनको दुनिया भर में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के काम को देखना पड़ता है, इसलिए जितना ध्यान इनको देना चाहिए उतना नहीं दे पा रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो टैक्सटाइल इण्डस्ट्री कामर्स डिपार्टमेन्ट के हाथों में फंसकर मटियामेट हो गई है। आज कई मिले बन्द पड़ी हैं, चाहे बम्बई हो, अहमदाबाद हो या अन्य स्थान हों, इस डिपार्टमेन्ट के पूरा ध्यान न देने से ऐसा हो रहा है। हमारी जो फाइनेन्शल इंस्टीचूशन्ज हैं, जैसे आई० डी० बी० आई० है, जो कलकत्ता में है वह भी पूरा सहयोग नहीं दे रही है। हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि जो सिक-इण्डस्ट्रीज मैनेजमेन्ट की वजह से सिक हो गई हैं उनको रिवाइव करने की निश्चित तरीके से व्यवस्था करेंगे।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आपका जो आई० डी० बी० आई० है वह मेवाड़ टैक्सटाइल मिल, जोकि सिक हो गई है के लिए लोन देने को तैयार नहीं है मैनेजमेंट की वजह से वह मिल सिक हो गई है और राजस्थान सरकार से कहा गया है कि वह इसको रिवाइव करने के लिए व्यवस्था करे मगर आपकी जो यह फाइनेंशल इंस्टीट्यूशन कलकत्ता में है, वह लोन देने को तैयार नहीं है, पैसा देने को तैयार नहीं है। इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। आपके डिपार्टमेंन्ट की पूरी तरह से तवज्जह न होने की वजह से ऐसा होता है। इसलिए

आप पर्सनली इस बात का ध्यान रखें कि जो इंडस्ट्री मैनेजमेंट की वजह से सिक हो गई है, उसके लिए फाइनेंशल इंस्टीट्यूशन्स द्वारा लोन्स या एडवान्स की व्यवस्था निश्चित रूप से करवाएं। उसको रिवाइव करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए और मेवाड़ टैक्सटाइल मिल के सम्बन्ध में फाइनेंशल इंस्टीट्यूशन्स को व्यवस्था करनी चाहिए ताकि ढाई साल से जो वहां पर मजदूर बेकार बैठे हैं, उनको रोजी रोटी मिल सके।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, इसके लिए एक सैप्रेट मिनिस्ट्री बननी चाहिए ताकि हम इस इंडस्ट्री को फिर से रिवाइव कर सकें और उसको उस जगह वापस ला सकें, जिस जगह वह पहले थी और जिसमें हिन्दुस्तान अग्रणी रहा है। आज तो उसमें निरन्तर कमी आती जा रही है और अगर इसकी ठीक व्यवस्था न की गई, तो वह बढ़ नहीं पाएगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाइए। कामर्स और इसके बीच में कोई तालमेल नहीं बैठ पाता। इसलिए यह एक सेप्रेट डिपार्टमेन्ट होना चाहिए ताकि टैक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले चाहे वे टैक्सटाइल मिल हों, चाहे पावरलूम सेक्टर हो और चाहे हैंडलूम सेक्टर हो। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, उनको पूरा प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा और जिस तरह से उनको पनपना चाहिए, वे पनप नहीं पाएंगे।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के० राममूर्ति (कृष्णगिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा गठित एक अध्ययन दल की रिपोर्ट के बाद, यह विधेयक, जिसमें विशेष रूप से कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित रखना है, लाया गया है। पहले इस उद्योग के लिए जो भी आरक्षण किया जाता था वह आवश्यक वस्तु अधिनियम या कुछ अन्य अधिनियमों के, जो उस समय प्रभावी थे, अन्तर्गत किया जाता था, लेकिन इसे न्यायालय में चुनौती दी गई और बीच के उद्योग, अर्थात्, विद्युतकरघों तथा कपड़ा मिलों, द्वारा बहुत समस्याएं उत्पन्न कर दी गई थी।

यह एक बहुत ही प्रगतिशील, विवाद-रहित तथा बहुत ही सरल विधेयक है। इस विधेयक का आशय हथकरघा क्षेत्र के लिए कुछ आरक्षण करना है, कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल हथकरघा क्षेत्र को सौंपने का है ताकि अन्य क्षेत्र उन वस्तुओं का उत्पादन न कर सकें।

यहां मेरे कुछ साथियों ने इस विधेयक के खंड 4 पर अर्थात्, सलाहकार समिति के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। सलाहकार समिति, मुझे एक और बात की याद दिलाती है। जब कपड़ा मिलें तथा अन्य सम्बन्धित उद्योग बुरी दशा में थे तब इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने इस मामले पर भारत सरकार से बातचीत की थी और हमने इस मामले के लिए विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति के लिए वकालत की थीं और जो भी वह समिति सुझाव दे उन्हें इस उद्योग को बचाने के लिए कार्यान्वित किया जाना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि क्या हुआ ? सरकार ने एक समिति नियुक्त कर दी जिसके सदस्य संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव तथा सचिव थे—जैसे कि ये व्यक्ति

[श्री के० राममूर्ति]

कपड़ा उद्योग के विशेषज्ञ हों—श्रमिक संगठनों या कपड़ा प्रबन्धकों की उपेक्षा करके। ऐसा इस मामले में नहीं होना चाहिए।

सलाहकार समिति में केवल उन्हीं लोगों को सदस्य नियुक्त किया जाना चाहिए जो हथकरघा उद्योग में व्याप्त कठिनाइयों से भलीभांति परिचित हों।

दूसरी बात यह है। मेरे कुछ मित्रों ने समिति के गठन तथा निर्धारित समय-सीमा संबंधी उल्लेख किया है। खण्ड 19 में नियम बनाने और उन्हें संसद में पेश किये जाने का उपबन्ध हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार, विधेयक पास हो जाने के बाद, वे नियम अविलंब बनायेगी। दूसरी बात, विशेषत: तमिलनाडु में, यह है कि तमिलनाडु में हथकरघा बुनकरों की 1600 से अधिक सहकारी समितियां हैं। लेकिन अब वे सभी बन्द होने की स्थिति में हैं। मुझे सरकार के ध्यान में लाते हुए दुःख है कि अब वहां पर 100 करोड़ रुपये से अधिक का हथकरघा कपड़ा जमा हो गया है जो इन 1600 सहकारी समितियों के भण्डार गृहों में पड़ा है। राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार, माननीय प्रधान मन्त्री और माननीय वाणिज्य मन्त्री को इस सम्बन्ध में बड़ी संख्या में आवेदन भेजे गए थे। इसके पश्चात् मुझे विभिन्न राज्यों, जैसे आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक, के हथकरघा निदेशकों से बातचीत करने का अवसर मिला। वे सब बता रहे थे कि अन्य राज्यों में इस प्रकार से कपड़े का भण्डार जमा नहीं है। उन्होंने एक बात बताई। विशेषत: तमिलनाडु सहकारी क्षेत्र में, जैसा कि अभी माननीय श्री एन० वी० एन० सोमू ने बताया था, कि बहुत समय से लोकतांत्रिक चुनावों के न कराने के कारण विशेष अधिकारी प्रथा शुरू हो गई है। जहां कहीं भी बोर्ड पहले से चल रहे हैं, वहां पर उनके निदेशकों प्रत्येक वर्ष दुबारा से नियुक्ति की जानी होती है। सोसाइटी के लिए/निदेशक बोर्ड की फिर से नियुक्ति पूर्णतया विशेष अधिकारियों या हथकरघा निदेशालय की दया पर निर्भर है। होता क्या है? भ्रष्टाचार फैलता है। अपनी फिर से नियुक्ति कराने या अगर वह बोर्ड में रहना चाहते हैं तो उस नियुक्ति के लिए उसे हथकरघा निदेशालय या विशेष अधिकारियों को कुछ न कुछ पैसा देना पड़ता है। और इस प्रकार जो भी पैसा दिया जाता है वह भी कपड़े की उत्पादन लागत में जोड़ लिया जाता है। अत: इस तरह से कपड़े की कीमत अन्य राज्यों में उत्पादित कपड़े तथा कोआपटेक्स के कपड़ों की कीमतों की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गई हैं, और इसी कारण तमिलनाडु में कपड़ा जमा हो गया है। इन लोगों ने इस बारे में जो कारण बताये हैं उसमें यह भी एक उचित कारण है।

जो भी हो, अब वास्तविकता यह है कि 100 करोड़ रुपये से अधिक का हथकरघा कपड़ा तमिलनाडु में सहकारी समितियों के पास जमा हो गया है। अतः भारत सरकार को उन्हें सभी आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए। हमारे कुछ मित्रों ने सुझाव दिया है कि सारे वर्ष छूट दी जानी चाहिए तथा विशेष प्रदर्शनियां लगानी चाहिएं जिससे उनकी वस्तुएं बेची जा सकें और केवल इसी तरह-से हम बुनकरों, विशेषत: तमिलनाडु के हथकरघा बुनकरों, को बचा सकते हैं।

हथकरघा बुनकरों के सामने एक और समस्या यह है कि उनके रोजगार को नियमित करने,

रोजगार की सुरक्षा तथा हथकरघा बुनकरों के लिए अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम बनाने संबंधी कोई उचित अधिनियम नहीं है। कुछ समय पहले तमिलनाडु सरकार ने हथकरघा बुनकरों के लिए कार्य के घंटे, भविष्य निधि, उपदान तथा अन्य कल्याणकारी उपाय संबंधी एक अधिनियम पारित किया था लेकिन मेरे राज्य तमिलनाडु के मध्य क्षेत्र – अर्थात विद्युतकरघा तथा कपड़ा मिलें उच्च न्यायालय में चले गए और उन्होंने वहां से स्थगन आदेश ले लिया है। इसीलिए मैं माननीय सदन के समक्ष यह सुझाव दे रहा हूं कि केन्द्र सरकार को इन मामलों के लिए विशेषत: हथकरघा बुनकरों के लिए व्यापक विधान लाना चाहिए।

यह दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। प्रत्येक व्यक्ति ने यही कहा है। यह न केवल दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है बल्कि यह एक बहुत छोटा, बे आवाज तथा अभागा क्षेत्र है जिस पर हमने अभी तक अपना ध्यान केन्द्रित नहीं किया है। अत: मैं यह आग्रह करता हूं कि इस देश के हथकरघा बुनकरों के रोजगार नियमित करने, रोजगार सुरक्षा तथा अन्य कल्याणकारी उपायों के लिए एक केन्द्रीय विधान बनाया जाना चाहिए।

दूसरे मुद्दे का मेरे अन्य मित्रों ने जिक्र किया है तथा मेरे साथी श्री रंगाराजन कुमारमंगलम ने भी उसका उल्लेख किया है। उन्होंने एक नये सिद्धान्त का सूत्रपात किया है कि हथकरघा बुनकरों को अधिक उच्च तकनीक तथा अन्य सुविधाओं वाले विद्युतकरघा क्षेत्र में ले आना चाहिए। विद्युतकरघों का पूरी तरह नियन्त्रण हो सके इसके लिए ये सभी बहुत ही सभ्य तरीके हैं। मैं इनके पूर्णतया विरुद्ध हूं। यह विद्युतकरघा उद्योग न केवल श्रमिकों का बल्कि अपने लिए अधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आम जनता का भी शोषण कर रहा है। उस नये सिद्धान्त से तो सुझाव मिलता है कि हथकरघा बुनकरों को विद्युतकरघे खरीदने चाहिए। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन कौन सा हथकरघा बुनकर कम से कम 10,000 रुपये खर्च करके उस विद्युतकरघे को खरीदने जा रहा है। मेरे राज्य में विद्युतकरघा संघ का संचालक कपड़ा मिल मालिक काफी अमीर आदमी है। अत: इस प्रकार के सिद्धान्त का सूत्रपात करना या निहित स्वार्थ के लिए ऐसा नया दर्शन किसी भी सूरत में हथकरघा बुनकरों की सहायता नहीं कर सकेगा। विद्युतकरघों के मामले में भी, हमें इस बात से शर्म आती है कि उन्हें जो भी क्षमता लाइसेन्स द्वारा निर्धारित की गई थी उसे उन्होंने अनियमित रूप से या बिना लाइसेन्स के दुगुना कर लिया है और इसके अतिरिक्त बिना लाइसेन्स वाले विद्युतकरघे यहां पर एक प्रभावशाली लाबी तैयार कर रहे हैं कि उन्हें नियमित किया जाये। इसकी क्या गारंटी है कि उनकी संख्या यहीं पर रुक जाएगी ? अत: सरकार को इन बातों पर विचार करना चाहिए। हथकरघा उद्योग को बचाने के लिए सरकार को इन बातों पर ज्यादा विचार करना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि एक तरफ विद्युतकरघों का यह अनियमित विकास रुके तथा दूसरी तरफ हथकरघा उद्योग को कौन-कौन से प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं। इस समय हम कृषि में 7000 करोड़ रुपये से अधिक सहायता के रूप में दे रहे हैं। यह सहायता खाद, उपकरण तथा अन्य चीजों के लिए है। हम इसकी कम से कम एक चौथाई धनराशि छूट के रूप में इस हथकरघा उद्योग को क्यों नहीं दे सकते ? यह उद्योग कृषि के बाद सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। 4 करोड़ से अधिक हमारे गरीब लोग इस

[श्री के० राममूर्ति]

बहुत प्राचीन तथा सांस्कृतिक उद्योग में लगे हुए हैं। अतः मैं सुझाव देता हूं, पहला, कि सरकार को अधिक से अधिक संभव छूट तथा अन्य रियायतें इस उद्योग को देनी चाहिए। दूसरे, भारत सरकार को इन हथकरघा बुनकरों के रोजगार को नियमित करने तथा उनकी सुरक्षा के संबंध में एक व्यापक कानून बनाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

4.27 म० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा) : इस विधेयक से यह संकेत मिलता है कि सरकार हथकरघा बुनकरों की वास्तविक समस्याओं से परिचित नहीं है। इस विधेयक के माध्यम से उत्पादन की कतिपय मदों को आरक्षित किया जा रहा है। इस समय देश के हथकरघा बुनकरों की समस्या यह है कि उत्पादन बहुत इकट्ठा हो गया है और वह बिक नहीं रहा है, इससे उन्हें वित्तीय संकट के दौर से गुजरना पड़ रहा है। यदि सरकार ने वास्तव में उनकी समस्या पर सोच-विचार किया है तो आरक्षण की आवश्यकता उत्पादन के सम्बन्ध में नहीं बल्कि उत्पादन की बिक्री के लिये वितरण के सम्बन्ध में है इसलिये मैं सरकार से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं "क्या सरकार इन वस्तुओं के वितरण के लिए कतिपय क्षेत्र आरक्षित करने लिए तैयार है ? यह भी नियन्त्रित कपड़े की तरह ही है। यह एक ऐसी मद है जिसका सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों में वितरण किया जाना है। क्या सरकार इस देश के बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़े को, समाज के कमजोर वर्गों में वितरित करने के लिए खरीदने सम्बन्धी मेरे सुझाव पर विचार करेगी। इस क्षेत्र में विपुल धनराशि का निवेश किया गया है; यह धनराशि नियन्त्रित कपड़े के निर्माण के लिए राजसहायता के रूप में दी जाती है। इसलिये यदि हथकरघा क्षेत्र की सहायता करने का प्रस्ताव है तो सरकार को इस उद्योग का अप्रत्यक्ष रूप से वित्त-पोषण करने पर विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या सरकार मेरे सुझाव पर विचार करेगी कि हथकरघा कपड़े को पुलिस, सेना जैसे विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में वर्दी के कपड़े के रूप में तथा सामान्य सरकारी प्रयोग के लिये वितरित किया जाए ? यह स्वीकार किया गया है कि देश में लगभग 30 प्रतिशत कपड़े का उत्पादन हथकरघा क्षेत्र में हो रहा है। यदि देश में हथकरघा बुनकरों की सरकार सहायता करना चाहती है तो सर्वप्रथम, वितरण एवं विपणन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मेरे राज्य में इन गरीब बुनकरों द्वारा निर्मित हथकरघा कपड़े के गोदाम भरे पड़े है, पहले तो इसे विदेशों में निर्यात किया जाता था। त्रिवेन्द्रम एवं कन्नानोर इसके लिए अत्यन्त विख्यात हैं इन क्षेत्रों से हथकरघा कपड़ा का पश्चिमी देशों को निर्यात किया जाता करता था। अब गोदामों में इस कपड़े के भंडार बढ़ते जा रहे हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से अपने इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं कि हथकरघा कपड़े के वितरण के लिये कतिपय क्षेत्रों को आरक्षित करने के विषय में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ? सरकार के पास क्षेत्र उपलब्ध हैं। या सरकार ऐसा करेगी ? उत्पादन के लिए आरक्षण करने के स्थान पर मेरे विचार से वितरण के

आरक्षण किया जाना चाहिए। सरकार का यही दृष्टिकोण होना चाहिए। मैं इस विधेयक का इस सीमा तक स्वागत करता हूं कि इसके माध्यम से परस्पर व्यापन एवं हानिकारक प्रतिस्पर्धा से बचाव होगा। किन्तु इस बचाव से अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता इस बात की है कि इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये कार्य किया जाए, इस विधेयक में प्रस्तावित दण्डात्मक अथवा प्रतिरोधक उपायों से काम नहीं चलेगा। अतः इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के प्रयोजन से सरकार को हथकरघा कपड़े के वितरण के लिये आरक्षण की व्यवस्था के लिए आगे आना चाहिये।

मैं दूसरी बात ऋण सुविधाओं के बारे में कहना चाहता हूं। सरकार इस सुविधा से परिचित है। यदि देश में सर्वेक्षण किया जाये तो इस तथ्य का पता चलेगा कि अधिकांश बुनकरों को उत्पादन आरम्भ करने से पहले विचौलियों के पास तैयार माल गिरवी रखना पड़ता है। वे वित्तीय सहायता के लिये विचौलियों के सामने हाथ फैलाते हैं और उनके साथ यह ठेका करते हैं कि वे अपना तैयार माल निर्धारित मूल्य पर उन्हें दे देंगे। इस प्रकार का ठेका वस्तुओं को तैयार करने से पहले ही कर लिया जाता है। कुछ समय पहले मैं वाराणसी गया था और मुझे पता चला कि वहां के बुनकर पूर्णतया विचौलियों पर आश्रित हैं। वे इतनी सुन्दर बनारसी साड़ियां तैयार करते हैं किन्तु उत्पादन लागत से भी कम मूल्य पर उसे इन विचौलियों को बेच देते हैं।

महोदय, मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। यह सामाजिक न्याय के बारे में है। इस देश में इस पुराने उद्योग में लगभग एक करोड़ लोग कार्यरत हैं। इन्हें अपना तैयार माल विचौलियों के पास गिरवी रख उनसे वित्तीय सहायता लेनी पड़ती है। अन्ततः उन्हें विचौलियों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। यदि सरकार इस असंगठित क्षेत्र के लिए वित्तीय सुविधा की व्यवस्था करे तो इस उद्योग में जान आ जाएगी। इस सन्दर्भ में मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि इस देश में संगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों से अधिक लोग असंगठित क्षेत्र में है। महोदय, इस क्षेत्र में हैं। महोदय, इस क्षेत्र में गरीब लोग हैं जो पूरी तरह से असंगठित है और इस क्षेत्र में अधिकांश लोग अब भी विचौलियों के शिकंजे में फंसे हैं और उनका शोषण हो रहा है। जब तक सरकार इन गरीब बुनकरों को विचौलियों के शिकंजे से मुक्त करने के लिए कदम नहीं उठाती और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान नहीं करती यह उद्योग अधिक देर तक टिका नहीं रहेगा। इस विषय पर सामाजिक न्याय एवं समानता के परिप्रेक्ष्य में विचार करना होगा। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री सलाहुद्दीन (गोड्डा) : माननीय चेयरमैन साहब, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं लेकिन साथ ही साथ मैं कुछ बेसिक समस्याओं की ओर मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहता हूं। यह बिल आपने हैंडलूम इंडस्ट्री के प्रोटैक्शन के उद्देश्य से पेश किया है लेकिन मैं समझता हूं कि इससे सीधे वीवर्स को लाभ कम पहुंचेगा।

हैंडलूम इंडस्ट्री को मोटे तौर पर दो भागों से बांटा जा सकता है—पहला भाग प्रोडक्शन से सम्बन्धित है और दूसरा भाग डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है और मैं समझता हूं कि इस बिल का सम्बन्ध

[श्री सलाहुद्दीन]

प्रोडक्शन से नहीं है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन से है। इसलिए जहां तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है, यह कम्पटीशन को अवाइड कर रहा है क्योंकि रिजर्वेशन का सीधा सम्बन्ध वीवर्स से न होकर मिडिलमैन से होता है । इस बिल के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले वर्ग को ही प्रोटैक्शन मिलेगा। इस बिल के पीछे जो भावना छिपी है, वह साफ तौर से यह बतला रही है कि इसका लाभ बुनकरों को न मिलकर, मिडिलमैन को मिलेगा और यह लगभग स्पष्ट है। मैं चाहता हूं कि इस बिल में ऐसा प्रावधान किया जाए जिससे बुनकरों को लाभ मिल सके और मिडिलमैन लाभान्वित न होने पायें क्योंकि इससे ऐसा कुछ नहीं होता और इसमें बुनकरों की बेसिक समस्याओं पर प्रकाश नहीं डाला गया है।

जहां तक बुनकरों की बेसिक समस्याओं का सम्बन्ध है, यदि हम मोटे तौर से देखें तो एक बुनकर दिन भर में तीन मीटर से ज्यादा नहीं बुन पाता। यहां एक दूसरा प्रश्न हमारे सामने यह पैदा होता है कि प्रति मीटर उसको कपड़ा बुनने पर कितना लाभ मिलता है। मेरी जानकारी के अनुसार किसी भी बुनकर को दो रुपये से ज्यादा का लाभ प्रति मीटर नहीं मिलता होगा और एक दिन में उसको 6 रुपये से ज्यादा मजदूरी नहीं पड़ती। इसलिए मै मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल में प्रोडक्शन साइड के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए और डिस्ट्रीब्यूशन साइड पर कम ध्यान दिया जाए।

हैंडलूम इंडस्ट्री का सम्बन्ध हमारे समाज के सबसे निचले वर्ग से है और पहले कामर्स प्रोडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत इसको लाया गया था और टैक्सटाइल इंडस्ट्री और हैंडलूम इंडस्ट्री के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई थी। मैं मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि कामर्स प्रोडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत जो योजना बनाई गई है, उससे वे भली-भांति अवगत होंगे और उसी को इस बिल में दोहरा दिया गया है। यदि आप वास्तव में बुनकरों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, वीवर्स को प्रोटैक्शन देना चाहते हैं तो हैंडलूम इंडस्ट्री को एन०आर०ई०पी०के अंतर्गत ला दिया जाए। यदि आप ऐसा करेंगे तो इसका सीधा लाभ वीवर्स को मिलेगा क्योंकि इस बिल से जहां तक मैं समझता हूं, मिडिलमैन को ज्यादा लाभ होगा और वीवर्स क्लास को कम लाभ मिलेगा बीवर्स का सम्बन्ध प्रोडक्शन से होता है और इस बिल में डिस्ट्रीब्यूशन का मामला उठाया गया है और उससे सिर्फ मिडिलमैन को ही सीधे लाभ पहुंचेगा। इसलिए मेरा सुझाव मंत्री जी को यह होगा कि यदि आप बुनकरों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, उनके हितों की रक्षा करना चाहते हैं तो प्रोडक्शन साइड पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन पर कम। साथ ही हैंडलूम इंडस्ट्री को एन० आर० ई० पी०के अंतर्गत लाया जाए। तभी बुनकर बिरादरी का इससे फायदा हो सकता है।

इसके साथ ही साथ जो प्राबलम्स इसमें हैं, उनको इसमें नहीं रखा गया है। जो हमारे बुनकरों के साथ बुनियादी समस्याएं हैं, वे इसमें नहीं हैं।

यह एक सोशल इंडस्ट्री है, यह सोशल प्रासेस है। यह सामाजिक प्रक्रिया है आर्थिक प्रक्रिया नहीं है। इस बातपर हमें ध्यान देना होगा। मैं यह मानता हूं कि हैंडलूम इंडस्ट्री सोशल प्रक्रिया है,

सोशल प्रोसेस है तो हमको आर्थिक पहलू पर ज्यादा नहीं जाना चाहिये था, बल्कि दूसरे आस्पेक्ट पर ध्यान देना चाहिये था। सामाजिक पहलू पर इस बिल में कोई प्रकाश नहीं डाला गया है।

इसके साथ ही साथ बुनकरों को न यार्न मिलता है, न मार्केटिंग की फैसेलिटी है। उनके बीच में एक मिडिलमैन हमारे सामने आता है जो कि वीवर्स को यार्न भी दे रहा है और उनके माल को खरीद भी रहा है। वीवर्स को तभी फायदा होगा कि मिडिलमैन को, मध्यस्थ को बीच से हटा दिया जाये। मैं नहीं समझता हूं कि इस बिल के माध्यम से हम मिडिलमैन को जो कि वीवर्स के बीच में एक दीवार बनकर खड़ा हुआ है, उसको हम हटा सकते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से फिर कहूंगा कि इस बिल के द्वारा प्रोडक्शन पर ज्यादा ध्यान दिया जाये, डिस्ट्रीब्यूशन पर कम ध्यान दिया जाये जिससे वीवर्स को सीधे-सीधे लाभ पहुचे।

धन्यवाद।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : माननीय सभापति जी, मैं तो आपके यहां सिफारिश के लिए ही जा रहा था, आपने रास्ते में ही मुझे पुकार लिया, इसके लिए धन्यवाद।

वैसे तो इस बिल का समर्थन दोनों तरफ के, पक्ष और विपक्ष के लोगों ने किया है, मैं भी इसका पुरजोर समर्थन करता हूं और अपने नौजवान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बरसों से उपेक्षित लाखों-करोड़ों परिवारों की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है और उनके लिये कुछ काम करने का निर्णय किया है।

यह बात सही है कि भारतवर्ष में हैंडलूम उद्योग परम्परागत है और आज से नहीं बल्कि स्वतंत्रता के पहले भी यह अपनी उच्च कोटि पर पहुंचा हुआ था। भारतवर्ष के हैंडलूम की कलात्मकता और गुणात्मकता की प्रशंसा यहीं नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी होती रही है और बहुत जमाने से हैंडलूम उद्योग की चीजें एक्सपोर्ट होती रही हैं। जैसा प्रो० रंगा जी ने भी कहा, दुःख इस बात का है कि पिछले अंग्रेजी शासन काल में, खासकर आखिरी 30 वर्षों में उन्होंने इस इंडस्ट्री को चौपट कर दिया। खासकर इस टैक्सटाइल इंडस्ट्री और पावर लूम इंडस्ट्री के माध्यम से यह किया गया है।

यह आवश्यक था कि यह महत्त्वपूर्ण बिल आप लायें, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जहां पर आप बुनकरों की रक्षा के लिए यह बिल लाये हैं और कुछ चीजों को अपने बिल में इसी सेक्टर के लिये रिजर्व कर रहे हैं, वहां आपको यह देखना पड़ेगा कि आज यह इंडस्ट्री किस हालत में है।

हमारे बहुत से साथी चाहे इधर के हों, या उधर के हों, काफी प्रकाश डाल चुके हैं कि देश में आर्गेनाइज सेक्टर से भी ज्यादा इसमें काम कर रहे हैं और किसी प्रकार की भी सहायता चाहे उनकी रामैटिरियल की हो, चाहे उनको धनराशि के रूप में देने की हो अभी तक पूरी नहीं दे पाये हैं। को-आपरेटिव भी कुछ राज्यों में जरूर शुरू हुआ है, लेकिन अधिकांश राज्यों में, अभी बिहार के साथी

[श्री राम प्यारे पनिका]

बोल रहे थे, हमारे यहां कोआपरेटिव सेक्टर में इस उद्योग में कोई प्रभावकारी सहायता लोगों को नहीं पहुंचायी गई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जहां एक तरफ आप यह बिल पास कर रहे हैं, वहां पर आज आप उनकी अपेक्षित पूंजी के लिए आप धनराशि की व्यवस्था करें और आवश्यकता पड़े तो जहां केन्द्र स्तर पर धनराशि की व्यवस्था करें, वहीं पर प्रदेश सरकार की भी इसमें पूरी सहायता करें।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक है। यह एक ऐसा सेक्टर है, जिस में रोजगार के काफी अवसर हैं और हम इसको गांवों तक पहुंचा सकते हैं जिसमें हरिजन आदिवासी लोगों को भी काम में लगाया जा सकता है।

हैंडलूम इंडस्ट्री शुरू से कलात्मक नही है, इसलिए इसका नाम केवल देश में नहीं बल्कि दुनिया के तमाम प्रगतिशील देशों में भी होता रहा है। इसका एक्सपोर्ट भी बहुत हुआ है। इस प्रकार कलात्मक दृष्टि से इसका बहुत ही महत्त्व है और मंत्री जी जिस राज्य से आये हैं, वहां हैंडलूम की कलात्मक चीजों को लोग अपने ड्राइंग रूप में लगाते हैं। यहीं नहीं हमारे यहां उत्तर प्रदेश बिहार में भी इस कार्य में लगे हुए जो लोग हैं, उनकी कलात्मक चीजों को देखें तो आजकल की जो आधुनिकतम मिलें हैं, वे भी उस स्तर की चीजें नहीं बना पाती। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलें। हरिजन बाहुल्य क्षेत्र में और आदिवासी जहां रहते हैं, वहां पर ऐसे सेंटर अवश्य खोले जायें, क्योंकि मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ जिले में, उड़ीसा, बंगाल या कहीं भी चले जाएं वहां पर इस कम्युनिटी के अधिकांश लोग इस काम में लगे हुए हैं और कपड़ा बनाने का काम करते हैं। मैं मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि वह एक ऐसी कमेटी बनायें जिसमें एक-तिहाई वीवर्स के प्रतिनिधि रहें।

आप यह बिल लाये हैं, ठीक है इसका स्वागत है, लेकिन जो हम लोगों ने सुझाव दिये हैं, उन सब पर विचार करते हुए, एक विस्तृत बिल लाएं जिस में सारी बातों का समावेश हो। अच्छा हो, बिल लाने से पहले उन संसद सदस्यों के सुझावों को सुन लें, जहां पर आप इंडस्ट्री काम कर रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। साथ-साथ सुझाव के रूप में कुछ बातें रखना चाहता हूं। यह हथकरघा उद्योग हमारे देश का सबसे पुराना उद्योग है। यह आज का उद्योग नहीं है। परन्तु जब कपड़े की बड़ी-बड़ी मिलें और बड़े-बड़े उद्योग खुल गए तो उन्होंने इस उद्योग को दबोच लिया और इस उद्योग में जो हमारे मजदूर काम कर रहे थे वह सब बेकार हो गए। जब देश स्वतंत्र हुआ तो सरकार का ध्यान इस ओर गया कि इस हथकरघा उद्योग को फिर से जीवित किया जाय। इस के लिए सरकार ने काफी धन खर्च किया और सहयोग समितियों के द्वारा देहातों में बहुत जगह इस का संचालन शुरू

किया। ये सहयोग समितियां जिन को हमारे यहां सहकारी समिति कहते हैं, वह एक ऐसी चीज है जिसके जरिए हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते थे। ये सहकारी समितियां गुजरात में जैसे बहुत ही लोकप्रिय चीज बन गई लेकिन हमारे बिहार में ये एक चरागाह का स्थान बन गई। जो बुनकर हैं उन को इससे कोई फायदा नहीं होता। जो इनको चलाने वाले या इनके दलाल हैं और जो इनके काम के अधिकारी बने हैं उनके अपवित्र गठबन्धन की वजह से वह सारा पैसा जो सरकार इनके लिए खर्च करती है वह कुछ खास लोगों की जेब में चला जाता है।

अगर आपको इनके विकास की बात करनी है तो ये जो चरागाह बन गए हैं – बिहार में तो ऐसे चरागाह बने हैं कि इनकी बदौलत कुछ लोग धन-कुबेर हो गए हैं और वह इस धन के बल पर इस लोक सभा में भी पहुंच जाते हैं और इन्द्र-सभा में भी पहुंचते हैं—तो ये जो समितियां हैं जिनके द्वारा यह चलाया जाता है पहले इन समितियों को दुरुस्त करना होगा। जिन समितियों के द्वारा यह उद्योग चलाया जाता है उस समिति के बुनकर सदस्य होते हैं लेकिन उस के जो बड़े पदाधिकारी होते हैं वह ऊपर के पदाधिकारियों से मिलकर उनका सफाया कर देते हैं। मैं आप से कहूंगा कि अगर आप इस का विकास करना चाहते हैं उसके लिए बहुत से मत आए हैं, अभी यह कहा गया है कि उत्पादन की तरफ ध्यान दिया जाय और उसके वितरण की तरफ नहीं लेकिन आप जानते हैं। इस काम में ज्यादा श्रम लगता है और ज्यादा श्रमिक इस में लगे हुए हैं जिस के कारण आधुनिक मिलों के कपड़ों के मुकाबिले में इनके द्वारा तैयार किए कपड़ों का मूल्य ज्यादा हो जाता है। इसलिए जल्दी कोई इनको खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। तो इनके माल के खरीदने की व्यवस्था सरकार खुद करे। इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को स्वयं सरकार मुनाफे के साथ खरीदे और नियंत्रण के द्वारा इनका वितरण करे, तब इनका विकास हो सकता है क्योंकि ऐसे जो माल ये पैदा करते हैं उसको खुद ले जा करके बेचते हैं जिसमें इनको सही मूल्य नहीं मिलता।

तीसरी बात यह है कि इस उद्योग में काम करने वाले मजदूर संगठित नहीं हैं, इनका कोई संगठन नहीं है। अगर इनका भी संगठन हो जैसे और ट्रेड यूनियन्स के संगठन हैं तो उस संगठन के माध्यम से इनका विकास हो सकता है।

चौथी बात यह है कि सूत प्राप्त करने में इन को आज बहुत दिक्कत होती है। वह सूत भी आप कोटा के आधार पर माहवारी उनके लिए बांध दें और अच्छे किस्म का सूत दें। वह सिल्क की वस्तुएं भी पैदा करते हैं और बहुत अच्छी पैदा करते हैं लेकिन उसको घाटे में उनको बेचना पड़ता है। आपको मालूम है कि हमारे देश में पहले ये बुनकर ऐसा मलमल तैयार करते थे कि एक बांस के खोखे में एक पूरा थान मलमल का आ जाता था। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इनके लिए अच्छे सूत का प्रबंध किया जाय और मन्थली कोटा के आधार पर दिया जाय। इसके अलावा इनको प्रशिक्षण भी दिया जाय। लेकिन सबसे बड़ी भलाई इनकी इस बात से होगी कि सहकारी समितियों में ईमानदार लोग रखे जायं जिन के जरिए काम हो। धारा 4 में सलाहकार समिति जो आप बना रहे हैं उसमें इन लोगों के प्रतिनिधि अधिक रखिए जिनको आप को इसका लाभ देना है। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वी० सोमसुन्दरेश्वर राव (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं सरकार को यह विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि वास्तव में यह विधेयक विलम्ब से लाया गया है क्योंकि कृषि के बाद इस क्षेत्र में सर्वाधिक लोग कार्य कर रहे हैं और इस हथकरघा क्षेत्र में कार्यरत लोग लगभग स्व-नियोजित हैं; वे अपने पैरों पर खड़े हैं। लगभग 60 लाख लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।

वास्तव में अनेक लोग जानते हैं कि राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी हमेशा चर्खे पर जोर दिया करते थे। वास्तव में उन दिनों कांग्रेस के तिरंगे झंडे में चर्खा हुआ करता था। किन्तु, दुर्भाग्य से अब हम देखते हैं कि उस तिरंगे झंडे में केवल हाथ ही दिखाई देता है जिससे पता लगता है कि कांग्रेस अपने जिन मूल सिद्धांतों अथवा ध्येय से प्रतिबद्ध थी, अब वह उन से हट गई है। मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम सत्तारूढ़ दल में अब एक नई विचारधारा उभर रही है और अब वे पुनः महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं और उन्होंने जो कहा था उसको महत्व दे रहे हैं।

भारत जैसे देश में, जहां 69 करोड़ जनसंख्या है, साधन सीमित हैं और पूंजी सीमित है विदेशों से ऊंची दर पर करोड़ों रुपये लिए जा रहे हैं और इस ब्याज की अदायगी के लिए फिर ऋण लिया जाता है, मेरे विचार से यही एक रास्ता है अथवा महत्वपूर्ण रास्ता है जिससे हम अपने अनेक ग्रामीण लोगों के लिए, जिन्हें वर्ष में अधिकांश समय तक पूर्ण-रोजगार नहीं मिलता, इस हथकरघा क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं।

वर्तमान मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति खपत व्यय केवल 1475 रुपये प्रतिवर्ष है अर्थात् यह 4 रुपये प्रतिदिन से भी कम बैठता है; यदि हम इस पर 1970-71 के मूल्यों के आधार पर देखें तो मुश्किल से 591 रुपए ही बैठता है जो 2 रुपये प्रतिदिन से भी कम है। लगभग 48 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है। इन परिस्थितियों में, जबकि करोड़ों रुपए की अमूल्य पूंजी इन विभिन्न बड़े उद्योगपतियों, विशाल एकाधिकार गृहों द्वारा निवेशित की जा रही है जो 200 रुपए अथवा 300 रुपए प्रतिमीटर की लागत के कपड़े का उत्पादन कर रहे हैं, मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि यदि हथकरघा क्षेत्र के माध्यम से जनता की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए तो निश्चय ही इस क्षेत्र में और अनेक लोगों को रोजगार मिल सकता है।

सभापति महोदय, कपड़ा जांच समिति के प्रतिवेदन में, जो सितम्बर 1984 में प्रस्तुत किया गया था, यह कहा गया है कि संगठित उद्योग 2,50,000 लोगों को रोजगार दे रहा है जबकि हथकरघा उद्योग में 15 लाख लोग कार्य कर रहे हैं। मिल क्षेत्र में कपड़े का उत्पादन केवल 58000 लाख गज है किन्तु हथकरघा क्षेत्र में 15000 लाख गज कपड़ा निर्मित हो रहा है। सभापति महोदय मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 3½ गुणा अधिक कपड़े के उत्पादन के लिए मिल उद्योग में, हथकरघा क्षेत्र में लगे कर्मकारों की संख्या का 1/6 भाग अधिक कार्यरत हैं। अतः मैं

सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह हथकरघा उद्योग के लिए ठोस कार्य करे। इस विधेयक को पारित करने के साथ-साथ सरकार को इसे सही मायनों में तथा पूरी निष्ठा के साथ लागू करना चाहिए और इस सन्दर्भ में, मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वित्तीय कठिनाईयां होते हुए भी आन्ध्र प्रदेश की जन-कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण, गरीब जनता को कपड़े की पूर्ति करने के लिए, भारत सरकार द्वारा दी जा रही धनराशि के अतिरिक्त 30 करोड़ रुपये राजसहायता के रूप में व्यय करना पड़ा है। इसी कारण आन्ध्र प्रदेश सरकार राज्य की गरीब जनता को कपड़े, धोतियां तथा साड़ियां 50 प्रतिशत मूल्य पर उपलब्ध करा सकी है इसके परिणामस्वरूप बुनकरों की भी सहायता हुई, क्योंकि उनका वर्षों से पड़े कपड़े के भंडारों का निपटान हो गया और गरीब जनता की सहायता भी हो गई।

मैं सरकार को इस विधेयक को लाने के लिए एक बार पुनः बधाई देता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पूरी ईमानदारी से लागू किया जाए ताकि इससे हमारे अनेक हथकरघा कामगारों तथा ग्रामीण लोगों को लाभ मिले तथा हमारा राष्ट्र पूज्य बापू जी द्वारा दिखाई गई राह पर आगे बढ़ सके।

वाणिज्य और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : सभापति महोदय, इस विधेयक का स्वागत करने और तहेदिल से इसका समर्थन करने के लिए मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। मैं मानता हूं कि जिस किसी भी माननीय सदस्य ने इस बहस में भाग लिया है, उसने संगत और महत्वपूर्ण मुद्दे उठाएं हैं। उन्होंने बहुत से मूल्यवान सुझाव दिए हैं तथा मैं भी इस गौरवशाली सदन को आश्वासन देता हूं कि जब हम इस अधिनियम के तहत नियम बनायेंगे और जब भी हम हथकरघा उद्योग के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाएं लागू करेंगे तब उनके सभी सुझावों को ध्यान में रखेंगे।

एक बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वह यह कि हथकरघा राज्य का विषय है। हथकरघा उद्योग का विकास करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। वास्तव में वर्ष 1976 तक केन्द्रीय सरकार ने व्यवहारिक रूप से हथकरघा उद्योग के लिए कुछ नहीं किया। परन्तु बाद में केन्द्रीय सरकार ने देश के हथकरघा उद्योग के महत्व को समझा तथा जिन क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार हथकरघा उद्योग का विकास कर सकती थी उन क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए श्री शिवारमन की अध्यक्षता में एक समिति कठित की गई तथा समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार में इसका एक अलग विभाग बनाया गया तथा हथकरघा विकास आयुक्त का एक पद बनाया गया। तब से भारत सरकार विभिन्न राज्य सरकारों की विभिन्न तरीकों से मदद करने का प्रयत्न कर रही है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या भारत सरकार के लिए हथकरघा उद्योग की देखभाल हेतु एक अलग मंत्रालय अथवा विभाग बनाना सम्भव होगा। मुझे डर है कि राज्य सरकारें शायद इस प्रस्ताव को मंजूर ना करें।

[श्री पी० ए० संगमा]

व्यवहारिक तौर पर सभी माननीय सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया है कि इस विशेष विधेयक से हथकरघा उद्योग की सारी की सारी समस्यायें हल नहीं हो जाएंगी। मैं उनसे इस मुद्दे पर सहमत हूं। परन्तु मुझे विश्वास है कि हथकरघा उद्योग की बहुत सी समस्याओं को काफी हद तक हल करने में यह विधेयक सहायक होगा।

5.00 म० प०

जब हम हथकरघा उद्योग की बात करते हैं तो हमारे सामने कतिपय मदों को हथकरघा क्षेत्र के उत्पादनों के लिए आरक्षित करने का ही प्रश्न नहीं होता। माननीय सदस्यों ने ठीक ही इंगित किया है कि सरकार को बुनकरों को आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति, करघों के आधुनिकीकरण तथा उनको बाजार की सुविधा दिलाने की ओर भी ध्यान देना चाहिए। ये सभी चीजें बड़ी जरूरी हैं। जब तक हम उन्हें बाजार की सुविधा मुहैया नहीं कराते, उनको उचित मूल्य पर शीघ्रता से कच्चा माल उपलब्ध नहीं कराते तो इनमें से बहुत से लोगों की स्थिति वही रहेगी, हम पूरी तरह से इस तथ्य से परिचित हैं। मुझे विश्वास है कि सदन को याद होगा कि 1984 के वर्ष को 'हथकरघा' वर्ष घोषित किया गया था हमने बुनकरों की सहायता करने के लिए राज्य सरकारों को मदद देने के लिए कई उपाय किए हैं। मैं स्वयं देश में घूमा हूं और सहकारी समिति के सदस्यों, शिखर समितियों, बुनकरों, हथकरघा निदेशकों और हथकरघा उद्योग के प्रभारी मंत्रियों से मिला हूं। मैंने उनसे अलग अलग मुलाकात की है। वास्तव में, इसके परिणाम स्वरूप ही भारत सरकार ने हथकरघा उद्योग के विकास की अनेक योजनाएं बनाई हैं। मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि हमने इस बात पर भी गहराई से विचार किया है कि हम सातवीं पंचवर्षीय योजना में हथकरघा क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं। हम इसके लिए वचनबद्ध हैं।

यदि हम हथकरघा उद्योग के विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करें तो मैं समझता हूं इसमें बहुत समय लगेगा। जो अधिक महत्वपूर्ण है वह है कच्चे माल की पूर्ति विशेषरूप से हथकरघा क्षेत्र को सूत की पूर्ति, जो कि हमेशा से अत्यधिक विवाद का विषय रहा है, क्योंकि कभी कीमतें बहुत ऊंची चढ़ जाती हैं और यदि कीमतें कम भी हों तो भी बुनकरों को इसका लाभ नहीं मिलता। भारत सरकार ने इस समस्या पर काबू पाने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए भारत सरकार ने स्पिनिंग और कम्पोजिट मिलों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे अपने कुल बिक्री योग्य सूत का 50% से कम लच्छेदार सूत के रूप में तैयार नहीं करें। उनके लिए यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि इस 50 प्रतिशत में से 85 प्रतिशत 40 काऊन्ट से कम का होना चाहिए, जो कि हथकरघा उद्योग की प्राथमिक आवश्यकता है। यह एक कदम सरकार ने उठाया है और इसे लागू किया जा चुका है। दीर्घकालीन नीति के रूप में हमने योजना के दौरान् पहले-पहल 25 लाख तकुओं की क्षमता वाली 25 बुनकरों की एक सहकारी

कताई मिल स्थापित की। हमने बुनकरों की सहकारी समितियों के अधीन 6 और कताई मिलें स्थापित करने का निर्णय लिया ताकि बुनकर अपनी आवश्यकताओं का स्वयं ध्यान रख सकें। इस निमित्त 32 करोड़ रुपए रखे गए थे। बाद में, जब हमें पता चला कि हमने इसके लिए जो धन आबंटित किया था, वह पर्याप्त नहीं था और एककों की संख्या जो अधिक हो जानी थी अधिक नहीं हुई—वास्तव में यह संख्या 25 भी बजाय घट कर तेरह हो गई, तब हमने योजना आयोग का दरवाजा खटखटाया तथा इसके निमित्त लगभग 10 करोड़ रुपये अधिक आबंटित कराए तथा अन्ततोगत्वा हम सारे देश में इन मिलों की संख्या 13 से 20 पहुंचा सके जिससे तकुओं की संख्या में 5.84 लाख की और वृद्धि हुई। मुझे यकीन है कि ये नए एकक कार्यान्वियन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं तथा एक बार इनके चालू हो जाने पर सूत की कमी विषयक बहुत-सी समस्यायें हल हो जाएंगी।

बुनकरों की सूत की न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति हेतु हमने सूत बैंकों की स्थापना के विषय में भी सोचा है। श्री प्रियरंजन दास मुन्शी ने इसके लिए जोरदार तर्क रखा है। वास्तव में हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम इसी आधार पर कार्य कर रहा है तथा हम अब पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक ऐसा ही एक बैंक गोहाटी में स्थापित कर सके हैं, दो केरल राज्य में पहले ही खोले जा चुके हैं तथा बहुत शीघ्र बिहार में एक और सूत बैंक खोलने जा रहे हैं...

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : आन्ध्र प्रदेश की स्थिति क्या है? तमिलनाडु की क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है?... (व्यवधान)

श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव : जिन नई चार कताई मिलों की हमारी सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सिफारिश की है उनकी स्थिति क्या है?

श्री पी० ए० संगमा : इस दौरान सरकार ने कताई मिलों के बारे में अपनी नीति बदल दी है क्योंकि हमने अपने देश में तकुओं की पूर्ण क्षमता प्राप्त कर ली है। हमारे यहां विश्व में सबसे अधिक तकुए हैं। इसलिए हमने इसे गैर लाईसेंस सुदा सूची से हटाकर लाइसेंस सुदा सूची में कर दिया। इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है परन्तु मैं समझता हूं कि भविष्य में कताई मिलों को गुणों के आधार पर स्थापित करना होगा तथा हम इसे जिला वर्ग में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

जहां तक अन्य राज्यों का सम्बन्ध है, हमने कह दिया है कि राज्य सरकारें अपना सूत बैंक स्थापित करने के लिए स्वतन्त्र हैं तथा जो कुछ मदद हम कर सकते हैं, हम करने को तैयार हैं। वास्तव में केरल राज्य सरकार ने अपने बल बूते पर पहल की है। मैं राज्य सरकारों को आग्रह कर रहा हूं कि शीघ्र इस मामले में आगे आयें। वास्तव में हमारे वाणिज्य मंत्री ने यह निर्णय किया है कि हमने जो सूत राष्ट्रीय कपड़ा निगम में तैयार किया है वह मिल की दरों पर उन राज्य सरकारों को दे दिया जाएगा जो अपने सूत बैंक स्थापित करेंगी। हम अलग से कुछ भी कर नहीं लगायेंगे।... (व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : सहकारी समितियों को ऋण देने के विषय में क्या स्थिति है ? अखिल भारतीय स्तर के शीर्ष संगठन सहित प्रत्येक राज्य में अलग अलग सूत बैंक खोलने होंगे ताकि उत्पादन के लिए तथा उनके स्वयं के रख-रखाव के लिए उनको ऋण दिया जा सके ।

श्री पी० ए० संगमा : वास्तव में हम शीर्षस्थ सहकारी समितियों को बड़ी उदारता से बैंक ऋण देते हैं । मैं इस सदन को बता दूं कि वर्ष 1976-77 में शीर्षस्थ समितियों को दिया गया ऋण 24 करोड़ रुपये था, 1982-83 में इसे बढ़ाकर 153 करोड़ रुपए कर दिया तथा 1983-84 में इसमें और वृद्धि करके 198 करोड़ रुपए कर दिया है । हम सम्बन्धित राज्य सरकारों को इसमें ब्याज पर छूट भी दे रहे हैं । इसलिए यह सच नहीं है कि हथकरघा उद्योग को ऋण नहीं मिल रहा है । ऋण उपलब्ध है । और ये सभी इस बात पर निर्भर है कि सम्बन्धित सहकारी समिति या शीर्षस्थ समिति कितनी सक्रिय है ।

बहुत से माननीय सदस्यों ने बिचौलियों द्वारा पैसा बनाने का प्रश्न ठीक ही उठाया है । यह सुझाव भी दिया गया कि हथकरघा उद्योग को सहकारी समितियों के अधीन लाया जाना चाहिए । यह भारत सरकार की सुविचारित नीति रही है । वास्तव में, छठी योजना में हमारा लक्ष्य 60 प्रतिशत हथकरघा क्षेत्र को सहकारी क्षेत्र में लाना है । मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम 60 प्रतिशत क्षेत्र को सहकारी क्षेत्र के अधीन लाने के लक्ष्य में सफल होंगे ।

एक अन्य क्षेत्र, जिसका माननीय सदस्यों ने उल्लेख नहीं किया है संसाधन प्रक्रिया का क्षेत्र है । परन्तु मैं इसका उल्लेख करना चाहता हूं । करघा-पूर्व और करघोत्तर प्रक्रियायें हथकरघा उद्योग के दो महत्वपूर्ण भाग हैं । हम इसके लिए भी बहुत-सा धन दे रहे हैं । मैं विभिन्न राज्य सरकारों को रंगाई-गृह स्थापित करने के लिए दिए गए धन के आंकड़ों को उद्धृत नहीं करना चाहता । मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि भविष्य में यदि राज्य सरकारें मदद मांगेंगी तो हम मदद देने के लिए तैयार हैं । मैं डींग नहीं हांक रहा हूं बल्कि यह सच है कि मैं कुछ राज्यों में गया हूं और मैंने कहा है कि धन को छोड़ने के बजाय उनको कुछ धन ले लेना चाहिए ।

विपणन का क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है । इस संबंध में सदस्यों ने बहुत सटीक विचार व्यक्त किए हैं और इसकी महत्ता स्पष्ट करते हुए इस संबंध में अपनी चिंता प्रकट की है । जब तक हम हथकरघा बुनकरों के लिए विपणन की सुविधाओं की व्यवस्था नहीं करते तब तक उनकी तरक्की की बात तो छोड़िए उनके लिए जीवन निर्वाह भी कठिन होगा । मैं नहीं जानता कि हम इस समस्या को कैसे हल कर पायेंगे । इस समय हम देश के विभिन्न स्थानों अथवा विभिन्न नगरों में राष्ट्रीय हथकरघा डिपो खोलते हैं जहां हम हथकरघा कपड़े पर 20 प्रतिशत छूट देते हैं । प्रकट तौर पर देखने में ऐसा लगता जैसे यह प्रणाली बहुत अच्छी तरह कार्य कर रही हो । मैं नहीं जानता कि यह वास्तव में ठीक काम कर रही है अथवा नहीं क्योंकि कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ शिकायतें की हैं । तमिलनाडु के एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि हम वितरण के लिए

पर्याप्त धनराशि नहीं दे रहे हैं। मैं उन्हें बता दूं कि हमने हाल ही में तमिलनाडु सरकार को करीब पांच करोड़ रुपये की छूट-राशि दी है। इस तरह हम उनकी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं व्यक्तिगत तौर पर यह सोच रहा हूं—मैं इसे सरकार के निर्णय के तौर पर नहीं बता रहा हूं—हथकरघा क्षेत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है बुनकरों को नियमित रूप से और उचित मूल्य पर आदानों, विशेषकर सूत उपलब्ध कराना। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह देखने का प्रयास कर रहा हूं कि यह किस तरह उत्तम रीति से किया जा सकता है। सातवीं योजना में हम इसका कोई फार्मूला निकाल लेंगे।

श्री रेड्डी ने एक बहुत ही मान्य मुद्दा उठाया है कि हम क्यों न उन वस्तुओं की एक अनुसूची बना लें, जिनको हम हथकरघा उद्योग के लिए आरक्षित करने की सोच रहे हैं। हमने जानबूझ कर दो कारणों की वजह से ऐसा नहीं किया। जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा, विधेयक प्रस्तुत करते समय सरकार का विचार एक नई कपड़ा नीति बनाने का था, जिसके लिए हम वस्त्र उद्योग की मूल संरचना को देख रहे थे। अतः हमने सोचा कि हम इससे बाद में अच्छी तरह निपट सकेंगे।

दूसरे यदि हम अनुसूची बना लें और उस अनुसूची को इस विधेयक से साथ परिशिष्ट के रूप में जोड़ दें तो यदि बाद में हमें किसी वस्तु को बदलना होगा तो हमें इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए संसद में आना होगा, जिसमें बहुत समय लग जाएगा। इसलिए हमने जान बूझ कर ऐसी कोई सूची नहीं बनाई कि यदि कभी हम सूची में संशोधन करना चाहें तो हम तत्काल ऐसा कर सकें।

मैं श्री रेड्डी को और इस सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि हम वास्तव में यह काम करना चाहते हैं तथा मैं सुनिश्चित करूंगा कि इस विधेयक को लागू करने में कोई देरी न हो। हम यथाशीघ्र इस विधेयक को लागू कर देंगे।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : यथा शीघ्र

श्री पी० ए० संगमा : जी हां, यथा शीघ्र। श्री डागा ने बहुत ही मजेदार प्रश्न उठाया। डागा जी मैं आपको भूल रहा था।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी (कुरनूल) : क्या हम आशा कर सकते हैं कि धारा 3 के अधीन अधिसूचना छः महीने के भीतर जारी कर दी जाएगी।

श्री पी० ए० संगमा : मैं आपसे कोई वायदा नहीं करता, परन्तु मैं पूरा प्रयत्न करूंगा।

श्री डागा वास्तव में ही इस सदन में एक दिलचस्प आदमी हैं। मैं पिछले पांच सालों से

[श्री पी० ए० संगमा]

उन्हें देख रहा हूं और अब पिछले तीन महीनों से उन्हें देख रहा हूं। जब भी कभी सदन में किसी विधेयक पर बहस होती है वह हमेशा कहते हैं कि यह विधेयक लाना आवश्यक नहीं ऐसा विधेयक लाने का कोई मतलब नहीं, ये कानून लागू नहीं किए जाते और इसलिए इस विधेयक को पेश नहीं किया जाना चाहिए था तथा यह विधेयक नहीं लाया जाना चाहिए था। मैं समझता हूं गलती से श्री डागा इस सदन में उपस्थित हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने कहा था कि इसमें कतिपय संशोधनों की आवश्यकता है। मैंने जो प्रश्न उठाया, आप उस पर गौर करें। मैंने कहा था, "आपने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत क्या किया, जिसका जिक्र आपने विवरण पत्र में किया था।

दूसरी बात जो मैंने कही वह यह कि हम आंकड़े जानना चाहते हैं।

श्री पी० ए० संगमा (तुरा) : इसीलिए, आप देश में कानून तथा अधिनियमन संबद्धता से इन्कार नहीं कर सकते। आप तो इसके विरुद्ध बोलते आ रहे हैं। देखिये संसद का कार्य क्या है ? यह सरकार का विधायी निकाय है।

श्री मूल चन्द डागा : हां, परन्तु उन्हें अलमारी में नहीं रखना चाहिए।

श्री पी० ए० संगमा : दूसरी बात श्री डागा तथा मेरे विचार से कर्नाटक से एक माननीय सदस्य ने खादी के बारे में उठाई है।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : आपका मतलब है कि श्री डागा को अलमारी में रख दें।

श्री पी० ए० संगमा : श्री डागा यह भूल जाते हैं कि वे रेगिस्तानी इलाके के हैं तथा मैं हिमालय क्षेत्र से हूं। यदि श्री डागा अपनी खादी की कमीज पहनकर मेरे क्षेत्र में रहें तो वह दो घण्टे भी जिन्दा नहीं रह सकते तथा यदि मैं अपने क्षेत्र के कपड़े पहनकर रेगिस्तान में जाऊं तो मैं भी दो घण्टे जिन्दा नहीं रह सकता। इसीलिए मेरे विचार से व्यक्ति के कपड़े पहनने का प्रश्न व्यक्ति की इच्छा तथा जिस क्षेत्र में वह व्यक्ति रहता है उसकी आवश्यकता पर छोड़ देना चाहिए।

दरअसल, यदि हम खादी की बात करते हैं तो मेरे अपने व्यक्तिगत विचार में खादी के उस स्वरूप पर विचार करना चाहिए जिसका प्रचार स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान किया गया था। गांधी जी ने हम सभी को केवल खादी पहनने तथा खादी बुनने का आह्वान् किया था क्योंकि उस समय कपड़ा उद्योग अंग्रेजी सरकार के नियन्त्रण में था जो हमें स्वीकार्य नहीं था। इसीलिए, उस समय विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई तथा गांधी जी ने आह्वान किया कि हमें अंग्रेजी कपड़ा मिलों द्वारा उत्पादित कपड़े नहीं पहनने चाहिएं। इसके अतिरिक्त विकल्प ही क्या

या ? विकल्प केवल यही था कि हम खादी अपनाएं तथा अपने कपड़े खुद बुनें।

अब, क्या इसका कोई औचित्य है ? परन्तु आज यदि हमें यह कहना पड़े कि सभी को खादी पहननी पड़ेगी, तो मेरे विचार से कपड़ा उद्योग जो पिछले 35 वर्षों में काफी उन्नत हो चुका है···

श्री जैनुल बशर : श्री संगमा, आप कांग्रेसी हैं तथा एक कांग्रेसी के लिए खादी पहननी जरूरी है। हम अपने संविधान को बदल नहीं सकते।

श्री पी० ए० संगमा : मैं खादी के विरुद्ध नहीं हूं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : किसी भी वैज्ञानिक वस्तु को कांग्रेस अपना लेती है।

श्री जैनुल बशर : कांग्रेसी के लिए खादी आवश्यक है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : माननीय मन्त्री जी को उत्तर देने दीजिए।

प्रो० एन० जी० रंगा : महोदय, आदर सहित मेरा निवेदन है कि मैं खादी के विरुद्ध नहीं हूं। खादी तो आएगी ही। खादी एक राष्ट्रीय पोशाक है। यह तो स्वीकार कर लिया है परन्तु मैं केवल यह कह रहा हूं कि आजकल की स्थिति को देखते हुए हमारा यह कहना उचित नहीं है कि सभी को खादी पहननी चाहिए। यह सम्भव नहीं है। जैसे एक मैं हूं, यदि मैं खादी पहनना पसन्द न करूं··· (**व्यवधान**)

मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा हूं। (**व्यवधान**)

श्री नारायण चौबे : महोदय, उनका कथन तर्क सम्मत है।

प्रो० एन० जी० रंगा : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री को सुझाव दे सकता हूं कि हम खादी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उन्हें उस विषय में बात करने की आवश्यकता नहीं जो उनके लिए बिल्कुल नया है तथा उनकी समझ से बाहर है। ये उनके जैसे मन्त्री के लिए बड़ी खतरनाक बात हैं क्योंकि वह बीस सूत्रीय कार्यक्रम तथा कांग्रेसी जीवन प्रणाली के प्रति वचनबद्ध हैं, उनके द्वारा कहे गये शब्द, शोभा नहीं देते। खादी के अनौचित्य या औचित्य के बारे में या किसी और दृष्टि से खादी के बारे में उन्हें बात करने की आवश्यकता नहीं है। कृपया किसी अन्य विषय पर चर्चा शुरू कीजिए। (**व्यवधान**)

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, आदर सहित, मैं केवल एक माननीय सदस्य की बात का उत्तर दे रहा था जो यह कह रहे थे कि मैं खादी के विरुद्ध हूं। (**व्यवधान**)

श्री जैनुल बशर : आपके मन्त्री के नाते नहीं बल्कि एक कांग्रेसी होने के नाते बात करनी चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव : महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा··· (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : श्री सोभनाद्रीसवरा राव, कृपया बैठ जाईये। (**व्यवधान**)

श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव : आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री से सामान्य निवेदन है कि उनके लिए यह सही और उचित होगा यदि वह अपनी टिप्पणी कि—'गांधी का आजकल कोई महत्व नहीं है, वापअ ले लें। वह तो आजकल और भी महत्व रखते हैं। (**व्यवधान**)

श्री पी० ए० संगमा : मेरा यह नम्र निवेदन है कि मेरा मतलब खादी के अनादर से नहीं है। खादी तो रहनी ही चाहिए। इसमें मेरी राय भिन्न नहीं है तथा वास्तव में मैं जब यह कहता हूं कि मैं इसका आदी नहीं हूं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं भी कभी-कभी खादी पहनता हूं परन्तु मैं इसे हमेशा नहीं पहनता। मैं केवल अपनी व्यक्तिगत राय (स्पष्टीकरण) दे रहा हूं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : माननीय मन्त्री महोदय को उत्तर देने दीजिए।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : प्रत्येक सक्रिय कांग्रेसी सदस्य को खादी पहननी चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री पी० ए० संगमा : माननीय सदस्य ने जो अन्य मुद्दे उठाए हैं उनमें सलाहकार समिति का गठन भी शामिल है। तथा अन्य दूसरे मुद्दों के बारे में मैं आपको केवल आश्वस्त कर सकता हूं कि इस समिति के गठन के समय सरकार उन सभी सुझावों को ध्यान में रखेगी जो इस सदन में दिए गए हैं।

दण्ड के बारे में एक विशेष बात कही गई थी जो मेरे विचार से कम ही लोगों ने उठायी है तथा वह यह है कि 6 महीने की सजा तथा 5000 रुपए जुर्माना बहुत कम है। मेरा ख्याल है कि आपने इसे आंशिक रूप में ही पढ़ा है। यह 5000 रु० प्रति करघा है।

दूसरे सदस्य ने प्रश्न उठाया है कि नियम बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वास्तव में धारा 19 सरकार को नियम बनाने का अधिकार प्रदान करती है।

इन कुछ शब्दों के साथ मैं आग्रह करूंगा कि विधेयक पर विचार किया जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनन्य रूप से हथकरघों द्वारा उत्पादन हेतु कुछ वस्तुओं का आरक्षण करने के लिए और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित, रूप में विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सदन अब विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगा।

खण्ड 2 और 3

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 4 (सलाहकार समिति का गठन)

सभापति महोदय : प्रो० रंगा क्या आप संशोधन पेश करना चाहते हैं ?

प्रो० एन० जी० रंगा : जी हां, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

[हिन्दी]

पृष्ठ 2.—

पंक्ति 36 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तः स्थापित किया जाए**—

"(1क) सलाहकार समिति एक स्थायी समिति होगी, जिसका गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा हर दो वर्षों के बाद किया जायेगा।"

"(1ख) सलाहकार समिति में तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से तीन-तीन सदस्य, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और गुजरात से दो-

[प्रो० एन० जी० रंगा]

दो सदस्य तथा केरल, पश्चिम बंगाल, जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से एक-एक सदस्य तथा असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों से तीन सदस्य, जिनका चयन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा और अखिल भारतीय हथकरघा बुनकर कांग्रेस तथा हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों से तीन सदस्य, शामिल किये जायेंगे।" (1)

श्री ई० अय्यापु रेड्डी (कुरनूल) : हम इस संशोधन का हृदय से समर्थन करते हैं।

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : सभापति महोदय, मेरा विचार था कि माननीय मन्त्री इस बात का उल्लेख करेंगे। परन्तु वे खद्दर के बारे में यूं ही बहस करने लग गए। इसीलिए अपने संशोधन में जो मैंने सुझाव दिया था अर्थात् सलाहकार समिति के गठन के बारे में जो सुझाव दिया था, उसका उल्लेख करना वह भूल गए मेरा विचार था कि वह या तो इसे स्वीकार कर लेंगे या यूं कहिए कि वह इसी आधार पर सलाहकार समिति का गठन करने जा रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो हमने यहां सुझाव दिए हैं उन पर कुछ विचार करेंगे।

खादी के प्रश्न पर बात करते हुए, दूसरी बात है कि मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि जहां तक मैं समझता हूं, मैं सरकार की बात तो नहीं कह सकता लेकिन आज भी कांग्रेस ने खादी को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया हुआ है। मैं मन्त्रियों तथा अपने दल के अन्य सदस्यों को कांग्रेस की इस वचनबद्धता के प्रति अवगत कराना चाहूंगा। मैं नहीं चाहता कि वे व्यर्थ में इन आर्थिक तर्कों में पड़े क्योंकि यह 50, 60 या 70 वर्ष पूर्व हमें अंग्रेजों ने तथा दूसरे उपनिवेशी स्वामियों ने सिखाई थीं।

तीसरे, हमारे एक मित्र द्वारा दिये गये तर्क के सम्बन्ध में मैं एक और शब्द जोड़ना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हथकरघा बुनकरों को महत्व दें तथा उनकी मदद करें परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि उनके करघों को भी, उतना ही महत्व दें, यदि करघे से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, और चाहें यह उन्नत किस्म का भी हो जितनी आय की आवश्यकता होती है। उतनी आय भी इनसे नहीं हो पाती। तो हमें हथ-करघा के बारे में अधिक चिन्ता की आवश्यकता नहीं है चाहें इसमें सुधार भी किया गया हो। हमें उनके स्थान पर विद्युत-करघों आदि को अपनाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उन्होंने यह तर्क दिया है। परन्तु, महोदय, मैं इस तर्क के बिल्कुल विरुद्ध हूं। यह एक ऐसा तर्क है जिसका प्रचार अंग्रेज-अर्थशास्त्री किया करते थे। यदि

हमने इसे स्वीकार कर लिया होता तो प्रथम जहां तक कपड़ा-उद्योग का सम्बन्ध है भारत में किसी भी प्रकार के उद्योग की कोई आवश्यकता न होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय बाकी विश्व की जरूरतों को अंग्रेजी कपड़ा-उद्योग पूरा कर रहा था तथा इसे सबसे कुशल माना जाता था। परन्तु, इसके बावजूद भी, इस देश के पूंजीपतियों ने यहां के अपने कपड़ा-उद्योग को बचाने के लिए अनुरोध किया जबकि अंग्रेज यह कहते रहते थे कि "आपका भारतीय वस्त्र उद्योग इतना कार्यकुशल नहीं है जितना कि अंग्रेजी वस्त्र-उद्योग।" इसीलिए, बचाव के अन्तर्गत हमने अपने वस्त्र-उद्योग को प्रोत्साहन दिया तथा उन्हें स्थापित किया। इसी तरह से, बाद में, वही तर्क हथकरघा के बारे में दिया गया है। मुझे उसका अधिक ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं।

सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि मुझे इन्सानों को भी अधिक महत्व देना पड़े तो भी यही कहना होगा कि वे बुनकर ही तो हैं जो करघों को चलाते हैं जैसा कि यहां इस सदन में कहा गया है कि इस हथ-करघा बुनकर उद्योग में 4 करोड़ लोग कार्य करते हैं। यदि हमें इन्हें विद्युत-करघों को अपनाना पड़े तो अगले 10 या 15 वर्षों में इस सरकार के लिए या किसी भी सरकार के लिए कहां तक इन करोड़ों लोगों के लिए रोजगार देना सम्भव होगा जो इसके कारण बेरोजगार हो जाएंगे। आज सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है, रोजगार की व्यवस्था करना। हम रुग्ण वस्त्र-उद्योग को वित्तीय सहायता क्यों दे रहे हैं ? इसलिए नहीं कि हमें मशीनों से प्यार है बल्कि इसलिए कि हमें उन लोगों से प्यार है जो वस्त्र-उद्योग में कार्य कर रहे हैं तथा जिन्हें उद्योग के रुग्ण होने पर, रोजगार से निकाला जा रहा है। इसीलिए सरकार इतना पैसा पानी की तरह बहा रही है।

प्रत्येक माह तथा हर वर्ष करोड़ों रुपए वहां रोजगार की व्यवस्था करने पर खर्च किए जाते हैं। इसी तरह नवीनीकरण तथा जूट मिलों में काम करने वाले कामगारों तथा विभिन्न अन्य लोगों की सुरक्षा पर खर्च किए जाते हैं। अतः सबसे महत्वपूर्ण बात रोजगार है। रोजगार भी ऐसा नहीं है जिससे उन्हें मजदूरी मिलती हो बल्कि वह स्व-रोजगार है। इस समय हथकरघा उद्योग हथकरघा बुनकरों को स्व-रोजगार प्रदान कर रहा है। उसके इस विशेष पहलू की ओर अत्यधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इस लिए विद्युत करघों पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। इन्हें लाइसेंस देने की प्रणाली इसीलिए शुरू की गई है। लेकिन वे लोग अपने स्वार्थ के लिए कानून की उपेक्षा करते हैं जिससे बहुत अधिक विद्युत करघे लाइसेंस के बिना भी चल रहे हैं। बहुत सारे विद्युत करघों को एक साथ या उन्हें एक-एक करके भी शुरू किया जा सकता है। यदि उन्हें धीरे-धीरे लाया जाता है तो उनके प्रति एक अलग दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। लेकिन आमतौर पर विद्युत करघे हथकरघों तथा हथकरघा बुनकरों के शत्रु हैं। अतः विद्युत करघों पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए तथा उनका क्षेत्र सीमित किया जाना चाहिए। हथकरघा उद्योग को सुरक्षा प्रदान करना जरूरी है। जब तक इसमें लगे लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं कर दी जाती तब तक आपको इस बात की बहुत सर्तकता बरतनी होगी कि आप संगठित कपड़ा उद्योग विद्युत करघों तथा हथकरघों के प्रति क्या नीति अपनाने जा रहे हैं।

[प्रो० एन० जी० रंगा]

खादी के लिए उन्हें, मेरे दल तथा शेष सदन को एक बात ध्यान में रखनी होगी। यदि इस देश में कुटीर-उद्योग, लघु-उद्योग, मध्यम उद्योग आदि चाहिए तो यह भेदभाव पूर्ण रवैया क्यों अपनाया जाता है ?

मैं अपने माननीय मित्र को बता दूं कि उनके अपने क्षेत्र पूर्वोत्तर—क्षेत्र में क्या हुआ है। वहां हर घर में हथकरघा है। हरकरघे में यदि मिल निर्मित सूत का इस्तेमाल किया जाता है तो आपत्ति की कोई बात नहीं है। हथकरघे में घर में निर्मित सूत का इस्तेमाल भी किया सकता है। अतः पहली प्राथमिकता खादी को दी जानी चाहिए उसके बाद क्रमशः हथकरघे, विद्युत-करघे और कपड़ा उद्योग को। आशा है मेरे माननीय मित्र कपड़ा उद्योग में सुधार करते समय इन स्वयंसिद्ध साधारण बातों को जिन्हें भारतीय अर्थशास्त्र की विकासशील राष्ट्रों के अर्थशास्त्र की संज्ञा दी जाती है, ध्यान में रखेंगे। जिस तरह से वे सोच रहे हैं उससे इस देश की प्रगतिशील कपड़ा नीति के विकास को भी प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तथा रोजगार के अवसर भी नहीं बढ़ेंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है और जिसे संभवतया सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी (कुरनूल) : सभापति महोदय, मैं प्रो० रंगा द्वारा रखे गए संशोधन पर कुछ कहना चाहूंगा। हम खंड 4 में संशोधन का हार्दिक समर्थन करते हैं। संशोधन सलाहकार समिति के गठन के बारे में है। जिसके अनुसार सलाहकार समिति एक स्थायी समिति होगी, जिसका गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा हर दो वर्षों में एक बार किया जाएगा।

सलाहकार समिति में तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और बिहार से तीन-तीन सदस्य, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, और गुजरात से दो-दो सदस्य तथा केरल, पश्चिम बंगाल, जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से एक-एक सदस्य तथा असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों से तीन सदस्य, जिनका चयन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा और अखिल भारतीय हथकरघा बुनकर कांग्रेस तथा हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों से तीन सदस्य शामिल किए जाएंगे।

विधेयक में यह बहुत तर्क संगत और उपयुक्त संशोधन है। इस संशोधन को शामिल किए बिना खंड 4 अस्पष्ट रहेगा। अतः माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वे इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री पी० ए० संगमा : वाद-विवाद के उत्तर के दौरान मैं इस मुद्दे का जवाब दे चुका हूं। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि विधेयक के खंड 19 के अन्तर्गत सरकार को इस सम्बन्ध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है कि सलाहकार समिति का गठन किस प्रकार किया जाएगा।

खंड 19 में स्पष्ट रूप से व्यवस्था है कि इन सभी नियमों को बनाने के बाद उन्हें संसद के दोनों सदनों के समा पटल पर रखा जाएगा और अगर सदन चाहे तो उन पर चर्चा तथा उनमें परिवर्तनों की सिफारिश की जा सकती है।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी : हम आश्वासन चाहते हैं कि इन नियमों में इस संशोधन की मूल भावना को शामिल किया जाएगा।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि इन नियमों को सभा पटल पर रखा जाएगा।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी : यह आश्वासन नहीं है। यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि इन नियमों में इस संशोधन की मूल भावना की शामिल किया जाएगा।

श्री पी० ए० संगमा : मैं यह और कह सकता हूं कि सलाहकार समिति का गठन करते समय बुनकरों के हितों को जरूर ध्यान में रखा जाएगा जैसा कि मैंने आश्वासन दिया है...

श्री ई० अय्यापु रेड्डी : विभिन्न राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के बारे में स्थिति क्या है ?

श्री पी० ए० संगमा : और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व को भी।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री द्वारा दिए उत्तर को देखते क्या प्रो० एन० जी० रंगा अपना संशोधन वापिस लेगें ?

प्रो० एन० जी० रंगा० : मैं संशोधन वापिस लेने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं इस पर मतदान के लिए तैयार नहीं हूं।

सभापति महोदय : या तो संशोधन को वापिस लेना होगा या उसे मतदान के लिए रखना होगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : मुझे आशा है सरकार इस संशोधन की मूल भावना को ध्यान में रखेगी। अगर ऐसा है तो मैं संशोधन को वापिस लेना चाहूंगा।

सभापति महोदय : क्या सभा श्री एन० जी० रंगा द्वारा रखे गए संशोधन को वापिस लेने की अनुमति देती है।

संशोधन सं० 1 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 से 15 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 5 से 15 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

सभापति महोदय : अब खंड 16 । क्या प्रो० रंगा अपना संशोधन रख रहे हैं ?

प्रो० एन० जी० रंगा : नहीं, मैं नहीं रख रहा ।

सभापति महोदय : क्या श्री राम प्यारे पनिका अपना संशोधन रख रहे हैं ?

श्री राम प्यारे पनिका : नहीं, मैं नहीं रख रहा ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 16 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : अब खंड 17 । प्रश्न यह है :

"कि खंड 17 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : खंड 18 । क्या प्रो० रंगा अपना संशोधन रख रहे हैं ?

प्रो० एन० जी० रंगा : नहीं, मैं नहीं रख रहा ।

सभापति महोदय : क्या श्री राम प्यारे पनिका अपना संशोधन रख रहे हैं ?

श्री राम प्यारे पनिका : नहीं, मैं अपना संशोधन नहीं रख रहा ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 18 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : खंड 19 । प्रश्न यह है :

"कि खंड 19 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

5.41 म० प०

संघ लोक सेवा आयोग के 32 वें और 33 वें प्रतिवेदन और उनमें उल्लिखित आयोग की सलाह को न मानने के मामलों के सम्बन्ध में सरकार के ज्ञापन पर चर्चा

सभापति महोदय : अब हम अगले विषय को लेते हैं । श्री के० पी० सिंह देव

कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, संघ लोक सेवा आयोग के 1 अप्रैल, 1981 से 31 मार्च 1982 तक की अवधि से सम्बन्धित 32वें प्रतिवेदन, तथा 1 अप्रैल, 1982 से 31 मार्च, 1983

[श्री के० पी० सिंह देव]

तक की अवधि से सम्बन्धित 33वें प्रतिवेदन और उसमें उल्लिखित आयोग की सलाह को न मानने के मामलों के सम्बन्ध में सरकार के ज्ञापन, जो क्रमश: 2 मार्च 1983 और 2 मई, 1984 को सभा पटल पर रखे गए थे, पर विचार करती है।"

जैसा कि सदन को मालूम है कि संघ लोक सेवा आयोग को संविधान के अनुच्छेद 323 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य का प्रतिवेदन हर साल प्रस्तुत करना होता है। यह प्रतिवेदन सरकार द्वारा उन मामलों के सम्बन्ध में जहां सरकार ने आयोग की सलाह नहीं मानी होती के, कारणों को बताने वाले ज्ञापनों सहित सभा पटल पर रखे जाते हैं। आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा एक प्रथा सी बन गई आयोग के कार्य निष्पादन पर विस्तार से चर्चा तथा सरकारी जिसका उद्देश्य सेवाओं में भर्ती और प्रबन्ध की सभी प्रकार की नीतियों पर माननीय सदस्यों के सद्भाव विचारों को प्रकाश में लाना है।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग ऊंचे पदों पर भर्ती के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और सरकारी कार्मिक प्रशासन से सम्बन्धित कई मामलों पर तथा सरकार के स्वतन्त्र सलाह देता है और इन मामलों में आयोग के निर्णय पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

इस समय जिन प्रतिवेदनों पर विचार किया जा रहा है उनमें आयोग ने भरती, पदोन्नति, अनुशासनात्मक आदि के 10,071 और 12,936 मामलों पर अपनी सलाह दी है। सरकार ने चार मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों में उसकी सलाह मान ली है।

अप्रैल 1982 से मार्च 1983 की अवधि के दौरान 2,74,746 उम्मीदवारों ने आयोग को विभिन्न परीक्षाओं और चयन के लिए आवेदन किया था और आयोग द्वारा 8039 उम्मीदवारों का चयन किया गया तथा विभिन्न सेवाओं और पदों में उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश की। आयोग तीनों अखिल भारतीय सेवाओं अर्थात् भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के 1,158 राज्य सेवा अधिकारियों की पदोन्नति के मामलों पर विचार करने के लिए प्रत्येक राज्य में गठित चयन समितियों के साथ सम्बद्ध था ! प्रतिवेदन में बताई गई अवधि के दौरान तीनों सेवाओं के लिए 439 राज्य सेवा अधिकारियों की चयन सूची में शामिल किया गया था। जहां तक केन्द्रीय सेवाओं में पदोन्नति का सम्बन्ध है 16,172 अधिकारियों के मामलों पर विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा विचार किया गया आयोग इन समितियों से भी संबद्ध था। उच्च पदों पर पदोन्नतियों के लिए 3793 अधिकारियों की एक तालिका बनाई गई।

7 चैत्र, 1907 (शक)

संघ लोक सेवा आयोग के 32 वें और 33 वें प्रतिवेदन और उनमें उल्लिखित आयोग की सलाह को न मानने के मामलों के संबंध में सरकार के ज्ञापन पर चर्चा

माननीय सदस्य, आयोग की 32वीं और 33वीं प्रतिवेदनों को देखकर खुश होंगे। कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उम्मीदवारों के कार्य निष्पादन में काफी सुधार हुआ है ! प्रतिवेदन के अन्तर्गत बताए गए वर्षों में आयोग ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सभी स्थानों पर उम्मीदवारों की सिफारिश की थी जिसमें अपेक्षित शैक्षिक योग्यता जैसे मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री, अथवा जैसे कि सिविल सेवा परीक्षा के समकक्ष, भारतीय वन सेवा परीक्षा, भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यकीय सेवा परीक्षा तथा सहायक ग्रेड परीक्षा में मांगी जाती है। तकनीकी। व्यवसायिक योग्यताओं वाली कुछ परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हैं। केन्द्रीय सरकार तथा दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत चिकित्सा पदों द्वारा संयुक्त मेडिकल परीक्षा के लिए आरक्षित सभी स्थानों पर तथा स्पैशल क्लास रेलवे अप्रैन्टिस परीक्षा के लिए भी उम्मीदवारों की सिफारिश की गई। प्रतिवेदन के अन्तर्गत बताए गए वर्षों में पिछले वर्ष की तुलना में भूविज्ञान और आशुलिपिक परीक्षा में भी अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों का परीक्षाफल अच्छा रहा।

जहां तक अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का सम्बन्ध है। प्रतिवेदन के अन्तर्गत बताए गए वर्षों में आयोग उन सभी परीक्षाओं में जहां सामान्य शैक्षिक योग्यताएं मांगी जाती हैं सभी आरक्षित पदों पर उनकी सिफारिश के लिए सक्षम हुआ। हालांकि तकनीकी और व्यवसायिक अर्हताओं वाली परीक्षाओं के मामले में आयोग सभी आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित उम्मीदवारों की संख्या की सिफारिश नहीं कर सका है। मैं फिर भी सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार के अधीन सेवाओं में अनसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को लाने उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है ताकि वे राष्ट्रीय जीवन के मुख्य धारा में उचित स्थान पा सकें। इस प्रयोजन के लिए सरकार ने देश के विभिन्न स्थानों पर उनके लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार परीक्षा से पहले प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें जिससे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिए जाने वाली परीक्षाओं में वह अच्छे उतरे। इस समय 65 से अधिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों और निजी संस्थानों में विशेष प्रशिक्षण कक्षाओं का प्रबंध किया गया है। मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए खुशी है कि उच्च सिविल सेवा के मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सारे स्थानों को भरा जा रहा है जिसके लिए सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती होती है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए सरकार ने नए परीक्षा केन्द्र को खोलने पर विचार किया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों को परीक्षाएं देने के लिए दूर दराज न जाना पड़े। इस समय संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिए जाने वाले सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा के लिए 19 केन्द्रों सहित परीक्षाओं के लिए 37 केन्द्र हैं, इनके रायपुर, तिरुपति और विशाखापट्टनम केन्द्रों को हाल ही में खोला गया था ताकि इन क्षेत्रों के आस-पास रहने वा

[श्री के० पी० सिंह देव]

जनजातियों के उम्मीदवार इसका पूरा फायदा उठा सकें ! संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किए जाने वाली भर्ती के लिए बड़े पैमाने पर उसका प्रचार जहां तक संभव ही किया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले योग्य व्यक्ति उसका लाभ उठा सकें ! ग्रामीण क्षेत्रों के लोग साक्षात्कार के दौरान जवाब देने में भाषा सम्बन्धी कठिनाई न हो अर्थात् भाषा उसमें बाधा न बने इसका ध्यान रखते हुए और उम्मीदवारों को साक्षात्कार परीक्षा के लिए 1982 से और उसके बाद होने वाली सिविल सेवा परीक्षा में, साक्षात्कार के दौरान जिस भाषा में उम्मीदवार उत्तर देना चाहे बता सकता है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर क्षेत्र के उम्मीदवारों की भाषा संबंधी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए उन्हें सिविल परीक्षा सेवा में भारतीय भाषा सम्बन्धी अनिवार्य परीक्षा से छूट दी गई है। यह छूट 1985 तक की परीक्षाओं पर लागू है।

जैसा कि सदन को मालूम है कि संघ लोक सेवा आयोग, नेशनल ट्रेनिंग कान्फ्रेंस ऑन ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट इन इण्डिया तथा निदेशक, सरदार वल्लबभाई राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद की सिफारिशों पर अक्तूबर 1983 से सरकार ने 1985 में और उससे आगे होने वाली सिविल सेवा परीक्षा, भारतीय वन सेवा परीक्षा तथा भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यकीय सेवा परीक्षा में बैठने के लिए आयु सीमा को 28 वर्ष से घटा कर 26 वर्ष करने का निर्णय किया है। इन परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों तथा समय-समय पर प्रकाशित कुछ विशेष श्रेणियों के उम्मीदवारों को जो छूट प्रायः दी जाती है, कोठारी समिति ने भी सिविल सेवा परीक्षा के लिए 26 वर्ष की अधिकतम आयु की सिफारिश की है। सेवा की आवश्यकताओं के अनुसार उम्मीदवारों के ढालने और परीक्षा के प्रतियोगितात्मक के तत्वों पर भी 28 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा ने प्रतिकूल प्रभाव डाला है। अधिकतम आयु सीमा से भी शहरी उम्मीदवारों की अपेक्षाकृत अधिक फायदा है क्योंकि ग्रामीण उम्मीदवार अनिश्चित काल तक शिक्षा जारी रखने की हालत में नहीं होते। वह इसका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन इस विषय पर प्राप्त अभ्यावेदनों को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय 1986 और उसके बाद होने वाली इन परीक्षाओं के लिए स्थगित कर दिया है।

मैं सिविल सेवा परीक्षा की निम्नलिखित विशेषताओं को भी बताना चाहता हूं जिससे उन उम्मीदवारों को जो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं अथवा समाज के कम सम्पन्न वर्ग से हैं कुछ सहायता मिलेगी।

(एक) अंग्रेजी का पेपर मैट्रिक या समकक्ष स्तर का होता है और जिसे साधारणतः उत्तीर्ण करना होता है। प्रतियोगी रैंक के लिए इसके अंकों को जमा नहीं किया जाता।

(दो) उम्मीदवारों को संविधान की आठवीं सूची में शामिल की गई किसी भी भारतीय

भाषा में या अंग्रेजी भाषा में विषय के पेपरों को उत्तर देने का विकल्प है।

(तीन) वैकल्पिक पेपरों के लिए अपेक्षाकृत अधिक अंक रखे गए हैं। ऐसा जनरल स्टडी के पेपरों के महत्व को अपेक्षाकृत कम करने की दृष्टि से किया गया है। वैकल्पिक पेपर अब 1200 पूर्णांक के होते हैं जबकि जनरल स्टडी के पेपरों का पूर्णांक 600 है।

(चार) साक्षात्कार परीक्षा को कम महत्व दिया गया है जिसके केवल 250 अंक हैं। उम्मीदवार को अंग्रेजी में उत्तर देने में कठिनाई होती हो तो साक्षात्कार बोर्ड, उसे किसी भारतीय भाषा में देने की अनुमति दे सकता है।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय वन सेवा के लिए कला निष्णात् स्तर के अतिरिक्त पेपरों को जिसे परीक्षा की पुरानी प्रणाली में शामिल किया गया था उसे परीक्षा की नई प्रणाली में खतम कर दिया गया है।

मैं इस अवसर पर सदस्यों की आश्वस्त करना चाहता हूं कि आयोग की पहली रिपोर्टों पर विचार करते समय, पहले भी समय समय पर इस सम्मानित सदन में दिए गए विभिन्न सुझावों को, सर्वाधिक मान प्रदान किया गया है। और मुझे विश्वास है जब माननीय सदस्य आज की बहस में भाग लेंगे तब उनके सुविचारित मतों और अभिमतों को सर्वाधिक मान दिया जाएगा। हम इन अभिमतों को सिविल सेवाओं में भर्ती की प्रणाली में सुधार करते समय ध्यान रखेंगे। यह प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है और हम इसे जारी रखेंगे इतने से ही हम संतुष्ट नहीं बैठेंगे। यह एक सतत प्रक्रिया है। हम माननीय सदस्यों की सलाह और मशविरे से लाभान्वित होना चाहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

"कि यह सभा 1 अप्रैल, 1981 से 31 मार्च, 1982 तक और 1 अप्रैल, 1982 से 31 मार्च, 1983 तक की अवधियों से सम्बन्धित संघ लोक सेवा आयोग के 32वें और 33वें प्रतिवेदनों तथा उसमें उल्लिखित आयोग की सलाह को न मानने के मामलों के सम्बन्ध में सरकार के ज्ञापन, जो क्रमशः 2 मार्च, 1983 और 2 मई, 1984 को सभा पटल पर रखे गए थे, पर विचार करती है।"

अब श्री के० रामचन्द्र रेड्डी बोलेंगे।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : सभापति महोदय, भारतीय संविधान के तहत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कतिपय विशिष्ट कार्यों के निष्पादन हेतु की गई है।

[श्री के० रामचन्द्र रेड्डी]

आयोग से जिन कार्यों के निष्पादन की अपेक्षा है, वे संविधान के अनुच्छेद 320 में वर्णित हैं।

आयोग का काम विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियुक्ति हेतु उपयुक्त उम्मीदवार भर्ती करना, और विभागीय प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति आदि प्रश्नों पर विचार करना है। इन कार्यों को सम्पन्न करने के लिए ही आयोग का गठन किया गया है।

मंत्रालयों और विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे रिक्तियों की स्थिति के बारे में आयोग को सूचित करें। उन्हें संघ लोक सेवा आयोग को बताना चाहिए कि उनके विभाग में कितनी रिक्तियां हैं, किन-किन को पदोन्नत किया जाना है, पदोन्नति के लिए कौन-सा मानदण्ड अपनाया गया है, आदि आदि। ये कार्य मंत्रालयों और विभागों के हैं।

परन्तु होता क्या है ? मंत्रालय और विभाग, चाहे वह कोई भी मंत्रालय अथवा विभाग हो, आयोग की दखलन्दाजी को पसन्द नहीं करते। जहां तक सम्भव हो वे आयोग की दखलन्दाजी से बचना चाहते हैं। इसी कारण उन्होंने तदर्थवाद का आश्रय लिया हुआ है। ये सरकारी विभाग अपने आदमियों को, उन आदमियों को जो उन्हें प्रभावित कर सकते हैं तथा जो उनके सम्बन्धी और प्रियवर हैं, नियुक्त करना चाहेंगे। इन लोगों को नियुक्त करने के लिए तथा आयोग के सीमाक्षेत्र से बाहर होने के लिए ये तदर्थ नियुक्तियां करते हैं। केन्द्रीय चिकित्सा सेवा, रेलवे चिकित्सा सेवा, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का इन्जीनियरिंग संवर्ग, केन्द्रीय जल आयोग, दिल्ली विद्युत प्रदाय प्राधिकरण और अन्य बहुत से विभागों में इस प्रकार का तदर्थवाद बहु-प्रचलित है। ऐसे विभाग संघ लोक सेवा आयोग से पूछे बगैर बहुत सी नियुक्तियां तदर्थ आधार पर कर लेते है तथा तदर्थ प्रोन्नोति भी कर देते हैं परिणामस्वरूप उनकी सेवा अनिश्चित अवधि तक जारी रहती है। तदर्थ आधार पर इतनी लम्बी अवधि की सेवा नियुक्ति व्यक्ति और नियुक्ति करने वाले संगठन दोनों के लिए वांछित नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में तदर्थता की अवधि न्यूनतम की जानी चाहिए। सरकार को भर्ती के सम्बन्ध में और पदोन्नति के सम्बन्ध में इस तदर्थवाद को समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। निश्चय ही, तदर्थ आधार पर नियुक्ति पूर्णतया समाप्त करना संभव नहीं है। परन्तु एक बात ध्यान में अवश्य रखनी चाहिए कि इस प्रकार की तदर्थ नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग के नियम 4(1) में वर्णित अवधि अर्थात नाममात्र की न्यूनतम अवधि के लिए भी जानी चाहिए।

महोदय, तत्पश्चात् विभागीय प्रोन्नति समितियों को प्रत्येक वर्ष एक या दो बैठकें करनी चाहिए और प्रोन्नति सम्बन्धी निर्णय करना चाहिए तथा प्रोन्नति सूची अनुमोदनार्थ संघ लोक

सेवा आयोग को भेजनी चाहिए। यहां भी ये समितियां विभिन्न कारणों से अपनी प्रोन्नति सूची भेजने की स्थिति में नहीं होती। उन्हें अनुमोदनार्थ अपनी सूचियां तत्परता से आयोग को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए।

अब परीक्षण विधि और परीक्षा में सुधार की बात को लें। मैं यह बताना चाहूंगा कि भर्ती-नीति और भर्ती प्रणाली समाज संगत तथा संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। योग्यता निर्धारण के नए तरीके और नई तकनीकें विकसित करनी होंगी। चयन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण अनुबंद्ध के रूप में वस्तुपूरक परीक्षाएं आयोजित करनी होती है। संघ लोक सेवा आयोग अभी लिखित परीक्षाएं और मौखिक परीक्षाएं अंग्रेजी अथवा हिन्दी में ही लेता है। इसलिए जो उम्मीदवार अंग्रेजी अथवा हिन्दी में सफलतापूर्वक उत्तर नहीं दे सकते उन्हें बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप जो उम्मीदवार अंग्रेजी अथवा हिन्दी नहीं जानते उनको बहुत अड़चनें आती हैं। अतः यह वांछनीय है कि समिति यह निर्णय करे कि उत्तर किसी भी क्षेत्रीय भाषा में दिए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षाओं और मौखिक परीक्षाओं के उत्तर किसी भी क्षेत्रीय भाषा में दिए जाने का आवश्यक विकल्प दिया जाए ताकि ये उम्मीदवार उन उम्मीदवारों के समकक्ष आ सकें जो अंग्रेजी अथवा हिन्दी में उत्तर देते हैं। मौखिक साक्षात्कारों और मौखिक परीक्षाओं के मामले में क्षेत्रीय भाषा में उत्तर देने वाले उम्मीदवारों को अंग्रेजी अथवा हिन्दी में उत्तर देने वाले उम्मीदवारों के समकक्ष माना जाए।

महोदय, सभी को यह अनुभव है कि परीक्षा देने वाले लाखों उम्मीदवारों में से उनके एक थोड़े से प्रतिशत का ही चयन किया जाता है। जिनका चयन नहीं होता वे बड़े निराश होते हैं। इन उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देने के लिए अपने निवास स्थान से बहुत अधिक दूर स्थित परीक्षा केन्द्रों पर जाना पड़ता है। लिखित परीक्षा के पश्चात् उन्हें मौखिक परीक्षाओं और साक्षात्कार हेतु और अधिक दूरस्थ केन्द्रों पर जाना पड़ता है। इस उद्देश्यपूर्ति हेतु उन्हें बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं और बहुत-सी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। उम्मीदवारों को अपने निवास स्थान से परीक्षाएं देने में समर्थ बनाने के लिए वर्तमान परीक्षा केन्द्रों की संख्या जो कि पूरे देश में 30 अथवा 40 हैं, पर्याप्त नहीं हैं। परीक्षा केन्द्रों की संख्या जितनी अधिक से अधिक सम्भव हो उतनी होनी चाहिए ताकि उम्मीदवारों को परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचने में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े तथा इसके लिए उन्हें कम से कम पैसा खर्च करना पड़े। जहां तक सम्भव हो परीक्षा में बैठने की सुविधा उन्हें अपने ही इलाके में, अपने निवास स्थान के निकट उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

अब अधिकतम आयु सीमा में छूट के सम्बन्ध में, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कि रोजगार कार्यालयों में नाम लिखाने वाले व्यक्तियों की संख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है तथा रोजगार कार्यालयों में नाम का पंजीकरण कराने के दस अथवा पन्द्रह वर्षों के पश्चात् भी इन

[श्री के० रामचन्द्र रेड्डी]

लोगों को कोई रोजगार नहीं मिलता। विभिन्न नगरों और कस्बों में लाखों लोगों ने रोजगार कार्यालयों में अपने नाम का पंजीकरण कराया हुआ है। ऐसे लोगों की नियुक्ति को आसान बनाने के लिए यह वांछनीय है कि उच्चतम आयु सीमा में छूट देकर उसे 28 वर्ष से बढ़ाकर 34 वर्ष कर देना चाहिए।

सभापति महोदय : रेड्डी जी, आप कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 29 मार्च, 1985/3 चैत्र 1907 (शक) के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्य वासिनी पैकेजिस्स, D-108, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-110053